राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का २१ वां दिवस [संख्या २१]

गुरुवार, दिनांक १९ मार्च, १९६४

———

विधान सभा की बैठक म. पू. ८-०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारंभ हुई।
(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, सिंचाई, राजस्व, नियुक्ति, चिकित्सा, कृषि एवं खाद्य-विभाग)

प्रश्न संख्या ५१४

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री गंगाराम।

डाकुओं द्वारा आत्म समर्पण

५१५. श्री गंगाराम चौधरी : (गुड़ा मालानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् १९६३ में जिला जैसलमेर में गृह मंत्री राजस्थान की उपस्थिति में जिन डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया उनमें से कितनों के विरुद्ध अदालत में चालान हुआ, उनका क्या नतीजा रहा और कितनों को बिना चालान किये ही रिहा कर दिया गया है, और उसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री गृह (श्री निरंजन नाथ आचार्य) : जिला जैसलमेर में आत्मसमर्पण करने वाले १९ डाकुओं में से १५ के विरुद्ध चालान अदालत में पेश किये जा चुके हैं। जो अभी तक जेरे तजवीज अदालत है। इनके अतिरिक्त १ के विरुद्ध २ केसेज़ जेर तफतीस है और ३ के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण चालान प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं। अत: उन्हें रिहा किया गया।

श्री गंगाराम चौधरी : क्या यह सही है कि वास्तव में वे डकैत नहीं थे जिन्होंने सरेन्डर किया था, वे दूसरे ही लोग थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सही नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : प्रमाण उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए।

श्री गंगाराम चौधरी : क्या उनको सनाख्त नहीं किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सनाख्त का ही प्रश्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या यह सही है कि सनाख्त ठीक तरह से नहीं कराया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं कर पाये।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सरकार को उनके डकैत होने में डाउट है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : लेक ऑफ एविडेन्स।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि विटनेसेज गई उनको पुलिस वालों ने कह दिया कि सनाख्त मत करो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सत्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

नल योजना-बारां

५१६. श्री दयाचन्द सोन (बारां) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नगरपालिका बारां ने सरकार को कोई नल योजना भेजी थी ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय लिया है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां)
(१) जी नहीं, लेकिन वाटर वर्क्स विभाग ने एक योजना बनाकर सरकार को भेजी थी।

(२) यह योजना धन की कमी की वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं की गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह माना जाय कि इस धन की कमी के कारण जो नल की योजना बनी है वह यों ही रह जायगी और नई योजना हाथ में ली जायगी ?

श्री बरकतुल्ला खां : जैसे जैसे धन उपलब्ध होता है वैसे वैसे उस हिसाब से योजना ली जाती है और उसी हिसाब से प्रायोरिटी फिक्स की जाती है। कोई योजना २ लाख की होती है, कोई ३ या ४ लाख की होती है, जैसे जैसे फंड अवेलेबल होता है वैसे २ कार्य किया जाता है।

श्री दयाचन्द सोन : प्रायोरिटीमें इसका कौनसा नंबर है ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : आखिर में।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रायोरिटी किस आधार पर फिक्स की जाती है ?

प्रश्न संख्या ५१७

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज ।

टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स

५१८. श्री मोहनराज (बाली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि आर्म्स एक्ट के तहत मजल लोडिंग (टोपीदार) बन्दूक के लाइसेन्स लेने का प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप इस प्रकार के बिल्कुल साधारण शस्त्र रखने में भी जनता को बड़ी भारी कठिनाईयों का मुकाबला लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु करना पड़ता है ?

(२) क्या सरकार यह भी महसूस करती है कि इस लाइसेन्स के लागू करने से सरकार को कोई एप्रिसिएब्ल आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है ?

(३) क्या सरकार. इन टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स का प्रावधान रद्द करके हल्का एस. एच. ओ. के पास इनका केवल रजिस्ट्रेशन काफी नहीं समझती?

(४) क्या सरकार बी. एल.गन्स का लाइसेन्स प्राप्त करने में इन परिवर्तित व संकट-कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नागरिक को अधिक सुविधाए देने की सोच रही है ? और क्या इस हेतु सरकार नियमों में आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन कर रही हैं ?

उप मंत्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं । टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंस मंजूर करने के अधिकार तहसीलदारों को दे दिये गये है । इस लिए कठिनाई बिल्कुल नहीं रही हैं ।

(२) टोपीदार बन्दूकों के लाईसेन्स लेना अनिवार्य आर्थिक दृष्टि से नहीं किया गया है किन्तु अमनों अमान Peace and transquality की व्यवस्था के लिए किया गया है ।

(३) जी नहीं । पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता था परन्तु इसे पर्याप्त नहीं समझा गया और लाइसेन्स व्यवस्था लागू की गई । इसे रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि भारतीय शस्त्र अधिनियम में केन्द्र सरकार संशोधन नहीं कर देवे ।

(४) लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए हर एक आदमी को समान अधिकार है । चाल-चलन ठीक होने पर लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकता है । नियमों में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सरकार ने जांच की है कि तहसीलदारों को अधिकार देने के बाद डिस्पोजल वे किस तरह से करते है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी प्राप्त नहीं की, कि दरअसल में उनको अधिकार देने के बाद कितना डिस्पोजल हुआ ?

श्री मोहनराज : तहसीदारों को लाइसेन्स देने का अधिकार देने के फलस्वरूप जो जनता को कठिनाईयां होती हैं लोग आते हैं तहसीदार मिलते नहीं हैं और बदकिस्मती से उनको वापिस जाना पड़ता है, उनको बहुत कठिनाई होती है इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था। साथ ही में अर्ज कर दूं कि दूसरे कारणों से लाइसेन्स की प्रथा जरूरी है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से ही यह मसला हल हो सकता है। तहसीलदारों को अधिकार देने से सिर्फ आर्थिक लाभ ही ज्यादा हो सकता है वरना सरकार को जो विगत चाहिये तो थाने में रजिस्ट्रेशन करने से भी मिल सकती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिन्युअल का समय ३ साल में एक बार आता है इसलिए कठिनाई होने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी तहसीलदारों को लाईसेन्स देने का अधिकार देने के बाद कोई असुविधा हुई है क्या इसकी जांच करा लेंगे। लेकिन लाइसेन्स के लिए जब तक एक्ट में परिवर्तन न हो तब तक दूसरा तरीका नहीं अपना सकते।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : तहसील में लाइसेन्स का पीरियेड खत्म हो जाता है तब तक पार्टी के पास नहीं पहुंचते है और फिर कहते है कि समय खत्म हो गया इसलिए उन पर पेनल्टी होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि तहसीलदार के पास अगर लाइसेन्स के अधिकार रखें तो कम से कम यह तो उनको हिदायत की जाय कि लाइसेन्स समय पर पार्टीज के पास पहुंचा दिये जायें ताकि रिन्यू करा सकें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनके लिए सरकार की ओर से इन्सट्रक्शन्स होने चाहिये कि जो केसेज पेन्डिग पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी महीने दो महिने में डिस्पोजल करके भेज दें।

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : अभी भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब तहसीलदार से रिन्यू हो जाते हैं तो थानेदार की मार्फत पहुंचा दिये जाते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहुंचते नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : किसी जगह ऐसा नहीं हुआ होगा तो इसकी जांच की जा सकती है लेकिन यह कह देना कि सब ऐसा नहीं करते है उचित नहीं होगा। आप बतावें कि कहां पर ऐसा नहीं हुआ है। जांच की जावेगी।

एक माननीय सदस्य : एक व्यक्तिको चार आना फीस के जमा कराने के लिये कम से कम १० रुपया खर्च करना पड़ता है और उसके दो दिन बरबाद हो जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह कठिनाई तो आपकी रहेगी। मगर उसके बाद २४ घंटे आप उसको लटकाये फिरते रहेंगे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : जब माननीय मन्त्री ने इस बात को माना है कि यह कठिनाई रहेगी और यह कठिनाई है तो माननीय मन्त्री को इसको कन्ट्रोल करने की बात भी करनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : हमने शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये और भी सहूलियतें दे दी हैं।

श्री विजयसिंह भाला (नाथ द्वारा) : वे लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए उनसे तो कई दफा ज्यादा ले लेते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : तहसीलदार खुद वहां गांव में जाता है और थानेदार उसके साथ चला जाता है। यह सुविधा शिड्यूल्ड कास्ट को दी गई है और उनसे लाइसेंस फीस भी कम कर दी गई है। इतनी सहूलियतें तो उनको दी गई हैं।

श्री हीराभाई : कहीं तहसीलदार और थानेदार ने कानून के अनुसार जा कर लाइसेन्स इश्यू नहीं किये हों तो उनको क्या सजा दी जावेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : जो उनको कानून के अनुसार सजा दी जा सकती है दी जावेगी !

एक माननीय सदस्य : आपने फरमाया कि तहसीदार गांवों में जाते हैं और लाइसेन्स वही पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दे दिये जाते हैं। मैं यह कहूंगा कि गावों में जाते नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह कहूंगा कि तहसीलदारों की जो सुविधा उनको दी गई है वे वहां पर जाकर लाइसेन्स देते हैं या नहीं, गांवों में जाते हैं या नहीं, इस प्रकार के अधिकार देने के बाद में कहां तक सुविधाएं मिली हैं और ये सुविधाएं कहा तक पर्याप्त हैं इसकी जानकारी देने को मैं तैयार हूं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : पहले जो उनको लाइसेन्स दिये गये उनके नम्बर ही लिख कर दिये गये। मगर उनको लाइसेन्स-बुक में एन्टर नहीं किये। इसलिये कई लोगों की बन्दूकें इकट्ठी करके ले गये और वे छः छः महीनों से पड़ी हुई हैं वे तो बन्दूके लौटाई जावें। इस तरह के लाइसेन्स देने से कोई फायदा नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कौनसे जिले में हो रहा है ?

श्री फूलचन्दजैन : भालावाड़ जिलेमें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इसकी जांच कराने को तैयार हूं।

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) : टोपीदार बन्दूकों का लाइसेन्स नहीं होना चाहिये। क्या सरकार टोपीदार बन्दूकों पर से लाइसेन्स हटाने के लिए तैयार है ? क्योंकि इससे काश्तकारों को लाइसेन्स लेने में बड़ी भारी दिक्कत होती है।

श्री मथुरादास माथुर : हमने बहुत कोशिश की थी कि टोपीदार बन्दूक पर से लाइसेन्स हट जाय और इसका लाइसेन्स नहीं हो। हमने भारत सरकार से इसके लिये बहुत कोशिश की। मगर यह सेन्ट्रल एक्ट है। इस लिये लाइसेन्स तो लेना ही होगा। हमने इसके लिए फीस कम करदी है। इसके अलावा पहले कलेक्टर के पास लाइसेन्स के लिए जाना पड़ता था अब तहसीलदार लाइसेन्स दे देता हैं। इसके अलावा और भी बहुत सुविधाए दी गई है। समय भी लाइसेन्स का बढ़ा दिया गया है। तीन साल में लेना पड़ता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या इसको आप १० वर्ष तक करने को तैयार है ?

श्री मथुरादास माथुर : अपनी उम्र भी यहां पर ५ साल की ही है।

श्री अध्यक्ष : Next.

नगर परिषद्, गंगानगर.

५१९. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

नगर परिषद् गंगानगर में एड्मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की क्या संख्या है और उस पर आमदनी का कितना प्रतिशत खर्च होता है ?

उपमंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) :

संख्या निम्नलिखित है :

(१) राजस्थान नगरपालिका सेवा के सदस्य........ ३

(२) राजस्थान नगरपालिका सबआर्डिनेट व मिनीस्टरियल सेवा के सदस्य...१४७

(३) राजस्थान नगरपालिका चतुर्थ-श्रेणी के सदस्य........ १७९

(४) हरिजन कर्मचारी.... १९५

कुल योग—५२४

इस पर व्यय कुल आय का २५ प्रतिशत हैं।

श्री अध्यक्ष : Next.

जाखम नदी घाटी योजना, जिला उदयपुर

५२०. श्री उदयलाल बर्दिया (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में जाखम नदी घाटी योजना से करीब १ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होकर राष्ट्र के उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम को बल मिल सकता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उसका सर्वे एक लम्बे समय से होकर स्वीकृति बांध बंधवाने की हो चुकी थी ? यदि हां, तो उस कार्य की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है ?

उप मंत्री, सिंचाई : (श्री दिनेशराय डांगी) :

(१) जी नहीं। इससे केवल ३२,८०० एकड़ भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है।

(२) जी हां, किन्तु योजना आयोग से इसके लिये उपयुक्त धन राशि स्वीकृत न होने के कारण इसका स्थगित करना पड़ा है।

प्रश्न संख्या ५२१.

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेश बिहारी माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५२२

श्री भगराज चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

कुंडेलो बांध, देवगढ़

५२३ श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ के कुंडेली बांध से दो हजार एकड़ जमीन की पिलाई की जा सकती है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बांध से अभी केवल ज्यादा से ज्यादा ४०० एकड़ जमीन की ही पिलाई की जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि इतना बड़ा नुकसान केवल लेफ्ट केनाल अभी तक न बनने से हो रहा है ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त लेफ्ट नहर का रिवाइज्ड एस्टीमेट बने हुए लगभग तीन साल हो गये हैं ?

(५) यदि हां, तो इस नहर के बनाने में विलम्ब क्यों हो रहा है और यह कब तक बनाई जायगी ?

उपमंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, यदि उपयुक्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाय।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता नहर का तखमीना विचाराधीन है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह कब से विचाराधीन चल रहा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह साल भर से चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह कब तक विचाराधीन चलता रहेगा।

श्री दिनेशराय डांगी : यह तो तखमीना आने पर है।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथूर) : जब तक हमारा राज्य है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या सरकार को मालूम है कि इतना बड़ा नुकसान केवल लेफ्ट नहर के न बनने से हो रहा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस साल तो अकाल है। पिछले साल नुकसान हुआ है ?

श्री दिनेशराय डांगी : उस साल का मैं नहीं कह सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जब उसमें पानी भरा रहता है तो ४००० की केपेसिटी होती है यह तो आप मानते हैं। इससे नुकसान हुआ या नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : तखमीना तैयार करने में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसको वापिस लौटा दिया गया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस तरह की कौनसी टेक्निकल डिफिकल्टी हुई है ?

श्री दिनेशराय डांगी : आप टेक्निकल डिफिकल्टीज को क्या जान सकती हैं। आप नहीं जान सकती।

एक माननीय सदस्य : क्या आपको मालूम है कि लेफ्ट नहर का रिवाइज्ड एस्टीमेट बने हुये लगभग तीन साल हो गये हैं, अभी तक टेक्निकल डिफिकल्टीज आपके सामने है ?

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा सु०) : मैं यह निवेदन करूंगा कि आप फिर मिनिस्टर कैसे बन गये ? टेक्निकल काम नहीं जानते हैं तो ?

श्री अध्यक्ष : **Next.**

कान्सटेबल तथा हैड कान्सटेबिल रेंक के कर्मचारियों के स्थानान्तरण।

५२४. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पुलिस विभाग के कान्सटेबिल और हैड कान्सटेबिल रेंक के कर्मचारियों का होम डिस्ट्रिक्ट से स्थानान्तरण न करने के बारे में कोई राज्य सरकार ने सर्क्यूलर निकाला है ?

(२) क्या इस सर्क्यूलर के प्रतिकूल स्थानान्तरण किये गये है और यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

उप मंत्री गृह(श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां

(२) जी हां। ऐसे स्थानान्तरण निम्न-लिखित कारणों से किये गये जैसे-पदोन्नति, विशेष भत्ता भेजने वाले पद पर, स्वयं के निवेदन पर, सहानुभूति स्वरूप (कमीशनेट ग्राउन्ड), प्रशासनिक कारणों से शिकायत पर। इसके अतिरिक्त गंगानगर जिले की विशेष परिस्थिति के कारण वहां से कतिपय हैड कांस्टेबिल और कांस्टेबिलों का भी स्थानान्तरण किया गया।

श्री दुर्गालाल बाड़दार: इस प्रकार के कितने स्थानान्तरण किये गये क्या आपको मालूम है? क्या कोई हैड कान्सटेबिल वापिस होम डिस्ट्रिक्ट में आने को तैयार हैं उनके केसेज को आप कन्सीडर करने को तैयार हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य: ग्राउन्डस को देख कर।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): फिर भी जिनको आप यहां लाना चाहते हैं वे नही आ सकते हैं।

महकमा बन्धात

५२५. श्री जुझारसिंह (चेचट): Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(1) Is it a fact that a special department called the mahakama Bandhat was maintained by the former Kota State to deal with the problem of soil-erosion in the area?

(2 How many dams check-dams or other type of development works were undertaken by the State Government through this department and what was the total cost involved upto the date of the merger in those works?

(3) Is it a fact that all the works undertaken by Mahakama Bandhat are being neglected and allowed to be washed out for want of proper care by the Government at present?

(4) What steps the Government propose to take to maintain and to encourage the type of work done by Mahakama Bandhat of the former Kota State before merger?

उप मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह): (१) (२) और (३): इन मामलात का सम्बन्ध राजस्थान बनने से पहले का है। इस विषय में जानकारी की जा रही है। अब तक जो जानकारी की गई है उससे इस विषयमें कोई खास तथ्य सामने नहीं आये हैं।

(श्री रामकिशन)

क्लेक्टर कोटा फिर आदेश दिये जा रहे हैं कि वो इस सम्बन्ध में फिर जानकारी कर एक रिपोर्ट पेश करें।

(४ इस विषय में इस समय कोई जवाब देना संभव नहीं है। वैसे चम्बल केचमेंट एरिया में भूसंरक्षण महकमा जंगलात द्वारा किया जा रहा है और जगह जंगलात के क्षेत्र में महकमा जगलात व खेती के स्थानों में कृषि विभाग भूसंरक्षण कार्य कर रहा है। कलेक्टर की रिपोर्ट आने पर इस विषय में देखा जायगा कि ये कौन से कार्य हैं और इन में क्या किया जा सकता है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या को हल करने के लिए भूतपूर्व कोटा स्टेट में एक अलग ही महकमा, महकमा बन्धात के नाम से बना हुआ था, कोटा के क्षेत्र में सोइल इरोजन की इतनी जबरदस्त एक्यूट प्रोब्लेम है कि इसको सोल्व करने के लिए अलग ही एक महकमा विशिष्ट तौर से रखा हुआ था पर मन्त्री महोदय द्वारा इसका बड़ा इन्डिफरेंट जवाब दिया गया है। यह प्रश्न इस सदन में कई बार पूछा गया है। पहले पहल सन् १९५३ में यह प्रश्न पूछा गया था, ११ साल हो गए पर मुझे अफसोस है कि गवर्नमेन्ट इस तरह का इन्डिफरेंट जवाब देती है, अभी तक इन्फोर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकी है। जितने महकमा बन्धात के द्वारा डेम्स, चैक डेम्स बांधे गए थे और इनके साथ साथ दूसरे कार्य किए थे, उनका ज्योग्राफिकली क्या असर पड़ता है इस सब की उपेक्षा की गई है और अब कहते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेन कलेक्ट की जा रही है। तो, अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेंन्ट की तरफ से बहुत ही इन्डिफरेंट एटीट्यूड लिया जा रहा है। इतनी एक्यूट प्रोब्लेम को बड़ा लाइटली लिया है।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो चाहा कोटा स्टेट में महकमा बन्धात था, पर उसका रिकार्ड मिल नहीं रहा है। वहां सोइल इरोजन की प्रोब्लेम जरूर है पर आप पूछतें कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है। पर्टीक्यूलर एरिया के लिए फरमाते तो प्रेजेन्ट सर्कम्स्टेन्सेज में क्या हो रहा है, वह इन्फार्मेशन आपको दी जाती। पर सारो भूतपूर्व कोटा स्टेट के बारे में पूछा गया है, उसके लिए महकमा बन्धात का रेकार्ड तलाश किया जा रहा हैं, वह रेकार्ड मिल नहीं पा रहा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो प्रोब्लेम इतनी एक्यूट है कि जिसको सोल्व करने के लिए भूतपूर्व कोटा स्टेट ने एक अलग ही महकमा सिर्फ सोइल इरोजन को रोकने के लिए चला रखा था उसका रेकार्ड तो होना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि कोटा स्टेटमें सोइल इरोजन को रोकनेके लिए लाखों रुपया खर्च किया गया और कोटा स्टेट के समय सोइल इरोजन को रोकने के लिए जितने कार्य किये गये वे धीरे धीरे खत्म हो

Page No. 11

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रहे हैं और सरकार इसके बारे में जानकारी नहीं कर पाये यह बड़े दुख की बात है।

यह ऐसा मामला है कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो लाखों रुपयों के बांध, चैक डेम्स और दूसरे काम बर्बाद हो जायेंगे। अभी तो थोड़े से रूपयों में इन सब की मरम्मत हो सकती है। मैं समझता हूं राज्य सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष : सोहल इरोजन की कोई योजना है क्या ?

श्री नाथुराम मिर्धा : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लुक आफ्टर कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बार बार पूछने का मतलब यह है कि कोटा स्टेट के समय में इस प्रोब्लेम को सोल्व करने के लिये डेम्स, चैक डेम्स बनाये गये, वे पुराने विकास के काम डिस्यूज में पड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं इसके लिए सरकार की कोई योजना है कि नहीं ?

एक मा० सदस्य : कोटाके अलावा जिला झालावाड़ की भी जांच कराई जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : सोइल कन्जर्वेशन का काम कोटा और बूंदी के इलाकों में जहा चम्बल रेविन एरियाज की वजह से और दूसरी नदियों के बहाव से काफी कटाव होता है उसको रोकने के लिए काम हो रहा है, एक अफसर है और स्टाफ है, इस विभाग का काम १७-१८ जिलों में चल रहा है कोटा जिले में एक सोहल कन्ज़र्वेशन अफसर है और उसका स्टाफ है, जितना धन स्टेट को उपलब्ध है उसके अनुसार इस इलाके के लिये प्रबन्ध है।

श्री जुझारसिंह : फोरेस्ट डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों इस समस्या को टेकल करते हैं पर इनमें कॉर्डिनेशन नहीं होने के कारण कन्सेन्ट्रेटेड एफर्ट्स नहीं होते हैं। जोइन्टली करने का कहते है पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रेविन एरियाज में और केचमेन्ट एरियाज़ में कोई काम नहीं कर रहा है। जहां फोरेस्ट का काम चलता है वहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट काम नहीं करता है और जहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम करता है वहां फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट काम नहीं करता है, इस लिए अब तक के सारे एफर्ट्स यूजलैस हैं।

श्री महेन्द्रसिंह गावड़ी (दीगोद) : एक इन्फोमेशन और दे दें मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने सोइल कन्जर्वेशन के कार्य हैं, उनके चैक डेम्स हैं, जो भूतपूर्व कोटा स्टेट ने बनाये थे भूमि कटाव को रोकने के लिये उनके रिपेअर्स के बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि उनके पास कागज ही नहीं है कि कितने चैक डेम्स बने हैं, सोइल इरोजन को रोकने के लिए भूतपूर्व स्टेट द्वारा क्या क्या कार्य किये गये हैं, जब इनको पता ही नहीं है कि कितने डेम बने हैं, कितने चैक डेम बने हैं तो मंत्री महोदम किस आधार पर कह सकते हैं कि उनकी रिपेअर कराई जायगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेंट के दोनों विभागों में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है उसके लिये उनको जानकारी देना चाहता हूं कि दानों में बराबर कोआर्डिनेशन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फोरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों इसको करतेहैं। फोरेस्ट डिपार्टमेंटका तो बहुत काम चल रहा है। चंबलके कैचमेंट एरियाके ऊपर सोइल कन्जर्वेशन के लिये, सोइल इरोजन को रोकने के लिये एक करोड़ से ऊपर की योजना के अंतर्गत फोरस्ट विभाग के जरिये काम चल रहा है। सोइल कन्वेंजशन बोर्ड बना हुआ है वह हर तीसरे चौथे महीने में मिलता है और वह हर स्कीम में दोनों विभागों का कोआ-र्डिनेशन कराता है। इस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सोइल कन्जर्वेशन करने का तरीका है उसमें पर्टीक्यूलर कैचमैंट एरिया को लिया जाता है, उसमें नक्शे एक लेवल पर बना कर, चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे किसानों की जमीन हो सबको एक साथ समुचे प्लान के रूप में टेकल किया जाता है। किसान को काम करने के लिये लोन और सब्सीडी दी जाती है जितना सरकार को काम करना है वह सरकार करती है। किन्तु यह समस्या एक बड़ी भारी समस्या है, इसके लिये बड़ी भारी धनराशि की जरूरत है। कोटा के पुराने महकमें, महकमा बन्धात की बात करते हैं पर कोशिश करने के बाद भी कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है। कलेक्टर, इन्जीनियर को पूछने के बाद पता चला है कि महकमा जरूर था, रेवेन्यू विभाग के द्वारा देख रेख होती थी। इसको मान भी लें तो उनकी मेन्टेनेन्स का काफी बड़ा प्रश्न है और हमारे पास इस हैड के नीचे जितना धन है, चाहे पुरानी चीजों को कर लें, या नई चीजों को कर ले, पर एक सीमा है, उसके बाहर हम नहीं कर सकते। एक दफा जो काम हो गया है उसकी प्रोपर मेन्टेनेन्स का लोगों का जिम्मा होता है। सोइल कन्जर्वेशन के लिये एनी कट्स, काज वेज बनें तो इनके बन जाने के बाद में जनता का जिम्मा होना चाहिये। सोइल इरोजन को रोकने के लिये काम होता है तो उसके मेन्टेनेन्स का जिम्मा जनता का है, सारा का सारा काम सरकार पर छोड़ देना ठीक नहीं। तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि लोगों के अन्दर इस तरह की कान्शियसनैस पैदा करें। यह नहीं कि जनता का राज्य हो गया तो सारा का सारा काम सरकार ही करेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल!

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल!

टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंस, तहसील सिकराय

५२९. श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय में टोपीदार बन्दूकों के नम्बर खुदवाये गये थे और पुलिस थाना मानपुर में दर्ज करवाये गये थे ? लेकिन अभी तक सरकार से उनको लाइसेंस नहीं मिले हैं ?

Page No. 13

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

(२) क्या सरकार फीस जमा करवाकर मारफत थाना एवं तहसील के लाइसेंस देने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो कब और किस प्रकार से ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, गृह (श्री निरञ्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां। जिन लोगों की दरख्वास्त पर जांच पूरी हो चुकी है उन्हें लाइसेंस दिये जा चुके हैं लेकिन जिन लोगों ने लाइसेंस के लिये दरख्वास्त नहीं दी उन्हें लाइसेंस नहीं मिले हैं।

(२) टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंस नये बना कर देने और उन्हें नवीनीकरण करने के अधिकार तहसीलदारों को दे दिये हैं अतः वे ही बना कर दिया करेंगे।

(३) उपरोक्त उत्तर से यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(४) उपरोक्त उत्तर से यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

मछली पकड़ने का ठेका

५२७. श्री रामकिशन (बैर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि कामां नगरपालिका ने मछली पकड़ने का ठेका वर्ष ६२-६३ में किया था ? यदि हां, तो कितने हजार का ?

(२) क्या इस ठेके के सम्बन्ध के मुताबिक शरायत ठेका नगरपालिका में कोई रकम जमा हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(३) क्या ठेके की पूरी रकम नगरपालिका में जमा हो गई है? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री, स्वायत्तशासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, ६५,०१०) रुपये का।

(२) जी हां। ५,०००) रुपया।

(३) जी नहीं। पालिका को इस तरह के ठेके देने के अधिकार नहीं हैं।

श्री रामकिशन : जब नगरपालिका को अधिकार नहीं था, रकम जमा करा चुका तो किस विभाग ने ठेका दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : जो नगरपालिका ने रकम जमा की थी वह वापिस दे दी क्योंकि ठेका देने का अधिकार मत्स्य विभाग को ही है।

श्री रामकिशन : ६५ हजार का ठेका किसी को दिया गया है या मछलियां ही खत्म हो गई ?

Page No. 14

श्री दौलतराम सारण : मैं यह नही कह सकता। नगरपालिका के सम्बन्ध में जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। इसके बारे में आप मत्स्य विभाग से पूछिये कि इसका ठेका दिया गया है या नहीं। जहां तक नगर पालिका का सम्बन्ध है, यह ठेका नहीं हुआ क्योंकि रुपया वापिस दे दिया। ठेका देने का अधिकार नहीं था।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक मज़ाक हुआ है नगरपालिका से रुपया वापिस कर दिया गया। मत्स्य विभाग से ठेका नहीं दिया गया और उस साल तो पुलिस वाले और दूसरे लोग ही मछली खा गये। हुआ यह कि वहां यू. पी. के ठेकेदार को बुलवाया और मछली निकलवा दी गई। मैंने सूचना ली कि क्या ठेका दिया गया है, तो उत्तर मिला कि मत्स्य विभाग के अन्दर में है। लेकिन उसकी सूचीमें इस तालाबका नाम नहीं है। इसकी सूची नहीं बनाई है कि कौन कौनसे तालाब नगरपालिकाके अन्दरमें हैं और कौन कौन से मत्स्य विभाग के अन्दर में हैं। इस और ध्यान नहीं देती है सरकार। इसमें सोशलिस्ट पार्टी का सवाल नहीं है। इसमें राजस्व का और सरकार के लाभ का सवाल है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था यह है, मत्स्य विभाग से मन्त्री महोदय जानकारी करेंगे कि उनके विभाग के अन्तर्गत है या नहीं।

श्री रामकिशन : मैंने इसकी लिस्ट ली थी उसमें इसका नाम नहीं है, वैसे ही चल रहा है।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मैं पता लगा लूंगा कि यह मत्स्य विभाग का तालाब है या नहीं। अगर नहीं है तो ले लेंगे और जिस तरीके से जो आम दूसरे तालाबों का ठेका होता है, इसका करेंगे। पिछले वर्ष में नहीं हुआ तो नहीं हुआ।

श्री रामकिशन : आठ साल से पुलिस वाले और दूसरे लोग मछली खा जाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब नहीं खाने देंगे।

श्री मजलिस खां (कामां) : यह कामां में एक धार्मिक तालाब है और इसमें मछली विभाग ने मछली के बच्चे नहीं डाले हैं। वैसे इसमें मछली पकड़ने नहीं दी जाएगी क्योंकि धार्मिक तालाब है और गुजरात काठियावाड़ और बम्बई से लोग जियारत के लिए आते हैं और उस तालाब में स्नान करते है।

श्री रामकिशन : मछली पकड़ कैसे ली जाती हैं ?

श्री मजलिस खां : किसी को उसमें से मछली पकड़ने नहीं दी जाती। अगर आपको सूचना मिली है तो गलत सूचना है।

श्री रामकिशन : हर साल उसका ठेका है....

श्री मजलिस खां : कामां के चारों तरफ तालाब हैं. पांच सात तालाब हैं। काश्तकारों के खेत में पानी भर जाता है तो अपने खेतो में से मछली पकड़ कर निकाल देते है।

श्री रामकिशन : कामां की बगल वाला तालाब है ......

श्री मजलिस खां : मैं वहां का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं वहां के लोग मछली नहीं पकड़ने देंगे !

श्री रामकिशन : जो गांव के रहने वाले हैं वे मछली खा जाते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, इस मछली के मामले में आपकी और सदन की सूचना के लिए बताऊं कि कामां तहसील की एक एक पचायत अपने अपने क्षेत्र के तालाबों से मछली पकड़ने का तीन तीन हजार में ठेका देती है। इसके अलावा मत्स्य विभाग ने क्या किया कि पूरे भरतपुर के तालाबों का ठेका आठ हजार में दिया जबकि इतने बड़े जबरदस्त तालाबों का ठेका लाखों रुपयों मे होना चाहिए। और पंचायतों ने एक एक तालाब का ठेका तीन हजार में दिया है। इस मामले की जांच कराई जाय तो मैं समझता हूं कि काफी फायदा होगा। इसमें आक्षेप प्रत्याक्षेप का प्रश्न नहीं है।

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : एक एक मछली की जांच कराई जायेगी।

श्री मजलिस खां : मत्स्य विभाग की तरफ से इन तालाबों में मछली के बच्चे नहीं छोड़े जाते आप चाहते हैं कि इसका ठेका कराया जाय तो ठेका हो सकता है लेकिन यह तालाब धार्मिक तालाब है इसमें से मछली नहीं पकड़ने दी जावेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जिस तरीके से, जिस भावना से प्रेरित होकर आप बात कह रहे हैं उसके बारे में अलग से प्रश्न होगा तो मैं बता दूंगा।

प्रश्न संख्या ५२८

श्री अध्यक्ष : श्री चौथमल

(अनुपस्थित)

श्री नत्थी सिंह।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : यह बहुत इम्पार्टेन्ट प्रश्न है।

जमीन पर सिलिंग

५२६. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) [श्री जुझारसिंह (चेचट) द्वारा पूछा गया] क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में जमीन पर सीलिंग लागू हो चुकी है? अगर हां, तो कितने मन अनाज पैदा होने तक की जमीन पर सीलिंग की गई है?

(श्री नत्थीसिंह)

(२) क्या इसी माप दण्ड से अन्य व्यवसायों पर भी सरकार सीलिंग लागू करने का विचार रखती है, जैसे कारखाने, मकान व अन्य प्रकार की पूंजी का व्यापार आदि ? अगर नहीं तो क्यों ?

उप मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा)-- (१) जी हां। पांच या पांच से कम व्यक्तियों के कुटुम्ब के लिए भूमि की अधिकतम सीमा ३० स्टेन्डर्ड एकड़ निर्धारित की गई है। यदि कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या....

श्री उमरावसिंह डाबरिया (बनेडा) : यह १९३० का नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पांच से अधिक हों तो प्रति व्यक्ति को पांच स्डेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से उक्त सीमा बड़ाई जावेगी, परन्तु यह बढ़ी हुई सीमा साठ स्टेन्डर्ड एकड़ से अधिक नहीं होगी। कितनी जमीन पर दस मन गेहूं या दसमन गेहूं की कीमत के बराबर अन्य अनाज पैदा हो सके, उतनी भूमि एक स्टेन्ड्डर्ड एकड़ मानी जायगी।

(२) कारखानों मकानों, तथा दुकानों इत्यादि की मिलकियत के लिये अधिकतम सीमा निर्धारण सीलिंग जैसी कोई पाबन्धी लगाने का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है। इस सम्बन्ध में अन्य साधनों द्वारा सरकार समाजवाद की ओर अग्रसर हो रही हैं।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि केलकुलेशन आफ प्राड्यूज का कोई स्टेन्डर्ड सिस्टम या यूनिफार्म सिस्टम नहीं है ? किसी जगह पर सेटिलमेंन्ट रिकॉर्ड के हिसाब से किया है और किसी जगह पर एक्सपेरीमेंटल वे में क्राप कटिंग पैटर्न पर केलकुलेट किया है क्या सरकार चाहती है कि कोई यूनी फार्म सिस्टम कैलकुलेशन का हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सिस्टम यूनीफार्म है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, सिस्टम यूनीफार्म नहीं है। मेरी जानकारी है किसी जगह क्राप कटिंग बेसिस पर किया है, किसी जगह सेटिलमेंट रिकार्ड्स के आधार पर किया है। दोनो में से एक को फोलो करना चाहिये, यूनीफार्म सिस्टम को फोलो करना चाहिये। ऐसा नहीं कि जहां जैसा सूट हो वैसा कर लिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूट करने का सवाल नही है। क्राप कटिंग सिस्टम एक एक्सपेरीमेंट है। वह सारे गांवो में, जहां हुआ हुआ है, नहीं होता है। सैटिलमेंट रिकार्ड मोडीफिकेशन कमेटी की रिपोर्ट में पांच सात फेक्टर हैं उन सबका मिला कर इफेक्ट होता है उसके आधार पर केलकुलेट किया गया है।

श्री जुझारसिंह : मैं हाउस की जानकारी के लिये बता दूं, चूरू डिस्ट्रिक्ट में क्राप कटिंग सिस्टम से २१ सेर पर-एकड़ आया है, सैटिलमेंट के आधार पर डेढ़ मन पर एकड़ है और आपने केलकुलेट किया है वह तीस मन के हिसाब से किया है जो दोनों से डिफरेन्ट

(श्री नत्थीसिंह)

है। हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें किसी में ग्राप क्राप कटिंग, कहीं सैटिलमेंट के आधार करते है यह यूनिफार्म नहीं है कि तीन स्टेन्डर्ड एकड़ की प्रोड्यूज पर किया जाता है। कोई सिस्टम यूनिफार्म हो और जुडिशियस हो। इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये और सीलिंग का प्रिन्सिपल रखा है उसको प्योरली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हरएक जगह किस किस आधार पर क्या हुआ, यह जानकारी नही दे सकता. यह लम्बा चौड़ा पोथा है। वैसे माननीय सदस्य से यह समस्या काफी डिस्कस हो चुकी है। यह डिस्ट्रिक्ट यूनिट है। डिस्ट्रिक्ट यूनिट मान कर चलते हैं तो स्वाभाविक है कि एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में फर्क हो। इसका मतलब यह नहीं है कि सिस्टम यूनिफार्म नहीं है। सिस्टम यूनिफार्म है।

श्री जुझारसिंह : मेरा निवेदन है कि सिस्टम ग्राफ केलकुलेशन यूनीफार्म हो, चाहे जो हो बाकी it should not be different at different places. उससे भी जो कैलकुलेशन आये वह ठीक हो सकता है लेकिन फोलो नहीं किया जा रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आमदनी के दूसरे जरियों पर सीमा लगाने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया फिलहाल कोई विचार नहीं हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : फिलहाल नहीं रखते हैं या कभी नहीं रखते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या सरकार समाजवाद के आधार पर और जो आपका समाजवाद का नारा है, उसके आधार पर आमदनियों की सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है ? आज सिचूएशन नहीं है तो क्या पांच साल, सात साल, दस साल में इरादा रखती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : जिन्दा रहे तो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया, इसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचा है और किया भी है। यह वैल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी इन्कम टैक्स, सुपर टैक्स की रेट्स का बढ़ना ये सारी चीजें जिस कदम की ओर संकेत करती हैं, उसकी ओर पहुंचने का प्रयास हैं। उस तरफ जाने का यह रास्ता धीरे धीरे पार किया जा रहा है। इस तरह उस मंजिल तक पहुंचना है जिसकी हम कामना करते हैं।

श्री रामकिशन : इसे मंजूर करते हैं कि जो कम्युनिस्ट कन्ट्री में जिस तरह चलते हैं उस तरह न चलें। लेकिन सवाल यह है कि शहर में जो आमदनी होती है, लाखों रुपया लोग कमाते, हैं, क्या कोई सीमा निर्धारित करने के लिए फार्मूला रखा है कि १०,१०० १००० से ज्यादा नहीं कमाये ? ऐसा कोई फार्मूला रखा है कि १०००० से ज्यादा

(श्री रामकिशन)

या १ लाख से ज्यादा नहीं कमाया जाय-यह रखने का इरादा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि फिलहाल सरकार का विचार नहीं है और अन्य तरीकों से उस उद्देश्य पूर्ति के लिए सरकार ने प्रयत्न किये हैं, करती है और करती रहेगी। हो सकता है कभी इस तरफ जाने का विचार कर ले, इस समय विचार नहीं है।

श्री रामकिशन : समाजवाद कैसे ला रहे है ? आप कह रहे हैं हम समाज वाद की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गरीब मजदूर और किसानों को, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनमें ताकत नहीं है, जिनकी आवाज नहीं है उनको आप दबा सकते हैं और जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, जो सरकार को खरीद सकते हैं उनको छूट दी गई है यह क्या कांग्रेसी समाजवाद है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजस्थान में जो सीलिंग का कानून लागू करने की बात करते हैं, वह राजस्थानमें व्यवहारिक दृष्टिसे लागू नहीं हुआ है और स्टे कर दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात सही है, कुछ सीलिंग से इफेक्ट होने वाले लोगों ने राजस्थान हाई कोर्ट में स्टे रिट की उसके फलस्वरूप हाई कोर्ट से स्टे आर्डर हो गये जिसको गवर्नमेंट को वेकेट कराने का अधिकार है और वेकेट कराने के लिए गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सरकार को उन केसेज में जिनमें रिट दायर की गई थी, जानकारी मिल गई थी कि हाई कोर्ट ने इस प्रकार के स्टे आर्डर पास कर दिए है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिट दाखिल करने से पहले सरकार को जानकारी नहीं थी कि अमुक व्यक्ति ने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि हाई कोर्ट के इस सम्बन्ध में जो स्टे आर्डर जारी किया है वह केवल एक पर्टीक्यूलर केस में जारी हुआ है, सारे राजस्थान के लिए नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात भी सही है कि जितने भी रिट पिटीशन्स हाईकोर्ट में दायर किए गए हैं चाहे वे ३० हों, ३५ हों, या ४० हों, एक स्टे आर्डर हुआ और उसके बाद में मुझे जानकारी है, यद्यपि मैं तहकीकन नहीं कह सकता, दूसरे केसेज में भी सिमिलर आर्डर्स रिपीट किए हैं हाई कोर्ट ने

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिन केसेज में हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर्स किए हैं उनके अलावा ६६ परसेंट केसेज जो बचते हैं उनमें सीलिंग कानून लागू किया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार ने इस प्रकार आदेश नहीं दिए हैं। सीलिंग लॉ के १५-१२-६३ को रूल्स पब्लिश किए और १५० एकड़ या इससे अधिक भूमि वालों को तीन माह के अन्दर डिक्लेअरेशन देना चाहिए। वह तारीख १५ मार्च खत्म हो गई तो हमने कोई भी आदेश नहीं दिए। १५ मार्च को खत्म होने के बावजूद सीलिंग का इम्पलीमेंटेशन स्टे किया जाता है और कोई इसके लिए वहां पर डिक्लेयेरेशन नहीं दे हमारी व्यवस्था बरकरार कायम है, किसी का स्टे आ जाता है तो हम उसे मजबूर नहीं करते। मियाद के अन्दर जिसका डिक्लेरेशन आता है तो उस तारीख के निकल जाने के बाद नियमानुसार जो कार्यवाही करनी चाहिए वह की जाती रहेगी। जब तक हमको हाई कोर्ट का स्टे इन केसेज में नहीं मिलता है तो हम रोक नहीं सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट ने जिन केसेज में स्टे नहीं दिया है उनमें जो कार्यवाही करनी चाहिए वह की जा रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। इस प्रश्न का एग्ज़ामिन कराया जायगा। हाईकोर्ट ने करीब ३५ केसेज़ में आर्डर्स दे दिये। अब सरकार केवल इन ३५ केसेज़ को माने और दूसरों में न भी माने जिसकी वजह से सरकार कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शिकार न हो सके। तो इस पर विचार कर रहे हैं। डिक्लेरेशन्स देने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाती है उस बारे में इस दृष्टि से इस प्रश्न को एक्जामिन करने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री केसरीसिंह (पाली) : पूछने का मतलब है कि जिन्होंने स्टे हासिल कर लिया है उसमें आप दखल नहीं देंगे लेकिन जिन्होंने....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दखल देने का प्रश्न नहीं है। वह स्टेज तो आया नहीं।

श्री केसरीसिंह : क्या आप चाहेंगे कि सभी लोग हाईकोर्ट में जाकर अपना पैसा खराब करें तब जाकर उनको लाभ हो। जो बेसिक डिफेक्ट है उसके क्लीअर होने के बाद कार्यवाही करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन सारी चीजों को एग्जामिन किया जायगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : लेकिन जिन आदमियों ने सीलिंग कानून से पहले आपस में जमीन बांट ली सिर्फ इसलिये कि सीलिंग के अन्दर रखने के लिए तो उस बारे में सरकार ने क्या सोचा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून हैं, नियम हैं, वह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता और जब ऐसी स्थिति सामने आएगी तो नियमानुसार कार्यवाही होगी।

श्री हीराभाई : तो क्या जब टाइ निकल जायगा........ ...

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य क रहे हैं उसका सारा उल्लेख नियमों में है।

Page No. 20

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे अंग्रेजी में हैं।

श्री हीराभाई : बात यह है कि जब तक सरकार उसकी जानकारी नहीं करेगी तब तक क्या भगवान उनके पास नक्शा रखेगा ? कौन रखेगा ? उस बारे में आपने कलेक्टर को तहसीलदारों को लिखा है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि सरकार का सीलिंग का कानून और उसके अन्दर बने हुए नियम इतने कांप्लीकेटेड हैं कि साधारण काश्तकार को यह मालूम नहीं पड़ता है कि उसकी जमीन ३० स्टेंडर्ड एकड़ से मल्टीप्लाई हो कर कितनी बारानी और चाही अपने अधिकार में रख सकते हैं, कितनी सरप्लस है और कितनी सरेंडर करनेके लिए सरकारके नियमों के अनुसार डिक्लेरेशन देना चाहिए। इस प्रकार की कठिनाइयां काश्तकार अनुभव कर रहे हैं और इसी गलती के कारण काश्तकारों को जो डिक्लेरेशन देना होगा वह नहीं दे पाएंगे और सरकार उनके साथ सख्ती से बर्ताव करेगी। तो सरकार इसके लिए विचार कर एक सिम्पल फार्मला बनाकर राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि हर काश्तकार....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा कानून असेम्बली ने पास किया है और जो एक्ट बना उसके अन्तर्गत नियम बनाए गए हैं। जो फार्मूला इन्कारपोरेट किया गया है जो इनफरमेशन उस बारे में दी है और कैल्क्यूलेशन के लिए हमने इतना ईजी मैथमेटीकल फार्मूला बना दिया है कि इससे आसान और तरीका नहीं हो सकता था। अंग्रेजी में भी है और हिन्दी में भी है। और भी इन्स्ट्रक्शन्स हम इशू कर रहे हैं। कोशिश इस बात की करेंगे कि कोई विज्ञप्ति निकाल कर प्रसारित की जाय जिसे हरेक समझ सकें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज तो उसको कोई नहीं समझ सकता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : मन्त्री महोदय हिसाब लगा कर बता सकते हैं कि...

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि हम और सरल कर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब लोगों को यह इम्प्रेशन हो रहा है कि स्टे आर्डर्स हो रहे हैं इसलिए सरकार विचार कर एक्सटेन्शन करे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न नं० २ का कोई जवाब नहीं आया। इसमें सवाल यह है कि क्या इसी माप दंड से अन्य व्यवसायों पर भी सरकार सीलिंग लागू करने का विचार रखती है....

श्री रामकिशन (वैर) : जैसे कारखाने, मकान....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : व अन्य प्रकार की पूंजी का व्यापार आदि ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जवाब है कि इस सम्बन्ध में अन्य साधनों द्वारा सरकार समाजवाद की ओर अग्रसर हो रही हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथ द्वारा) : मिनिस्टरों के लिए कौनसा तरीका है, मिनिस्टर की इन्कम फिक्स करने के लिए कौनसा तरीका है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आज वैकट साइट्स पर टैक्स लगा रहे हैं। हमने बजट में प्रोपोज़ किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक तरफ २५ रुपये वेतन पाने वाला....

श्री अध्यक्ष : Order Please ? बहुत प्रश्न बाकी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

झूठा टी० ए० बिल

५३०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) Will the Health Minister be pleased to state' :

(1) Is it a fact that Mr. T. P. Bhardwaj, Head of the Pathology Department, S. M. S. Medical College, Jaipur charged false T. A. for attending the Indian Cancer Congress at Bombay some-where in the year 1961 ?

(2) Was any complaint received in this behalf ? If so, what enquiry was made and what was the result of the same ? What action has been taken thereupon ?

(3) Is it a fact that Mr. Bhardwaj charged T. A. for travelling in First Class while actually he travelled in III Class ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : इसकी शिकायतें आई थीं। प्रलिमिनरी इन्क्वायरी करली है और आगे कदम उठाए जा रहे। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं होगा कि इस सवाल का जवाब इस वक्त दिया जाय क्योंकि यह विषय सबजुडिस है। अल्टीमेटली सारा मामला डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कमिश्नर के पास जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि अभी तक कमिश्नर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के पास यह मसला नहीं भेजा गया है ?

श्री बरकतुल्लाखां : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कम्प्लीट हो चुकी है और चार्जशीट के लिये फैसला करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोर्ट में तो मामला गया नहीं है। इस सदन में सवाल आया है प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के आधार पर जो भी आपकी फाइंडिंग हो उसको आप

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बता सकते हैं। यह सवाल काफी पहले का है और जवाब आपके पास आ चुका है, जवाब आपके हाथ में है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि इस तरह की शिकायत थी जिस पर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी हुई। अब मामला डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ कमिश्नर के पास भेजा जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कब हुई ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस प्रश्न का पैरावाइज तो जवाब नहीं है। सरकार यह महसूस करती है कि यह कोई पब्लिक इन्टरेस्ट का मामला है जिसे डिस्क्लोज़ न किया जाय, आखिर सदन से छिपाने की बात क्या हो सकती है ?

श्री बरकतुल्लाखां : सदन से छिपाने का सवाल नहीं है। सदन के सामने सब इन्फोर्मेशन दी जाती है। सवाल यह आता है कि जब एक अफसर के खिलाफ शिकायत की जाती है उसके ऊपर इन्क्वायरी होती है। तो मैं अगर जवाब देता हूं तो उसका असर उस इन्क्वायरी के अगेन्स्ट पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप कह सकते हैं कि हमारे पास सूचना आई है, जांच हो रही है ?

श्री बरकतुल्लाखां : इसलिए मैं समझता हूं कि आप हुक्म दें तो मैं जवाब पढ़ूं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इन्क्वायरी कम्प्लीट होने से हम किस कन्क्लूजन पर पहुंचते हैं क्योंकि अल्टीमेटली यह मामला उसका फैसला डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का कमिश्नर ही करेगा। फिर गवर्नमेंट के पास आता है और उसके अन्दर मुझे कुछ न कुछ लिखना पड़ता है। तो यहां मेरा जवाब अल्टीमेटली इस केस को प्रेजुडिस करेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके यहां एक एक साल में ६ कमिश्नर बदलते हैं। डाइरेक्टर के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है। तीन साल हो गए इसलिए आपकी नीयत हो कि ऐसे मामलों को लटका कर रखा जाय और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज कमिश्नर के पास भेजकर....

श्री बरकतुल्लाखां : मैं समझता हूं, मोटिव लगाना गैरवाजिब है। मोटिव नहीं लगाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको इस सम्बन्ध की कम्प्लेन्ट कब मिली ? इन्क्वायरी कब इन्स्टीट्युट की ? इन्क्वायरी आफिसर ने कब रिपोर्ट दी ? और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कमिश्नर के पास कब मामला भेजा ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : ओरीजिनल कम्प्लेंट कब आयी ?

(विराम)

श्री मानिकचन्द सुराणा : तीन तीन वर्ष तो ओरिजिनल कम्प्लेन्ट की इन्क्वायरी में लग गये और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कमिश्नर के पास दस साल लगेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : रामकृष्ण ने शिकायत भेजी....

श्री अध्यक्ष : नाम आप न बताये भले ही। केवल तारीख बता दे कि कब कम्प्लेन्ट आयी थी और कब इन्क्वायरी इन्स्टीटयूट की ?

श्री बरकतुल्ला खां : कम्प्लेन्ट आयी थी ६२ के अन्दर और वह डाइरेक्टर के पास भेजी गई।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : महीना कौन सा है।

श्री बरकतुल्ला खां : महीना मुझे याद नहीं है। लेकिन २३.७.६२ को डाइरेक्टर के पास से जवाब आया था कि जिनाइन कम्प्लेन्ट है। डिपार्डमेंन्ट ने यह तय किया कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच शुरु कर दी गई। जहां ये कांफ्रेन्स अटेन्ड करने गये थे उसके बारे में पूछा गया, रेलवे से कन्सेशन लिया गया उसके बारे में पूछा गया, रेलवे में रिजर्वेशन हुआ या नहीं उसके बारे में पूछा गया और उसके बाद प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कम्पलीट होकर अब डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कमिश्नर के पास यह केस जाने को है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि डा० टी० पी भारद्वाज ने अपने एक्स्प्लेनेशन में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने थर्ड क्लास में ट्रेवल किया और फर्स्ट क्लास का चार्ज किया। यह किसी मिसअन्डरस्टेन्डिग से हुआ है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : डिटेल्स में न जांय।

श्री भैरोंसिह : डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। ६२ में कम्प्लेन्ट की। ६४ में कहते हैं कि कम्प्लेन्ट की इन्क्वायरी अब जाकर खत्म हुई। उसमें किसी बात की इतनी देर होने की आवश्यकता नहीं थी जबकि जिस व्यक्ति के खिलाफ यह शिकायत थी उसने स्वयं ने इसको स्वीकार कर लिया था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना है कि इसमें देर हुई हैं, इस मामले में दो साल का समय लग गया है जब कि इतनी इसकी आवश्यकता नहीं थी। यहां इसके डिटेल्स में तो जाना उचित नहीं हैं। माननीय मन्त्री महोदय इसके सम्बन्ध में जाकर जांच करवा देंगे। मामला ज्यादा तहकीकात का या लम्बा हो ऐसा नहीं है।

श्री बरकतुल्लखां : जैसा मैंने अर्ज किया कि रेलवे से जानकारी की, प्रिन्सिपल से जानकारी की। पहले जिन्होंने इसको सब्मिट किया तो उनके पास भेजा तो उन्होने कह दिया। जांच करवाने के बाद जो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी खत्म हुई उसका मैंने जिक्र

(श्री बरकतुल्ला खां)

किया। अब यह मामला कन्सीडरेशन की स्टेज पर है कि चार्जशीट दिया जाय या नहीं।

सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्डियन कॅंसर कांग्रेस को अटेन्ड करने बोम्बे गये थे। वहां में आपने टी. ए. बिल चार्ज किया। तो क्या आपके पास यह लिख कर आया था कि इन्होंने ओफिशियल डेलीगेशन के रूप में कांग्रेस को अटेन्ड नहीं किया ? जब इन्होंने इन्डियन कॅंसर कांग्रेस को ओफिशियल रूप में अटेन्ड नहीं किया तो फिर किस व्यवस्था के अन्तर्गत इन्होंने टी. ए. बिल सब्मिट किया ? ओफिशियल डेलीगेट न होने के कारण सरकार को टी. ए. बिल सब्मिट करना क्या सरकार को चीट करना नहीं है ? चीट करना है तो इन के उपर क्रिमिनल चीटिंग का केस बना कर प्रोसिक्युशन किया जाना चाहिए यह क्रिमिनल प्रोसिक्युशन क्यों नहीं किया गया ? यह तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी से ही साबित है कि इन्डियन कॅंसर कांग्रेस से आपके पास जवाब आ गया है कि डा० टी. पी. भारद्वाज ओफिशियल डेलीगेट के रूप में नहीं आये है। सरकार क्या उसी समय इस बात की इन्क्वायरी नहीं करा सकती थी कि ओफिशियल डेलीगेट बना कर उसको कांग्रेस में नहीं भेजा है तो फिर किस प्रकार टी. ए. बिल सब्मिट किया है। कोई आदमी बम्बई जाए और कान्फ्रेन्स अटेन्ड कर ले और कह दे कि ओफिशियल डेलीगेट के रूप में अटेन्ड की इससे टी. ए. बिल सब्मिट नहीं कर सकता, जब वह गवर्नमेंट ड्यूटी पर ही नहीं था तो यह तो स्वतः ही प्रिलिमिनरी केस बन जाता है उसके खिलाफ चीट करने का ? इसमें डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी क्या करनी है ?।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय इस तथ्य का भी ध्यान रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे इन्कार नहीं कर रहे हैं। यह सही है कि वह ओफिशियल ड्यूटी पर नहीं था। ओफिशियल ड्यूटी पर नहीं था तो टी. ए. बिल कैसे बनाया ?

श्री अध्यक्ष : जो दृष्टिकोण रखा है उस पर विचार करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वापिस कर दिया है टी. ए. बिल। इन्क्वायरी क्या होगी ? There is no T A. bill on record.

श्री बरकतुल्ला खां : जब प्रिन्सिपल के पास टी. ए. बिल भेजा गया तो उन्होंने उसको वापिस कर दिया यह कह कर कि इसमें ये डिस्क्रिपेन्सीज हैं। जब प्रिन्सिपल ने उनके पास वापिस भेजा और वापिस करने को कहा तो उन्होंने कहा कि टी. ए. बिल खो गया है और मैं ट्रेस नहीं कर सका हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सीधा सादा मामला है, अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं उससे कुछ

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

हद तक यह मालूम होता है कि सरकार शायद इस मामले को दबाना चाहती है।

तो मेरे खयाल मे सरकार की प्रतिष्ठा के लिए यह उचित होगा कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें और प्राइमा फैसी तो मेरे खयाल में क्रिमिनल ग्रोफेन्स की तरह का मामला है।

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक सरकार का मामला है इसको सरकार दबाना नहीं चाहती है। यदि सरकार इसको दबाना चाहती तो टी० ए० बिल पहुंचा और जवाब दे दिया तो इन्क्वायरी नहीं करवाती। सरकार चाहती थी कि सही मालूमात हो कि उन्होंने कौंसिल को ग्रटेन्ड किया या नहीं। सरकार ने खुद ने मालूम करवाया। सरकार ने खुद ने मालूम करवाया कि रेलवे में रिजर्वेशन हुआ है या नहीं। सरकार इसको छिपाना नहीं चाहती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक ही सवाल है और मैं उसका जवाब सोधा चाहता हूं कि आपने उनको इन्डियन कैंसर कांग्रेस का ओफिशियल डेलीगेट बना कर भेजा या नहीं ?

श्री बरकतुल्लाखां : जवाब वहीं से आया कि इन्होंने कांग्रेस को अटेन्ड नहीं किया। डेलीगेट के रूप में जाते तो उनको फीस भरनी होती है। उनके रिकार्ड में था जो उन्होने बता दिया कि इस आदमी के नाम से किसी ने भी कोई फीस जमा नहीं करायी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आपने उनको डेलीगेट मुकर्रर किया था ? क्या उनको राज्य सरकार ने कैंसर कांग्रेस में डेलीगेट मनोनीत किया था ?

(विराम)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह लैतलाली क्यों है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): ऐसा मालूम पड़ता है कि इस कॉन्स्प्रेसी में सब ही शामिल हैं।

(शोर गुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "तबला बाजे धींन धीन तो एक एक पर तीन तीन।" यह स्थिति हो रही है।

श्री बरकतुल्लाखां : अध्यक्ष महोदय, ऐसा एलीगेशन लगाया गया हैकि इस कान्स्प्रेसी में सब शामिल हैं, ये ऐसे शब्द है कि इनको वापिस लेने चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह ठीक है। आपने उसको भेजा या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : मेरे पास जो इन्फोर्मेशन है वह आपको डाउटफुल मालूम होती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर गोल माल जबाब है। आपने उसको औफिशियल डेलीगेट नहीं बनाया। उसने जवाब दिया है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपको कि उसने इन्डियन कैंसर कांग्रेस अटैन्ड की...।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरीके से सदन में बैठ कर गलत इतला दी जा रही है।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं क्लीयर कट कह रहा हूं। गलत नहीं है। जहां तक उनका सवाल था हमने मालूम किया। पहले सवाल आता है कैंसर रिसर्च कांग्रेस में डैलीगेट गये थे या नहीं। डिपार्टमेन्ट से इन्फोर्मेशन आयी, क्लीयर नहीं। लेकिन यह बात क्लीयर है कि जब हमने पुछवाया कि कांग्रेस अटैन्ड की या नहीं तो उन्होंने बताया कि कान्फ्रेन्स अटेन्ड करने के लिए रुपया जमा कराना पड़ता है। उन्होने डेलीगेट के लिए रुपया जमा नहीं कराया। इससे पता लगता है कि उन्होंने कान्फ्रेन्स अटैन्ड नहीं की। इसमें छिपा कहां रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इन डाक्टर साहब को अपनी तरफ से डेलीगेट आपने नियुक्त नहीं किया ?

(विराम)

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह क्वीश्चन तीन बार रिपीट हो गया है और मन्त्री महोदय सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : मेरे पास इसकी इन्फोर्मेशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार इन महाशय को सस्पेन्ड करने का विचार रखती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जो आज तक की इस केस की हालत है उनको चार्ज शीट देने पर विचार किया जा रहा है। यह नैचरल बात है कि चार्ज शीट दिया जाय तो जो नैचरल कान्सिक्वेन्सेज़ होंगे वे फोलो होंगे।

श्री अध्यक्ष : कॉन्सीक्वेन्सेज़ से तो बाउन्ड नहीं है कि सस्पैन्ड किया ही जायगा।

(६.०० म० पू०)

श्री भैरोंसिह: मैं भी यह जानना चाहता हूं कि यह जो कागज टी० ए० बिल के मिसप्लेस होने की बात कही जाती है उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। गवर्नमेंट के कागज इस प्रकार से मिसप्लेस हो जाय, इस तरह में और भो कागज मिसप्लेस हो सकते हैं, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : It is most unworthy of such a senior officer.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस मामले को दबाया जा रहा है। मेडिकल रीइम्बर्समेन्ट का डबल पेमेन्ट लिया गया, इसका भी चार्ज उन पर है; जो इन्क्वायरी द्वारा साबित भी हो गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह भी कन्ट्रोवर्सियल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनके पास ढाई हज़ार रुपये का माइक्रोसकोप था, वह भी इनके द्वारा गायब करवा दिया गया वह भी साबित हो गया।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक टी० ए० बिल का सवाल है उसको वसूल नहीं किया गया; वसूल करने की कोशिश की....

श्री अध्यक्ष : Which is as serious.

श्री बरकतुल्ला खां : I admit that it is serious. He attempted to receive money, but attempt to receive money is also an offence. I am agreeing. Why are you (Shri Satish Chandra) showing your eyes to me.

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो फिर केवल चार्ज शीट ही क्यों दिया गया, उनका प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया गया ? आपके जिस प्रकार के फाइन्डिंग्ज़ हैं उनके आधार पर प्रोसीक्यूट किया जा सकता है।

श्री बरकतुल्ला खां : यह फैसला यहां नहीं किया जा सकता। जिस हिसाब से सीरियस मामले हैं उसी हिसाब से एक्शन लिया जायगा। यहां पर यह वर्डिक्ट नहीं हो सकता कि उसको प्रोसीक्युट किया जाय या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन सब कुछ कर सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदन द्वारा मेन्डेट्स भी दिये जा सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : चोरी और फिर सीनाजोरी। सदन को तो कम से कम सही जानकारी दें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिये माननीय मंत्री महोदय को सदन के सामने उपस्थित किया जाय और इनके कन्डक्ट की जांच की जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने कौनसा मामला छिपाया है, मेरे पास कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यह मैंने एडमिट किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास जो इन्फोर्मेशन है, वह सब सदन की मेज पर रख दी जाय उसमें सब लिखा हुआ है। आप रखने को तैयार हैं तो रख दीजिये ना।

श्री अध्यक्ष : श्री विरदाराम।

गांवों को नदी से खतरा, तहसील जालोर

५३१. श्री विरदाराम फुलवारिया, (जालोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम नरपडा व आकोली तहसील जालोर के चारों ओर नदी बहती है और इस कारण वर्षा के दिनों में इन गांवों को खतरा पैदा हो जाता है और गांव वालों के निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता ?

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)

(२) क्या सरकार इनके लिये ओढा बंधवाने का या अन्य कोई समुचित प्रबन्ध करने का विचार रखती है ? यहदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा और नहीं तो क्यों ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को एक सप्ताह के लिये पोस्टपोन करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खान मालिकों से रोयल्टी व टैक्सों की वसूली-जिला उदयपुर

१८९. श्री उमरामव सिंह डाबरिया (बनेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर जिले में सभी प्रकार की खानों के मालिको में रोयल्टी व दीगर टैक्सों का कितना रुपया किन किन में कितना २ सन् १९६३ के दिसम्बर तक बकाया था ? सूची सदन की मेंज पर रखी जावे।

(२) इस रकम को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और यह रकम किस कारण से बकाया रही।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) सरकारी रकम बकाया रहने की दशा में सर्व प्रथम पार्टिज को नोटिस दिया जाता है। नोटिस की अवधी में रकम जमा नहीं कराने की दशा में उनके माइनिंग लिजेज और कोन्ट्रेक्टस समाप्त कर दिये जाते हैं और रकम लैण्डरेवेन्यु एक्ट के आधीन प्राप्त की जाती है कृपया प्रश्न संख्या १ के उत्तर की सूची का रिमार्क कोलम देखने का कष्ट करे

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

काश्तकारों की दरख्वास्तें, तहसील नोहर

१९०. श्री जुगलाल (रावतसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नोहर तहसील में बारानी जमीन के आरजीकाश्त अलाटमेंट के लिए गत वर्ष कितनी दरख्वास्तें किस किस गांव की कितनी कितनी पेश हुई थी ?

(२) इस वर्ष में कितनी दरख्वास्तें पेश हुई हैं ? उनमें पुराने काश्तकारो की कितनी दरख्वास्तें हैं एवं कितने काश्तकारों ने नयी दरख्वास्तें पेश की हैं ?

(३) कितनी भूमि पुराने काश्तकारों को और कितनी नये काश्तकारों को दी गई है ?

(श्री जुगलाल)

पुराने काश्तकारों की दरख्वास्तें कितनी संख्या में खारिज की गई है एवं किन आधारों पर?

(४) अलाटमेंन्ट योग्य कितनी भूमि है? कितनी अलाट कर दी गई है एवं बाकी कितनी है?

उत्तर

(१) नोहर तहसील में बारानी जमीन के आरजी काश्त अलाटमेन्ट के लिये गत वर्ष २४६४ दरख्वास्तें प्राप्त हुई थीं। इनकी सूची संलग्न है।

(२) इस वर्ष ४९३९ दरख्वातें पेश हुई इसमें पुराने काश्तकारो की ४०७४ व नयो की ८६५ हैं।

(३) पुराने काश्तकारों को ५९८२७ एकड़ भूमि नये काश्तकारों को ११७९२ एकड़ भूमि अलाट की गई है।

राने काश्तकारों की ३४६ दरख्वास्तें खारिज की गई हैं। इनमें से १२९ दरख्वास्तें वालों के पास खातेदारी भूमि ज्यादा होने के कारण, १६२ दरख्वास्तें आबादी भूमि व गोचर भूमि आदि के कारण तथा ५५ हाजिर न होने से खारिज की गई हैं।

(४) अलाटमेन्ट योग्य भूमि १२०३२४ एकड़ थी जिसमें से ७१६१९एकड़ भूमि अलोट करदी गई तथा ४८७०५ एकड़ भूमि बाकी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

मवेशियों की चराई, ग्राम बोहत

१९१ श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि बोहत ग्राम तहसील मांगरोल, जिला कोटा के मवेशी भगवानपुरा ग्राम के बीड में चरने के लिए जाते हैं लेकिन इसके रास्ते को कुछ काश्तकारों ने बन्द कर दिया है जिससे अब मवेशी चरने के लिए नहीं जा सकते? यदि हां तो क्या सरकार इस रास्ते को पड़त करवा कर रास्ता खुलासा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह सही नहीं हैं कि बोहत ग्राम तहसील मागरोल जिला कोटा के मवेशी भगवानपुरा ग्राम के बीड़ में चरने के लिए जाते है और काश्तकारों ने रास्ते बन्द कर दिये हैं।

भीण्डर डिस्पेन्सरी

१९२ श्री उदयदयाल बर्दिया (लसाड़िया) क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में भीण्डर कस्बा दस हजार की आबादी का है और उसके आसपास के ३०-४० गांवों की जन संख्या मिलाने से २५-३० हजार की जन संख्या बनती है, क्या इस समस्त क्षेत्र के लिए केवल एक डिस्पेन्सरी भीण्डर में है?

(श्री उदयदयाल बनिया)

(२) क्या यह भी सही हैं कि भीन्डर डिस्पेन्सरी में करीब एक वर्ष से डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अब शीघ्र ही डाक्टर भेजे जाने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । भीण्डर के बिलाक में १ प्राईमरी हैल्थ सेन्टर, २ डिस्पेन्सरी और एक एड पोस्ट चल रही है ।

(२) जी हां । डाक्टरों की कमी की वजह से कोई डाक्टर नहीं भेजा जा सका जैसे ही डाक्टर मिल सकेगें भीण्डर में भी लगा दिया जायेगा ।

बांध निर्माण कार्य

१६३ श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पहली पंचवर्षीय योजना तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कहां कहां किस किस वर्ष में बांध बनवाये गये ?

(२) इन बांधों की प्रत्येक की लागत क्या क्या है तथा इनसे कब कब सिंचाई शुरू हुई है ?

(३) इन बांधों में कितने कितने पानी की आमद अपेक्षित थी और वास्तव में बांध बनने के बाद औसतन पानी कितना कितना आया ?

(४) इन बांधों से कितनी कितनी भूमि की सिचाई करने का अनुमान या और वास्तव में इन बांधो से कितनी कितनी भूमि की सिचाई होती है ?

(५) इन बांधों के निर्माण के प्रारम्भ में कितना व्यय अनुमानित था और वास्तव में प्रत्येक में कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(१) यह सूचना सूचि के 'क' भाग में दी गई है ।

(२) यह सूचना सूचि के 'ख' भाग में दी गई है ।

(३) अनुमानित आमद की सूचना संलग्न सूचि के 'ग' भाग में दी गई है । वास्तविक औसतन पानी की आमद का सभी आंकड़ा कुछ वर्ष बाद दिया जा सकेगा क्योंकि बहुत से बांध थोड़े अरसे पहले ही बने हैं ।

(४) यह सूचना सूचि के घ' भाग में दी गई है ।

(५) कृपया सूचि के 'ड' भाग का अवलोकन करें ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

तहसील चाकसू में चीनी वितरण

१६४. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

तहसील चाकसू (जिला जयपुर) में किस किस पंचायत के लिए चीनी (शूगर) की बोरियां कितनी कितनी अगस्त सन् १६६३ से लेकर जनवरी सन् १६६४ तक किस किस इण्डीवीजुअल डीलर व सहकारी समिति को दी गई ? नगरपालिका क्षेत्र चाकसू में कितनी कितनी बोरियां चीनी की अगस्त, सन् ६३ से लेकर जनवरी सन् ६४ तक किस किस इण्डीवीजुअल डीलर या सहकारी समिति को दी गई ? तालिका सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

तहसील चाकसू जिला जयपुर में माह अगस्त, ६३ से माह जनवरी ६४ तक चीनी जो वितरण की गई उसकी तालिका सदन में प्रस्तुत कर दी गई है।

आगजनी की वारदातें, नोखा मण्डी

१६५. श्री रूपाराम पंवार (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

नोखा मण्डी तहसील नोखा में वर्ष १६६३ में कितनी कितना अनुमानिक नुकसान हुआ तथा जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ उनमें से किस किसको कितनी सहायता राज्य सरकार द्वारा दी गई ?

उत्तर

सन् १६६३ में नोखा मण्डी तहसील नोखा में केवल श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री हेमा राम सुथार के यहां अग्निकान्ड की दुर्घटना हुई और उसमें अनुमानतः हानि ६६६८ रुपये की हुई। सहायता के रूप में जिलाधीश कार्यालय द्वारा केवल २०० रु० स्वीकृत किये गये।

(६.१५ म० पू०)

राजस्थान वित्तीय निगम के प्रतिवेदनों के उपस्थापन सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री हरिश्चन्द्र : (उद्योग मंत्री) अध्यक्ष महोदय,........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर). On a point of order, Sir, राजस्थान वित्तीय निगम के छठे, सातवें एवं आठवें वार्षिक प्रतिवेदनों का जो उपस्थापन करने के लिये मंत्री महोदय खड़े हुए हैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि तीनों रिपोर्ट एक साथ क्यों रखी जा रही हैं। अलग अलग तैयार हुई तो फिर साथ क्यों रखा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : We will take it tomorrow.

(६.१७ म० पू०)

Page No. 32

ब्रह्मपुरी, जयपुर में ट्रक दुर्घटना विषयक

शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : जयपुर के निकट हुई ट्रक दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमन्त्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक १६-३-६४ को दिन के लगभग १२ बजे कोतवाली जयपुर में टेलीफोन द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि ब्रह्मपुरी में एक ट्रक दुर्घटना हो गई है जिसमें दो औरतें बुरी तरह घायल हुई हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बतलाया। हैड कान्स्टेबिल प्रभुदयाल को तत्काल ही घटनास्थल पर भेजा गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर हैड कान्स्टेबल प्रभुदयाल को श्रीमती सुशीला देवी ने सूचित किया कि वह स्वयं, उसकी माता मुन्नी देवी, श्रीमती फूला देवी एवं उसकी बच्ची स्कूल से वापिस घर जा रही थीं। श्रीमती मुन्नी देवी स्थानीय बालिका विद्यालय की प्रधाना ध्यापिका थी एवं श्रीमती फूला देवी स्कूल की चपरासिन। जब वे जागेश्वर महादेव के मन्दिर के निकट चल रही थीं तब एक ट्रक नं० आर० जे० बी. २५६ बिना होर्न बजाये तेजी से पीछे से आया और श्रीमती मुन्नीदेवी एवं फूला देवी के टक्कर दी। श्रीमती मुन्नी देवी के पैर पर से बाई ओर के दोनों पहिये निकल गये और कुछ मिनिट बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। फूलादेवी के ट्रक के दाहिने पहिये की टक्कर लगी और वह भी घायल हो गयी। दुर्घटनाके पश्चात् ड्राइवर जिसका नाम हनुमान सहाय बताया गया, ट्रक को ले भागा किन्तु कुछ ही दूर जाने पर जनता द्वारा पकड़ लिया गया।

इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संग्रह ३०४ ए. के अन्तर्गत मुकदमा नं० ११७ कोतवाली जयपुर में अंकित किया जा कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। वह दुर्घटना दिन के ११.४५ पर हुई। यह ट्रक राजामल के तालाब की ओर से जा रहा था। और खानों की ओर पत्थर लेने जा रहा था। वह खाली था।

इस टक्कर के पश्चात ड्राईवर ने भागने का प्रयास किया किन्तु कुछ दूर जा कर पुनः श्री गोविन्दनारायण के मकान से जा टकराया। ड्राईवर हनुमान सहाय शर्मा को घटनास्थल पर ही जन समूह ने गिरफ्तार कर लिया। वह अभी तक पुलिस हिरासत में है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है तथा पुलिस मेकनिक ने उसका दिनांक १७-३-६४ को निरीक्षण भी कर लिया।

श्रीमती मुन्नी देवी के मृत शरीर को अस्पताल भेजा गया और पोस्ट मार्टम परीक्षा कराई गई जिसका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। श्रीमती फूलादेवी को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है।

ब्रह्मपुरी में पिछले वर्ष अर्थात् सन् १९६३ में ट्रक दुर्घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। सन् १९६२ में केवल एक दुर्घटना

Page No. 33

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

दिनांक २४.३.६२ को हुई जिसमें सुन्दरबाई नामक बालिका की मृत्यु हुई। इस सम्बन्ध में अपराधी को पकड़ कर चालान किया गया जो अदालत से बरी हुआ।

भारी वाहनों के ब्रह्मपुरी में होकर आने पर कोई पाबन्दी नहीं है। देहली रोड़ से जयपुर नगर में आने वाले मोटर ट्रक इत्यादि अक्सर इसी सड़क से होकर आते जाते हैं। इस स्थान पर ट्रैफिक की स्थिति साधारण है। राजामल तालाब की ओर खानों में जाने का यही एक रास्ता है जो ब्रह्मपुरी से होकर गुजरता है। अतः इस मार्ग पर भारी वाहन पर पाबन्दी लगाना उचित नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, यह प्रथम घटना ही नहीं दूसरी घटना है। पहली घटना में इसी ब्रह्मपुरी की दो बालिकायें मर चुकी थीं। उस बारे में भी मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि अजमेर जाने वाली सड़क को टाल कर थोड़ासा ऐरिया उस तरफ से लेकर एक नयी सड़क निकाली जायगी जिस पर से होकर यह ट्रक गुजरेंगे। जहां सरकार के लाखों रुपया खर्च करने का भी सवाल नहीं, थोड़ा सा मार्ग बदलने की बात है। आदमियों की जिन्दगी के बावजूद भी थोड़ासा रुपया खर्च कर शहर के बाहर से सड़क की व्यवस्था सरकार अभी तक नहीं कर पायी है। आज मैं देखता हूं उधर की सड़क के एक गड्ढे को भरने के लिए हजारों रुपया खर्च कर दिया लेकिन कुछ रुपया खर्च कर शहर के बाहर से सड़क निकालने का प्रयास अभि तक नहीं किया गया आश्वासन देने के बाद भी यह काम शुरू नहीं किया जाता हैं। यह भी कहा गया कि दूसरी औरत जो अस्पताल में भर्ती है वह खतरे से बाहर है। लेकिन मेरी जैसी सूचना है वह औरत भी मर चुकी है। आप कहते हैं चिन्ताजनक नहीं। इसके अलावा कल रात को मुझे इतला मिली है कि वह औरत भी मर गई हैं। जिसकी आप हालत चिन्ता जनक नहीं बताते हैं। खैर जाने दीजिये इन्सान तो इसी तरह से मरेंगे इसकी आपको चिन्ता नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप ऐसा इन्तजाम तो कर सकते हैं जिस समय स्कूल का समय हो—उधर दो तीन स्कूल बच्चों के है उस समय भारी वाहनों का आना जाना बन्द कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा खर्च करके शहरसे बाहर होकर सड़क की भी आप व्यवस्था कर सकते हैं :

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं विश्वास दिलाता हूं कि और ज्यादा सतर्कता इसमें बरती जावेगी। जहां तक सड़क बाहर होकर बनाई जाने का प्रश्न है, वह अन्डर प्रोग्रैस है। तो वह भी स्थिति आ सकती है जो आपने बताई।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उसे बनते तो चार साल हो गये।

Page No. 34

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी जानकारी और मेरी जानकारी में सिर्फ इतना अन्तर है कि मैं एक के मरने की बात करता हूं और दूसरी....

एक माननीय सदस्य : दूसरी भी मर गई बताते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरी महिला भी मर गई ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : जो सूचना बस्तीवालों ने दी उसके अनुसार वह भी मर गई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। माननीय मन्त्री महोदय बतावें कि जयपुर में अक्सर देखा गया है कि जितने एक्सीडेन्ट होते हैं उन कारणों से होते हैं कि या तो जिसमें ट्रक में ज्यादा सामान भरा हो या ड्राइवर शराब पीये हुए हों या लाइट के ऊपर आधा काला न किया हुआ हो। इन तीन कारणों से ये एक्सीडेन्ट होते हैं।

हमारा विभाग चाहे वह ट्रान्सपोर्ट का हो, चाहे पुलिस का, इन बातों को जब तक कम्पलाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही एक्सी-डेन्ट होते रहेंगे। और आजकल तो ऐसी हालत है कि ज्यों ही ट्रक आता दिखता है कि लोग सड़क पर चलते हुए भयभीत होकर फुटपाथ पर भाग कर खड़े हो जाते हैं एक साइड में खड़े हो जाते हैं। इतने तेज ये ट्रक चलते हैं कि अगर सड़क पर चलने वाला व्यक्ति अपने आप में अपने बचाव की कोशिश न करे तो ट्रक को तो उनके कुचलने मरने की चिन्ता ही नहीं है।

आज तो ये महिलाएं चाहे वह मुन्नी हो या मनोहरी हो, मर गई, पर हर आदमी जो सड़क पर चलता है उसको भय है कि न जाने कब ट्रक आए और उसकी लीला ही समाप्त कर दे। तो इसको रोकने की जल्दी कोशिश करिये। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि रोज एक्सीडेन्ट होंगे और यहां आप इसी तरह से रोज स्टेटमेन्ट भी दे देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस ओर सक्रिय रूप से पुलिस चल रही है और चलती रहेगी। आपने जैसे सुझाव दिये हैड लाइट के बारे में या रोशनी का प्रबन्ध नहीं होता है इस सम्बन्ध में मैंने पुलिस को एक सप्ताह पूर्व इन सुझावों के आधार पर सक्रिय होने के लिये आगाह किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लिये ऐसी घटनाएं संकेत हैं और सक्रिय रूप से इन्हें रोकने का प्रयास करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) पुलिस तो सजग है, आप नहीं हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी इसके लिये बनी हुई है पुराने गृहमन्त्रीजी के वक्त की, पर आपने आज उसकी आवश्यकता ही नहीं समझी। आपने उसकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। आप सजग नहीं हैं। (श्री माथुर की तरफ इशारा करके, आप तो रहे नहीं उसमें। क्या करें ?

श्री मथुरादास माथुर (विधिमंत्री) : म्यूनिसिपैलिटी के बेरियर पर जो आमेर की तरफ है वहां पर पुलिस तैनात करदी जावेगी इसकी वजह से कोई भी ड्राइवर शराब पिये हुए हो तो वहीं पर रोक दिया जावेगा और गाड़ी लेकर शहर में नहीं घुसने दिया जावेगा दूसरी बात रोड लाइट्स होती हैं उन पर हाफ ब्लैक कवर नहीं होता है उसके लिये स्ट्रिक्टनैस बरती जावेगी। तीसरा यह कि स्पीड में तेजी से चलते हैं या ओवरलोडेड चलते हैं उसको भी चैक कर लिया जावेगा। ये तीन बातें करनी जरूरी हैं और पहले भी ऐसी हिदायतें दी जा चुकी हैं, फिर एनफोर्स करदी जावेंगी।

(६-२६ म० पू०)

भीलवाड़ा में पुलिस अधिकारियो द्वारा पिटाई विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़ा के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एडीशनल तहसीलदार माइनिंग विभाग द्वारा जो पराक्रमसिंह डांगी के खिलाफ जारी किये गये वारन्ट आफ अटैचमेन्ट की एग्जीक्यूशन करने हेतु नायब तहसीलदार माइनिंग विभाग श्री मोहनलाल मय दो कान्स्टेबल, मौका काटन फैक्ट्री भीलवाड़ा पर १७-३-६४ को पहुंचे। परन्तु श्री पराक्रमसिंह ने कानूनी कार्यवाही का विरोध किया और नायब तहसीलदार के साथ मार पीट की, जिससे उसके खिफीफ चोटें पहुंचीं। माइनिंग विभाग के फोरमैन का भी पराक्रमसिंह पर वार करना बताया जाता है। घटना के बाद नायब तहसीलदार व कान्स्टेबल थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। थानेदार जब यह रिपोर्ट दर्ज कर ही रहा था कि श्री पराक्रमसिंह, सुभाषदेव डांगी आदि थाने पर पहुंचे और पहले उनकी रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। थानेदार ने बाद में पहुंचने वालोंको कुछ समय ठहरने को कहा। इस पर सुभाषदेव ने थानेदार के चांटा मारा। ए० एस० पी० उसी वक्त वहां पहुंचे और सुभाष देव को कुछ समय इन्तजार करने के लिये समझाने लगे। परन्तु वे लोग बुरी तरह गाली गलौज करने लगे। थानेदार के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार को देख कर उपस्थित पुलिस कर्मचारी ने सुभाषदेव व उनके साथी के साथ मारपीट की व लॉक अप में बन्द कर दिया।

सूचना पाते ही डी० एम०, ए०डी०एम० व सिटी मजिस्ट्रेट थाने पर पहुंचे, वहां पर एकत्रित भीड़ को सही तफतीश का आश्वासन दिया एवं डी. एम. एच. ओ. को वहां ही बुलाकर पुलिस अमले व सभी घायल व्यक्तियों की जांच का प्रबन्ध किया। नायब तहसीलदार चार पुलिस कर्मचारियों व अभयसिंह, सुभाषदेव आदि को चोट आना पाया गया।

डाक्टरी जांच के समय थाने पर लगभग दो हजार आदमी एकत्रित हो गये। भीड़ ने पत्थर फेंके व उस कमरे के कांच जहां डाक्टरी जांच हो रही थी तोड़ दिये गये। पब्लिक थाने के कम्पाउण्ड के बाहर बारम्बार समझाये जाने पर रात को साढ़े दस बजे विसर्जित हो गई।

Page No. 36

((श्री निरंजननाथ आचार्य)

किसी भी व्यक्ति की स्थिति चिन्ताजनक है और न इस घटना के पीछे किसी प्रकार का राजनैतिक षड़यन्त्र ही पाया जाता है।

मुलाजिमान के खिलाफ मुकद्दमे दर्ज किये जाकर तफतीश शीघ्र चालू कर दी गई है। श्री सुभाषदेव के साथ मारपीट के मामले की इन्क्वायरी स्वयं ए० डी० एम० भीलवाड़ा द्वारा की जा रही है व बाकी मामलों में डिप्टी एस० पी० श्री पारीक तफतीश कर रहे हैं।

भीलवाड़ा में कल मामूली हड़ताल थी जो दोपहर से तोड़ दी गई है। स्थिति बिल्कुल शान्तिपूर्ण है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि हमारे उपगृह मन्त्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया है उस सम्बन्ध में मैं अपनी जो जानकारी है जो कि मैंने कल शाम को ६॥ बजे ट्रन्ककाल करके प्राप्त की है, उसके अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि आपने जो कुछ भी कहा है उसमें बहुत सी बातें असत्य हैं।

जहां आपने यह जिक्र किया कि पत्थर फेंके गये पब्लिक के द्वारा यह गलत बात है। वहां यह भी गलत है कि हल्की चोटें आई। वहां के डी० एम० एच० ओ० ने सरटीफिकेट दिया है सुभाषदेव डांगी के बारे में कि उनके सीरियस इन्जरी आई है।

इसके अलावा आप यह कहते है कि मामूली हड़ताल थी। भीलवाड़ा जब से बसा है, उसके तब से लेकर अब तक के इतिहास मे ऐसी कभी हड़ताल नहीं हुई जैसा कल की थी। कम्पलीट हड़ताल थी और शाम के आठ बजे के बाद चन्द दुकानें खुली हैं।

इसके अलावा वहां की म्युनिसिपैलिटी के श्री सुभाषदेव डांगी कमिश्नर होने के नाते वहां की म्युनिसिपैलिटी ने एक मीटिंग बुलाई। चांदमलजी चैयरमैन ने रेजोल्यूशन रखा कि जो मारपीट पब्लिक के आदमियों के साथ हुई है वह बिल्कुल वकत नहीं रखती, इस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। म्युनिसिपैलिटी में वह प्रस्ताव गिर गया और परमानन्दजी जो उसके मेम्बर हैं, ने एक दूसरा प्रस्ताव इस आशय का रखा कि जिसमें सारी इस घटना को कन्डेम किया गया और मांग की गई कि इसकी एक जूडिशियल एन्क्वायरी होनी चाहिये, वह सारा का सारा प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ जिसकी इन्फोर्मेशन भी म्युनिसिपैलिटी के द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को और डिपार्टमैंट को कल ही दे दी गई थी।

इसके अलावा कल शाम को चार बजे एक विशाल जुलूस निकला। पहले एक मिटिंग हुई। फिर सारे कलक्टर के पास गये शाम को। कलक्टर साहब ने माइक पर उन लोगों के सामने अनाउन्स किया कि जो घटना हुई है उसके लिए मुझे बहुत खेद है और मुझे अफसोस है। जिनकी गलती है उनके लिए इमीजिएटली जांच करने के लिये ए० डी०

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)

एम० को उन्होंने मुकर्रर किया, जैसा वे भी कहते हैं ।

इसके अलावा कुछ लोगों को सस्पेन्ड किया है । ए० एस० पी० मारने के वक्त मारने में मौजूद था तो कलक्टर ने वायरलैस से इत्तला दी है यहां कि उसे भी सस्पेन्ड जल्दी से जल्दी करें । इसको छिपाने की बात की गई है । वहां पराक्रमसिंह के साथ यह कहा गया उसने उसके पहले मारी यह बताते हैं आप । उसका सिर फट गया और सात टांके आये हैं और आप कहते है कि सीरियस नहीं है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से जो गलत काम करते हैं आप कोतवाली और पुलिस मे बैठ कर प्रोटेक्ट करने की क्यों बात करते हैं ? जनता के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है ? क्यों नहीं उनको साफ कहते हैं ?

दूसरे माननीय उप-मन्त्री जी ने कहा कि इसके पीछे कोई राजनैतिक षड़यंत्र नहीं है । मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा राजनैतिक षड़यन्त्र है । भीलवाड़ा में एक नहीं सारा इतिहास उठा कर देखें इस तरह के विरोधियों के साथ हर साल घटनायें होती है और यह पुलिस वाले उनको दबाते हैं और वहां आज तक जितने भी एस० पी० आये आज राजस्थान के अन्दर सस्पेन्ड पड़े बैठे हैं । यह उन्हीं चीजों का कारण है फिर यह प्रोटेक्ट करते हैं यह अच्छी चीज नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : पहले जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बोल लेने दें ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उप गृह मन्त्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया है उसके ऊपर विश्वास करने का कारण तो नही बनता । उनके स्टेटमेन्ट के आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता । उन्होंने एक बात इस सदनमें स्वीकार की है कि जिस समय पराक्रम सिंह वहां गये और उन्होंने सब-इन्सपेक्टर के थप्पड़ मारा वहां ए० एस० पी० आ गये और फिर वहां पर पुलिस कर्मचारियों ने पराक्रम सिंह की और श्री सुभाष डांगी की पिटाई की । मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से कानून में आपको यह अधिकार मिला हुआ है कि कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो आप मार पीट करो और यदि कोई थप्पड़ लगा दे तो सारे पुलिस वाले मिल कर उन दो वकीलों को मारें ? कौन से कानून में लिखा है कि ए० एस० पी० के सामने इस तरह से मारपीट की जाये ? वहां पर ए० एस० पी०, सब-इन्सपेक्टर, हैड कान्सटेबल और कान्सटेबल सब मौजूद हों और दो वकील हों । दूसरे इसमें कोई गवाह तो हो नहीं सकते । उनको इस तरह से पीटा जाये और उसका सारा दोष कुछ कान्सटेबल्स पर डाल रहे हैं जिनको आपने सस्पेन्ड किया है । आप ए० एस० पी० को सस्पेन्ड नही कर सकते, जिन्होंने मारा है

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

यह सारा का सारा पुलिस का अमला दो आदमियों को मारे। यह एक दिन में कोई एक्सीडेन्टली नहीं हुआ। कई दिनों से यह रंजिश चली आ रही थी और यह रंजिश इस बात की थी कि यह दोनों व्यक्ति पुलिस वालों की बातें सदन के माननीय सदस्यों को और सरकारी उच्च अधिकारियों को बताते रहे। यह उसी का परिणाम निकला है कि एक नायब तहसीलदार की रिपार्ट लेकर उस पर ज़मानत हो जाती, मुकदमा बन जाता लेकिन इसके बावजूद भी उनको जिस प्रकार से मारा गया यह राजस्थान सरकार के लिये शर्म की चीज़ है। जहां पब्लिक इस प्रकार का रिज़ेन्टमेन्ट करे वहां उन आफिशिल्स की रिपोर्ट के ऊपर सदन में स्टेटमेन्ट दे दिया जाये। जिसके लिए पब्लिक की कम्पलेन्ट हो और जो भी घटना हुई है उसको टाला जा रहा है। किसी का स्टेटमेन्ट नहीं हुआ, न एस० पी० ने लिया और न किसी और ने लिया। जो कुछ पुलिस ने स्टेटमेन्ट बना कर इनको दिया उस स्टेटमेन्ट को यहां दिया गया है। अगर स्वीकार कर लें कि कर्मचारियों ने मारपीट की तो क्योंकि मारपीट तो छिप नहीं सकती थीं उसको तो मन्जूर कर लिया।

मैं तो कहूंगा कि गृह मन्त्री जी आपके थाने में यदि ए० एस० पी० और पुलिस के कर्मचारी जनता के व्यक्तियों को पीटते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि राजस्थान के उप गृह मन्त्री के पद पर बैठे रहें। मैं आपसे यह भी कहता हूं कि आपकी मौजूदगी में मारते हैं तो उनका ही प्रासीक्यूशन नहीं होना चाहिए बल्कि जिस उप गृहमन्त्री के नीचे ऐसा हुआ है उसका प्रॉसीक्यूशन होना चाहिये कि इस तरह से जनता के लोगों को आप मरवायें। कल ब्यावर में भी इसी प्रकार की घटना हुई। एक आदमी को मारा, उसके शरीर से खुन आने लग गया। आज कल तो व्यवहार न जाने किस तरह से चल रहा है कि पुलिस को जैसे लाइसेन्स मिल गया हो पीटने का। तो अध्यक्ष महोदय आपको इस मारपीट को रोकना पड़ेगा और अगर नहीं रोकेंगे तो यह स्थिति बढ़ती हुई चली जाये और यह नहीं होगा कि जनता चुप बैठी रहे। फिर इसके कारणों से कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भूतपूर्व गृह मन्त्री जी जो कि यहां बैठे हैं वह इस इश्यू को हाथ में लें क्योंकि वे यहां मुख्य मंत्री जी की हैसियत से भी बैठे हैं। इसको टालरेट करने की कोशिश न करें और इन चीजों को वाइट-वाश करने की कोशिश न करें।

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह किसी प्रकार से भी संतोषजनक नहीं है। बहुत से सवाल, अध्यक्ष महोदय, सदन में उठाये जाते हैं। एक वकील को अदालत में गिरफ्तार करने की बात एक सप्ताह पहले ही एक क्वेश्चन के जरिये यहां सदन में आई थी। एक वकील साहब को ११७ और १०७ के नीचे, जो कि उस समय अदालत में पैरवी कर रहे थे, गिरफ्तार किया गया और फिर

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

यह मामला सदन में आया है। आपने कहा कि पराक्रमसिंह के यहां हमारे नायब तहसीलदार कोई अटेचमेन्ट करने के लिए गए थे। मैं यह माननीय उप गृहमंत्री जी से जानना चाहूंगा यह अटेचमेन्ट किस के खिलाफ था। क्या यह सही है कि यह अटेचमेंट श्री अभयसिंहजी के नाम के व्यक्ति के लिए थी ? पराक्रमसिंह ने कहा कि यह फर्म मेरी है और यह अटेचमेन्ट इस फर्म के लिए नहीं है और अभयसिंह दूसरा है और वह डिफरेन्ट फर्म है और उसका हमसे कोई लेन देन नहीं है। इसके बावजूद भी उसकी सुनाई नहीं की गई और उसके यहा पर इसी नायब तहसीलदार और हैड कान्सटेबल ने उनके सिर पर इतनी चोट मारी की ७ टांके उसके सिर में आये और इसके बाद अध्यक्ष महोदय जो भी नागरिक पुलिस थाने में रिपोर्ट देने के लिए गये उनकी पिटाई की गई जिनका हवाला उप गृह मन्त्री जी ने नहीं दिया। उसकी हिमायत के लिए श्री सुभाष डांगी और श्री भगवत दयाल गये तो उनको भी पीटा गया। वकील साहब को तो क्योंकि जोश में थे इस लिए उन्होने पीट दिया। तो यह जो डिफेन्स का तौर तरीका है कि हर कर्मचारी को चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको बचाना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे जनतन्त्र की जड़े खोखली होती जा रही हैं और इसको नहीं रोका गया तो इस राजस्थान में पुलिस का राज्य होगा।

जनतन्त्र में जो मिनिस्टर बने बैठे हैं आपका राज्य नहीं होगा बल्कि पुलिस का राज्य होगा। और आज हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की मनोवृत्ति बढ रही है। पहले एक भूतपूर्व गृह मन्त्री थे उनकी एक खूबी तो थी कि वह सस्पेन्ड तो कर देते थे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जितने सस्पेन्ड किये उनमें से ५ परसेन्ट को भी सजा नही हुई। जिन को आप कहते हैं कि हैड कान्सटेबल को सस्पेन्ड कर दिया मैंने पहले भी निवेदन किया कि यह संतोष एक थोथा संतोष है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे सस्पेन्ड किए हुए लोगों को आप दो-तीन साल बाद री-इन्सटेट कर देते है और हमको उसकी कोई इत्तला भी नहीं होती है। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है और ए० डी० एम० की इन्क्वायरी से हमें संतोष नहीं है। मैं यह मांग करता हूं कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वह इस मामले की इन्क्वायरी करें और इसकी एक ज्युडीशियल इन्क्वायरी कराई जाए और अगर ज्युडीशियल इन्क्वायरी नहीं कराते हैं तो जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी चल रही है सी० आर०पी०सी० के नीचे यह बिलकुल विन्डो ड्रेसिंग है बल्कि एक प्रकार से धोका देने का प्रयास है। मैं सरकार से यह साफ करवाना चाहता हूं कि जिसके यहां याने पराक्रमसिंह के यहां नायब तहसील दार साहब गये उनके खिलाफ कोई अटेचमेन्ट नहीं था और अभयसिंह जी के खिलाफ यह अटेचमेन्ट था। अभयसिह जी के भी २१००) रुपये माइनिंग डिपार्टमेंट में जमा है : कुर्की ३००) रुपये की थी। आप क्या कुर्की करने

Page No. 40

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

गये थे ? आप अपने यहां पर जो २१००) रुपये अभयसिंह जी के थे उनमें से ३००) रुपये डिडक्ट कर लेते। लेकिन वह कुर्की की जरूरत नहीं थी। वह तो मार पीट करनी थी और सुभाष डांगी के ग्रेव इन्जरी आई हैं कि कान का पर्दा फटने की पूरी पूरी सम्भावना है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का आश्वासन दिया जाये कि इसकी ज्युडीशियल इन्क्वायरी कराई जायेगी और सदन में रिपोर्ट दी जायेगी और इन्क्वायरी शुरू करने से पहले जो भी ए० एस० पी० थे उनको फौरन सस्पेन्ड किया जायेगा। यह मैं मांग करना चाहूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उपमन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, जो राजनैतिक....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपको और बताऊं सुभाष डांगी प्रजा सोशयेलिस्ट पार्टी के मैम्बर हैं और जो वहां म्युनिसिपल चेयरमेन हैं उनकी खिलाफ पार्टी के हैं और यह घटना कोई बीकानेर या कोटा की नहीं है जहां से हमारे सदन में भी प्रजा सोशियेलिस्ट पार्टी के सदस्य आते हैं। यह अलवर भरतपुर की घटना नहीं है। यह घटना है भीलवाड़ा की। आपके मुख्य मन्त्री जी जहां से किसी भी औरत को जो भी पर्दे में रहती हो उसको जिताकर ला सकते हैं। यह उस जगह की बात हैं जो कि मुख्य मन्त्रीजी का किला समझा जाता है। यह उनके किले में विद्रोह हो रहा है अगर आप देखना चाहें तो देखें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, एक तथ्य और है कि जो अवतारसिंह कोतवाल जो वहां पर है तो उन्होंने कहा है कि राजनैतिक कलर नहीं है वह प्रश्न नहीं है तो अवतारसिंह कोतवाल वही व्यक्ति है जिन्होने नाथद्वारे में चोरी के ऊंट बरामद किये थे तो उनका पता आज तक नहीं कि वे ऊंट कहां गये ? उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस केस को दबाया गया है तो क्यों दबाया गया है, किस के द्वारा दबाया गया है और किस के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है वह सारे का सारा इतिहास इस बात को बतायेगा कि क्या इसके पीछे राजनैतिक कलर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा उसके तथ्यों के बारे में और उसके विश्लेषण के सम्बन्ध में मैं अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन एक बात साफ है और जैसा कि मैंने स्पष्ट कहा है और इसको स्वीकार किया है कि इस घटना के दो अंग हैं। पहला तो यह है कि जो काटन फैक्ट्री के अटैचमेंट के सम्बन्ध में गये और तहसीलदार के और उनके बीच में कोई बात हुई, यह इस घटना से अलग प्रश्न है जो इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखती है। मैं उसको प्रोप्राईटी के सम्बन्ध में नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बताइये कि काटन फैक्ट्री किस के नाम है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : और वहां आपस उनकी लड़ाई जो हुई उस घटना से

Page No. 41

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और इस पुलिस की घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्ध तो वहां पैदा होता है जब कि तहसीलदार इत्तला अव्वल दर्ज कराने के लिए यहां पर आया। इसलिए अटैचमेंट की शहादत और कुल रुपया बाकी था या नहीं उनके वास्ते वहां जाना सही था या गलत यह प्रश्न तथ्य और शहादत के आधार पर है जिसका विश्लेषण आगे हो सकता है।

लेकिन जहां तक दूसरे प्रश्न का ताल्लुक है और कोतवाली की घटना से पैदा होता है, मैंने इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): पुलिस के इतने कान्स्टेबलों को ले जाने की क्या जरूरत थी ?

श्री निरजननाथ आचार्य : लेकिन मैं पहले इसका उत्तर दूंगा कि वहां पर मार-पीट हुई और ए० एस० पी० के सम्मुख हुई इस पर जैसा कि आपको खेद है वैसा ही खेद हमको भी है। लेकिन क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं है उसके आधार पर सब-इन्सपेक्टर अवतारसिंह और हैड कान्स्टेबल श्री अम्बालाल को निलम्बित किया गया और ए० डी० एम० को प्रिलिमिनेरी एन्क्वायरी के लिए मुकर्रर किया है।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि ए० एस० पी० की मौजूदगी में यह स्थिति हुई है तो जैसी आपको चिन्ता है प्रजातन्त्र की वैसी ही चिन्ता हमको भी है। जैसा कि आपने कहा कि 'प्रजातन्त्र' पुलिस के हाथ में नहीं चला जाय वैसे ही हम भी आपसे कहीं कम चिंतित नहीं हैं। उसकी चिन्ता हम को भी है, हम भी जागरूक हैं। इसलिए जहां तक ए० एस० पी० के सम्मुख यह स्थिति पैदा हुई है उसके सम्बन्ध में खेद है, लेकिन खेद के आधार क्या हो सकते हैं यह भी विश्लेषण की एक चीज़ है।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण सदन में कोलाहल)

इस स्टेज पर मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि चार रोज के अन्दर अन्दर एक सीनियर आफिसर द्वारा ए० एस० पी० के कन्डक्ट की, जो इससे सम्बन्ध रखता है, जांच कराई जाकर उसका नतीजा हम मंगवायेंगे........

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण सदन में कोलाहल)

और उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, इस जांच के आने के बाद वह कार्यवाही उन तथ्यों के संकलन में शहादत के संकलन पर हो सकती है, उसके लेने में यह सरकार कहीं हिचकिचायेगी नहीं-इतना मैं विश्वास सदन को इस समय दिला सकता हूं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय सदस्य ने कहा तो उसकी मुझे जानकारी है। उन्होंने कहा कि वहां पर काफी लोग उपस्थित हुए, वह मेरी जानकारी में है। उनको चोटें आईं जैसा कि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आपने कहा वह मेरी जानकारी में है। पुलिस के वहां पर कोई पत्थर नहीं फेंके गये। मैं इसके विश्लेषण में नहीं जाना चाहता कि पत्थर फेंके गये यह शहादत पर आधारित है....

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर कोलाहल)

एक तथ्य जो बड़ा स्पष्ट है वह यह है कि कांच वहां पर फूटे हैं। कांच किस स्थिति में फूटेंगे? पत्थर से फूटेंगे या किसी....

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण कोलाहल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांच फूटे हैं, तो उसके लिए किसी को गिरफ्तार किया गया है क्या?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां पर पत्थर इकट्ठे हुए हैं और कांच फूटे हुए देखे गये हैं....

श्री भैरोंसिंह : कांच फूटने का सवाल नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कांच फूटे हुए देखे गये हैं। तो यह तीन तथ्य ऐसे है जिनसे कयास पैदा होता है और यह अनहोनी बात है कि भीड़ इस तरह से इकट्ठी हो और भीड़ शान्त रही हो। लेकिन इसकी जानकारी इसके तथ्यों के अन्तर्गत की जा रही है वह इस तफतीश से साबित हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कहा गया कि एक तो आधार है कि उनके चोटें आईं और ऐसे २ घाव लगे जैसा कि माननीय सदस्य बनेड़ा से आने वालों ने कहा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि कान पर चोटें बहुत आईं हैं कि जिनसे उनकी सुनने की शक्ति नहीं रह जायगी या कम होगी और उनके सात टांके आये हैं....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दो अलग २ व्यक्ति हैं।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : (अश्रव्य)

श्री मानिकचन्द सुराणा : टांके पराक्रमसिंह के लगे हैं और ग्रीवियस हर्ट कान पर श्री सुभाष डांगी के आई हैं। माननीय मन्त्री महोदय तथ्यों को तोड़े-मरोड़ें नहीं। दो अलग अलग व्यक्ति हैं। सुभाष डांगी के कान पर बहुत ग्रीवियस हर्ट हुई है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने क्या जांच की है इसकी पोल तो यहीं खुल गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरा, उन्होंने खुद ने कहा है और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसके दो पक्ष हैं। एक

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पुलिस वालों का पक्ष है जिसको मैं प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता हूं और दूसरा जनता का एक पक्ष है जिसको मैं मदद देना चाहता हूं इस बात को छिपा करके नहीं, बल्कि इस बात को स्पष्टतः सदन के सामने रख कर, और वहां पर कार्यवाही निष्पक्ष होने के आधार पर और अगर यह सदन को मन्जूर हो कि किसी की इन्जरीज़ की परीक्षा में किसी प्रकार की गलती हुई हो और दरअसल में जो चोटें जैसा कि आपने यहां पर कहा कि बहुत सी हैं तो मैं उसकी जानकारी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करूंगा। अगर सदन चाहता है कि स्पष्टतः इस तरह का प्रश्न हुआ है तो उस आधार पर बोर्ड ऑफ डाक्टर्स दोनों की परीक्षा के लिए बैठा दिया जाय जैसा कि पुलिस वाले कह सकते हैं और उधर के पक्ष से भी यह कह कहा जा सकता है और जनता की ओर से भी, जिसमें मैं भी हूं। आपने ऐसा प्रश्न रखा है कि हम इससे जनता से परे हो गये हैं और सभी प्रतिनिधित्व उसका उधर से होना चाहिए। हम भी जनता के बीच में से हैं। हम भी चाहते हैं कि जनता में किसी तरह की अशान्ति न हो। हम जागरूक हैं इसके लिए कि पुलिस कहीं ज्यादती न करे। जो चिन्ता आपको है वही हमारी चिन्ता है। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दोनों पक्ष को जहां इन्जरीज पहुंची हैं उन इन्जरीज़ का निर्णय एक्जामिनेशन के आधार पर बोर्ड ऑफ डाक्टर्स की नियुक्ति की जा सके तो वह निष्पक्षता से कर दिया जायगा ताकि इसमें कोई भ्रम माननीय सदस्यों को पैदा नहीं हो। यह दूसरी बात मैंने निवेदन की है।

तीसरा, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक राजनैतिक षड़यन्त्र है।

एक माननीय सदस्य : निष्पक्ष जांच की बात करते हैं तो यह कॉमनसेन्स की बात है कि आप सब-इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड करते हैं, हैड-कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल को सस्पेन्ड करते हैं, लेकिन उन्होंने ए० एस० पी० के सामने उनको पीटा है उनको आप सस्पेन्ड क्यों नहीं करते है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपसे मैंने इसके लिए चार दिन का समय मांगा है...

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के कारण कोलाहल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : चार दिन के अन्दर....

कुछ माननीय सदस्य : No. No.

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस पक्ष की स्थिति....

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के कारण कोलाहल)

एक माननीय सदस्य : जब आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं....

Page No. 44

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ए० एस० पी०, डी० आई० जी० पी० उदयपुर के रिश्तेदार हैं उसे उनकी जांच करवायेंगे तो वह कैसे ठीक होगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, न्याय के सामने रिश्तेदार कोई नहीं हुआ करते हैं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने पर कोलाहल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनको सस्पेन्ड करियेगा।

श्री अध्यक्ष : जो कि मंत्री महोदय ने अभी कहा उसका मतलब यही है कि कोई बड़ा आफिसर यहां से भेजेंगे या लोकल अफसर से जांच करायेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहां से भेजा जायगा और वह एस० पी० की रेंक से नीचे का नहीं है।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर कोलाहल)

यह मैं और विश्वास दिलाता हूं....

श्री विजयसिंह झाला : ऐसे आफिसर्स नहीं चाहिए उनको तत्काल सस्पेन्ड करिये।

श्री अध्यक्ष : किस को भेजेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डी० आई० जी० क्राइम्स।

श्री भैरोंसिंह : यह स्पष्टीकरण कर दिया जाय कि क्लेक्टर भीलवाड़ा ने आपको ए० एस० पी० को सस्पेन्ड करने के बारे में लिखा कि नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी मेरे पास कोई इत्तला नहीं आई है। मैंने केवल इसलिए निवेदन किया....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण कोलाहल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्लेक्टर भीलवाड़ा ने माइक के ऊपर पब्लिक में कहा है कि मैंने ए० एस० पी० को सस्पेन्ड करने के लिए गवर्नमेन्ट को लिखा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, कल हमने इन तथ्यों की जानकारी के लिए वायरलेस से कान्टेक्ट करने के लिए प्रयास किया लेकिन चूंकि हवा तेज थी तो वायरलेस के पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई और रात तक प्रयत्न करते रहे अभी हम और प्रयास करेंगे यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं....

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण कोलाहल)

कि इस सम्बन्ध में क्लेक्टर की ओर से....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री निरंजननाथ आचार्य : कलेक्टर की ओर से हमारे पास कोई इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यदि उनकी कोई रिकमन्डेशन इस प्रकार की आवेगी तो हम ए. एस. पी. को भी सस्पेन्ड करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से हल्ला गुल्ला)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक एक करके बोलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ए.एस.पी., के सामने यह वाकया हुआ और आपने छोटे कांस्टेबल को सस्पेन्ड किया तो ए. एस. पी. को क्यों नहीं सस्पेन्ड किया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा है कि किसी अधिकारी को सस्पेन्ड करने से पहले उसको सस्पेन्ड करने के लिये सबूत है या नहीं इसकी जानकारी करनी चाहिये और इसके लिये उन्होंने डी. आई. जी. पी. क्राइम्स का नाम लिया है। जांच के बिना वे सस्पेन्ड करना उचित नहीं समझते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि इन सारे लोगों को थाने में पीटा उस समय ए. एस. पी. वहां पर मौजूद था, यह इन्होंने एडमिट किया है। गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिसर की मौजूदगी में कानून के खिलाफ, नैतिकता के खिलाफ, मानवता के खिलाफ पब्लिक के आदमियों को थाने में पीटा तो या तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिये और ईमानदारी के साथ उन सभी कर्मचारियोंको कांस्टेबल, हैड-कांस्टेबल, थानेदार और इन्क्ल्युडिंग ए. एस. पी. को सस्पेन्ड करके उनको जेल में बन्द करना चाहिये। इसमें इन्क्वायरी करने का सवाल क्या खड़ा होता है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रिकमन्ड किया है कि ए. एस. पी. को सस्पेन्ड किया जाय, जब जिले का कलेक्टर रिकमन्ड करता है तो फिर उसको क्यों नहीं सस्पेन्ड किया जाता ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को जानकारी संभवतः इस बात की नहीं है कि कलेक्टर ने रिकमन्ड किया है।

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) समाचार पत्रों में सारी खबर छपी हैं....

श्री अध्यक्ष : Order Please। समाचार पत्रोंकी बात और है। मंत्रीजीने कहा है कि कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस प्रकार की सूचना नहीं आई है, और आप कहते हैं सूचना आई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिख दिया है तो उसको सस्पेन्ड कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न छोटा सा है। मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी मौजूदगी में पीटा। ए. एस. पी, को गालियां निकालीं इस लिये पीटा।

यह नेचुरल है कि ए० एस० पी० को गालियां निकालीं इसलिए सिपाहियों या हैड कांस्टेबिल ने मार पीट की। लेकिन ए० एस० पी० भी उसमें पार्टी है। वह पार्टी इस लिए है कि उसके सामने पब्लिक के आदमियों को पीटा गया और वह उनको रोक नहीं सका इसलिए उसको सस्पेन्ड करने के लिए तो उसकी इनएफिशियेन्सी ही पर्याप्त है; वह अपने मातहतों को रोक नहीं सका तो उसने अपनी कनाइवेन्स से पिटवाया है, खड़े रह कर पिटवाया इसके अलावा पिटवाने का कोई कारण नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की भावनाओं को ध्यान में रख कर उसको आप प्रोटेक्शन न दें। यह आपका और हमारा सवाल नहीं है, जनता की भावनाओं का सवाल है जिसको लेकर हम यहां खाली भाषण देने नहीं आये हैं। बल्कि आप पर दवाब डालने आये है कि आप इस तरह के कार्य को रोकिये यदि आप नहीं मानेंगे तो हम और जरिये से आपको रोकेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो विश्वास दिलाया सदन को कि सर्कम्सटान्सेज और एविडेन्सज के पोइन्ट पर यहां प्रकाश डाला जा रहा है। मैं विश्लेषण करूं, मैं बार बार विश्वास दिला चुका हूं कि इधर बैठने वालों में से कोई भी इस प्रश्न पर तैयार नहीं है कि ए०एस०पी० को प्रोटेक्ट किया जाय। जितनी कड़ी से कड़ी कार्यवाही शहादतों की बुनियाद पर हो सकेगी वह की जायगी। इस आधार पर मैंने निवेदन किया कि शहादत के प्रश्न में, सर्कम्सटान्सेज और एविडेन्सज दोनों ही स्थिति में मैं गाइडेन्स देने की स्थिति में नहीं हूं इसलिए नहीं कि पक्ष-विपक्ष का सवाल होता है। जो स्थिति है उसका अनुसंधान करने के लिये सिर्फ चार दिन की मोहलत मांगी है....

कई माननीय सदस्य : चार दिन नहीं दिये जा सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप चाहते है कि विश्लेषण करके उत्तर दूं। मेरा अभिप्राय यह है कि इस प्रश्न पर उत्तर देना आने वाली इन्क्वायरी को डेमेज करता है, शंका पैदा करता है। जहां तक ए. एस. पी. का इस प्रश्न से सम्बन्ध है, मैं मौन रहना ही उचित समझता हूं ताकि आगामी न्याय में बाधा नहीं पहुचे। मेरा ख्याल है कि इस प्रश्न पर माननीय सदस्य मुझे सहयोग देंगे। जब मैंने चार दिन का समय लिया है, आप हमारे सामने सर्कन्सटान्सेज रखते हैं, हम सबूत दृढ़ करना चाहते हैं इस तरफ या उस तरफ इसलिए मैं इस स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि आने वाली इन्क्वायरी पर असर पड़ेगा। मेरा यह ख्याल है कि चार दिन का समय जो मैंने मांगा है.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार दिन में सारा मेनुपुलेशन हो सकता है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : डी. आई. जी पी. क्राइम्स को कम से कम समय लगे इन्क्वायरी में, इससे पर्याप्त हो जाता है।

दूसरा प्रश्न बार बार उठाया जाता है राजनीतिक षड़यंत्र का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजनीतिक षड़यंत्र उधर से है....

(शोरगुल)

जो जगह खाली हुई है संसद के लिये उसका चुनाव होने वाला है उसकी भूमिका बांधी जा रही है....

(शोरगुल)

राजनीतिक षड़यन्त्र उस ओर से है जो भूमिका आगे बनाने के लिये है।

(शोरगुल)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उप-मंत्री जी का दिमाग यदि ऐसी कलुसित भावनाओं से भरा हुआ है तो ऐसी भावनाओं को लेकर वे अपने पद पर नहीं रह सकते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि हमने कांस्टेबल और सब-इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड कर दिया लेकिन ए० एस० पी० को सस्पेन्ड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आने वाली इन्क्वायरी इससे डेमेज होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी का रूप ले रही है। यदि ए० एस० पी० को सस्पेन्ड करने से इन्क्वायरी डेमेज हो सकती है तो जिन कांस्टेबलों को सस्पेन्ड किया है उनसे भी डेमेज हो सकती हैं....

कई माननीय सदस्य : उनको बरी कर दिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उनको भी बरीकर दीजिये फिर एक प्रकारकी इम्पार्शियल इन्क्वायरी किसी हाई कोर्ट जज से करवाई जाय। अध्यक्ष महोदय, इनकी यह दलील लचर है कि आने वाली इन्क्वायरी पर असर होता है। कल स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे, कैंसर कौंसिल में जो डाक्टर गया था उसने फर्जी बिल दिया उससे कहां तक इफेक्ट होता है ये सारी दलीलें लचर हैं। एक्जीक्युटिव को एग्जीक्युटिव के ढंग से व्यवहार करना चाहिये। एलिगेशन्स जब साफ रूप से सामने आते हैं कि ए० एस० पी० का उसमें हाथ है ऐसी हालत में चार दिन के लिए उसको सस्पेन्ड कर देंगे तो उससे इन्क्वायरी डेमेज नहीं होने वाली है। आप सस्पेन्ड करके इन्क्वायरी सेशन जज से करवाइये। आपके डी० आई० जी० सी० आई० डी० में हमारा विश्वास नहीं है, जहां राजनीतिक कार्यवाही हो। आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हों तो आप उसकी शुरुआत भीलवाड़ा से करवाइये। यह मुख्य मंत्री जी का स्थान है। वे जाते हैं तो दो दो हजार की भीड़ इकट्ठी होती है। उन्हीं पब्लिक के लोगों के लिए आज आप कहते है कि उन्होंने पत्थर फेंके जिससे कांच टूट गये। मैं जानना चाहता हुं कि उनके पत्थर फेंकने से आपको कितने का

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नुकसान हुआ ? सौ पचास का नुकसान हुआ क्या ? आपने जिन के सिर पर डंडे मारे, जिनके टांके आये, जिनके ग्रंवियम चोटें पहुंची उनका मूल्य कुछ भी नहीं है क्या ? जो माननीय उप मंत्री निष्पक्ष रहने का दावा करते हैं मैं उनसे मांग करता हूं कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करवाई जाय, ए० एस० पी० को बिना शर्त तुरन्त सस्पेन्ड किया जाय ।

आप इसे राजनीतिक षड़यन्त्र कहते हैं और आने वाले चुनावों की भूमिका कहते हैं । यदि आप इस तरह की दलील देते हैं तो आप कालूलाल जी श्रीमाली से कह दें कि वे वाइस-चान्सलर नहीं बने । आपके कामराज प्लान में जो नेता मंत्री पद से हटे हैं उनको तीन हजार रुपयों की तनख्वाह चाहिये वाइस-चान्सलर बन कर । आप कह दीजिये उनको कि वे इस्तीफा नहीं दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उप मंत्री जी प्रोवोक होते हैं । क्या ट्रेजरी बेन्चेज पर कोई सीनियर मिनिस्टर नहीं हैं जो हाउस को कॉन्फीडेन्स में लेकर आश्वासन दे सके कि उक्त ए० एस० पी० को सस्पेन्ड किया जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट सुना । हमें जो सूचना मिली वह आपके सामने रखी । उस पर आपने विचार किया, हम इतना ही इस वक्त निवेदन करना चाहते हैं । मेरा खयाल है, माननीय सदस्य हमसे सहमत होंगे. हम में से कोई भी यह यह नहीं चाहता कि कोई भी सरकारी नौकर किसी नागरिक-चाहे वह एडवोकेट हो चाहे कोई हो-के साथ किसी तरह की मार-पीट करे या किसी तरह की बेजा हरकत करे जिसमें माननीय सदस्यों को ही नहीं बल्कि नागरिकों को ठेस पहुंचे । इसलिए कॉन्स्टेबल और हैड-कॉन्स्टेबल को सस्पेन्ड कर दिया गया है और ए० एस० पी० के लिए डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा है-मैं चार दिनों के अन्दर इन्क्वायरी करके खत्म कर दूंगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं, मालूम पड़ता है सदस्यों को बहुत ज्यादा इसके अन्दर रोष है और स्वाभाविक भी है इसलिए इस विषय के अन्दर मैं इस वक्त कोई स्टेटमेंट देने की हैसियत में नहीं हो सकता, आप यह खुद समझ सकते हैं और इसकी वजह मैंने आपको बताई जो वायरलैस मैसेज हमें मिला वह खराब वेदर कन्डीशन के अन्दर सुना । दूसरी सूचना है, कलेक्टर ने रिकमन्ड किया है कि ए० एस० पी० को सस्पेन्ड किया जाय-ऐसा न मैसेज कलेक्टर का टेलोफोन पर आया है, न तार मिला है और न वायरलैस मैसेज । ऐसी सूरत के अंदर वायरलैस मैसेज आया, जो वेदर कन्डीशन की वजह से रुक गया । इसलिए इसकी जांच करके हम कल सुबह इसके बारे में फैक्ट पेश कर देंगे । इससे जल्दी नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष : जैसा मंत्री महोदय ने कहा, वह एक उचित बात हो सकती है। इस आशय की पूरी जानकारी, इस सम्बन्ध में और सरकार आगे क्या कार्यवाही करना चाहती है, कल सुबह तक दे दी जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह कोई एटीच्यूड हुआ, बहुत रीजनेबल !

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इतना झगड़ा न होता अगर पहले कह देते।

(९.५२ म० पू०)

सीमा पर पाकिस्तानी गतिविधियां विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन प्रस्ताव आये हैं।

माननीय सदस्य श्री विजयसिंह झाला, ने पाकिस्तान द्वारा जोधपुर जिले के आगे पाकिस्तानी सरहद के अंतर्गत कई प्रकार की तैयारी करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सदन में इस संबंध में काफी चर्चा हो चुकी है और जो आपकी सीमा है उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, यह भी बताया गया है इसलिए अब इस पर और ज्यादा चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तीन पोइन्ट्स हैं, यह पीर पगारो तस्करी और चोरियों के लिये प्रसिद्ध है। मेरे पास बालोतरा, बाडमेर से टेलीग्राम्स आये हैं जिन्हें मैं साथ में लेकर आया हूं। सीमा के जो ग्रामीण हैं उनमें इसको लेकर रोष ही नहीं है भय भी पैदा हो गया है। इसका सरकार स्पष्टीकरण नहीं करेगी तो वहां के सशंकित लोगों में भय बना रहेगा। मैं चाहूंगा कि इसके बारेमें सरकार कॉन्ट्राडिक्शन करे या स्पष्टीकरण दे ताकि सदन के द्वारा बाकी की जनता को स्थिति मालूम हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्थिति इतनी ज्यादा गम्भीर है कि पाकिस्तान की पुस्तकें हमारे हिन्दुस्तान के बोर्डर के गांवों में पढ़ाई जा रही हैं। यह सरकार के नालेज में होने के बाद भी सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। किसी फारिन कन्ट्री की बुक्स हमारे यहां की पाठशालाओं मे पढाई जायें इससे अधिक अफसोस की बात नहीं हो सकती और इससे पता लगता है कि बोर्डर सिचूएशन के बारे में राज्य सरकार कितनी उदासीन है। इसके काफी भयंकर परिणाम हो सकते हैं, इस लिए मैं समझता हूं, १९६२ के बाद भी सरकार न समझे तो यह उचित नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष ...

Page No. 50

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : पाकिस्तान की किताबें ही नहीं पढ़ाई जातीं, पाकिस्तान के नागरिक बोर्डर एरिया में बस रहे हैं-यह सबसे बड़ी बात है। हमारी कौन सुने, हम किसको कहें ? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के नागरिक वहां बस रहे हैं, इसमें झूंठ बात नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : किसको कहें, कौन सुनने वाला है-कितनी वेदना है !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और ऐसी स्थिति में गृहमंत्री दौरे पर रहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : उधर ही दौरे पर गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके तो अधिकार में कुछ नहीं है। आपकी बोली इतनी धीमी है कि ऐसी इस सदन में कभी सुनी नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा गला खराब है।

मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक पाकिस्तान की किताबों के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की है, वह सब किताबें जब्त कर ली गई हैं और अब कोई पाकिस्तान की किताबें मखतबों में नहीं पढ़ाई जातीं। इस लिये यह जो समाचार पहले था उसके बारे में मैं आपको तसल्ली दिलवाना चाहता हूं, कि ऐसी कोई बात नहीं।

जहां तक दूसरी बात है....

श्री भैरोंसिंह : यह बता दीजिये, जिनके पास से आपने किताबे जब्त की हैं उनके अगेन्स्ट एक्शन क्या लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : किताबें बच्चों के पास थीं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बच्चे क्या पाकिस्तान से लेकर आये थे ? बच्चे पाकिस्तान किताबें लेने के लिए गये थे ? या बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए और फिर हिन्दुस्तान में आये ?

श्री मथुरादास माथुर : थोड़ा सब्र रखिये, आपसे ज्यादा राष्ट्रीयता नहीं तो आपसे थोड़ी कम राष्ट्रीयता तो हम में भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप में भी है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास टाई है, सार्क स्किन का कोट है....

श्री मथुरादास माथुर : इससे सम्बन्ध नहीं। किसी पर भी हो, यह आपकी, हमारी और सदन की जिम्मेदारी है। यह मेरा नहीं बल्कि भारतवर्ष की राष्ट्रीयता का प्रश्न है, देश की इन्टीग्रिटी का सवाल है, यूनिटी को रखने का प्रश्न है। इसलिए माननीय सदस्यों को कहना हूं कि एक एक बात का पूरा

(श्री मथुरादास माथुर)

ख्याल रखते हुए हम उत्तर देते हैं और उसके लिए कदम उठाया गया है।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान नेशनल हमारे यहां पर बहुत ज्यादा तादादमें आकर बस गये हैं, यह बात कही जाती है। यह बात बहुत ज्यादा एग्जेगरेटेड है। यह बात सही है कि ६४२ मील के बोर्डर के ऊपर, जहां कोई रुकावट नहीं है, कोई नेचरल बेरिअर नहीं है, और पोस्ट्स का इन्तजाम करते हुए भी पांच पचास आदमी निकल जाते हैं, मवेशी निकल जाते हैं। उनकी रिश्तेदारी इधर है। यह बात ध्यान में है, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, कई लोगों को पकड़ते हैं, उनका चालान किया गया है, कुछ को सजा दी गई है, कुछ को वापिस भेज दिया है। यह सब कार्यवाही की गई है। जितना भी फिजिकली और रिसोंसेज के अनुसार सम्भव है, उसको इस्तेमाल में लाते हैं। हमने इसके बारे में भारत सरकार को लिखा है और मैं आपसे निवेदन करूं कि सदन में भी मैं कह चुका हूं, कि हमने लिखा था, इस एरिया को एक प्राटेक्टेड एरिया डिक्लेअर कर दिया जाय सी आर. पी. सी. के अन्तर्गत, तब हम हर एक को चैक कर सकेंगे और परमिट दे सकते हैं। यह सुझाव हमने छः महीने पहले भारत सरकार को भेज दिया, जिसका जिक्र मैं आपसे कर चुका हूं। इस सम्बंध में राज्य सरकार जागरुक है और कदम उठा रही है। आपके सहयोग से जो इत्तला मिले, सदन में इत्तला देते हैं या बाहर आपकी मर्जी है लेकिन उस पर हम निश्चित रूप से कदम उठायेंगे।

श्री भैरोंसिह : खास तौर से पीर पगारों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं आया। क्या यह सही है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूं इसके बारे में कि पाकिस्तान में जो बातें होती हैं, उनके बारे में सदन या यह मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देने की पोजीशन में नहीं है। वैसे यह समाचार आपने पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है। हम भी जागरूक हैं और आप भी हैं। हमने अपने आदमियों को एलर्ट कर दिया है कि इस तरह की चीज की जानकारी की जाये और कोई हरकत हो तो वक्त पर इलाज किया जाय। आयोरिटेटिवली पाकिस्तान में जो होता है उसका स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते।

श्री भैरोंसिह : पीर पगारों के लिए पूछा है, राजस्थान में बोर्डर पर रहने वाले प्रोपाक नागरिक पैसा इकट्ठा करते हैं पैसा इकट्ठा करके पीर पगारो को भेंट करते हैं और उस पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं। उसकी वहां ट्रेनिंग लेते हैं। क्या आपको जानकारी नहीं है कि वे यहां से पैसा ले जाते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह जानकारी है, कुछ हमारे यहां पर हिन्दुस्तान में रहने वाले लोग पीर पगारों के मुरीद हैं और वह उनका रिलीजिअस लीडर पहले से है, जब

(श्री मथुरादास माथुर)

हिन्दुस्तान का बटवारा नहीं हुआ था तब भी जब मौका आता था और कोई दिन मुकर्रर होता था तो उस दिन वे लोग भेंट करते थे। इस तरह के समाचार मिलते रहे हैं। हमने वहां के लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की है लेकिन जो परमिट लेकर जाते हैं वे वहां जाकर भेंट कर सकते है।

श्री भैरोंसिंह : वह कैसे कर सकते हैं? आपने कह दिया कि वह भेंट कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वह ऐसे कर सकते हैं कि यहां से परमिट लेकर पाकिस्तान जायं, और कानूनी रूप में जाकर वहां भेंट कर देते हैं तो कैसे रोकें।

श्री भैरोंसिंह : स्टे नहीं कर सकते?

श्री मथुरादास माथुर : अब जैसे अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, वहां लोग परमिट लेकर आते हैं और हजारों की तादाद में भेंट करके जाते है। यह सामाजिक और धार्मिक भावना की बात है। यह बात जरूर है। ऐसी बात नहीं, जैसी आप कहते हैं....

श्री विजयसिंह झाला : जो भेंट किया जाता है, अध्यक्ष महोदय, उसका उपयोग शस्त्र खरीदने और वितरण करने में किया जाता है। इसके बारे में स्पष्टीकरण किया जाय।

महंगाई समस्या एवं उदयपुर में जन आन्दोलन इत्यादि विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगत-प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री हरिराम चौहान ने दिया है, जिसका सम्बन्ध उदयपुर मे हो रहे सत्याग्रह से है और जिसके फलस्वरूप पुलिस ने ४ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। माननीय सदस्य का कहना है कि अनाज की महंगाई की समस्या ने अब अपना विकट रूप धारण कर लिया है-इसलिए इस पर विचार किया जाय। एग्रीकल्चर की मांग के सम्बन्ध में कई अवसर आये हैं इस पर बहस करने के और उसका सरकारी पक्ष से स्पष्टीकरण किया जा चुका है। इसलिए मुझे प्रस्ताव को स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(१०.०० म० पू०)

पी० यू० सी० कक्षा में उपस्थिति कम होने विषयक उत्पन्न स्थिति विषयक

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की इतला दी थी। लेकिन मैंने प्रस्ताव देरी से दिया इसलिये वह नहीं आ सका। मगर यह मामला बहुत अहमियत रखता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आज पी० यू० सी० का इम्तिहान तीन बजे शुरू होगा। जयपुर शहर में ३०० लड़के ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस एन० सी० सी० में पूरी नहीं हो पाई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि इस सम्बन्ध में कोई जल्दी ही निर्णय नहीं लिया गया और परीक्षा शुरू हो गई तो

(श्री हरिराम चौहान)

इन ३०० लड़कों का एक साल का प्रश्न है। एक साल इन लड़कों का यों ही चला जावेगा जब कि उनकी दूसरे सभी विषयों में एटेंडेंस पूरी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब सरकार इतना रुपया शिक्षा पर खर्च करती है तो सरकार का इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि इन लड़कों का एक साल बरबाद न हो। इसलिये शिक्षा मंत्री महोदय से इस संबंध में निवेदन करूंगा कि वे यूनिवर्सिटी ओथरेटीज से इस संबंध में बातचीत करके फोन से संपर्क स्थापित करके तीन बजे से पहले पहले इसका निर्णय करावें और उनको परीक्षा में बैठने के लिये इजाजत दिलाने के बारे में कुछ करेंगे तो संतोष हो जावेगा।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): यूनिवर्सिटी एक ओटोनोमस बोडी है। अभी हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात करेंगे। यदि एन० सी० सी० की एटेंडेंस में ही कमी है तो उनके विचार जान कर और उनको हम अपने विचार दे देंगे। आपकी भावनाओं की कदर करते हुए यह करेंगे।

जयपुर में अनाज की समस्या विषयक

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): On a Point of order, Sir, जयपुर में अनाज की समस्या को लेकर सत्याग्रह चल रहा है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैं यह समझता हूं कि इतना गंभीर प्रश्न था कि बहस होने से समस्या का हल नहीं होगा और सरकार को चाहिए इन समस्याओं को अ र नाज के भाव के बारे में समस्या है आज अनाज लोगों को नहीं मिलता है, इसी तरह की समस्या है उसको सरकार हल करे। दूसरा जब फिर लोग इकट्ठे होकर सरकार के सामने आवाज पहुंचाते हैं तो जो उनको बुनियादी अधिकार मिले हैं आन्दोलन करने के और सत्याग्रह करने के जनवादी अधिकार मिले हैं जब उनके द्वारा मांग करते हैं सरकार से तो सरकार उन लोगों पकड़ कर जेल में बन्द कर देती है। मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि जो गिरफ्तारियां की गई हैं वे गलत तरीके से की गई हैं और जो सत्याग्रह किया जा रहा था वह शान्ति के तरीके से किया जा रहा था और आपने यह कार्यवाही की है तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की कार्यवाही आपने किस दफा के तहत की है और इस तरह की गिरफ्तारियां करके यह जो मंहगाई का आन्दोलन है जिससे सारे राजस्थान की जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है, सारे राजस्थान की जनता तड़फ रही है और अपनी आवाज उठा रही है उसकी आवाज को आप कुचलना चाहते हैं? मगर मैं यह कहूंगा कि यह जो तरीका आपने अपनाया है वह उचित नहीं है और इससे गरीब लोगों के असंतोष को और बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार को यह चाहिये कि जो सत्याग्रह हो रहा है वहां के जिलेके लोग पूरी तरहसे परेशान हैं। मैं कहूंगा कि वह वहींकी समस्या नहीं है वह सारे जिले की समस्या है सारे राजस्थान की समस्या है। वहां पर लोगों को पांच-पांच मील से दो दो रुपयों का नाज लाना पड़ता है।

(श्री हरिराम चौहान)

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उन लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं, और आपने उनको पैसे देने का, जिस तरह से पंजाब सरकार ने कर्जा देने का एलान किया है, कोई इन्तजाम नहीं किया है। हमारे यहां न अनाज का समय पर वितरण का प्रबंध है न उचित दुकानें खोली गई हैं। यदि इसके बाद अगर कोई सत्याग्रह करते हैं तो आपकी पुलिस बंदूके लेकर उनका दमन करने के लिये चली जावे और जो जनतंत्र में अधिकार हमको मिले हैं उन पर हमला करे यह सरकार के लिए कतई शोभा की बात नहीं है। अगर कोई पब्लिक को इस तरह से दमन करेंगे तो आग उल्टी बढ़ेगी। आप जो उपदेश लोगों को देते हैं उनको भूखे लोग सुनने के लिये तैयार नहीं है और वे उनको सुनना नहीं चाहते। आप इस समस्या का हल करें।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): माननीय अध्यक्ष....

(१०.५ म० पू०)

सदन में शासकीय उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने विषयक व्यवस्था

श्री रामकिशन : मेरा भी एक कटौती का प्रस्ताव था।

एक माननीय सदस्य : इसका तो जवाब आने दीजिये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल जब स्वायत शासन मंत्री अपना जवाब पेश कर रहे थे उस समय जवाब के बीच में मैंने कुछ स्पष्टीकरण की मांग की थी उस समय दूसरे माननीय सदस्यों ने भी स्पष्टीकरण की मांग की थी। अध्यक्षीय आसन से यह कहा गया था कि भाषण खत्म होने के बाद स्पष्टीकरण का समय दिया जावेगा। इस सम्बन्धमें अध्यक्षीय आसनसे यह आश्वासन दिया गया था कि जो सदस्यगण शांति के साथ बैठे रहेंगे उनका जरूर ध्यान दिया जावेगा और मुझे खास तौर से पोइंट आउट करके विशेष तौर से कहा गया था कि स्पष्टीकरण के लिए जरूर समय दिया जावेगा। जब स्वायत शासन मंत्री ने अपना भाषण समाप्त किया उसके बाद मैंनेजो बयाना नगरपालिका के चेयरमैन के खिलाफ राजनैतिक षड़यन्त्र किया गया जनतंत्र पर कातिलाना हमला किया गया है और जनतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है, उसके लिये कोई स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया और फौरन ही वह मांग वोटिंग पर रख दी गई। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब मुझे अध्यक्षीय आसन से इस बात का विश्वास दिलाया गया था तो मैं शांत बैठा रहा। मैं समझता हूं कि यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, यह आसन का प्रश्न है। मेरे अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। इसके लिये मैं

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

चेयर का प्रोटेक्शन सीक करता हूं। अगर इस तरह की बात चलती रही तो हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं समझेंगे। उस वक्त में तमाम मुद्दे जो उठाये गये थे उनका स्पष्टीकरण नहीं किया और मैंने यह बात कल भी उस समय कही थी कि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये मगर अध्यक्षीय आसन के प्रति पूर्ण निष्ठा और सिर झुका कर अध्यक्षीय आदेश को मानते हुए मैं चुप चाप बैठा रहा। लेकिन मैं इस प्रकार से गलत बयान और भाषण हुआ उसके विरोध मे अपना विरोध प्रदर्शित करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर वे इसका स्पष्टीकरण देते तो सदन उस मांग को कभी भी पास नहीं करता। वह मांग गिर जाती और उस बेसिस पर गवर्नमेंट फैल हो जाती। मैं समझता हूं कि इस पर फिर से स्वायत्त शासन मंत्री स्पष्टीकरण करें। यह पंचायतें ऑटोनोमस बॉडी हैं उनका संरक्षण होना चाहिये। आप बगैर किसी को चार्जशीट दिये ही ऑर्डर फौरन भेज देते हैं और जनतन्त्र की हत्या करते हैं क्योंकि वहां पर समाजवादी चेयरमेन हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कल के बारेमें भाषण अब न करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरे अधिकारों पर जो कुठाराघात हुआ है इसके लिये मैं चाहता हूं कि हमें प्रोटेक्शन दें और फिर से मौका दें और फिर से सदन मे मंत्री महोदय खड़े हों और फिर से बहस के लिये उनसे कहा जाए। अध्यक्ष महोदय, इससे यह अर्थ नहीं लगाया जावे कि हम कोई सदन में टंटा या वाद पैदा करना चाहते हैं। आपने जो आदेश दिये थे उनके अनुसार मुझे कल अवसर नहीं दिया गया। और आपका जो भी आदेश इस सम्बन्ध में होगा उसको सिर झुका कर मानने को तैयार हूं। यह नहीं हो सकता कि इस सदन के होते हुए जनतन्त्र की हत्या होती रहे? अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि यह जनतन्त्र के सिद्धान्तों के खिलाफ है और मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कल की कार्यवाही को निरस्त करने के लिये जो प्रश्न उठाया है कि उसे निरस्त किया जावे, मैं समझता हूं कि उनकी इस आपत्ति को स्वीकार नही किया जा सकता। बहस का एक निश्चित क्रम होता है और समय समय पर माननीय सदस्य जब चाहते हैं तो सरकार से स्पष्टीकरण कराने की बात करते हैं। लेकिन जो बहस का क्रम है जो मैं समझता हूं, इसमें भी हुआ है। पहले माननीय सदस्य बोल लेते हैं और फिर सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जाता है और माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उनको संतोष नहीं हुआ और किसी बात का स्पष्टीकरण नही हुआ तो इस बात को मैं या कोई भी इस आसन पर हो, यह नही कह सकता कि हर एक बात का स्पष्टीकरण दिया जावे।

श्री रामकिशन (वैर) : इनको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मौके माननीय सदस्य को बहुत मिले और माननीय मंत्री ने उत्तर दिया और सारे माननीय सदस्यों की बात का उत्तर नहीं भी दिया गया है तो भी बहस के लिये यह नहीं हो सकता कि माननीय मन्त्री से यह कहा जाय कि उस बात का स्पष्टीकरण करें। इसके लिये हमारे दूसरे तरीके हैं जिनके द्वारा स्पष्टीकरण कराया जा सकता है जैसे प्रश्नों के द्वारा हो सकते हैं। आध घण्टे की बहस के द्वारा और भी तरीके हैं।

इसलिये जो बहस का कार्यक्रम है उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से फिर भी निवेदन करूंगा कि उसे ठीक तरह से चलने दें। मन्त्री महोदय उसका उत्तर दें, उस पर माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहें तो दो तीन बातों का स्पष्टीकरण हो सकता है पर सभी माननीय सदस्य खड़े हो कर कहें कि मेरी बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया तो यह ठीक नहीं रहेगा। मंत्री महोदय को हक है कि जिस तरह चाहें स्पष्टीकरण करें, उनके स्पष्टीकरण से माननीय सदस्यों को संतोष नहीं हो तो हमारे सामने नियमों में प्रावधान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कल की कार्यवाही को निरस्त करने का तो प्रश्न नहीं उठता। भविष्य के लिए भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण से वे संतुष्ट नहीं हों तो हमारे नियमों में और प्रावधान हैं, उनको काम में लें, तब तो बहस का कार्य चल सकता है। बहस के दौरान में ही माननीय सदस्य कहें कि हमारी बात का स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो इससे जो बहस का उत्तर माननीय सदस्य चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा और जिन माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर मिल रहा होगा वह भी नहीं मिल सकेगा।

इस निवेदन के साथ ही मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पहले माननीय सदस्य अपनी बातें रख लें, उसके बाद मन्त्री महोदय को अपनी बात रखने दें और मन्त्री महोदय द्वारा अपनी बात रखने के बाद में आवश्यक हो तो एक दो बात का स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और उनका जवाब मन्त्री महोदय की ओर से दिया जाय। उसके बाद भी यदि शंकाएं रहती हैं और जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं तो उनके लिए हमारे नियमों में अन्य प्रावधान हैं उनके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा स्पष्टीकरण सुनाही नही गया। आसन आदेशदे देता है कि बैठ जाओ तो सिर झुका कर बैठ जाता हूं, मेरे स्पष्टीकरण को नहीं सुना गया, झाला साहब का भी आश्वासन था आसन ने आदेश दिया कि शांत बैठे रहो, आपके आश्वासन का जवाब अन्त में दिया जायेगा, हम बिलकुल शांत हो कर बैठे रहे पर मन्त्री महोदय की ओर से कोई जवाब नही दिया गया। इस तरह अध्यक्ष के आसन से आदेश दिये जाने पर भी उत्तर नहीं दिया जाय तो फिर कोई विश्वास नहीं करेंगे अध्यक्ष के आसन से दिये हुए आदेश में। तो अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने यह एक धर्म संकट पैदा हो गया है, अध्यक्षीय आसन की प्रतिष्ठा को खतरा पैदा हो गया है। आपने आज्ञा दे दी आश्वासन झूठा है या सही है, इस बात का सवाल नहीं, सवाल आसन

Page No. 57

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

की प्रतिष्ठा का है किसी सदस्य को मेग्र-त्तिल कर दें, हमें गोली लगा दें पर अध्यक्षीय आसन से जो आदेश दिया गया है उसका तो पालन होना चाहिये, मुझे उठआ कर चाहे सदन मे बाहर फिकवा दीजिये, घर चला जाऊंगा पर यह आसन की प्रतिष्ठा का सवाल है.......

श्री अध्यक्ष : आसन की प्रतिष्ठा बचाने का सबसे प्रथम प्रयास तो यह है कि ऐसे मामले की सदन में कम चर्चा की जाय। जो महोदय आसन पर उस समय विराजमान थे उनसे आप बात कर लेते व उनको सारा दृष्टिकोण बताते। मैं तो स्थिति में नहीं हूं उस बारे में कुछ कह सकूं क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं। सामान्यतः कह रहा हूं, इस बारे में ही नहीं, जब कभी इस प्रकार की स्थिति आये तो माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से बात कर लें। मैं समझता हूं कि हमारे नियमों में प्रावधान है नियमों के अलावा कोई बात कभी हो जाती है तो माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से मिल कर सारा दृष्टिकोण रख सकते हैं और इससे माननीय सदस्यों को संतोष मिल सकता है।

श्री रामकिशन : मुकुटजी जैसे मर्यादा-शील शान्त व्यक्ति की बात को तो सुनना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मेरे अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है और आसन से स्पष्टीकरण करने का आदेश दे दें, बयाना में अत्याचार हुआ, जिसके लिये.......

श्री अध्यक्ष : आप तो सारी बातों को घुमा-फिराकर फिर बयाना पर आ गये।

(१०.१४ म.पू.)

किसी प्रश्न पर विज्ञापन की मांग सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पोइन्ट आफ आर्डर समझ लीजिये, कि कल पिछले ४५ मिनिट में जो कार्यवाही इस सदन में हुई आप स्वयं उसका मुलाहिजा करें। मैं रूल्स आफ प्रोसीजर के रूल २८६ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। २८६ में यह प्रावधान है कि जब अध्यक्ष के आसन की तरफ से यह प्रश्न हो कि 'हां पक्ष जीता' तो उसको फौरन चुनौती दी जाय और इस पर अध्यक्ष डिविजन बैल बजाये। आखिर में प्रोविजो है कि यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि यह डिविजन बेमतलब मांगा गया है, अन्नेसेसरिली क्लेम किया गया है तो अध्यक्ष माननीय सदस्यों को आदेश दे सकते हैं कि वे अपने अपने आसन पर खड़े हो जायं, यह आदेश दे सकते हैं कि लोबीज में नहीं जायं। मैंने कल इस सदन में डिविजन क्लेम किया और उसके बाद भी उपाध्यक्ष महोदय, जो उस समय इस आसन पर विराजमान थे, ने जो रूल २८६ के तहत जो कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह नहीं की और

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उसी वक्त, फैसला सुना दिया कि "हां पक्ष जीता।" न डिविजन बेल काल की और न हमको आदेश दिया कि हम अपने आसन पर खड़े हो जायं। इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कि यह हमारे नियमों के विरुद्ध हुआ है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो महानुभाव इस अध्यक्ष के आसन पर विराजमान हों, उनको आप भविष्य के लिये आदेश दें कि इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किनको ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय को और पैनल को। ४ का पैनल है, उनको आदेश दें कि इन नियमों का पालन होना चाहिये। हम इधर डिविजन क्लेम कर रहे हैं और उधर वे कह रहे हैं कि सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो डिविजन क्लेम किया गया उस पर आप विचार करें और कल या परसों इस पर व्यवस्था दें, व्यवस्था न भी दें पर उन्हें आदेश दें कि रूल्स का पूरी तरह पालन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय !

खाद्यान्न सम्बन्धी पुलिस द्वारा चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और मेरे पास इस तरह की सूचना है कि चार साथी गिरफ्तार किये गये हैं; प्रतापसिंह, बशीर, मोहम्मद और हरिकान्त शर्मा। यह मेरे पास कल की सूचना है, न मालूम और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तारियां की हैं, इसका सारा स्पष्टीकरण किया जाय, यह कोई तरीका नहीं है सरकार का कि कोई जवाब ही नहीं दे। लोगों को भूखों मारे और पता नहीं लगने दे कि लोग भूखों मर रहे हैं........

श्री अध्यक्ष : सारी बातें मन्त्री महोदय कह चुके हैं।

श्री हरिराम चौहान : कह चुके हैं, पर इसका कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : धान के बारे में कई दफा बहस हो चुकी है, सारी बातें सदन में आ चुकी हैं।

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बहस थोड़े ही हुई है कि पुलिस गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारियां कर रही है, बहस इस बात की हो चुकी कि सरकार सजग है, जागरूक है, पर क्या जागरूक है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री हरिराम चौहान : मेरी बात का जवाब आना चाहिये, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Order please. !

(१०.२० म० पू०)

अनुदान की मांगों पर मतदान मांग संख्या २० व १० सहकारिता एवं न्याय प्रशासन

श्री भीखाभाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च सन् १६६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६४,५६,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जो मांग संख्या रखी गई है उसका जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, सामान्य बजट, उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पहिले डाइरेक्टर पर खर्च करने के लिए,६,२५,०००) रुपये का प्रोवीजन रखा गया था उसके बाद जो २२ लाख खर्च करने का सवाल है पेज ४०२ पर उसके अन्दर जोड़ लगाया गया है ऊपर ६,२०,५५०) रुपए-यह बिल्कुल गलत हैं। इसकी जगह ६,५०,५५० होता है। जो आइटम्स इसमें जोड़े गये हैं और क्योंकि बाकी ३० हजार रुपये खर्च किया जायगा ओर ३० हजार इसमें जोड़ा जाता है तो ६,२०,५५० के बजाय ६,५०,५५०) होता है तो इसमें ३० हजार का घोटाला है। सरकार दूसरी जगह घोटाला कर सकती है पर यहां तो नहीं होना चाहिए इसकी जांच की जाय। इसके अलावा आखिर के अन्दर राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा वेयर हाऊसिंग बोर्ड के लिए १७,२०,०००) रुपये रखे गए हैं। उसके अन्दर १६६३-६४ में माइनस है और १६६२-६३ में माइनस है लेकिन १६६४-६५ में प्लस है और १७,२०,००० इसमें जोड़े जाते हैं तो सारी की सारी चीज का जब तक सुधार हो तब तक इस डिमांड को न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय जांच करेंगे और जवाब देते समय इसका भी स्पष्टीकरण करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह स्पष्ट है।

श्री भीखाभाई : मैं उस समय स्पष्टीकरण करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १६६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ५५,४७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मांग संख्या २० व १० पर निम्न-लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

मांग संख्या २०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : १, मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक की सहकारी समितियों में कर्जे की भारी बकाया को वसूल करने में असफलता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १०

२. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १००) रु० की कटौती की जाय (जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच पुर-स्थापित किये जाने के प्रश्न पर बहस करने हेतु) ।

३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन मे १००) रु० की कटौती की जाय (जयपुर जिले के लिये अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के औचित्य पर बहस करने हेतु ।

४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १००) रु० की कटौती की जाय (जयपुर सरकारी पैरोकारों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २०

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बान्दीकुई): ५ मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रुपये की कटौती की जाय (सरकार द्वारा सहकारिता सोसायटीज़ को रजिस्ट्रेशन करने की प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : ६. मांग संख्या २०,मुख्य शीर्षक ३४-सहकारितामें १) रु. की कटौती की जाय (पाली जिले में Cooperative Bank की हालत एवं विभाग की उसके प्रति अपनी पूर्ण जिम्मेदारी न निभाने पर बहस करने हेतु) ।

७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १) रुपये की कटौती की जाय (पाली जिले में Marketing Societies की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

८ मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में Farming Societies के formation एवम् उनके working एवम् विभाग की इसकी ओर जागरूकता न होने से उत्पन्न हालत पर बहस करने हेतु) ।

९. Demand No. XX, Major Head 34-Co-operation be reduced by rupee one (to discuss the failure of the department in working in a missionery spirit to achieve the objects of co-operation).

Page No. 61

मांग संख्या १०

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : १०. Demand No. XX Major Head 34 Co-operation be reduced by Re. one (to discuss the failure of Government to provide medium term and long term loans to Societies in Jalore District in the last two years) .

११. Demand No. XX Major Head 34 Co-operation be reduced by rupee one (to discuss the medium term and long term loans to Co-operative Societies in Jalore District).

१२. Demand No. XX, Major Head 34-Co-operation be reducd by rupee one (to discuss the apathy of Government towards Co-operative movement).

१३. Demand No. XX, Major Head 34-Co-operation be reduced by rupee one (to discuss the Training for managing committees and need for managers for Co-operative Societies).

मांग संख्या १०

१४. Demand No. X, Major Head 21–Administration of Justice be reduced by rupee one (to discuss the failure of Government to make available cheap and clean Administration of Justice to the people).

मांग संख्या २०

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : १५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता आन्दोलन को सरकार अपनी प्रणाली के कारण सफल न बना सकने पर बहस करने हेतु) ।

१६ मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी आन्दोलन को शोषक वर्ग से बचाने में सरकार की असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २०

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) : १७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (जिला चित्तौडगढ़ में सहकारी समितियों की बकाया मुदा रकम की वसूली के संबंध में बहस करने हेतु) ।

१८. मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समितियों के गबन पर बहस करने हेतु) ।

१९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (जिला चित्तौडगढ़ में सहकारी समितियों को मान्यता देने में पक्षपात करने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १०

२०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

की जाय (राजस्थान राज्य के सभी जिलों में न्याय पालिका को कार्य पालिका से पृथक करने में सरकार अपने संकल्प से विफल रही इस पर बहस करने हेतु)।

२१. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्याय सस्ता न मिलने पर बहस करने हेतु)।

२२. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशाशन में १००) रु० की कटौती की जाय (बेगूं डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी कायम नहीं होने से जनता में असन्तोष पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री केदानाथ (गंगानगर): २३. Demand No. XX, Major Head 34-Co-operation be reduced by Re one (to discuss the failure of the Co-operation movement to improve the Economic Condition of the rural masses).

24. Demand No. XX, Major Head 34-Co-operation be reduced by rupee one (to discuss the inadequate steps taken by the Government in implementing and encouraging the co-operative farming).

मांग संख्या १०

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): २५. Demand No. X, Major Head 21-Administration of justice be reduced by rupee one (to discuss that cheap and speedy justice is not available in Rajasthan).

मांग संख्या २०

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): २६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा कन्ज्यूमर्स सहकारी आंदोलन का विस्तार कर सकने में असमर्थ रही, इस पर बहस करने हेतु)।

२७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा कन्ज्यूमर्स सहकारी आन्दोलन के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा उनके शेयर्स खरीदने के लिये कोई प्रावधान न होने की स्थिति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

२८ मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन से १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार की कार्यपालिका को न्यायपालिका से सम्पूर्ण रूप से अलग करने की असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

Page No. 63

मांग संख्या २०

श्री भरतलाल (मलारना चौक) : २६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (जिला सवाई माधोपुर में पंचायत समिति बामनवास में सहकारी विभाग के कर्मचारियों की अनियमितताओं पर बहस करने हेतु ।

मांग संख्या १०

३०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१--न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (सवाई माधोपुर जिले में कोर्ट्स में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २०

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : ३१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिला में सहकारी समितियों को आवश्यक सहयोग एवं व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री भानुप्रसाद कराडिया (चौमू) : ३२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (रजिस्टर्ड कृषि सहकारी समितियों को विभाग द्वारा भूमि नहीं दिलाने पर बहस करने हेतु) ।

३३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन में भेदभाव पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १०

३४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्याय प्रशासन में रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं होने से समय पर न्याय नहीं मिलता, पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २०

श्री रामकिशन (वैर) : ३५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता के विकास में राज्य सरकार द्वारा बर्ती गई प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २०

श्री सागरमल (फुलेरा) : ३६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समितियों को समय पर लोन न देने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २०

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : ३७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी विभाग के अधिकारी समय पर हर कार्यवाही में असफल रहे सो सहकारिता के शीघ्रातिशीघ्र सफल न होने पर बहस करने हेतु) ।

३८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समितियों को अनुदान देने में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

३६ मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (कुशलगढ़ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का स्थान खाली रहने से स्थानीय लोगों को न्याय मिलने में काफी कठिनाइयों पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री गंगासिंह परिहार (हिंडोली) : ४०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारितामें १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता का ग्रामीण जनता को पूरा लाभ न मिलने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

४१. Demand No. X, Major Head 21-Administration of Justice be reduced by Re. 1/-(to discuss the reasons why the people of Rajasthan are not getting cheap justice).

मांग संख्या २०

श्रीमनफूलसिंह(सूरतगढ़): ४२. मांगसंख्या २० मुख्य शीर्षक ३४-सहकारितामें १)रुपयेकी कटौती की जाय (सहकारिता में जो कॉपरेटिव सोसायटी ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री देवेन्द्रकुमार (सहाड़ा) : ४३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रुपये की कटौती की जाय (रामपुर, गंगापुर में सहकारी समितियों को होने वाली असुविधा के प्रति विभागीय उदासीनता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री गोकुलप्रसाद (मांडल) : ४४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रुपये की कटौती की जाय (इस विभाग में होने वाली आपाधापी को बन्द किये जाने पर बहस करने हेतु)।

४५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रुपये की कटौती की जाय (विभाग में होने वाली फिजूल खर्ची को रोके जाने पर बहस करने हेतु)।

४६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (केन्द्रीय सहकारी बैंकों को विशेष दिए हुए कर्जे के लिए सीधा अनुदान नहीं दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

४७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (अन्य प्रकार के मद में अन्य सालों से खर्च ज्यादा रखा गया है इस पर बहस करने हेतु)

४८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (मार्केटिंग सोसाइटियों को अर्थ सहायता में कलील रकम रखी गई है इस पर बहस करने हेतु)।

४९. मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (खर्च के नवीन मदों में दी जाने वाली राशि को कम करने पर बहस करने हेतु)।

५०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (अन्य मदों में अन्य खर्चों में कमी कर न्याय पंचायतों को अनुदान दिया जाय, पर बहस करने हेतु)।

५१. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय। (विधि अधिकारियों के ऊपर होने वाले खर्च में कमी की जाय इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : ५२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (दौसा पंचायत समिति की कृषि सहकारी समिति को कर्जा व अनुदान देने में जो अनियमितता हुई है पर बहस करने हेतु)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : ५३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता की उदयपुर डिवीजन में उन्नति न होने पर बहस करने हेतु)।

५४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में सहकारी खेती असफल रही है इस पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ५५ मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समितियों को अनुदान राशि योजनाओं के अनुकूल नहीं होने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

५६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रसासन में १००) रु० की कटौती की जाय (न्याय पालिका तथा कार्य पालिका का जो पृथकीकरण हुआ है उससे उत्पन्न स्थिति पर विचार करने हेतु)।

५७. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रसासन में १००) रु० की कटौती की जाय (नाथद्वारा में सिविल सेशन जज की कोर्ट रखने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : ५८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (भूमि बंधक बैंक का फायदा पिड़ावा की जनता को न मिलने पर बहस करने हेतु)।

श्री जयलाल (डग) : ५६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि सहकारी समितियों द्वारा समय पर पैसा न लगाने पर बहस करने हेतु)।

कंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : ६०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (सहकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा बरती गई अव्यवस्था पर विभाग द्वारा संरक्षण देने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

६१. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १००) रु० की कटौती की जाये (समय पर व शीघ्र न्याय में विलम्ब होने से व्याप्त असन्तोष पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : ६२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (बहुधन्धी सहकारी समिति सनवाड़ में हुए भवन पर बहस करने हेतु)।

श्री बालचन्द्र डागा (किशनगढ़): ६३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालने हेतु)।

श्री मजलिसखां (कामां) : ६४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता के उद्देश्य की पूर्ति में बाधक कारणों तथा बरती जाने वाली अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ६५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समितियों से बरती जाने वाली अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

६६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (Separation of Judiciary) में बरती जाने वाली शिथिलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : ६७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर जिले के सहकारी ग्राम बैंक चाकसू के गबन व बकाया पर बहस करने हेतु)।

(श्री नाथूलाल करोल)

६८. मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर जिला में पंचायत समिति सांगानेर के वृहद् सहकारियों को पंचायत वाईज सहकारी समितियां बनाने पर बहस करने हेतु)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): ६९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३५-सहकारिता में १ रु० की कटौती की जाय (दी सैन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक, टोंक में विभाग द्वारा सदस्यों की नियुक्ति में जो अनियमितता बरती गई उस पर बहस करने हेतु)।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा):७०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १ रु० की कटौती की जाय (सहकारियों को समय पर रकम नहीं देने व सहकारी सदस्यों के साथ भेदभाव पर बहस करने हेतु)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): ७१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता प्रसार के साधन उपयुक्त नहीं किये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

७२. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (सस्ता न्याय दिलाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया): ७३ मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४५ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाये (सहकारी सोसाइटियों की बकाया रकम की वसूली में अनियमितता पर बहस करने हेतु)।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): ७४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी संस्थाओं से होने वाले भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

७५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन मे १) रु० की कटौती की जाय (न्यायालयों में नियुक्तियों में पक्षपात पर प्रकाश डालने हेतु)।

७६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्यायपालिका को कार्य पालिका से पृथक् करने पर प्रकाश डालने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): ७७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक-३४ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(सहकारिता विभाग द्वारा किये गये अनियमित कार्यों को वजह से अधिक खर्चे पर बहस करने हेतु) ।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा) : ७८. Demand No. XX, Major Head 34–Co-operation be reduced by rupee one (to discuss the bad conditions of the Co-operative Societies in Sirohi District).

श्री रावतराम (सादूलपुर) : ७६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (चूरू जिला भूमि बंधक बैंक की दशा सुधारने के सम्बन्ध पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १०

८०. मांग संख्या १० मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (राजगढ़ सब डिविजनल हैड क्वार्टर जिला चूरू में मुन्सिफ मेजिस्ट्रेट नियुक्त करने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २०

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): ८१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० कटौती की जाय (गंगानगर की कॉआॅपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज द्वारा किये गये भारी गबन एवम् इस दिशा में सरकार द्वारा की गई जांच की शिथिलताओं पर बहस करने हेतु) ।

८२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की (राजस्थान की सहकारी समितियों में जाय व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

८३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००)रु० की कटौती की जाय (सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : ८४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३५-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता में गबन सम्बन्धी मामलों पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १०

८५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्याय अधिकारियों की कार्य शिथिलता से समय पर न्याय न मिलने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २०

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : ८६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय सहकारी संस्थाओं को सहायता और अनुदान देने में विभाग के पक्षपात बरतने पर बहस करने हेतु।।

८७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं में गबन और भ्रष्टचार नहीं रोक सकने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

८८. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार ने जयपुर नगर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि रिक्त स्थानों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति समय पर नहीं की जाती, पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री चन्द्रसिंह बर्फा(बिलाड़ा):८६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिकता में १) रु० कटौती की जाय (सहकारिता द्वारा उपलब्ध ऋण एवं इसकी गति विधियों में पक्षपात पर बहस कर हेतु)।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु):६०. मांगसंख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारितामें १) रु० की कटौती की जाय (डूंगरपुर में सहकारी सोसाइटियों में वसूलियों में अनियमितता पर बहस करने हेतु।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़): ६१. मांगसंख्या २० मुख्यशीर्षक ३४-सहकारितामें १ रु० को कटौतीको जाय (सहकारी समितियों को खाद, बीज एवं अन्य सप्लाई की वस्तुओं केन मिलने पर बहस करने हेतु)।

६२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समितियों के ऑडिट न कराये जाने पर बहस करने हेतु)।

६३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समितियों के ऋण देने में पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

६४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समितियों के चुनावों में विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

६५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासन में ढिलाई पर बहस करने हेतु)।

(श्री चतुर्भुज शर्मा)

६६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्याय प्रशासन में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में विचार करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री मोहनराज (बाली) : ६७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (भूमिहीन काश्तकारों की संयुक्त कृषि सहकारी समितियों के निर्माण एवं उन्हें भूमि एलॉट करवाने में विभागीय शिथिलता पर बहस करने हेतु) ।

६८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाए (सहकारी समितियों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं की प्रभावशील व्यक्तियों में लाखों रुपये की बकाया राशि की वसूली समय पर न करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़ : ६६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समितियों में होने वाले धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में बहस करने हेतु) ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) :१०० . Demand No. XX, Major Head 34-Co-operation be reduced by rupee one (to discuss the failure of Government to reduce corruption rampant in the Co-operative Department).

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : १०१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (सहकारी विभाग द्वारा बरते जाने वाले पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : १०२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा सहकारी आन्दोलन को सही सिद्धान्तों के आधारों पर खड़ा करने में असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

१०३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा सहकारी आन्दोलन के प्रति उदासीनता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १०

१०४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर जिले में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

१०५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्याय प्रशासन को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २०

श्री हरदत्तसिंह (नाहर) : १०६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी संगठनों के निर्माण व संचालन में सरकार द्वारा अपनाई गई गलत प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

१०७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी संगठनों की निष्क्रियता व शिथिलता दूर करने में सरकारी असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : १०८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा जिले की सहकारी समितियों की बकाया वसूल करने के तरीकों पर प्रकाश डालने हेतु)।

१०६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समितियों को पंचायत समितियों द्वारा दिए गये बीज व खाद की रकम की वसूली पर बहस करने हेतु)।

११०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (खारोलिया खेड़ा सहकारी समिति बनेड़ा) में बकाया रकम खाद व बीज की है उस की वसूली में विभाग की असफलता पर बहस करने हेतु)।

१११. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता से १००) रु० की कटौती की जाय (खारोलिया खेड़ा सहकारी समिति के ओवर ड्यु की वसूली पर बहस करने हेतु)।

११२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता से १००) रु० की कटौती की जाय (बनेड़ा सेवा सहकारी समिति के ओवर ड्यु की वसूली पर बहस करने हेतु)।

११३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (रूपाहेली पं० समिति हुर्डा) की सहकारी पहली समितियों में ओवर ड्युकी रकम व दूसरी बकाया रकमों की वसूली पर बहस करने हेतु)।

११४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (लोडा महुवा सहकारी समिति (पं० समिति बनेड़ा) में कृषि विभाग भीलवाड़ा की खाद बीज की रकम वापस न करने पर बहस करने हेतु)।

११५. मांग संख्या २०, शीर्षक-३४ सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा) जिले में स्वरूप गंज की सहकारी समितियों में विभागीय बकाया की वसूली में विभागीय असफलता पर बहस करने हेतु)।

११६. मांग संख्या २०, शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा कोऑपरेटिव बैंक से बकाया रकम की वसूली पर बहस करने हेतु)।

Page No. 72

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

११७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३५-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा सैन्ट्रल कोग्रॉपरेटिव बैंक द्वारा सहकारी समितियों को ऋण न देने पर बहस करने हेतु)।

११८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (जनता सहकारी समिति भीलवाड़ा द्वारा दिए गए ऋण की वसूली पर बहस करने हेतु)।

११६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (हुर्डा जिला भीलवाड़ा) पंचायत समिति क्षेत्र बनाई गई ग्रखाद्य साबुन तेल सहकारी समिति की ग्रनियमिताग्रों पर बहस करने हेतु)।

१२०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में १००) रु० की कटौती की जाय (भूमि बंधक बैंक भीलवाड़ा के ग्रसंतोष-जनक कार्य पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

१२१. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकारी एडवोकेट की नियुक्तियों पर बहस करने हेतु)।

१२२. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (हाईकोर्ट की जयपुर बेंच बनाने पर बहस करने हेतु)।

१२३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्याय विभाग को कार्यपालिका से ग्रलग करवाने पर बहस करने हेतु)।

१२४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासनमें १)रु०की कटौतीकी जाय पंचायतव पंचायत समितियों तथा स्वायत्तशासन संस्थाग्रों के मुकदमों के लिए ग्रलग न्यायधीश की नियुक्ति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : १२५. मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (जिला बांसवाड़ा मे सहकारिता विभाग की ग्रोर मे जंगल सहकारी समितियां बनाने में ग्रसफल रहने पर बहस करने हेतु)।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'(ग्रकलेरा): १२६मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता का उचित लाभ न होने पर इस विभाग के प्रति जनता में व्याप्त ग्रसंतोष पर बहस करने हेतु)।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

मांग संख्या १०

१२७. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (जनता को सस्ता न्याय न मिलने से जनता में व्याप्त असंतोष पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : १२८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा लाखों रुपयों की वसूली में असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

१२६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि सहकारी समितियों को लाखों के अनुदान में गड़बड़ी पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

१३०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (बून्दी जिले में हजारों मुकदमों का न्याय वर्षों से नहीं मिलने व जनता को परेशान करने पर बहस करने हेतु)।

१३१. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय(राज्य सरकार के जनता को सस्ता न्याय देने में असमर्थ रहने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : १३२. मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

१३३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (कार्यपालिका व न्याय पालिका के पृथक् करवाने में देरी पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

१३४. श्री अमरसिंह (दूदू): मांग संख्या २०. मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि सहकारी समिति पालू तहसील दूदू की भूमि को स्थानीय कब्जे मे विभाग द्वारा छुड़वाने पर बहस करने हेतु)।

श्री नत्थीसिह (भरतपुर) : १३५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सरकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा सहकारी आन्दोलन को पूर्ण गैर सहकारी बनाने की असफलता के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)।

(श्री नत्थीसिंह)

१३६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी विभाग के कर्मचारियों को सम्बन्धित संस्थाओं को हस्तान्तरण न करने पर बहस करने हेतु)।

१३७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी संस्थाओं से राजनैतिक आधार पर सरकारी प्रतिनिधि मनोनीत किये जाने पर बहस करने हेतु)।

१३८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न किये जा सकने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

१३६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्यायपालिका व कार्यपालिका के समस्त राजस्थान में पृथकीकरण किये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २०

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): १४० मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी आन्दोलन की सफलता के कारणों पर बहस करने हेतु)।

१४१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता के प्रसार हेतु निर्धारित धन राशि का समुचित उपयोग न होने पर बहस करने हेतु)।

१४२. मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (जिला सहकारी संघों में काम करने वाले प्रशिक्षकों पर सार्वजनिक धन का अपव्यय किये जाने पर बहस करने हेतु।

१४३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १)रु. की कटौती की जाय (केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अवधि पर ऋणों की वसूली न होने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

१४४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारी समितियों में गबन के मामलों पर भी राज्य सरकार का समुचित ध्यान न दिए जाने पर बहस करने हेतु)।

१४५. मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (सहकारिता को राज्य सरकार द्वारा राजनीति का माध्यम बनाने से सहकारी आन्दोलन पर पड़ने वाले प्रभाव पर बहस करने हेतु)।

१४६ मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १)रु० की कटौती की जाय (राज्य की विभिन्न सहकारी योजनाएं

Page No. 75

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

अप्राकृतिक एवं अदूरदर्शी होने से राज्य की आर्थिक व्यवस्था में कमजोरी आने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

१४७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में १) रु० की कटौती की जाय (केन्द्रीय सहकारी बैंक टोंक में सहकारी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सदस्यों की नामजदगी में अनुचित हस्तक्षेपों से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १०

१४८. मांग संख्या १०. शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १)रु० की कटौती की जाय .(राजस्थान राज्य में न्यायपालिका को कार्य पालिका से सभी जिलों में अलग करने में राज्य सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु)।

१४६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १ रु० की कटौती की जाय (न्यायप्रशासन की पूर्ण पवित्रता बनाये रखने के लिए न्याय प्रशासकों की आर्थिक आवश्यकताओं को वेतन वृद्धि द्वारा पूरा किए जाने पर बहस करने हेतु)।

१५०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १)रु० की कटौती की जाय (न्यायाधीशों के संबंध में पारिवारिकभत्ता (अर्थात् धर्म-पत्नी एवं संतानों के अलाउन्स) की योजना लागू करने पर बहस करने हेतु)।

१५१. मांग संख्या १०. मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा न्याय शासन में हस्तक्षेप करने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

१५२ मांग संख्या १०. मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (भ्रष्टाचारी न्यायाधीशोंकी छंटनी करने में राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष ध्यान न दिए जाने पर बहस करने हेतु)।

१५३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में पुनः स्थापित न करने से जनता को सस्ता न्याय मिलने में असुविधा पर बहस करने हेतु)।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : १५४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १) रु० को कटौती की जाय (न्याय अदालतो में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

श्रीमान्धातासिंह (महुआ) : १५५. Deman no. X. Major Head 21-Administration of Justice be reduced by Re. 1/- (to discuss the interference by the Government in the Administration of Justice)

श्री केसरीसिंह (पाली) : १५६. Demand No. X. Major Head 21 Administration of Justice be reduced by Re. one (to discuss the failure of Government in providing to the people justice that is cheap and prompt.)'.

सुश्री उमामाथुर (रामगढ) : १५७. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१- न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्यायालयों में फैले भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

श्री सांवलियाराम (रूपवास) : १५८. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय। (गरीब जनता को सस्ता न्याय मिलने पर बहस करने हेतु)।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): १५६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (अदालतों में पूरी स्टेशनरी न होने के कारण न्याय के मिलने पर देरी, पर बहस करने हेतु)।

श्री श्रवणलाल (हण्डौन): १६०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्याय प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप पर बहस करने हेतु)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अभी इस समय माननीय विधि मन्त्री महोदय ने न्याय प्रशासन के संबंध में जो लगभग ५५ लाख रुपये की मांग प्रस्तुत की है उसके संबंध में मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव पेश किए हैं।

अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में और जिस प्रकार का भारत ने संसदीय प्रजातंत्र अपनाया है, उस व्यवस्था में ज्युडिशियरी का बहुत बड़ा महत्व है। संसदीय प्रजातंत्र में सत्तारूढ़ दल आम जनता पर किस प्रकार की कार्यवाहियां कर सकता है इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए संविधान बनाने वालों ने हमारे संविधान में ज्युडिशिरी के संबंध में बड़ी उच्च मान्यताएं रखीं और उन्हीं के अंतर्गत हमने संपूर्ण भारत में ज्युडिशियरी की जो व्यवस्थाएं की हैं, उनको सर्वोच्च स्थान देतेहैं, आज इस बातकी पैरवी करने की सदन में आवश्यकता नहीं। आज हमारे हिन्दुस्तान में और विशेषकर राजस्थान में जो कार्यपालिका और न्याय पालिका को अलग करने का प्रश्न खड़ा हुआ है, एग्जीक्यूटिव या ज्युडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, एग्जीक्यूटिव के अंडर से निकालकर राज्य सरकार की मातहती से निकालकर, हाईकोर्ट के अंदर रखने की नीति का सवाल है। वह नीति राज्य सरकार ने स्वीकार की है। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि आज तक भी राजस्थान में १६६१ के बाद मुझे याद है जिस समय उस जमाने के गृह मन्त्रीजी श्री रामकिशोर व्यास, ने सदन में इस बात का आश्वासन दिया था कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आगामी एक साल के भीतर भीतर राजस्थान के अन्दर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जायगा। लेकिन आज तक तीन साल होने को आये राजस्थान में जिस प्रकार का सेपरेशन होना चाहिये, बापना कमेटी की रिपोर्ट और एक्स होम मिनिस्टर के आश्वासनों के अनुसार, वह नही हुआ। इतना ही नहीं वर्तमान विधि मंत्री ने भी सदन को आश्वासन दिया कि राजस्थान के अन्दर पूर्णतया जल्दी से जल्दी इस न्याय-पालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जायगा। लेकिन एक तो संपूर्ण राजस्थान में यह चीज़ हुई नहीं और वहां पर व्यवस्था लागू है, वह एक प्रकार की मखौल है। आज केवल आई. पी. सी. के जितने आफेन्सेज हैं वे आपने ज्युडिशियल मैजिस्ट्रेटों को दिए हैं। लेकिन जो कानूनी धारायें हैं सी. आर. पी. सी. की, आया म्यूनिस्पल एक्टकी, आया पंचायत एक्ट की, आया हैबीचूअल आफेंडर्स का कोई केस हो, तो विभिन्न प्रकार के जितने कानून हैं और जो कानून संख्या में ज्यादा है और जिनके अन्तर्गत उठने वाले केसेज की संख्या ज्यादा है और उनमें बहुत विक्टी-माइजेशन होता है, उन सारे कानूनों के तहत चलने वाले जितने मुकदमें हैं वे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास चलते हैं। यदि सरकार का मन्शा है कि राजस्थान के अन्दर ज्युडि-शियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो तो मैं विधि मन्त्री से निवेदन करूंगा कि सारी व्यवस्था को संपूर्ण-राजस्थान में लागू करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के जो अन्य कानून हैं उन कानूनों के तहत चलने वाले मुकदमों के सुनने का अधिकार जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स को होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को नहीं। इस संबंध में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है इस प्रश्न पर सरकार को ज्यादा परसूएड करनेकी आवश्यकता नहीं है सवाल इम्प्लीमेन्टेशन करने का है। मुझे उम्मीद है कि विधि मन्त्री महोदय इस संबंध में आव-श्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करेंगे।

दूसरा प्रस्ताव जो मैंने रखा है वह है कि राज्य सरकार के द्वारा जो सरकारी वकील नियुक्त किए जाते हैं आया हाईकोर्ट में, आया डिस्ट्रीक्ट कार्ट्स में आया नीचे की अदालतों में हों, उस सम्बन्ध में जो सरकार की नीति रही है वह अत्यंत पक्षपातपूर्ण रही है। उस नीति के परिणामस्वरूप जिस प्रकार की सारी अपोइन्टमेंट्स होनी चाहिए जिस प्रकार उनको प्रोसीजर को फोलो करना चाहिए, जिस आधार पर लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, वह सिलेक्शन उस प्रकार से न होने के कारण आज यह स्थिति है कि राज्य सरकार को अधिकांश केसेज लूज करने पड़ते हैं। राज्य सरकार के खिलाफ सिविल केसेज जितने भी चलते हैं उन सिविल केसेज में राज्य सरकार को हार खानी पड़ती है। आपको इस सदन में आना पड़ता है अपनी डिमांड लेकर कि हमारे ऊपर उसकी डिक्री हो गई और इतना देना है। नतीजा यह होता है कि हर साल बजट के अन्दर बीसियों डिक्रियों के मामले आते हैं। मैं यह नहीं कहता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि सरकार पर दावा नहीं चल सकता, या सरकार दावों में हारती क्यों है, कोई न कोई तो हारता ही है लेकिन फिर भी सरकार के खिलाफ किए हुए केसेज का परसेंटेज निकालेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनमें अधिकांश में डिक्री होती है लेकिन सरकार के खिलाफ दावा खारिज नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सरकार को जो धारा ८० सी. पी. सी के तहत नोटिस दिया जाता है तो सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता। यदि सरकार नोटिसों का जवाब देना शुरू करे और सही तरीके से कार्यवाही करे तो हालत बदल सकती है। लॉ डिपार्टमेंट में एग्जामिन कराए और मियाद के भीतर कार्यवाही कर दे और काम्प्रोमाइज करना हो तो काम्प्रोमाइज करे और कान्टेस्ट करना हो तो कान्टेस्ट करे। जिन मुकदमों में सेक्शन ८० सी. पी. सी. में नोटिस दिया जाता है और सरकार की तरफ से कोई भी तैयार किया जाता है, उसके बाद मैं यह नहीं कहता कि वायर पुलिंग होता है प्रेशर आता है। लेकिन नतीजा यह होता है कि सेक्शन ८ सी. पी. सी. के नोटिस का जवाब तक नहीं गया। दावा होने के बाद सरकार कहती है कि हम इसमें काम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। फिर रिपोर्ट आती है कि मुकदमा कमजोर है, सरकार को समझौता कर लेना चाहिए, फिर आप काम्प्रोमाइज करते हैं, फिर भी कास्ट तो लगता है। तो अच्छा है कि नोटिस मिलने के बाद केस को एग्जामिन कराएं और बाद में सरकार का विधि विभाग यदि इस नतीजे पर पहुंचे कि मुकदमा कमजोर है तो सरकार पार्टी से कारस्पोन्डेन्स करे, आप समझौता वार्ता चला सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं। राज्य सरकार को इस विभाग में एक स्पेशल ऑफिसर केवल इस काम के लिए मुकर्रर करना चाहिए जो सारे सेक्शन ८० सी. पी. सी. के नोटिसेज को एग्जामिन करे और सरकार को सिफारिश करे कि किस प्रकार से प्राशासनिक अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं और अमुक पक्ष को पैसा देना वाजिब है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस तरह से विधि विभाग ने काम किया तो निश्चित रूप से दावों की संख्या आधी रह जायगी। और बाकी जितने मुकदमें रहेंगे उनमें वायर पुलिंग नहीं हो सकेगा, पक्षपात नहीं हो सकेगा। विधि विभाग द्वारा एक बार यह ओपिनियन हो जाय कि इस केस को कन्टेस्ट करना है, मैं विधि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बीच में फिर कम्प्रोमाइज करने की स्थिति पैदा न करें किसी प्रकार कम्प्रोमाइज न करें। जो कम्प्रोमाइज करने के प्रेशर आते हैं उनको आप मत आने दीजिये। जब एक बार विधि विभाग ने लिख दिया और यह तय कर लिया गया कि इस केस को कन्टेस्ट करना है तो फिर किसी सूरत में कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, बार एसोशियेशन से जिस प्रकार से कन्सलटेशन्स होने चाहिये नहीं किये जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहना चाहूंगा लेकिन इस मामले को लेकर बार एसोशियेशन में एक गम्भीर असंतोष है, वकील समुदाय में एक गंभीर असंतोष है और इसलिए है कि अमुक व्यक्ति जायगा इसलिए कि अमुक मंत्री बदल गये, अमुक व्यक्ति आयेगा इसलिए कि अमुक मंत्री आगया, अमुक आदमी रहेगा इसलिए कि अमुक आदमी है और अमुक चला गया क्योंकि उसकी पैरवी करने वाला कोई नही रहा। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा और नाम भी नहीं बताना चाहूंगा। बार एसोशियेशन से इसके लिए दरख्वास्त मंगवा लें और डिस्ट्रिक्ट जज से रिकमन्डेशन मंगा ले।

जहां तक सरकारी वकीलों की नियुक्तियों का सवाल है सरकारी मुकदमों की पैरवी के लिए उनकी छानबीन करके बेस्ट से बेस्ट आदमी की नियुक्ति की जानी चाहिये जो कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। बार कौंसिल में, डिस्ट्रिक्ट जजों में और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हाई कोर्ट तक से राय लेने के बाद उनकी रिकमन्डेशन के आधार पर, उनकी सिफारिश के आधार पर हो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसके लिए एक सलेक्शन बोर्ड बन जाय इसमें हाइकोर्ट के जज को अध्यक्ष बना दीजिये। हाईकोर्ट का जज, बार कौंसिल से एक मेम्बर, कन्सर्निंग जज और एक लॉ डिपार्टमेन्ट से कोई उस सलेक्शन बोर्ड में इन्टरव्यू लेने के लिए बैठ जांय और उसके बाद सरकारी एडवोकेट अपोइन्ट होने चाहिये। इससे पक्षपात दूर हो जायगा। ज्यादा इफिशियेन्ट, ज्यादा योग्य और क्वालिफाइड आदमी सरकारी मुकदमों की पैरवी के लिए सरकार नियुक्त कर सकेगी इससे आज जो व्याप्त असंतोष है वह दूर हो जायगा। मुकदमों में सरकार को यश भी मिल सकेगा।

इस सिलसिले में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कुछ परिस्थितियां होती हैं। सदन में एक बार चर्चा आयी थी। भीलवाड़ा के कोई वकील साहब हैं: मैं यह सारा केस बता देता हूं। भीलवाड़ा के अन्दर कोई वकील साहब हैं। वे प्राइवेट पार्टी के वकील थे। उस पार्टी का सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा था उसमें, अध्यक्ष महोदय, उन वकील साहब ने, सरकार को बाद में बिल बना कर भेजा कि उन्होंने सरकार की तरफ से पैरवी की है, सरकार ने वह बिल पास कर दिया और रुपयों का पेमेन्ट भी कर दिया। शिकायत हुई कि ये सरकार के वकील नहीं हो सकते क्योंकि उसी केस में ये मुद्दई के वकील थे। उस केस में सरकार मुद्दायला थी। एक वकील मुद्दई और मुद्दायला दोनों का वकील नहीं हो सकता। जो वकील मुद्दई की तरफ से वकील है वह मुद्दायले की तरफ से वकील नहीं हो सकता, जो व्यक्ति (वकील) मुद्दायले की तरफ से वकील है वह मुद्दई की तरफ से वकील नहीं हो सकता। एक ही केस में एक ही वकील मुद्दई और मुद्दायले की तरफ से मुकदमा नहीं लड़ सकता। लेकिन धन्य है हमारी राजस्थान सरकार को और हमारे विधि विभाग को भी कि एक आदमी इस प्रकार मुद्दई और मुद्दायला दोनों का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वकील बन कर उसको धोखा देकर पैसा ले जाय। इसमें बार एसोशियेशन की ओर से भी कहा गया कि एक ही केस में मुद्दई के वकील को मुद्दायले से पैसा नहीं लेना चाहिये और नहीं ले सकता।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : मुझे उन वकील साहब का नाम बता दीजिये जो एक केस में मुद्दई की ओर से पैरवी कर रहे थे और मुद्दायला की ओर से भी पैरवी का पैसा ले लिया और राज्य सरकार ने उसका पेमेन्ट कर दिया हो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चूंकि, अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी चाहते हैं, मैं उनको पूरी जानकारी करा देता हूं। यह एक केस है हारूमल मन्नालाल सिंधी भीलवाड़ा बर्सेज चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान। मु० नं० ३६८।५४। यह सिविल कोर्ट भीलवाड़ा में चल रहा था और इस केस में श्रीमान् दलपतसिंह जी चौधरी मुद्दई के वकील थे और मुद्दई के वे वकील होने के बाद उसकी ओर से वे उस केस में पैरवी करते हैं और अदालत में बहुत दिनों तक पैरवी करते रहे और आखिर में जाकर उन्होंने राजस्थान सरकार को बिल बना कर भेजा कि मैंने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी की है, चूंकि उस केस में वे मुद्दई की तरफ से वकील थे और पैरवी करते रहे और उसी केस में जब राजस्थान सरकार मुद्दायला थी, तो वे कहते हैं कि मैंने मुद्दायला की तरफ से पैरवी की है और चूंकि उस केस में मुद्दायला राजस्थान सरकार थी, उन्होंने राजस्थान सरकार को बिल बना कर भेज दिया कि राजस्थान सरकार उनको पेमेन्ट करे। राजस्थान सरकार की ओर से उनको पेमेन्ट होता है। जहां तक पेमेन्ट का सवाल है अब इस सम्बन्ध में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं विधि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसकी तसल्ली करलें कि एक वकील मुद्दई और मुद्दायला की किस प्रकार पैरवी कर सकता है ? उन्होंने मुद्दई की ओर से अदालत मे पैरवी की और मुद्दायला से यह कह कर पैसा ले लिया कि मैंने मुद्दायला की पैरवी अदालत में की है। जहां तक पेमेन्ट का सवाल है उनको पेमेन्ट सरकार की ओर से हो चुका है। जब उनको पेमेन्ट हो गया तो इस विषय में झगड़ा हुआ। चन्द्रसिंहजी ने कहा कि पैरवी तो उन्होंने की है दलपतसिंह जी ने नहीं की। नतीजा यह हुआ कि दोनों ने आपस में पैसा आधा आधा बांटा। जब लॉ डिपार्टमेंट के पास यह मामला पहुंचा और चन्द्रसिंह जी ने कहा कि पैरवी तो मैंने की है, लॉ डिपार्टमेन्ट ने कहा कि दलपतसिंह जी पैसा ले गये। आधा पैसा बांट लिया जाय। बंदर बांट हो गई।

यह है। वे मुद्दई के वकील थे। एडवोकेट जनरल ने लेटर लिखा है :

"Civil Suit No. 368 of 1954-Shri Harumal son of Munnalal Sindhi resident of Bhilwara Versus

Page No. 81

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

the Chief Secretary to the Government of Rajasthan and others in the Court of Civil Judge. Bhilwara."

This letter is addressed to Shri Dalpat Singh Chowdhary.

मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चहता।

Another letter is addressed to Shri Subhas Deo Dangi Advocate, Bhilwara. Its No. is 5631/AG/63 dated 9.11.63. It is from the Advocate General, Rajasthan:

"Please refer to your letter dated 21st Oct. 1963 Your attention is drawn to Sec. 35 of the Advocates Act,1961. Should you think that Shri Dalpat Singh Chaudhary Advocate is guilty of professional or other misconduct you may make a complaint to the Rajasthan State Bar Council at Jodhpur.

In the aforesaid letter, you have mentioned that Shri Chaudhary appeared in the court on behalf of the plaintiff on certain dates and also made an application for the plaintiff. Further, you have mentioned that he also appeared for the State of Rajasthan and later on claimed fee from the Government for arguing the case on behalf of the defendant State. The copies of orders furnished by you to me do not clearly plaintiff It show the presence of Shri Chaudhary on behalf of the may be possible that his presence may be recorded on the ordersheets. It would be desirable that you may furnish me true copies of such orders contained in the Order-sheets or elsewhere wherein the presence of Shri Chaudhary on behalf of the plaintiff is recorded so also the copy of any document which may show his appearnace on behalf of the Defendant State.

Sd. G. C Kasliwal
Advocate General."

यह लिखा गया। यह लिखने के बाद उन्होंने सर्टिफाइड कॉपीज़ भेज दीं। जो मेरे पास मौजूद हैं। फर्द अहकाम है अदालत का। फिर क्या कहते हैं एडवोकेट जनरल साहब। कब लिखा? ७ फरवरी, १६६४। दलपतसिंहजी चौधरी को नोटिस दिया। सारी शिकायतों पर संतोष होने के बाद नोटिस दिया।

(१०.३५ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया (बनेड़ा) : यह पोलिटिक्स यहां यों आती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then there is a letter dated 7th Feb, 1964 addressed to Shri Dalpat Singh Chaowdhary, Bhilwara.

It reads as follows :

"WHEREAS Shri Subhas Deo Dangi, Advocate, Bhilwara has made a complaint against you that you had been appearing as a counsel for the plaintiff on a number of hearings in the under mentioned case, as shown by copies of order sheets furnished to the undersigned by the said Shri Subhas Deo Dangi, Advocate;

Civil Suit No. 368 of 1954—Shri Harumal son of Munnalal Sindhi resident of Bhilwara Versus the Chief Secretary to the Government of Rajasthan and others in the Court of Civil Judge, Bhilwara.

AND WHEREAS FROM the copy of order sheet dated 19.5.56 similarly furnished to the undersigned, it appears that you appeared on behalf of the State.

You are hereby requested to show cause within three weeks of the receipt of this notice why a complaint be not made against you to the disciplinary committee of the Bar Council of Rajasthan for taking such action as may be deemed fit.

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया : आज भी पी. पी बने हुए हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आप कहेंगे कि ओर्डर शीट बताइये जिसमें यह लिखा हो। कोर्ट के ओर्डर शीट की नकल मेरे पास है। मैं इतनी ही बात बताता हूं जितनी कि रिलेवेन्ट है।

"मुद्दई के वकील श्री दलपतसिंह जी व मुद्दायल नं. १ व ३ की ओर से श्री चन्द्रसिंह जी व मुद्दायला नं. २ की तरफ से के० एल० भण्डारी हाजिर हैं।

यह ओर्डर शीट है जो मैंने पढ़ कर सुनाया।

दूसरा ओर्डर शीट है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"मुद्दई के वकील श्री दलपतसिंह व मुद्दायला के वकील भंडारी व श्री भोजराज रेलवे की ओर से उपस्थित प्रतिवादी नं. २ ने जवाब दावा पेश किया।"

तीसरा है: "वकील मुद्दायला नं. १ के श्री चन्द्रसिंह मुद्दायला नं. २ की तरफ से श्री भोजराज उपस्थित।" वकील मुद्दई श्री दलपतसिंह हैं।"

इस तरह से एडवोकेट जनरल के लिखने पर नोटिस देने पर पब्लिक प्रोसीक्यूटर बन कर पैसे वसूल कर सकते हैं; क्या यह प्रोफेशन का मिस कन्डक्ट नहीं है? आपका लॉ डिपार्टमेन्ट इसके बारे में क्या सोता रहा?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: ये दलपतसिंह वे ही हैं जिनके बारे में मैंने कहा था कि इनके और उपमन्त्री, राजस्व के आपस में साझा है। इसी वजह से इनका नोमीनेशन पेपर खारिज हुआ है। उन्हीं दलपतसिंह जी को लेकर के इन सुभाष देव डांगी की पीटाई हुई। यही इस राजनीतिक षड़यन्त्र का रूप है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो इस बात को ओब्जेक्टिवली रख रहा हूं। एडवोकेट जनरल का लेटर, अदालत के कागजात जो मेरे पास ट्रू कोपी के रूप में हैं अगर आप चाहें तो वे मैं सदन की मेज पर रख सकता हूं। इस बात से यह साबित होता है कि दलपतसिंह चौधरी मुद्दई के वकील भी थे और बाद में सरकार की तरफ से पैरवी करते रहे थे। पी० पी० होने के बाद उन्होंने सरकार की तरफ से पैरवी की और इसके लिए सरकार से पैसा भी लिया। विधि मंत्री महोदय आपने भी वकालात की है क्या मुद्दई का वकील रहते हुए मुद्दायले का वकील रह सकता है? क्या यह प्रोफेशन के मिस कन्डक्ट का मामला नहीं है? ऐसे व्यक्ति क्या पी० पी० की जगह नियुक्त करने के काबिल हैं? ऐसे एक नहीं और भी उदाहरण मिल सकते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है जिससे मैं उन सब में जाऊं। सवाल इस बात का है कि यह जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है उस सम्बन्ध में विचार किया जाय कि आपके यहां पी० पी० के किस प्रकार अपोइन्टमेन्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट के मामलों में भी आप जांच करवाइये। मुझे स्वयम् को इस बात की जानकारी है कि हाईकोर्ट में जब सरकार की आवाज पड़ती है तो सरकार की तरफ से वकील आते नहीं लेकिन उनकी हाजरी दर्ज हो जाती है बिना हाजिर हुए ही हाजरी दर्ज हो जाती है। ऐसी हालत में आप किस बात के लिये ५५ लाख रुपये की मांग करते हैं? आप इससे हमारी सरकार के इन्टरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं कर रहे हैं। यहां पर भी आपने एक ऐसे वकील को नियुक्त किया है जो आपकी दस लाख की जमीन का मामला है उसकी पैरवी ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगी, वह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जमीन सरकार की जा रही है तहसीलदार को मोअत्तिल कर दिया होगा लेकिन सरकार की पैरवी ऐसे व्यक्ति से करवाई जा रही है जो सिविल और लेबर के मामले में होशियार हो सकते हैं लेकिन जिसने जिन्दगी में तीन केसेज भी रेवेन्यू के नहीं किये उनको गवर्नमेंट ने रखा है। क्लब का दोस्ताना यहां नहीं चल सकता लेकिन आखिर जहां गवर्नमेंट के इन्टरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का सवाल है वह उनसे नहीं हो सकेगा। क्लब की फ्रेन्डशिप के आधार पर सरकार वकील मुकर्रर करती रहेगी तो उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान का भगवान ही मालिक है। जैसा कि वित्त मन्त्री ने कहा भगवान रूष्ट हो गए क्यों नहीं होंगे जब कि आपके कुकर्म ही इस प्रकार के हैं।

पी० एस० आई० के बारे में पी० पी० के बारे में मैंने निवेदन किया। आज हम देखते हैं कि सरकार की ओर से जितने भी मामले अदालतों में चलाये जाते हैं उनमें ६० प्रतिशत फेल क्यों होते हैं। इसका एक कारण है वह यह कि आपके पी० एस० आई० लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं, पी० एस० आई को आप अच्छी तरह तनख्वाह नहीं देते। एक तरफ जहां ३५ साल के अनुभवी वकील चिरन्जी लाल अग्रवाल और राधाकिशन रस्तौगी जैसे वकील पैरवी करें और दूसरी तरफ आपका मामूली पी० एस० आई पैरवी करे जो मैट्रिकुलेट होता है तो वह कहां टिक सकता है। कहां तो राजाभोज कहां गंगूतेली। अगर सरकार चाहती है कि उनके मुकदमें सफल हों तो उनको चाहिए कि जितनी भी पी० एस० आई की पोस्ट्स हैं उन जगहों पर लॉ ग्रेजुएट को रखा जाय और अच्छी तनख्वाह देकर रखा जाय। तनख्वाह तो आप १२५) रु० देते हैं और चाहते हैं कि लॉ ग्रेजुएट आये तो कहां से आ सकते हैं? मैंने इस ओर विधि मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया। मैं आशा करता हूं कि आपके प्रोसीक्यूशन का जो सारा ढांचा है वह गलत है उसको आप सुधारें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं। पी० पी०, पी० एस० आई और पब्लिक इन तीन बातों को लेकर मैंने ये कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। अब मैं थोड़ा प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। आपने हाई कोर्ट के जजेज के लिए ६२ साल की आयु बतायी है। उनकी उम्र ६२ साल की हो सकती है। क्या सर्विसेज में जो आज डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस के हायर जुडिशियल सर्विस के हैं, उनके लिए आपने उम्र की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं की है। जब आप इन सर्विस वालो के लिए इस उम्र की व्यवस्था नहीं करते तो ये किस प्रकार हाई कोर्ट के जजेज में आ सकेंगे अतः इन लोगों के लिये भी आयु की अवधि ६२ साल तक की होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, साठ साल तक तो ये राजस्थान जुडिशियल सर्विस में रहते हैं, तो उनको एक प्रकार से विशेष अनुभव हो जाता है और ज्यादा अनुभव के आधार पर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है अनुभव ज्यादा होता है उसी आधार पर हाईकोर्ट के जजेज होते हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस तरह से इनके लिये आयु की सीमा ६२ साल की होनी चाहिये ताकि लास्ट पीरियड में ६० साल का होने के बाद भी इनको हाईकोर्ट के जज के लिये लिया जा सकता है। इसमें लोजिक है और रिजनिंग है कि ६० वें साल में, ६१ वें साल में भी हाईकोर्ट में उनको जाने का मौका मिल सकता है इसलिये इनके लिये भी यह आवश्यक है इस दृष्टि से सरकार को विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में जहां मैंने पी० पी०, पी० एस० आई०, और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स इन तीनों की बातें रखी, अब मैं पब्लिक की बात सदन में रखना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर जो विधि मंत्री हैं आज उनकी राजस्थान के अन्दर एक दूसरी हैसियत है। वे जहां सारे राजस्थान के विधि मंत्री है तो उनको सारे राजस्थान के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने हैं। वे पहले सम्पूर्ण राजस्थान के गृह मंत्री रहे। गृह मंत्री के समय में जो कुछ उन्होंने अच्छे काम किये उसके लिये राजस्थान के अन्दर और राजस्थान के बाहर भी जनता ने उनके कार्यों की बहुत प्रशंसा की है। राज्य विधान सभा में भी इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सभी ने आपके इन कार्यों की प्रशंसा की है। आपने सब के दिलों में स्थान बना लिया है। आपने अच्छे काम किये उनकी तारीफ सभी तरफ से हुई। आपने सदन में बैठकर अपने आपको स्वभाव से इमोशनल और सेन्टीमेन्टल भी बताया है इस दृष्टि से राजस्थान और हिन्दुस्तान की इमोशनल इन्टीग्रेशन की आप बातें भी करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तानका इमोशनल इन्टीग्रेशन आप कर नहीं सकते। राजस्थानके इमोशनल इन्टीग्रेशनके बारेमें आप कदमउठावें यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। इससे इतिहास में आपका नाम होगा। आज मौका आया है विधि मंत्री के इस इमोशनल इन्टीग्रेशन का। आपके हाथ में गृह विभाग था उस समय आपने इतना काम किया कि मुख्य मंत्री महोदय की कुर्सी हिलने का उनको अन्देशा होने लगा। आपने गृह विभाग में कार्य करके विधान सभा के सभी सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर लिया। मुख्य मन्त्री को लगा कि उनकी कुर्सी हिल रही है, दस साल से जो बराबर इस कुर्सी से चिपके हुए आ रहे हैं उनको लगा कि इनके कार्य से कहीं मेरी कुर्सी ये न छीन लें तो उन्होंने खुद ने गृह विभाग अपने हाथ में ले लिया। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं आप हमारे राजस्थान के इमोशनल इन्टीग्रेशन में मदद कीजिये। क्षेत्रीय भावनाओं को समाप्त कीजिये इसकी शुरूआत आप ही कीजिये। आज छः साल के बाद भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, बेन्चेज के तोड़ने की हिन्दुस्तान की सरकार ने मांग मन्जूर नहीं की। संविधान की व्यवस्था के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऐसी कोई घटना नहीं जो इनमें न होती हो। सारे ऐब इनमें आकर विराजमान हो गये हैं।

मैं खाद्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आखिर राजस्थान क्रय विक्रय संघ को आपने गुड़ लाने का परमिट दिया, वह गुड़ क्यों नहीं राजस्थान में आया, मौके पर क्यों नहीं आया, आया तो सस्ता क्यों नहीं लाया गया, और राजस्थान क्यों नहीं बांटा गया, समय पर क्यों नहीं बांटा गया ? इन सारी बातों के अन्दरूनी विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता पर यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता गुड़-चीनी की दृष्टि से आपकी जो नीति रीति रही है उससे व्यापक पैमाने पर त्रस्त है। शहरों को लीजिए, गांवों को लीजिये सारे सदस्यों ने सरकारकी कड़ी आलोचना इस परकी है। राजस्थान की सरकार इतनी निकम्मी है कि गुड़-चीनी जैसी एक मामूली समस्या को हल नहीं कर सकी।

मैं निवेदन करूंगा कि यह भयंकर सवाल बन जायेगा। कोऑपरेटिव के बारे में मैंने पिछली बार भी सदन में कई बातें रक्खी थीं। आप राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जांच करिये। आपने इसके चालीस लाख के शेयर ले लिए और ८॥ करोड़ की गारन्टी दे दी। आज उसके हिसाब आप देखें तो आपको पता चलेगा कि १ करोड़ दो लाख रुपया करीब ओवरड्यू है। आप उसकी रिकवरी की व्यवस्था नहीं करते, आपको इसकी चिन्ता नहीं। कोऑपरेटिव बैंकों में गबन और घोटाले चलते हैं। पाली में एक बैंक में दो दो चैयरमेन हैं और दो दो डाइरेक्टर बने बैठे हैं। १८ लाख का आपका उसमें बकाया है। सरकार भले ही बर्दाश्त कर ले यह सब कुछ। पर जिस धन का अपव्यय हो रहा है, जो बरबाद हो रहा है, जिसका दुरुपयोग, गबन और घोटाला हो रहा है राजस्थान की जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं आप से अपील करूंगा कि सारे सहकारी विभाग की जांच करिये और इस सम्बन्ध में सहकारी समितियों और बैंकों में होने वाले घोटालों और गबनों के सम्बन्ध में एक हाई पावर जांच कमेटी बिठाइये जो पूरी पूरी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट सदन में दे। राजस्थान में आज सहकारी आन्दोलन की प्रगति अवरुद्ध हो गई है। यह क्यों हो रही है ? एक कुम्भारामजी चौधरी भी इसमें बैठे हैं, इसके बावजूद वे भी यह कहते हैं कि सहकारिता की प्रगति नहीं हुई, पूनमचन्द विश्नोई, आपके (श्री रघुनाथ विश्नोई) काका हैं वे भी कहते हैं सहकारिता की प्रगति अवरुद्ध हो रही है, यह पिछड़ रहा है, जितनी प्रगति इसकी होनी चाहिए वह नहीं हुई। पर मैं कहता हूं उनका नजरिया दूसरा है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope names will be avoided.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज तो यह आन्दोलन फेल हो रहा है राजस्थान में। इस आन्दोलन में ऐसे स्वार्थी तत्व घुस गये हैं कि जो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सारे आन्दोलन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप हाई पावर कमीशन जांच करनेके लिये बिठावें जो फाइनेन्सियल दृष्टिसे इर्रेगुलेरिटीजजो अकाउन्ट्सकी हैं उनको देखे, सारे अकाउट्न्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अनुसार राजस्थान की जनता आपसे आशा करती है कि राजस्थान की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले आपको इस पर विचार करना चाहिये। इस बारे में जो आज तक राजनैतिक दृष्टिकोण रहा है उसको छोड़ दीजिये। मैं आपसे राजस्थान के उज्वल भविष्य के लिये अपील करता हूं कि आपको भावकात्मक एकीकरण करना है। आज भी जो क्षेत्रीय भावना पनप रही है आगे ज्यादा न पनप पाये इसके लिये 'देर आयद दुरुस्त आयद' इसको समाप्त करने की ओर कदम उठाना चाहिये, साहस और हिम्मत के साथ कदम उठाना चाहिये। १६५८ में किसी कारण वश जोधपुर में वह बेन्च चली गई हो लेकिन आज समय की मांग है कि आप पुनः जयपुर में हाई कोर्ट की बेन्च की स्थापना करें। अजमेर में भी करें और दूसरे स्थानों पर भी आवश्यकता हो तो वहां पर भी करें। आज जमाना बदल रहा है, युग बदल रहा है आपको भी इसी आधार पर विचार करना चाहिये। छः साल में तो नये चुनाव हो जाते हैं। जो डिसक्वालिफाइड आदमी हों, अदालत द्वारा कनविक्टेड भी हों तो छः साल के बाद वह फिर चुनाव लड़ सकता है। आज आपके सामने यह सवाल फिर से है। आप इस पर पुनः विचार करें, गंभीरता से विचार करें। आप जोधपुर के ही नेता नहीं हैं, सारे राजस्थान के नेता हैं। यदि आप केवल जोधपुर के ही होते तो सुखाड़िया जी का इतना डर नहीं लगता। जोधपुर के जो नाथूराम जी मिर्धा हैं उनको तो आपने बगल में दबा लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपकी सद्भाव । की अपील करता हुआ निवेदन करूंगा कि जयपुर में बेन्च स्थापित करने के बारे में आप विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : Is it in regard to co-operation ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री : Justice and Co-operation are being taken tagether and both the demands have been moved. Members can speak on both the demands.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोआॅपरेटिव के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना ही कहना है कि राजस्थान के अन्दर गुड़ और चीनी का संकट हुआ है उसके बारे में सरकार विचार करे।

जयपुर का केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार चार्ज लगाता है कि सरकार कोआॅपरेट नहीं करती। सरकार यह कहती है पैसा नही देता, माल कैसे दें ? दोनों में लड़ाई छिड़ी है। उद्देश्य तो इस मूवमेन्ट का था कि सहकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिले पर ऐसा लगता है इस कोआॅपरेटिव के आधार पर ये सोसायटियां नहीं हैं। एक प्रकार से करप्टेड भ्रष्ट लोगों का समूह इन सोसाइटियों के रूप में बन रहा है। ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन रहे हैं। हिसाब की गड़बड़ियां, गबन, घोटाले, मिसएप्रोप्रियेशन, एम्बेजलमेन्ट आदि की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इनके ग्राडिट कराए, रकम के मिस एप्रोप्रियेशन और उसके एम्बेजलमेन्ट ग्रादि की जांच करे और फिर अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे जिससे इसकी बुराइयां दूर होकर स्वस्थ रूप से यह ग्रान्दोलन आगे बढ़ सके।

इन्ही शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव न्याय, प्रशासन और सहकारिता के सम्बन्ध में जो हैं उनको रखते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : (बांदी कुई) उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज जो सहकारिता की व न्याय की मांगें प्रस्तुत की गई हैं उस पर अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान की ग्रार्थिक प्रगति और ग्रार्थिक विकास के लिये विभिन्न रूपों में सहकारिता की नीति कों अपना कर उस पर पूर्ण विश्वास करके इस ग्रान्दोलन को चलाया है। पर इस सम्बन्ध में ६१-६२ और ६२-६३ की इस ग्रान्दोलन की जो रिपोर्ट सरकार ने हमारे सामने प्रस्तुत की है और जो ग्रांकड़े रक्खे हैं उनको ऊपर ऊपर से देखने से तो ऐसा लगता है कि वास्तव में राजस्थान में इस विभाग ने बड़ी प्रगति की है, पर इसकी दूसरी तस्वीर भी जब हम देखते हैं और इसका वास्तविक रूप देखते हैं तो बिलकुल विपरीत स्थिति इसकी पाते हैं।

ग्राज सरकार ने इन्डस्ट्रीज में, व्यापार में, सिविल सप्लाइज में, खेती में सब जगह कोग्रॉपरेटिव सोसाटियों को प्रोत्साहन देने की नीति बना ली है। पर ग्राज व्यापार में जो जिस ढंग से पहले काम होता था वह तो समाप्त होता जा रहा है और दूसरी तरफ सहकारिता में यह देखते हैं कि दस ग्रादमी हैं उनकी सरकारमें पहुँच हैं तो वे अपनी सं[illegible]टी मिलकर रजिस्ट्रर करवा लेते हैं। उसमें ग्रपने घर के ग्रादमी रख देते है या अपने मिलने वाले को रख लेते हैं दो चार को, यहां तक कि नाबालिगों तक को शेयर होल्डर बना कर सरकार से ग्राठ गुना रुपया लेने के लिए या ग्रार्थिक सहायता लेने के लिए सरकार का संरक्षण लेकर सरकार के ही पैसे पर हमला बोल देते हैं। व्यापार जो पुराने तरीके से चलता था वह ठप्प होता जा रहा है। ये नये पहले ही हमला बोलने की नीयत से ग्राते है। तो यह हालत ग्राज है।

इसके लिये मैं कहूंगा कि जिस तरह से ग्रापने पंचायती राज की जांच के लिये कमेटी बनाई, उसी तरह से इन सहकारी समितियों का वास्तविक रूप राजस्थान में क्या है, उनकी कार्य प्रणालियां क्या हैं, इसकी जांच के लिये भी कमेटी ग्राप बिठाएं। खाली ग्रांकड़े देने से और यह कहने से कि चार हजार बन गई हैं सन्तोष नही हो सकता। यह सही तरीका भी नहीं है।

इनके संचालन के लिये बनाये गये बैंकों में सरकार का रुपया लगा है वह रुपया ग्राज खतरे में है, ग्राज उनकी दयनीय स्थिति है बैंकों की। ग्राज जिस तरह से लोग चुनावों में

Page No. 89

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

हथकंडे अपना कर इन बैंकों को हथियाने की कोशिश करते हैं वह अजीब रूप है उनका। सरकार इस ओर से सतर्क रहे। बहुत से राजनैतिक नेता कार्यकर्ता जिला परिषद् के भी मेम्बर हो सकते हैं, बाकी के मेम्बर दूसरी समितियों में सदस्य हो सकते हैं तो उनके लिये सबके लिये रास्ता खुल गया है और अब वे छोटी मोटी सोसाइटियां रजिस्टर करा कर उन ऊंचे ओहदों पर पहुंच जाते हैं। मैं बतलाऊं कि देवली कोआॅपरेटिव बैंक जो टौंक में है उसके सदस्य कोआॅपरेटिव सोसाइटी के रिप्रेजेन्टेटिव बन कर एक सदस्य रामदयाल नाम के बैंक में गये।

वस्तुस्थिति यह है कि वे जिस दिन रिप्रेजेन्टेटिव बन कर आये उस दिन वह किसी सोसाइटी के सदस्य नहीं थे, उनके नाम के ऊपर कोई शेयर नहीं थे और फिर भी उसके रिप्रेजेन्टेटिव बन गये। उनके लिए कोई रेगुलेशन्स नहीं थे। वह बैंक के अन्दर एक अधिकारी ही नहीं बने बल्कि उसके वाइस प्रेसीडेन्ट, वाइस चेयरमैन तक बन गये और उसी तरह से उस ओहदे का दुरुपयोग करके बैंक में अपना आधिपत्य जमाये हुए हैं और जिला परिषद के भी मेम्बर बनते चले जा रहे हैं। उनके खिलाफ शिकायतें हुईं उनके लिए बताया गया कि वह व्यक्ति जो कभी सदस्य नहीं था, जो गलत रूप से बैंक में रिप्रेजेन्टेटिव बन कर आया है और वह अपने आदमियों को रुपया दे रहा है उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। वह आदमी आज भी काम करता चला आ रहा है। यह आपके बैंकों की हालत है।

(११.०० म० पू०)

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका अलवर की तरफ भी ध्यान दिलाऊं। वहां भी जिस रूप से राजनैतिक लीडर्स बैंक के अध्यक्ष बने और वहां चुनावों का एक षड़यंत्र दिखाई दिया। आपके जयपुर में अलवर के बड़े बड़े बैंक हैं उनमें आपके राजनैतिक आदमी और बड़े-बड़े नेता किस तरह से बैक डोर से आते हैं और किस तरह से आधिपत्य रखते हैं और बैंको से जहां सहकारिता के नाम से राहत मिलनी चाहिये थी वह उसका दुरुपयोग करते हैं और वह केवल राजनैतिक षड़यन्त्र के रूप में कार्य करते हैं। वह इस तरह से चुनावों में आते हैं जब कि उनका कोई रूप नहीं है। इसी तरह से जब चुनाव होते हैं तो लोग चुन कर उसमें आते हैं उसमें अधिकांश लोग इस तरह के राजनैतिक आदमी आकर और अपने रेगुलेशन्स बना कर किसी छोटी मोटी सोसाइटी के रिप्रेजेन्टेटिव बन कर उसको हथियाने के ऊपर लगे हुए हैं और आज सारे राजस्थान की यही हालत है कि बैंकों के अन्दर इस तरह राजनैतिक आदमी गलत तरीके से आकर करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति पर आधिपत्य जमा लेते हैं और आज बैंकों की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से बैंकों में हजारों केसेज़ घोटाले के हुए हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई न होकर वह अपने स्थान पर लगे हुए हैं। जिस चीज की आप इतनी सराहना करते हैं, जिस सहकारी नीति के लिए आप आर्थिक विकास का एक खम्भा मानते हैं उसका एक वास्तविक रूप यह है।

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको दूसरी मिसाल भी दूंगा। निवाई मार्केटिंग सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं और जो वहां की कार्यकारिणी के मेम्बर्स हैं–विभाग का यह नियम है कि उसके रिश्तेदार, लड़के, या भाई आप उसमें नौकर नहीं हो सकते। लेकिन वहां पर इन अध्यक्ष के और कार्यकारिणी के सदस्य के खास भाई सगे भाई नौकर हैं और वह दो दो सौ रुपये लेकर अध्यक्ष भी वही; कार्यकारिणी के भी वही और नौकर भी उनके भाई हैं। इस तरह से उन्होंने आधिपत्य जमा लिया। यही नहीं उनकी क्वालीफिकेशन क्या है। वह मेट्रीकुलेट और नॉन-मेट्रीकुलेट हैं और वह वहां नौकर केवल इसलिये कि वह अध्यक्ष के भाई हैं। इस तरह की सोसाइटीज़ से क्या न्याय मिल सकता है? क्या जनता को राहत मिल सकती है? यह दो तीन दृष्टान्त ही यह बता सकते हैं कि आपके कार्यों का क्या हाल है।

इसी तरह से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस सहकारी समिति के जरिये से व्यापार गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में लिया है और जिस तरह एक बहुत बड़ा वर्ग राजस्थान का निःसहाय हो गया है उसी तरह से व्यापारी वर्ग भी निःसहाय हो गया है। व्यापारी लोग खत्म हो गये हैं। उनकी हालत देखिये कि मार्केटिंग सोसाइटीज आपके पास हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनकी कैपीटल वैल्यू इतनी नहीं है कि वह सामान ला सकें। कोटे के लिए रुपये नहीं होते। वह शक्कर और गुड़ नहीं ला सकते परमिट की। आप की नीति है इसीलिए उनको दिया जाता है। इसका रूप हम गांवों के अन्दर और जिलों के अन्दर रोज़ देखते हैं। वह समय पर कोटा नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास रुपया नहीं है, क्योंकि वह व्यवस्था नहीं कर सकते, तीन तीन महीने का गुड़ जो जयपुर जिले में सर्दी में वितरण होना चाहिए था वह नहीं हुआ। केवल इसलिए नहीं हुआ कि यहां की जो कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वह समय पर गुड़ नहीं लायीं और न लाने के लिए उनके पास रुपया था। यही आपके यहां की चीनी की हालत है, यही अनाज की हालत है। आपने तो नियम बना दिये। एक तरफ तो व्यापारी लोग खत्म हो गये और एक तरफ आपकी पालिसी के अनुसार व्यापारी लोग चीजें ला नहीं सकते। हम सब देखते हैं कि कोटा आता भी है तो वह किस तरह से वितरण होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो मेरी पार्टी का समय है....

श्री उपाध्यक्ष : आपको पार्टी के समय के अनुसार ही कह रहा हूं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : समय के अभाव में मैं उनके वास्तविक रूप में और आगे नहीं जाना चाहूंगा। इस तरह से एक मिसाल मैं चाकसू की भी दूंगा। चाकसू सहकारी बैंक के अन्दर कई गबन के केसेज रखे

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

गये जिनकी संख्या ४० के करीब होगी उनमें से ६ ग्रादमियों के बौंड भरवा लिये गये। उनकी कोई जांच नहीं है ग्रौर इन्क्वायरी कमेटी उसके लिए बैठाकर जांच होनी चाहिए कि वहां बैंक का कितना दुरुपयोग हो रहा है।

इसी के साथ में एक मिसाल ग्रौर दूंगा कि एक विश्वकर्मा सोसाइटी जाटों वालों के ग्रन्दर १६ हजार का गबन है ग्रौर उसमें सारे ग्रॉफिसर्स ने बताया कि इसको लिक्विडेट कर दिया जाये लेकिन ग्रापके एक डाइरेक्टर साहबने उसके लिए नीचेसे ऊपर तकके जितने इन्क्वायरी कमेटी के हैं उन्होंने गबन माना है ग्रौर वह कागज कई वर्षों से पड़े है, उस सोसाइटी को लिक्विडेट नहीं करते। वहां जिन्होंने गबन किया है उन्होंने पैसों का दुरुपयोग किया है ग्रौर ग्रब भी उसका दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। इसी तरह से बगवाड़ा कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी के ४० गबन के केसेज़ ग्राये लेकिन वह ग्रभी तक काम कर रही है, उसके लिए कोई एक्शन ग्राज तक नहीं लिया गया। इस तरह की हालत ग्रापकी कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी ग्रौर बैंक की है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह साफ ग्रर्ज करूंगा कि जिस नीति की ग्राप सराहना करवाना चाहते हैं ग्रौर जिस सहकारी नीति के द्वारा ग्राप तरक्की करना चाहते हैं वह तरक्की नहीं होगी। मैं यह भी बताऊंगा कि जो ग्रापकी कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग की नीति है जिसका एज़ ए पार्टी हम विरोध करते हैं ग्रौर उसका विरोध किया है ग्रौर जनता के सामने इसके दोनों पक्ष ग्राये हैं ग्रौर इस जिले में खुले रूप से जनता ने बताया है कि काश्तकार लोग सहकारी फार्मिंग के विरोधी हैं। यह ग्रापके सामने ग्राया है। मैं सही रूप यह बताऊं कि ग्राप इन्क्वायरी करेंगे तो देखेंगे कि २० सदस्यों की ग्रापने एक फार्मिंग सोसाइटी बना कर जमीन ग्रलॉट की है। मौके पर जाकर देखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या वह सहकारी तरीके से काश्त कर रहे हैं? वे ग्रभी तक भी २० सदस्य ग्रपने २० टुकड़ों में ग्रलग ग्रलग खेती करते चले जा रहे हैं। चाहे सब की गिरदावरी सब की एक में ही हो लेकिन सब ग्रलग ग्रलग खेती करते हैं। यह ग्रापकी कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग की शक्ल है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह जो ग्रापने मांग रखी है जो ग्रापका वास्तविक रूप है वह बिल्कुल फेल हो चुका है। ग्राज उसमें जनता की कोई ग्रास्था नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ ५ मिनट में विधि के ऊपर दो बातें ग्रर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे एतराज नहीं है। लेकिन ग्रापकी पार्टी के लिए १२ मिनट थे। तो दूसरों का समय जायेगा, यदि ग्राप बोलते रहे तो।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : Pount of order, sir, क्योंकि वैसे ही सुबह १।। घण्टा आज व्यर्थ हो गया था। इसी अनुपात से पार्टी का टाइम कटना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो स्वतः कट जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वैसे व्यवस्था तो होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था तो जो अध्यक्ष महोदय ने दे दी वही रहेगी। अब उसमें से जिसको समय मिल गया, मिल गया और नहीं मिला तो नहीं मिला।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : वह तो मैं अपने पार्टी के टाइम में से ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : I will curtail from every party.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : तो मुझे विधि और न्याय के मुताल्लिक भी दो बात करनी है। यद्यपि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके ऊपर काफी प्रकाश डाला है। लेकिन फिर भी दो बात इसके विषय में मैं भी कहना चाहता हूं कि आज इस विभाग में, विधि विभाग में न्याय विभाग में वकीलों को एपोइन्ट करने का एक आम तरीका है वह इतना दूषित है कि आज उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : But rest assured, hon. Member, if any other Member of your party will insist on time, I shall be constrained not to allow him.

श्री मथुरेशबिहार माथुर : Yes Sir, we shall abide by it.

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले पूछ लें।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : ... कि इसकी कोई नीति नहीं है कि किस तरह से वकीलों को मुकर्रर किया जाय। आज आपके सामने एक दृष्टान्त मैं रखूं कि रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर सरकार की ओर से ८००) रु० और ७००) रु० के दो वकील मौजूद है। रेवेन्यू बोर्ड के जो वकील हैं वह रेवेन्यू बोर्ड में नहीं काम करके कोटा और दूसरे जिलों के अन्दर जाते हैं और वहां का फर्स्ट क्लास का टी० ए० और डी० ए० का सैकडों रुपया अपने फण्ड से अलग लेते हैं और रेवेन्यू बोर्ड के जो वकील होते हैं वे कोटा से और उदयपुर से या दूसरे जिलों से रेवेन्यू बोर्ड में जाकर पेशी करते हैं। आपको मैं मिशाल के तौर पर अर्ज करूं कि बाफना साहब एक उदयपुर के वकील हैं वे पेशी कराने के लिए रेवेन्यू बोर्ड में जाते है केसेज के लिए हांलांकि वे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के वकील है। उनको इसलिए ८३ केसेज एन्ट्रस्ट रेवेन्यू बोर्ड के कर रखे हैं। आप जब १६००) रुपये दो वकीलों को देते हैं उनके लिए पैरवी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में देते हैं और रेवेन्यू बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट लेवल के वकील पैरवी करने जाते हैं। और इस

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

तरह से बहुत अच्छा साधन टी० ए०, डी० ए० लेने का कर रखा है। यह आपके वकील एपोइन्ट करने का हाल है। आपका कोई आधार नहीं है। दो वर्षों से पेनल नहीं निकला है। वह कभी रिवाइज़ नही होता है। एक ही आदमी लगा हुआ है पेनल में चाहे कितने ही आदमी हों उनको बड़े से बड़े केसेज़ २५.००० के और १० लाख के कसेज़ होते हैं उनको एन्ट्रस्ट किये जाते हैं। वह सरकारी केसेज़ में उस जरिये से एक आमदनी करने के लिए बहुत बड़ा तरीका हो गया है। वह फेवरेटिज्म के लिए एक बहुत बड़ा बालबाला पैदा कर रखा है।

इसके साथ साथ में यह भी अर्ज़ करूंगा कि आपने हमारे यहां एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को सेपरेट करने के लिए गत वर्ष अनाउन्समेंट किया एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट मुकर्रर हुए। उस वक्त यह बतलाया गया कि एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का सिलेक्शन होगा। वहां आर० जे० एस० के मजिस्ट्रेट काम कर रहे थे। उन्हीं को पावर्स देदिए एडिशलल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के। वे लोग बराबर काम करते चले आ रहे हैं। उनको साल भर तक का अर्सा हो गया लेकिन जुडिशियरी में उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। यह नहीं कहा जा सकता कि वे अयोग्य थे, जुडीशियरी के लायक नहीं थे। तो सेपेरेशन करने का फायदा क्या हुआ? मुन्सिफ के पास में केस वर्क सिविल रखा जाय और क्रिमिनल वर्क एडिशनल मुन्सिफ के पास रखा जाय जो कि आर० जे० एस० के नौकर थे जो जुडीशियरी के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं अगर उनका सिलेक्शन नहीं किया जाता है तो। तो आपका यह ढकोसला जो कि सेपेरेशन ऑफ जुडीशियरी का था वह कहां तक पूरा हुआ? एक साल तक उनका सिलेक्शन नहीं कर सके और वे ही आर० जे० एस० के आदमी अभी तक काम करते चले आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और उन एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स को जो आर० जे० एस० के वहां पर बराबर काम करते चले आ रहे हैं उनको जुडिशियरी में सिलेक्ट करके उनको यह बतलायेंगे कि जुडीशियरी का जो स्टेटस है उस पर वह आते हैं उनको क्रिमिनल का वर्क कॉन्टीन्यू रखा जाना चाहिये। उस वक्त जल्दी मे चाहे उन्होंने पॉवर्स दे दिये हों, लेकिन अब स्थिति यह आगई है कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके बाद रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। रिफार्म्स कमेटी ने सिफारिश की है कि रेवेन्यू बोर्ड के लिए तो आप उस रिफार्म्स कमेटी को अभी तक मन्जूर नहीं कर रहे हैं। आपके पास कमेटियों की रिपोर्ट आ जाती है और उसके अन्दर उसके साथ-साथ जनता की ओर से भी मांग आती है, लेकिन आप किसी भी कारण से उसको मन्जूर नहीं करते हैं। जिस तरह से कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने हाईकोर्ट की बेन्च के लिए आपको विश्वास दिलाया कि उसके बारे में जनता और बार बराबर आवाज उठाते चले आ रहे

Page No. 94

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

हैं कि दूसरी जगह भी न्याय को सुलभ करने के लिये राजस्थान की ज्योग्राफिकल पोजीशन को देखते हुए एक बैन्च बना दीजिये। इसके लिये मांग की जा रही है। दूसरे प्रोविन्सेज़ में एक-एक प्रोविन्स में तीन-तीन बैन्चेज चलती हैं एक हाईकोर्ट की, लेकिन ग्राज राजस्थान की जनता दुर्भाग्य है कि इतने ग्रान्दोलन ग्रौर इतनी मांग के बावजूद भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा है, ग्रोर रेवेन्यू बोर्ड के मुताल्लिक रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट हो जाने के बाद भी ग्राप नहीं करते हैं। तो मैं यह ग्रर्ज करूंगा कि एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को सिलेक्ट करने के लिये, रेवेन्यू बोर्ड ग्रौर हाईकोर्ट की बैन्च को हटाने के लिए ग्राप जल्दी ही कोई कदम उठा कर यह प्रमाण देंगे जैसा कि ग्रभी जयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ग्राप एक बहुत बड़ा कदम यहां उठा लें। इसी तरह मैं कहूंगा कि सहकारिता के ऊपर मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिया है, व न्याय के ऊपर कटौती-प्रस्ताव है उसका समर्थन करते हुए उन मांगों को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) उपाध्यक्ष महोदल, पहले मैं बोल लूं ५-४ मिनट फिर हीराभाई बोल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : As you like.

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पार्टी की तरफ भी देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मुकटबिहारी लाल से) ग्रापकी पार्टी के समय का ध्यान रखें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सहकारिता की मांग पर मैं बहुत ही सूक्ष्म रूप से ग्रौर सूत्र रूप से चीजें रखूंगा। जिस सहकारिता को हम ग्रपने ग्राथिक विकास का स्थम्भ बनाना चाहते हैं, मुझे दुख है कि सदन के समक्ष ग्रापकी मारफत मुझे यह रखना पड़ता है कि इस मूवमेंट को, इस ग्रान्दोलन को राजनीति का ग्रखाड़ा बना दिया गया है। राजनैतिक लोग इस ग्राथिक विकास के लिए इस दरिद्र राजस्थान के विकास के लिए लोगों को रोटी-रोजी मुहैया करने के लिये जहां इसके लिये पवित्र संकल्प लेना चाहिए था कि राजस्थान की जनता को ग्रागे करना चाहते हैं वहां राजस्थान के कुछ चन्द इने-गिने व्यक्ति, कुछ वर्ग-विशेष के व्यक्ति राजनैतिक वितण्डावाद खड़ा करने के लिये, ग्रपनी राजनैतिक लीडरशिप कायम करने के लिए हजारों, लाखों रुपयों का घोटाला कर रहे हैं। इसको एक राजनैतिक ग्रखाड़ा बना दिया है कि इससे हमारे ग्राथिक विकास के ग्रन्दर एक भीषणतम विनाश ग्राने वाला है यह मेरी निश्चित मान्यता है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जाकर सूत्र-रूप में कहना चाहूंगा कि वहां पर गरीबों के बारे में आस्था हो, अगर आप इसको वास्तव में दरिद्र देश के लिए इस राजस्थान के लिए प्रगतिका शुभ संकल्प मानते हों और यह बात आपके दिलों में हो तो कम से कम प्रभावशाली कदम इस सम्बन्ध में लेकर जो लोग बाग एक राजनैतिक वितण्डावाद से इस सहकारिता में हैं उनको इससे हटाना पड़ेगा, एक बात।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आंकड़ों के आधार पर वस्तुस्थिति को छोड़ दिया जाता है। यह बात कही गई कि आज राजस्थान के अन्दर इतने प्रतिशत परिवारों को उसमें ले लिया गया है। इतने लाख रु० खर्च कर दिया गया है। इतनी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज बना दी गई हैं, ऐसा कर दिया गया है, वैसा कर दिया गया है, यह तमाम बातें अपनी जगह पर हो सकती हैं, परन्तु मेरी निश्चित मान्यता है कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर यह सहकारिता का आन्दोलन पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसमें कोई चीज नहीं रही है। अब सरकार इसको क्यों चला रही है? चूंकि सरकार का करोड़ों रुपया, पब्लिक का करोड़ों रुपया इसमें गर्क हो चुका है, और कुछ राजनैतिक लोग जो इन तमाम चीजों से फायदा उठाना चाहते हैं उनको इनमें एक राजनैतिक शरण मिली हुई है। उसके कारण हैं। परन्तु कुछ भी हुआ हो मैं फिर से नम्रनिवेदन करना चाहूंगा कि जनता को इस सहकारिता से जो फायदा पहुंचना चाहिए था वह नहीं पहुंच रहा है। इस गिरते हुए आन्दोलन को बचाने के लिए, देश के अन्दर सुदृढ़ आर्थिक बुनियाद लाने के लिए हमको प्रभावशाली कदम उठाना चाहिए।

इसके अलावा मैं दूसरी बात और, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि जिस तरह से मिल मालिक होकर जो व्यापारी हैं वह फायदा उठाते हैं मगर उनका मिल घाटा देता है, बल्कि एक सूत्र यह है कि जो मिल–मालिक डाइरेक्टर्स हैं या मैनेजिंग डाइरेक्टरर्स हैं वह अपनी प्रणालियों के द्वारा लाखों और करोड़ों रुपयों का धन अर्जित करते हैं।

उनका माल जो आता जाता है चोरी के जरिए, मैनेजिंग सिस्टम है, एजेन्सी सिस्टम है, परचेज में खरीद में, किस तरह का गड़बड़ घोटाला होता है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे हिन्दुस्तान का ५०० करोड़ रुपया ब्लेक मार्केट में चला जाता है। वह पैसा बाजार से सरक कर ब्लेक मार्केट में जाता है। कहा यह जाता है कि छिपे हुए धन को प्रकट में लाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाया जायगा यह दूसरा प्रश्न है, लेकिन मैं सहकारिता के बारे में कहूंगा कि इसमें यह होता है कि जो चालाक, चुस्त, पढ़े–लिखे राजनैतिक हथकंडे जानते हैं वे लोग उन पर छा गये है।

एक माननीय सदस्य : ये तमाम हथकंडे नेताओं के है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : ये लोग छा गये हैं और साधारण सदस्यों को फायदा नहीं पहुंचने देते। इस तमाम का फायदा उन्हीं लोगों को होता है। सरकार कब तक इस मरे बैल को अपनी छाती पर लाद कर चलेगी ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्तजाम करने वाले पूरी तरह से गुलछर्रे उड़ाते हैं, हवाई जहाज में बैठकर विदेशों की सैर करते हैं, पूरी तरह से राजनीति चलाते है और खूब खुलकर लूट कबड्डी करते हैं।

मेरे पास उत्तर प्रदेश से एक पत्र आया है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री उग्रसेन जी, जो विधायक हैं, उनका पत्र है। उन्होंने लिखा है मेरे लिए पत्र में कि आपके राजस्थान की तरफ से ६ लाख मरण गुड़ खरीदा गया और हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ वगैरह इलाके की सहकारी समितियों के द्वारा खरीदा उसमें इन्तहा दर्जे का गड़बड़ घोटाला हुआ है। उन्होंने उस पत्र में मेरे लिए लिखा है मुझे सलाह दी है कि मैं विधान सभा का ध्यान इस लूट कबड्डी की ओर दिलाऊं ताकि राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को बचाया जा सके। मैं ज्यादा वितंडावाद पैदा नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं पुरजोर शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति राजनैतिक शिखर पर बैठे हैं उनके लिए इस बात की चुनौती है, यह पत्र साफ साफ प्रमाण है कि ६ लाख मरण गुड़ खरीदा गया जिसमें लाखों रुपयों की गड़बड़ी हुई है, लाखों रुपयों का गड़बड़ घोटाला है जो कोग्रोपरेटिव्ज में बड़े बड़े मठाधीश हैं उनके द्वारा किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि भरतपुर की तरफ जो खोटा गुड़ और बड़ गुड़ होता है जिसको जानवर भी नहीं खाते हैं उसको खरीद कर जनता के लाखों रुपये बर्बाद किए गए हैं। यह राजस्थान के लिए चुनौती है, सदन के लिए चुनौती है और सरकार से लिए कलंक की बात है। यदि वास्तव में सरकार ईमानदारी का सबूत देना चाहती है यदि सहकारी समितियों में ईमानदारी बरतना चाहती है तो इसकी जांच करने के लिए जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाई जाय और कोई भी व्यक्ति क्यों न हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। जनता की गाढी कमाई को किस तरह से बर्बाद किया गया गया है इसकी जांच करवा कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मेरी पार्टी की ओर से भी दूसरे सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं पुर जोर शब्दों से अपील करूंगा कि तमाम गड़बड़ घोटाले की उच्चस्तरीय जांच की जाय।

इसके अलावा जुडिशियल सेपरेशन की बात कहूंगा। यह तमाम मखोल है। यह ठीक हैकि कागज पर आपने जुडिशियरी का सेपरेशनकर दिया है। अंग्रेजीमें जिस तरह कह दिया करते हैं excutive is to be separated from Judiciary.

पर ऐसा सवाल नहीं है। Judiciary is separated from Executive पर

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

Executive is now to be separated from Judiciary. ग्रार.ए.एस,वगैरा जुडिशियरी में घुसा दिये हैं। Now they are to be separated. । ग्राज उन्हीं ग्रार. ए. एस. को जुडिशियरी में लगाया है । ग्राई. पी. सी. के चंद केसेज देकर ट्रेनिंग देकर किस तरह से प्रगतिशीलता के ढोल पीटे जाते हैं कि राजस्थान में जुडिशियरी का सेपरेशन कर दिया लेकिन यह केवल धोखा है। ग्राज जनता के लिए सस्ते ग्रौर सुलभ न्याय की मांग अभी एक माननीय सदस्य ने रखी थी। जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच ग्रावे, रेवेन्यू बोर्ड की बैंच ग्रावे, जनता को सस्ता ग्रौर सुलभ न्याय प्रदान किया जाय। लेकिन यह सब ग्राप नहीं चाहते हैं बल्कि ग्राप राजनैतिक ढंग से सोचते हैं। जो लोग न्यायलयों में न्याय की झोली लेकर न्याय की भीख मांगने जाते हैं उनको सस्ता ग्रौर सुलभ न्याय मिलने में ग्रनेक प्रकार की ग्रड़चनें ग्राती हैं। कम से कम जो न्यायालय जैसी पवित्र संस्थाएं हैं उनमें ऐसी बातों को न ग्राने दें ग्रौर जनता को सस्ता ग्रौर सुलभ न्याय मिल सके इस बात की चेष्टा करें। मैं इसके लिए पुरजोर ग्रपील करता हुग्रा ग्रपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ पर मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं। जहां तक कोग्रॉपरेटिव का सवाल है, राजस्थान जहां की जनता का मुख्य व्यवसाय खेती है, के लिए इससे बड़ कर ग्राज की ग्रर्थ व्यवस्था में मदद देने वाली कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जहां तक इसके सिद्धान्त का सवाल है, इस सिद्धान्त को सभी महसूस करते हैं। लेकिन जहां तक सिद्धान्त का सवाल है ग्रौर कार्यरूप में परिणत होता है उसमें बहुत फर्क है।

हमने कोग्रॉपरेटिव बैंक्स खोलें हैं ताकि सोसाइटीज को जल्दी से जल्दी ग्रौर नज़दीक में पैसा मिल सके लेकिन इस सुविधा को उपलब्ध करने के बाद भी क्या हम सोसायटीज को सही तरीके से समय पर पैसा दे सकते हैं ग्रौर ग्राज उन बैंक्स की क्या हालत है? क्या उन बैंक्स का इन्तजाम वास्तव में ठीक है? यदि ठीक नहीं है तो क्या हम विभाग पर इसकी जिम्मेदारी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते या उन छोटी छोटी सहकारी समितियों पर जिम्मेदारी डालें जिनका बैंक से कर्जा लेने के लिए बैंक का सदस्य बनना जरूरी है? मैं इस विषय को लेकर हमारे पाली जिले की जो सहकारी बैंक है उस ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित करूंगा। पाली सहकारी बैंक को स्थापित हुए ८ साल हो गये ग्रौर ग्रभी दो तीन साल पहले बाई-लॉज में संशोधन करके मैनेजमेन्ट चुनिन्दा ग्रादमियों के हाथ में दिया गया है। लेकिन यदि मैं उस बैंक की स्थिति ग्रर्ज करूं तो वहां पर यह हालत है कि जिस तरह से ग्रंग्रेजों के जमाने में बंगाल मे दोहरी गवर्नमेंन्ट थी, ग्रंग्रेजों की ग्रलग ग्रौर नवाब की ग्रलग, उसी तरह की हालत पाली की सहकारी बैंक की है। पाली बैंकके एक डाइरेक्टर चेयरमेन बन जाते हैं ग्रौर

(श्री तेजाराम गहलोत)

अपनी पार्टी की सहायता से वे अलग काम करते हैं और दूसरे अलग करते है। मैं अर्ज करूं कि बैंक जैसी संस्था और कोआॅपरेटिव विभाग का मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछड़े हुए लोगो को आर्थिक सहायता दी जाय, उनमें यदि इस प्रकार की पार्टी बाजी चलती है तो मेरी यह निश्चित धारणा हैं कि वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। आज इस तरह की संस्थाओं के प्रति, सरकार का, उनके कारनामों के प्रति जागरूक नहीं होने के कारण वहां के काश्तकारों जो ऋण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। आज पाली बैंक डिफंक्ट-सा हो गया है, काश्तकारों को उससे कर्जा नहीं मिल रहा है। नतीजा यह होरहा हैं कि काश्तकारों को आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण उनकी हालत खराब होती जा रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार विभाग पर सख्ती करे कि जो डाइरेक्टर बाई-लॉज के अनुसार डिफाल्टर होने के बाद डाइरेक्टर नही रह सकते उनको वहां से हटाया जाय। मेरी यह मान्यता है कि सहकारी विभाग को जागरूक करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये। आज उस बैंक का चेयरमेन जो उस बैंक का मुख्य ट्रस्टी है वह यदि बैंक की रकम किसी सोसाइटी में फंस जाय, उस सोसाइटी का कोई सदस्य गबन करे उसके पक्ष में उस बैंक का चेयरमेन दौड़ धूप करे तो उससे घृणित कार्य और कोई हो नहीं सकता।

जेतारण में मोराई सहकारी समिति है। वहां के मंत्री ने ४० हजार रुपये बैंक से उठा कर सदस्यों को दिये नहीं और गड़बड़ घोटाला करके पैसा अपने पास ले लिया और पैसा जमा कराया नहीं और जब उसके ऊपर एम्बेजलमेंट केस बनने लगा तो चेअरमेन महोदय के साथ जाकर दो आदमियों के दस्तखत कराये कि मंत्री महोदय को लोन दिया है। इस प्रकार सहकारी समितियों में भोले-भाले लोगों का दुरुपयोग किया जाता है और सहकारी समिति के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। मेरी मान्यता है कि सहकारी समितियों में इस प्रकार का प्रलोभन नहीं हो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग को इस तरह काम नहीं करना चाहिए कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य को देखे बल्कि उसको मिशनरी स्पिरिट में काम करना पड़ेगा तब जाकर कोआॅपरेटिव मूवमेंट सफल हो सकेगा। राजस्थान बनने के पहले भी स्टेट्स में कोआपरेटिव मूवमेंट था और राजस्थान बनने के बाद यह दिन प्रति दिन प्रगति कर रहा है। जहां तक बजट का सवाल है, १९५१-५२ में ६ लाख ५१ हजार का था वहां अब ७७ लाख ३६ हजार के ऊपर खर्च हो रहा है, जैसा मंत्री महोदय ने बताया, हमें इस मूवमेंट पर ज्यादा खर्च करना पड़े तो करना चाहिए क्योंकि यह हमारी अर्थ व्यवस्था को सफल बनाने का साधन हो सकता है। लेकिन इतना रुपया खर्च करने के बाद भी क्या हम लाग पांच पर्सेन्ट लोगों के दिमाग को सहकारता की ओर घुमा सके हैं या नहीं यह भी हमें देखना पड़ेगा। यह सही है कि हमने सोसाइटियां बनाई हैं। यह भी सही है कि हमने सदस्य-संख्या बढ़ाई है लेकिन वास्तव में लोगों का दिमाग, कन्ट्री का दिमाग सहका-

(श्री तेजाराम गहलोत)

रिता की ओर नहीं झुकाया है तो आंकड़ों की प्रगति बेकार रहेगी, यह केवल एक हवाई किला रहेगा और अन्त में जाकर पछताना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि चाहे सोसाइटी बने।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

चाहे मेम्बरशिप कम हो लेकिन जो मेम्बर बनें, मेरी मान्यता है, वे सहकारिता के सिद्धान्त को मानें, जैसा कि सहकारिता का सिद्धान्त है एक सब के लिए और सब एक के लिए। यह सिद्धान्त नहीं माना जाता है तो कोआपरेटिव के उपभोक्ता भंडार खोल दिये जाते हैं और फिर बन्द हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी तरह कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बने तो उसमें कुछ सब्सिडी दी जाती है इसलिए कुछ चन्द चालक लोग कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बना लेते हैं और सब्सिडी लेने के लिए उसको रजिस्टर करा लेते हैं और इस प्रकार उसका फायदा लेते हैं। पाली में पैकेज प्रोग्राम लागू किया उसमें लाखों करोड़ों रुपये की सुविधा दी जा रही है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं थोड़ी देर में खत्म करूंगा। मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव विभाग कुछ सतर्कता से काम करे, कोआपरेटिव फार्मिंग इन्सपेक्टर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, जो भी हों वे सतर्कता से काम करें तो मेरी मान्यता है कि यह मूवमेंट अच्छी प्रगति कर सकता है। हम देखते हैं कि इस विभाग के जितने कर्मचारी हैं वे अपने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर मान कर चलते हैं। जब आडिट होता है तो हिसाब में सिर्फ लिखा होता है कि जमा कितना और खर्च कितना! वहां इन्सपेक्टर जाता है और उस पर दस्तखत करके आ जाता है। इसके अलावा वह यह नहीं पूछता कि कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की क्या काश्त हुई है, उसके सदस्य काश्त करते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर शिकायत करते हैं सदस्य कि अमुक आदमी ने गड़बड़ी कर दी है तो उस पर कार्यवाही नहीं की जाती है। सिरणा में जो कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, उसके मन्त्री थे चैन सुख, उसने दस आदमियों को एक सोसाइटी बना ली, उसमें तीन चार घर के आदमी ले लिये और कुछ बाहर के। इस प्रकार सोसाइटी बनाई और जो एक हजार रुपये की एड देते हैं, वह सब्सिडी मिली और चार हजार बैंक से ले लिये और एक ट्रैक्टर खरीद लिया। उस ट्रैक्टर का निजी फायदे के लिए मन्त्री ने उपयोग किया। आखिर में जाकर जब किसी ने यह बात उठाई और दो तीन आदमियों से मिल कर सोसाइटी में प्रस्ताव पास कर लिया। इस प्रकार उसने ट्रैक्टर रख लिया और उसके कारण दूसरे आदमी ने सारा रेकार्ड आसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किया और उनसे यह प्रार्थना की कि इस मामले में सहयोग दें और इस धोखे से बचायें। मुझे खेद है कि विभाग की ओर से इन अनपढ़ लोगों को सहयोग नहीं दिया गया और चैन सुख को सहयोग दिया। और जो बैंक से कर्ज लिया गया था वह उन गरीब अनपढ़ काश्तकारों से कुर्की करके वसूल किया गया। जबकि

(श्री तेजाराम गहलोत)

सोसाइटी की कार्यवाही में प्रस्ताव था कि चैन सुख ने ट्रेक्टर लिया है, तब भी उन लोगों को सहयोग नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि कोग्रॉपरेटिव मूवमेंट से सम्बन्धित अधिकारी इसमें सहयोग दें और साथ ही साथ जो इस मूवमेंट का उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय,

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि जो मार्टगेज बैंक होती है उसमें जो संचालक मंडल का सवाल होता है उसमें सोसाइटियों को प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में सतर्कता नहीं बरती जायगी तो उस पर चालाक आदमी हावी हो जाते हैं। पाली की बेंक में वल्लभदास अरोड़ा हैं वे अध्यक्ष बने। उन्होंने न तो कभी यह कार्य किया है और न करते हैं। तो जो सोसाइटी का उद्देश्य है, उसकी पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं करते हैं तो मै निवेदन करूंगा कि उस सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी में प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे दो तीन कटौती प्रस्ताव हैं, सहकारी समिति, मार्केटिंग....

श्री उपाध्यक्ष : उनका जवाब दे दें! आपकी पार्टी से कई बोलने वाले हैं और समय कम है। मैं निवेदन करूंगा कि दस मिनट होचुके हैं, इसलिए समाप्त करें तो ठीक रहेगा।

श्री तेजाराम गहलोत : और साथ साथ में मैं निवेदन करूंगा कि जो इस विभाग की स्पिरिट हो, वह मिशनरी स्पिरिट हो ताकि जो गरीब काश्तकार और पिछड़े वर्ग के लाग हैं उनमें घुल मिल कर इस विभाग के उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। जहां तक इस विभाग के कर्मचारियों का सवाल है, उसमे अधिकतर शहर से आने वाले आदमियों को अपोइन्ट किया जाता है। वे लोग गांवों में जाकर के पिछड़े वर्ग से मिक्स नहीं हो सकते। इसका नतीजा यह होता है कि सरकार का पैसा खर्च होता है लेकिन वे लोगों की भावनाओं को पलटने में सफल नहीं हो सकते हैं। इस लिए मेरा निवेदन है कि जो सब्सिडी देने की परम्परा है इसको खत्म करें। साथ ही जो सब्सिडी के प्रलोभन से जो गलत सोसाइटी बनती है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं इसलिए जब तक यह विभाग यह न मान ले कि यह लोग कोग्रॉपरेटिव के सिद्धान्तों का पालन नहीं करते हैं तब तक यह सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए।

साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग को कानून की पेचीदगियों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे राजस्थान में एक बावड़ी सिस्टम, कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का तरीका मौजूद था, उसको प्रोत्साहन

(श्री तेजाराम गहलोत)

नहीं दिया। हम मानते हैं कि राजस्थान में जो खेतिहर हैं उनमें जो कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग सिस्टम चला आ रहा है, उनको प्रोत्साहन न दे कर जो दस आदमियों को इकट्ठा करके कागज की खाना पूरी करके सोसाइटी बना लेते हैं उनको जो प्रोत्साहन दिया जाता है, यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : order please Shri Bishnoi.

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोग्रॉपरेटिव की मांग पर चार कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं और उनके द्वारा मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि जिला जालौर में और दूसरी जगह अगर कोग्रॉपरेटिव मूवमेंट को सफल करना है तो शार्ट-टर्म लोन देने की भावना ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। गांव के अनपढ़ लोगों को कोग्रॉपरेटिव सोसइटी का हर तरह से ज्ञान न होने के बावजूद भी उनकी कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है लेकिन शार्ट-टर्म लोन टाइम पर न मिल कर ऐसे टाइम पर मिलता है जिस वक्त रिकवरी का सवाल आता है। क्योंकि वे लोग उसको रिपे करने की स्थिति में नहीं होते इसलिए उनकी इम्मूवेबल प्रापर्टी और दूसरे मीन्स से वह वसूल किया जाता है। इससे गरीब काश्तकारों की माली हालत को खतरा रहता है, यह हमारा अनुभव है। इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार को सक्रिय कदम उठाना चाहिए और मीडियम-टर्म लोन और लोंग-टर्म लोन की पॉलिसी को अपनाया जाय तो यह कोग्रॉपरेटिव मूवमेंट प्रगति की ओर बढ़ सकता है। इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सक्रिय कदम उठाना निहायत जरूरी है।

दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष जी, जो कोग्रॉपरेटिव बैंक खोली हैं, उन नई कोग्रोपरेटिव बैंक्स में सरकार को फंड्स उपलब्ध कराने चाहिए, उनकी इन्फैंसी की हालत में अच्छा काम कराने के लिए सरकार को ज्यादा शेअर्स रखने चाहिए ताकि काश्तकारों को ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। मैं समझता हूं कि कोग्रॉपरेटिव बैंक्स की माली हालत को सुधारना चाहिए और उनका काम ज्यादा फैलाना चाहिए ताकि किसानों को वे ज्यादा सुविधा पहुंचा सकें।

इसके अलावा कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी को गुड़ और शुगर वगैरह का बिजनेस देने की सरकार की नीति है। लेकिन शुगर का कोटा लेने के पहले जैसे आर्डनरी दुकानदार को ढ़ाई सौ रुपये जमा कराने पड़ते हैं उसी तरह से इनके लिए भी ढ़ाई सौ रुपये देने की व्यवस्था रखी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज को दो सौ रुपये की छूट देनी चाहिए और केवल पचास रुपये जमा कराये जाने पर लाइसेंस देना चाहिए वरना ईन्डीविजूअल दुकानदार की तुलना में ये लोग पनप नहीं पायेंगे। मैं समझता हूं कि इनकी माली हालत को देखते हुए, फंड्स को

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

देखते हुए इन्हें छूट देनी चाहिए। जिला जालौर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, हालांकि इन्स्ट्रक्शन है। इसलिए इसके बारे में नियम होने चाहिए, स्टैंडिंग आॅर्डर होने चाहिए कि पचास रुपये देने पर व्यवस्था हो सकती है ताकि इनको सहूलियत हो और आर्डनरी दुकानदार के मुकाबले में वे पनप सकें।

कोआॅपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ जिला जालौर में जो बनाई गई हैं वे फर्जी हैं, उसका एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूं। सांचोर में आपने एक कोआॅपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बना दी, वहां के तहसीलदार ने जमीन का कब्जा दिया। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि रेवेन्यू के पटवारी ने बदमाशी की और उस जमीन को दूसरे खातों में दर्ज करके खातेदारी दिलवा दी। परिणाम स्वरूप नतीजा यह हुआ कि आपस में टन्टे हुए और ३२५ I.P.C. तक के मुकदमें अदालत में चले और फार्मिंग सोसइटी थी उसके सदस्यों को सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए मैं यह कहुंगा कि आपस में कोआॅपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ के मामलों में पटवारी और दूसरे कर्मचारियों में आपस में कोआॅपरेशन होना चाहिए। मैं कहूंगा कि कोआॅपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ को जमीन का कब्जा दिया जावे और लोन दिया जावे जो वास्तव में काम करती हों। वैसे तो दूसरी पार्टी वाले इस भावना का विरोध करते हैं मगर फिर भी इसकी उपयोगिता को देखते हुए और हिन्दू फेमिली के अलग रहने की भावना है उन सारी बातों को देखते हुये ऐसी बंजर जमीन हो उन पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर कार्य होना चाहिये ताकि दूसरे लोगों पर देखकर असर पड़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं मिडियम-टर्म और लोंग-टर्म लोन्स के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और यह कहना चाहता हूं कि किसानों को जो सोसाइटी की तरफ से केश लोन दिया जाता है उसको नहीं दिया जाकर फर्टीलाइजर और मशीनरी आदि के रूप में दिया जाना चाहिये क्योंकि काश्तकार के पुराने रीति-रिवाज के अनुसार वह अपनी लोन की रकम को मोसर आदि करने में खर्च कर देता है और बाद में उससे रुपया वसूल करने में दिक्कत आती है। इसलिये उसको मेटीरियल्स के रूप में ही लोन दिया जाना चाहिये। इसके अलावा सरकार की ओर से वसूली में दिक्कत नहीं हो इसके लिए कुछ ब्याज कम लगाना चाहिये ताकि लोगों को पैसा वापस देने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस न हो।

दूसरा मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह एडमिनिस्ट्रेशन आॅफ जस्टिस के बारे में रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबोर्डिनेट जुडिशियल कोर्ट्स में करप्शन की प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती चली जा रही है और लोगों में ऐसी आस्था बनती जा रही है कि People are loosing faith in the fair conduct of the judiciary इसकी ओर सरकार का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जिस प्रकार से हाई कोर्ट में लोगों का फेद है उसी तरह सबोर्डिनेट कोर्ट्स में फेद नहीं है और कर्प्शन की भावना दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और लोगों को जुडिशियरी की तरफ से भी घृणा पैदा होती जा रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी कदम उठावे और स्ट्रिक्ट विजिलेन्स रखे। और इन्सपेक्शन्स समय समय पर होते रहें। यह तो नहीं होना चाहिए कि जब एग्जक्युटिव से आप अलग हो गये तो चाहे जैसा काम करें और करप्शन करते रहें। और इसका नतीजा यह होता है कि लोगों के एक्सपेन्सेज बढ़ते हैं और लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वे लोग अपील में जावें। इसलिये इस संबंध में राज्य सरकार को सक्रिय कदम उठाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरी बात मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आपकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच सरकार की है वह इनएफिसियेन्ट है क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स लॉ ग्रेजुएट नहीं है। इसलिए उनके स्थान पर फौरन लॉ ग्रेजुएट्स को एपोइन्ट किया जाय। बहुत सी जगह सरकार के ६५ परसेन्ट और ८० परसेन्ट तक कैसेज फैल होते हैं। यहां तक कि सेशन कोर्ट में भी आपके प्रोसिक्यूटर्स लॉ ग्रेजुएट नहीं होने के कारण संगीन मामले फैल हो जाते हैं और इससे लॉ एन्ड ऑर्डर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अन इम्पोर्टेंट और ट्राइफल केसेज में सजा हो जाती है तो उससे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। मुलजिम की तरफ से संगीन कैसेज में इफिशेयन्ट लायर्स केस को प्लीड करते हैं और उनके सामने पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स जो होते हैं वे कमजोर होते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को तरफ से इस सम्बन्ध में पूरी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिये। अगर इसकी व्यवस्था सरकार जल्दी नहीं करेगी तो लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो जावेगी और क्राइम्स दिनों दिन बढ़ते ही जावेंगे। क्योंकि मुल्जिम यह सोचता है कि प्रोसिक्यूशन सरकार का कमजोर होने से वह अच्छे और होशियार वकील को ज्यादा पैसा दे कर एंगेज कर लेता है और बरी हो जाता है। इसलिए मैं इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं कि सेशन्स कोर्ट में जो कैसेज होते हैं उनके लिए आप प्रोसीक्यूशन ब्रांच को इफिशियेन्ट और स्ट्रोंग बनावें और इसमें ज्यादा ढील नहीं करें। जिससे सब लोगों को सामान्य न्याय मिल सके और लोगों को जो इस कमी के कारण क्राइम्स करने पर बरी हो जाने को प्रवृति से क्राइम्स बढ़ते है वे रुक सकें। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सहकारी आन्दोलन और सहकारिता की भावना का सम्बन्ध है उससे हम पूर्णतया सहमत हैं और हम उन लोगों से सहमत नहीं है जो इस सहकारी आन्दोलन को फूटी आंखों से भी देखना नही चाहते। लेकिन हमारी सरकार एक तरफ

(श्री हरिराम चौहान)

सहकारी आन्दोलन का नारा देती है और दूसरी तरफ उनमें जो दिक्कतें रुकावटें और मुसीबतें आती हैं उनको दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न नहीं करती है। मैं तो इसके लिए यह कहूंगा कि कई जगह सरकार दलगत राजनीति के आधार पर अपनी पार्टी की नीति को उन सहकारिता से ऊपर रखती है। इस तरह की भावना हमारी सरकार की है। इस भावना का हम विरोध करते है। और उसी तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाये जा रहे हैं जिसका लाजमी तौर से यह नतीजा हो रहा है कि इस सहकारी आन्दोलन से गरीब किसानों को व छोटे छोटे दुकानदारों को, मजदूरों को व हरिजनों और पीड़ित लोगों को व सताये हुए लोगों को इसका कोई फायदा मिलता नहीं जो उनको मिलना चाहिए। यह फायदा क्रय--विक्रय संस्थाओं को जो सेठों की हैं उनको मिलता है। यानी बड़े बड़े लोगों को इसका फायदा मिलता है। गरीबों को नहीं। गांवों की यह हालत है कि सहकारी संस्था का वही बोहरा है, वही कोआॅपरेटिव का मालिक है, वही खजान्ची है और वही प्रेसिडेन्ट है। इसका खास कारण यह है कि हमारे यहां कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वे बुनियादी तौर पर आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं। और इस सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि वह कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को पर्याप्त मात्रा में दे सके। अगर सरकार इनको पैसा देती भी है तो वह वक्त पर नहीं देती और देती है वह भी पूरा नहीं, थोड़ा देती है और इसके अलावा वह भी कर्जा दिया जाता है वह एक निश्चित दो साल के समय से चुकाना पड़ता है। इसके लिए इस प्रकार का सिस्टम रखा है। किसानों की हालत कमजोर होती है इसलिए वे इस कर्जे को ठीक समय पर नहीं चुका सकते। इससे मैं यह कहूंगा कि किसानों की हालत खराब होती है ठीक नहीं हो सकती। यदि किसी साल अकाल पड़ गया तो वे दो साल में लोन को वापिस नहीं दे सकते। जैसे अभी फसलें खराब हो गई। किसान के अनाज नहीं हुआ वह लोन के रुपये नहीं चुका सकता। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि बैंकों पर जिन लोगों का कब्जा है, अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ज्यादातर बैंकों पर भी कांग्रेस के लोगों का ही कब्जा है। इस लिये जिस कोआॅपरेटिव सोसाइटी को वे चाहें पैसा दें, जिसको वे चाहें परेशान करें, चाहें जिसको पैसा न दें। चाहें जिसको परेशान करके पैसा दें। इस प्रकार की कारगुजारियें होती हैं। इससे सहकारिता को बहुत ठेस पहुंचती है। इस सम्बन्ध की मिसालें आपको मैं क्या दूं। कई मिसाले हैं। आप लोगों से छुपी नहीं हैं। एक मिसाल मैं गुड़ को देता हूं। एक तरफ सरकार यह कहती है कि सहकारिता को प्रोत्साहन मिले मगर सारे राजस्थान के गुड़ का कोटा क्रय-विक्रय संघ को दिया है। दूसरी तरफ दो आदमियों को सात सात हजार मन का पर्मिट सरकार देती है। दो आदमियों को यह सात-सात हजार मन गुड़ का पर्मिट देने का मतलब यह है कि उनको ७० हजार का मुनाफा सरकार ने दे दिया। अभी सरकार ने, अपनी कलम से दो फर्म है—एक शिवराम शिवकुमार और दूसरी प्रभुदयाल ओमप्रकाश--को परमिट दिया।

(श्री हरिराम चौहान)

जब गुड़ सारे राजस्थान के अन्दर सहकारिता के आधार पर, गावों की कोआपरेटिव सोसाइटीज के आधार पर दिया जाता है तो इस तरह की सोसाइटीज के अन्दर इस तरह के लोग घुसे हुए हैं, जो अपने प्राइवेट लोगों को, अपने अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए ७००० मन गुड़ का परमिट काट देते हैं, इससे सहकारिता आन्दोलन को बड़ा धक्का पहुंचता है। यह जो परमिट काटा गया है इस सम्बन्ध में पूरी जांच होनी चाहिए कि क्यों यह परमिट काटा गया? यदि आप अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो और कई तरीके हैं, सहकारिता की भावनाओं को आपके तरीकों से ठेस पहुंचती है यह सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने में बाधक होगी। कभी आपके एम० पी० रहे हैं. उनके पास अभी कोई धंधा नहीं है. अपने मिलने वालों को ले आये और उनको इस प्रकार की कार्यवाही कर के फायदा पहुंचा दिया यह कभी उचित नहीं कहा जा सकता। आपको मुसीबत हो सकती है, आपके मिलने वाले हैं उनको मुसीबत हो सकती है, पर जिससे सहकारिता के आन्दोलन को ठेस पहुंचे इस तरह के कदम सरकार को कभी नहीं उठाने चाहिए, इस तरह के कदम उठा कर सरकार सहकारिता आन्दोलन को बदनाम करना चाहती है।

किसानों को जो कर्ज दिये जाते हैं उनके सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि किसानों को जो कर्ज दिये जायं लम्बे समय तक के लिए दिए जायं, पांच साल या दस साल बाद उन कर्जों को किसानों से वसूल किया जाय। किसी भी उद्योगपति को, किसी पूंजीपति को आप किसी उद्योग के लिए कर्ज देते हैं उसके वापिस आने की कोई गारन्टी नहीं, मकान बनाने के लिए लोन देते हैं तो बीस साल, तीस साल के लिए लोन देते हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को आप लोन देते हैं तो बड़े लम्बे टाइम के लिये लोन देते हैं और वे लोग इन लोन्स से अपनी ज़िन्दगी में अच्छी तरह से जम जाते हैं, इन लोगों को बड़े बड़े लोन देते हैं और वह बहुत लम्बे लम्बे समय के लिये देते हैं पर किसानों को आप ५०० रु० तक की छोटी रकम का लोन देते हैं और वह लोन उसी साल में मांग लेते हैं और फिर ऊपर से कहते हैं कि हमने किसानों की जिंदगी सुधार दी है, यह कतई न्याय संगत नहीं। किसान को थोड़े समय के लिए थोड़ा सा रुपया लोन देते हैं और थोड़े समय के बाद ही सारा वसूल कर लेते हैं, जब कि शहरों में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको लम्बे समय के लिये लाखों रुपया लोन देते हैं, लम्बे समय के लिये देते हैं और उनसे वसूली करने में भी किसी प्रकार की सख्ती किसी प्रकार का तसंछुक नहीं करना चाहते और इसके विपरीत किसानों को थोड़ा रुपया कर्ज देते हैं थोड़े अर्से के लिये देते हैं और उसकी वसूली में बड़े हथियार इस्तेमाल करके बड़ी सख्ती के साथ रुपया किसानों से वसूल करते हैं तो मैं कहना चाहता

(श्री हरिराम चौहान)

हूं कि यह अपने आपको समाजवादी सरकार कहने वाली सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है ।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता कानून के अन्दर हैसियत तस्दीक के नियम बने हुए हैं उनके अन्दर भी संशोधन करना चाहिये । सहकारिता के अन्दर साधनहीन लोगों से मदद मिलनी चाहिये, जिनके पास प्रोपर्टी नहीं, उनको मदद मिलनी चाहिये परन्तु जितने हमारे कानून हैं उनमें पहले से ही यह लिखा हुआ है कि उसकी जितनी हैसियत है, इसकी तस्दीक की जायगी । लो लोग सदियों से सताये हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उनकी हैसियत का सवाल ही नहीं, न इनके पास बहुत बड़ी जमीन है और न उनके पास बहुत बड़े मकान हैं । इसलिये तस्दीक में बड़ी दिक्कत उसे आती है और वह अपने आपको बड़ा हीन और कमजोर महसूस करता है । और इस तरह से इन लोगों को इससे वंचित रख दिया जाता है ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो किसानों को कर्जा दिया जाता है उसकी दर और है और जो उद्योगपतियों को कर्जा दिया जाता है, उसकी दर और है, इन दोनों को दिये जाने वाले कर्ज की दरों में बड़ा भारी अन्तर है । इन दरो में फर्क नहीं होना चाहिये । किसान को जो कर्ज दिया जाता है उस कर्ज के व्याज में भी कमी करनी चाहिये ।

ये मेरे सुझाव हैं, इन पर सरकार ध्यान दे तो इसमें सुधार हो सकता है ।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोआॅपरेटिव सोसाइटी को मान्यता देने के सम्बन्ध में भी बड़ा भारी पक्षपात किया जाता है । अपने आदमियों की सोसाइटीज़ को तो रातों रात, फौरन हाथों हाथ मान्यता दे दी जाती है और सब प्रकार की सहायता फौरन मिल जाती है पर विरोधी लोगों की कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या ऐसे लोगों की कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ जिनका कि अप्रोच नहीं, तो ऐसे लोगों की सोसाइटीज़ को मान्यता नहीं दी जाती है, छः-छः महीने, बारह-बारह महीने तक ये लोग, धक्के खाते रहते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, एतराज़ पर एतराज़ उठाये जाते हैं, सारा स्टाफ एतराज उठाता है, कभी ए. आर. एतराज उठाता है, कभी रजिस्ट्रार एतराज़ उठाता है, इन लोगो के लिए सारे के सारे एतराज़ उठ जाते हैं । पर नेता लोग कोई कोआॅपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो रातों रात कोआॅपरेटिव सोसाइटी बन जाती है ।

जहां तक खेती के अन्दर सहकारिता का सवाल है, सहकारिता के आधार पर खेती करने का सवाल है, इस सन्बन्ध में दो तीन साल से ऐसा लग रहा था कि मानों सरकार ने इस प्रश्न को छोड़ ही दिया है पर अभी भुवनेश्वर में कसरत वसरत कर के आये हैं और देखते हैं कि कुछ और जोर लगाना चाहिये, अब बड़ी तैयारी के साथ कहने लगे हैं कि खेती के अन्दर सहकारिता को प्रोत्साहन देने की बात है उसको

(श्री हरिराम चौहान)

हाथ में लेना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि खेती के अन्दर आपने कितनी कोआँपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई और कितनी कामयाब हुई हैं? क्यों कामयाब नहीं हुई, यह नहीं कि मैं सारा का सारा दोष आपके सर पर मढ़ूं, इसमें समाज के लोगों का भी दोष है....

एक माननीय सदस्य : कई कामयाब हुई हैं।

श्री हरिराम चौहान : कहां कामयाब हुई हैं? बूंटोली के पास बास की कोआँपरेटिव सोसाइटी है, वहां के लोगों ने मिल कर तय किया कि हम लोग मिल कर खेती करेंगे ट्रैक्टर से सम्मिलित खेती करेंगे तिलवाड़ में कुछ लोग रहते हैं, उनमें पालिटिकल समझ है, उनके तौर तरीके ऐसे हैं कि मिल कर काम किया जाय, उन्होंने बैठ कर विचार किया और निश्चित किया कि सहकारिता से खेती का काम किया जाय तो हम पैदावार बढ़ा सकते हैं और इस तरह सहकारिता से खेती कर के पैदावार बढ़ा कर आम लोगों की जिन्दगी को ठीक करने में सहायता कर सकते हैं। ये लोग आपस में इस तरह का बहस मुबायसा करके सहकारिता से खेती करने के लिए तैयार हुए। पर क्योंकि सरकार से सब्सिडी, लोन लेना था। एक नेताजी बीच में आ फंसे, दो चार घरों में जा कर कहा कि अपनी सोसाइटी बना लो, लोन मिल जायगा, उससे ट्रैक्टर खरीद लेंगे, अपना एक आदमी ट्रैक्टर घुमायेगा, खेती भी करेगा और किराये भी चलायेगा, अपने आदमी को भी काम मिला जायगा, रातोंरात उन नेताजी की सोसाइटी को मान्यता दे दी गई और जो लोग वास्तव में सहकारिता से खेती कर के उत्पादन बढ़ाना चाहते थे उन लोगों की सोसाइटी को नामजूर कर दिया गया। इस तरह की सोसाइटीज़ आप कितनी ही बना लें उनमें कोई काम नहीं होने वाला है। ये आपकी कोआँपरेटिव सोसाइटीज़ कागजों पर ही हैं। अब तो सड़कों पर बोर्ड भी लगाने लग गये हैं। रास्ता उधर से निकल रहा है-तो बड़ा खूबसूरत बोर्ड लगा देते हैं। तो बोर्डों के ऊपर आपकी कोआँपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, जैसे जयपुर में बड़े लोगों के मकानों में इस तरह के बोर्ड लगा रखे हैं, चाहे खादी की कोआँपरेटिव सोसइटी हो, चाहे बुनकरों की कोआँपरेटिव सोसाइटी हो लेकिन हकीकत यह है कि इन कोआँपरेटिव सोसाइटीज पर किन लोगों का कब्जा है, इनसे किन लोगों को फायदा मिल रहा है? सब बड़े बड़े लोग हैं। जिन लोगों को आप ऊपर उठाना चाहते हैं, उन लोगों को इनसे क्या फायदा हो रहा है? तो यह सारी समझ सरकार को नहीं बदलेगी तब तक इससे होने वाला नहीं है।

आप क्रय-विक्रय संघ खोल रहे हैं पर उत्पादन के साधनों पर आज भी बड़े लोगों का अधिकार है, फिर ये क्रय-विक्रय संघ कैसे चलेंगे? मान लीजिये, आपने मोटर पार्ट्स की दुकान खोली और कम्पनी का मालिक

(श्री हरिराम चौहान)

पूंजीपति आपको कह दे कि मुझे तो यह सामान आपको देना ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे ?

किसी चीज की दुकान खोली, जो बुनियादी उद्योग उनके पास हैं, जो बुनियादी धंधे उनके पास हैं, आप बीच के अन्दर दलाली करना चाहते हैं, एक एजेंट का काम करना चाहते हैं तो उस एजेंट के नाम से इस सहकारिता को किस तरह बल मिल सकता है, यह हमारी समझ में नहीं आता ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(१२.०० मध्यान्ह)

फिर अनाज के भावों के अन्दर वही लूट होती है । दूसरी तरफ से छोटे छोटे किसान और मजदूर होते हैं वह जो पैदा करते हैं या कोआॅपरेटिव सोसाइटी पैदा करती है उसकी खरीद के लिए आपके पास कोई इन्तजाम नहीं, उसके भाव ठीक रहें उसका आपके पास इन्तजाम नहीं, उसको ठीक समय पर बीज और खाद मिले, उसका भी इन्तजाम नहीं । तो फिर मैं नहीं समझता

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आप तरक्की कर सकते हैं। आप १०० साल के अन्दर भी तरक्की नहीं कर सकते, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को वर्गीय हितों को छोड़ देने चाहिये । बड़े लोगों के वर्ग-स्वार्थ हो सकते हैं और उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए आपको करना पड़ता है । आपको ग्राम लोगों को उठाने के लिए, सहकारी आन्दोलन के अन्दर लाना चाहिए. उनकी समस्याओं को ठीक तरीके से सोच कर विचार करना चाहिए ।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेगूं) : मैं मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ पर न्याय प्रशासन के बारे में बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी परिमित है ।

श्री चौसरसिंह बावेल : मेरा निवेदन है कि सरकार न्याय विभाग को सेपरेट भले ही करे लेकिन इसके कारण गरीब जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ता है । मुकदमों के लिए मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में २०-२०, २५-२५, ४०-४० मील और कई लोग तो ८०-८० मीलों से आते हैं । कोर्टों में वर्षों तक भी न्याय नहीं मिलता है । तो इस बारे में आपको विचार करना चाहिए । दूसरी बात बेगूं में कोर्ट थी पारसौली में कोर्ट थी, अब सबको चित्तौड़गढ़ जाना पड़ता है । जहां भी ज्यादा मुकदमे हैं वहां कोर्ट होना चाहिए । न्याय पाने के लिए भैंसरोड़गढ़ से चित्तौड़गढ़ जाने के लिए आदमी को ८० मील दूर जाना पड़ता है । जब बेगूं में ज्यादा मुकदमे हैं तो बेगूं में कोर्ट कायम होना चाहिए । इस बारे में बापना कमेटी की भी रिपोर्ट है लेकिन उस पर आज तक एक्शन नहीं लिया गया । मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी वहां की जनता के लिए आप फैसला करें ।

(श्री चौसरसिंह बावेल)

इसके अलावा आज पंचायतों की अपीलें एस. डी. ओ. की कोर्ट में होती हैं जुर्माना भी वही करता है. तो आदमी ज्यों का त्यों रह जाता है। इससे पूरा न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

हमारे बेगूं के अन्दर एक मंत्री महोदय आए। एक चुनाव का झगड़ा था। उन लोगों की जमानतें लेने के बाद कोर्ट के अन्दर हथकड़ियां डालकर ले गए। जो जुडीशियरी ने फैसला दिया है उस अदालती कार्यवाही के बारे में मैं नहीं कहता। अपील हो सकती है लेकिन जो ज्यादतियां हुई हैं आप उसकी जांच करके एक्शन लें।

जो सहकारिता के अन्दर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। हमारे यहां एक व्यक्ति को सजा हुई। सरकार के १७ हजार की रकम आज तक वसूल नहीं हुई। कर्जा उनको दिया जाता है जो एक विशेष पक्ष के हैं। दूसरे पक्ष का खयाल कम किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में आप विचार करें। जंगलात के सम्बन्ध में जो मैंने कहा था उस तरफ मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया उसके लिए भी निवेदन करता हूं कि वे ध्यान दें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अगर हम बारीकी से सहकारिता आंदोलन की स्टडी करें को हम देखेंगे कि जैसे समाजवाद और प्रजातन्त्र में आपस मे मेल है एक दूसरे को हम सेपरेट नहीं कर सकते इन्सेपरेबल एन्टिटी हैं इसी तरह से पंचायती राज और कोआॅपरेटिव मूवमेंट का आपस में मेल है। अगर हम चाहते हैं कि सहकारिता पनपे, लोगों की आस्था मजबूत हो मैं समझता हूं कि पंचायती राज अगर हमारे रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में मजबूत होगा तो कोआॅपरेटिव मूवमेंट उसी तरह से रूरल इकॉनामिक लाइफ में मजबूत होना चाहिये।

इन दोनों को अलग से सोचना और अलग से दोनों के इम्पेक्ट को आंकना मैं समझता हूं कि गलत होगा। आज तक १०-१२ साल में हमने प्लान्ड डेवलपमेंट के जरिये जितने इस मद के तहत कार्य किए और जिन लोगों के लिए किए, जिस मन्शा से किया, अगर हम उसकी सही कीमत आंके तो मैं समझता हूं कि इस प्रगति मूवमेंट का इम्पेक्ट और चेंजज़ वीकर सेक्शन्स आफ कम्युनिटी पर नहीं हो पाए। हमारा खयाल था कि लोगों की पैदावार बढ़ेगी, लोगों की आर्थिक हालत सुधरेगी और आहिस्ते आहिस्ते इस सुधार के साथ सामाजिक सुधार आएगा, मगर आवश्यक चीजें इसलिये नहीं आ सकीं क्योंकि कोआॅपरेटिव बॉडीज़ पर, क्रेडिट सोसाइटीज़ पर अभी भी ज्यादातर वे लोग हावी हैं जिन लोगों का मनी लेंडिंग बिजनेस से वास्ता है और ज्यादातर वे लोग हैं जिनकी आस्था कोआॅपरेटिव मूवमेंट में नहीं है। मैं सोचता हूं कि इन सारे रिजल्ट्स के बाद इसके रिटर्न्स देखते हुए, इसका इम्पैक्ट देखते हुए, हमारे इस कोआॅपरेटिव मूवमेंट में क्या

(श्री केदारनाथ)

खामी है ? वह ५-६ प्रकार की है । पहली खामी है रिसोर्सेज की कमी । इसमें संदेह नहीं कि ट्रेन्डपरसोनेल की कमी है । दूसरी बात सरकारी अहलकारों की है । वे सहकारी आंदोलन को पसन्द नहीं करते उनका कोऑपरेशन नहीं है । उनकी जो सोशल सराऊंडिंग्स हैं वे जिस तरह से काम कर रहे हैं जिस मनोविज्ञान (मेन्टेलिटी) है उससे मैं कह सकता हूं कि उनकी इस मूवमेंट में आस्था नहीं, इसलिए उनका अन्ड्यू इन्टरफियरेंस है ।

तीसरी बात ग्राम जनता में इस तरीके की क्लाइमेट पैदा नहीं हुई है जिसकी वजह से जो कोआॅपरेशन मिलना चाहिये वह नहीं मिलता याने (General ampathy of the people).

कोआॅपरेशन लॉ ऐसा है जिसमें बहुत खामियां हैं । इसके कारण भी बहुत सी मुसीबतें आती हैं । तो यह भी एक बाधा है ।

आखिरी बात, हम वीकर सेक्सन्स ऑफ दी कम्युनिटी जो हैं उनमें अपने हितों के लिए लड़ने की चेतना पैदा नहीं कर सके, ऑर्गेनाइज नहीं कर सके. ऐसा वातावरण नहीं पैदा कर सके, जो अपने इकॉनामिक राइट्स के लिए कम से कम अपने कोऑर्गेनाइज करें और conscious (कान्शस) हों इस चीजके लिए कि समाजमें हमारा राइट क्या है, इकॉनामी कैसी होनी चाहिए, कैसे एसर्ट करना चाहिए ।

एक साल पहले इसी फ्लोर पर आश्वासन दिया गया था । हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में नौकरशाही का दखल कम हो जाय । इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ है ।

इसकी मिसाल मैं, मान्यवर, आपके जरिये से यहां पेश करना चाहता हूं । सामुदायिक विकास योजना की सालाना कान्फ्रेंस में, देश के प्रधान मन्त्री ने यह विचार रखा कि अब तक अफसर शाही के जरिये से सहकारी आन्दोलन हिन्दुस्तान में नहीं पनप सका है । दूसरी बात यह है कि इसके आंदोलन से जितनी हमें आशा थी सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो सकी है । किसानों की हालत सुधरी नहीं है, भूमिहीनोंकी हालत सुधरी नहीं और हम उनको मनी लैंडर्स के चुंगल से नहीं छुड़ा सके हैं ।

मैं समझता हूं कि इस कान्फ्रेंस में एक रिपोर्ट पेश हुई है । इसके सम्बन्धमें वह बहुत लम्बी चौड़ी है, मैं चाहता था उसके कुछ पेरेग्राफ साइट करना लेकिन इतना समय नहीं है । उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक जितने कोऑपरेटिव मूवमेन्टस हैं, पहले किसानों के ऊपर ७५ परसेन्ट कर्जा मनी लैंडर्स का था इस साल इस आन्दोलन को चलते हुए होने के बाद भी यह स्थिति है कि ६५ परसेंट

(श्री केदारनाथ)

कर्जा ग्राज भी किसानों पर मनीलेंडर्स का है। या तो इसका कारण यह है कि ग्राज कोग्रॉपरेटिव बैंक्स पर वे लोग हावी हैं जो इसको सही माने में सफल नहीं होने देना चाहते, ग्रोफिशिल्स हावी हैं ग्रौर जो कोग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट को एक वातावरण मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। उनको, किसानों को, कर्जा मैटीरियल में न मिलकर कैश में मिलता है इसका कारण भी यह हो सकता है कि किसान कर्जे की भुगतान करने में ग्रसफल रहता है। दूसरा कारण यह है कि उसको इतना कम मिलता है कि उसको किसान खर्च कर बैठता है इसलिए उसकी हालत ऐसी नहीं रहती है कि उसको वह वापिस ग्रदा कर सके। ग्रौर तीसरी बात हमें इन रिपोर्ट में मिलती है कि कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ इस तरीके से बनी हैं कि जो मकसद उसके पीछे था वह पूरा नहीं हुग्रा। जो पहले से ही लैंड लोर्ड हावी थे वे ग्रब भी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ग्रपने मकसद से इसको बनाया। ग्राज भी एक्स्प्लोइटेशन करते हैं। जैसे कोई भूमि हीन किसान है, कोई हाली है, मजदूर है, उनको उस नाम से उस जमीन पर रख कर उसका एक्स्प्लोयटेशन करते हैं। इसलिए कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ में इन्सेन्टिव नहीं मिलेगा जब तक कि उन लोगों की ग्रोर से ये सोसाइटीज़ फॉर्म नहीं की जायेंगी। मुझे इसमें सन्देह है कि जब तक इस प्रकार का इन्सेन्टिव उनमें पैदा नहीं होगा तब तक हिन्दुस्तान में कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ पनप सकेंगी। यह साबित हुग्रा है कि इन्डिविजुग्रल बार्गेनिंग हो ग्रौर सर्विस कोग्रॉपरेटिव्ज की मार्फत हो। डा० शीलर जर्मनी से ग्राये थे, जो इस पर ग्रथोरटी हैं, उन्होंने ग्रपनी राय जाहिर की थी।

बीज सोइंग का सीजन ग्राता है तो इम्पेक्ट बताता है। गांव में मिलजुल कर काम करने की ग्रादत है। कोग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट या ऐसे मूवमेन्ट की ग्रावश्यकता थी कि जो ग्राहिस्ता २ इस चेतना में लाये। इसमें कमी रही। ग्राज तक हम यह चाह रहे थे कि जमीन की पैदावार बढ़े, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को मिला कर ग्रार्थिक विकास बढ़ा सकें मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकें यह इन्सेन्टिव हम पैदा नहीं कर सके। इसमें हम कामयाब नहीं हुए।

सरकार ने यह एलान कर दिया है कि ग्रायन्दा जितने कन्स्ट्रक्शन के काम होंगे, चाहे इरीगेशन में हों या पी. डब्ल्यू. डी. में हों, ग्रायन्दा कान्ट्रेक्टर के मार्फत नहीं करवायेंगे। यह सरकार को ग्रच्छा मौका मिला है कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ाने का। जो मजदूर उनमें काम करते हैं उनकी कोग्रॉपरेटिव्ज बने। टेन्डर उन्हीं के हों। बीस तीस हजार तक के काम उन्हीं को मिले। ग्रन्डर एम्प्लोयमेंट ज्यादातर उस एरिया में है। ग्राबादी बढ़ने का इम्पेक्ट उन पर पड़ा है। उनका इसमें पार्टीसिपेशन होने के बाद लोगों में जान ग्रावेगी, जिन्दगी ग्रावेगी ग्रौर सहयोग की भावना बढ़ेगी।

(श्री केदारनाथ)

हम यह चाहते हैं कि खेती से जो चीजें पैदा हों वे कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत बिकें ग्रौर जितनी चीजें मेन्युफेक्चर्ड चीजें, बाजार से लाई जांय देहातों में, वह इन्हीं के मार्फत बेची जायें। सारा ट्रेड प्रोडक्शन ग्रौर डिस्ट्रिब्युशन इन्हीं के द्वारा हो लेकिन यदि ग्राप इसी मशीनरी से चलाते हैं तो यह सम्भव नहीं है क्योंकि इनकी केपिटेलिस्ट मनोवृत्ति है । यदि ग्राप इसकी तरक्की चाहते हैं, तो लोगों का उसमें पार्टिशिपेशन ग्रधिक से ग्रधिक हो ग्रौर इस प्रकार एक कन्स्ट्रक्टिव सोसाइटीज़ में वे टर्न लेंगी ग्रौर कोग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट का सबसे बड़ा रोल ग्रौर बेक ग्राउन्ड वह होगा।

चूंकि समय बहुत कम है। मैं ग्रपने इलाके की बात कह दूं। कोग्रॉपरेटिव शुगर फैक्ट्री गजसिंहपुर में खोलने के लिए एलान किया था। लेकिन ग्रब तक तो लाइसेन्स मिला नहीं है। देहाती लोगों ने चार लाख के शेयर्स भी ले लिए थे ग्रौर चार साल के बाद भी उनको जवाब नहीं मिलता है। सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट लाइसेन्स नहीं देती है। मैं समझता हूं यह बड़ा भारी रिफ्लेक्शन है कोग्रॉपरेटिव मूवमेंन्ट पर।

दूसरी बात है कोग्रॉपरेटिव बैंक्स में डाइरेक्टर्स नोमिनेट होते हैं। सरकार ने इस फ्लोर पर यह कहा था कि डाइरेक्टर्स को नामिनेट करने की पद्धत्ति सरकार समाप्त कर देगी। ग्रब भी है।

मार्टगेज बैंक ने एक टार्गेट फिक्स किया था कि ५५ लाख रुपया देहातों में देंगे। जिससे देहातों की हालत ग्रच्छी हो। लेकिन ११ लाखका पैसा ही दे सका। यह लो ग्रचीवमेन्ट किया है। यह सोचनेकी बात है।

पिछले वर्ष ग्रपेक्ष बैंक में ५ करोड़ रु० रखा गया था लोन देने के लिये पहले। ग्रब ३ करोड़ रु० कर दिया गया। इस तरीके से पैसा देना, स्केल डाउन करेंगे तो मैं नहीं समझता कि जो टार्जेट रखा है वह पूरा हो। पैसा काटते जांय ग्रौर फिर यह कहते हैं कि हम तो इसको इम्पीटस देना चाहते हैं।

फिर हर सोसाइटी में झगड़े हैं, घोटाले हैं, गबन हैं उनकी इन्क्वारी ग्रौर फैसले ग्राप एक्जीक्युटिव हैंड्स से करवाते हैं। मैं सोचता हूं कि सारे हिन्दुस्थान में यह नारा दिया जा रहा है कि इनके Judicial Tribunal में फैसले हों। इनके डिस्प्यूट्स पर टिब्युनल्स बैठें ग्रौर वे ही उनका फैसला दें। इससे यह होगा कि जो ग्राज हम को पक्षपात ग्रौर ग्रन्य प्रकार की शिकायतें मिलती हैं उनसे बच सकते हैं। उनको दूर किया जा सकता है।

बजट पर बोलते हुए मैंने क्रय--विक्रय संघ द्वारा गुड़ के विषय में जो स्केन्डल हुग्रा है उसके बारे में कहा था। क्रय--विक्रय संघ हो, मेरा इसमें विश्वास है। रूरल इकोनोमी में जड़े मजबूत हों लेकिन जो स्केन्डल इस प्रकार के हमारे सामने ग्राते हैं उनके लिए एक कमीशन बिठा कर इन्क्वायरी करवानी चाहिये।

(श्री केदारनाथ)

भादरा में एक एक्स सोल्जर्स की कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी है। अधिकारियों का उनके साथ व्यवहार नहीं है। आज उस कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी की यह हालत है कि वह लिक्विडेशन में है। कर्जा मांगा, कर्जा नहीं दिया गया। रुपया नहीं मिला। कर्जा इसलिये उसको नहीं दिया जाता कि यह कहा जाता है कि इनका दूसरी पार्टीज से सम्बन्ध है। हमारी कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उनको पैसा इसलिये एलोकेट नहीं करते क्योंकि उनका सम्बन्ध दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ से है। कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी भी किन की? एक्स सोल्जर्स की। स्थिति यह है कि वह लिक्विडेशन के फार्म में है। इस प्रकार से पैसा दिया जाता रहा तो कोग्रॉपरेटिव मूवमेंट पर जो हावी है उनके लिए सरकार को रवैया बदलना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा। इनके बाद संयुक्त सोशलिस्ट दल में से कोई भी।

श्री दयाचन्द सोन (बारां) : जनसंघ का समय बाकी है। हमें समय दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : स्वतन्त्र पार्टी का भी बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : समय कांग्रेस का भी बाकी है।

श्री दयाचन्द सोन : बड़े बड़े नेता लोग बोल जाते हैं, हमें समय नहीं मिलता। थोड़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ३५ मिनिट जनसंघ के हो चुके हैं।

श्री दयाचन्द सोन : हमें समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बड़ा खेद है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां हम प्रशासन की बातें करते हैं वहां हमारे प्रशासन का प्रमुख अंग न्याय प्रशासन भी है। उसकी ओर ज्यादा तवज्जह नहीं दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय आपके सामने कई माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि न्याय के प्राप्त करने में आज बहुत देरी होती है, आज किस तरह से न्याय प्रशासन खर्चीला बन गया है, इस विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं....

(१२-२० म० पू०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

सभापति महोदया, आज जनता में एक प्रकार की भावना फैलती जा रही है कि

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

एक तरफ तो न्याय महंगा होता जा रहा है और दूसरी तरफ न्याय समय पर नहीं मिलता। जहां तक न्याय का सम्बन्ध है वह जल्दी और सस्ता दिया जाय इस बारे में हमारे प्रयत्न होने चाहिये। जैसे एक कहावत प्रसिद्ध है:

'Justice delayed is justice denied.'

मुझे डिस्ट्रिक्ट की अदालतों में भी जाने का मौका मिलता है। वहां मैं देखता हूं कि लोग साठ साठ सत्तर सत्तर सत्तर मजदूरसे गवाहियां लेकर आते हैं। फरीकेन खर्चा करते हैं लेकिन उनको असल वापस लौटना पड़ता है। एक एक बार ही नहीं; तीन तीन बार और चार चार बार फरीकेन और उन गवाहियों को लौटना पड़ता है।

जहां तक केसेज के एक्युमलेशन का सवाल है लोअर कोर्ट में इतना एक्युमलेशन हो गया है कि आयन्दा जो तारीखें नहीं पड़ती हैं वे छः छः महीने की-एक साल भर से कम की तारीखें नहीं पड़ती है। इससे जिस त्वरितगति से न्याय मिलना चाहिये उसमें बाधा उपस्थित होती है।

सभापति महोदया, मैं आपकी तवज्जह इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि किसी भी प्रशासन द्वारा न्याय से संबन्धित आमदनी से कभी अपनी आमदनी बढ़ाई नहीं जाती हमारे यहां ऐसा महसूस हो रहा है कि न्याय हमारे यहां बेचा जाता है। कोर्ट फीस इतनी बढ़ा दी गई है, स्टाम्प ड्यूटी इतनी बढ़ा दी गई है कि हमारी सरकार उसको आमदनी का जरिया समझने लगी है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े रखना चाहता हूं। स्टाम्पस से हमारे राज्य कोष की १,५६,५०,००० की आमदनी आंकी गई है जब कि एडमिनिस्ट्रेशन आॅफ जस्टिस पर हमारा खर्चा १ करोड़ और ८ लाख के बराबर है जो आमदनी से बहुत कम है। ऐसी हालत में यह समझ में नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन आॅफ जस्टिस द्वारा जहां हम कमाने की बातें करते हैं वहां कम से कम इतना तो करें इसको भी नो प्रोफिट नो लोस की बेसिस पर चलावें तो और ज्यादा अदालतें आप खोल सकते हैं। इससे ज्यादा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट मुकर्रर हो सकते हैं और उससे सही मायने में सस्ता न्याय मिल सकता है और सुगमता से मिल सकता है। राजस्थान सरकार ने कोर्ट फीस इस कदर बढ़ायी है कि जहां एक लाख रुपये का दावा होता है वहां पहले ढाई तीन हजार रुपये की कोर्ट फीस होती थी उसकी जगह अब पांच हजार देना पड़ेगा। इस तरह से कोर्ट फीस आपने इतनी बढ़ा दी कि ये दावे आपस में लिटिगेन्टस के बीच में नहीं होते हैं आम तौर पर सरकार के खिलाफ ये दावे होते हैं। सरकार की यह मन्शा है जितने बड़े लोग होंगे वे ही बड़े मुकदमे करेंगे। इस तरह से कोर्ट फीस बढ़ाकर रख दी। इस सम्बन्ध में न्याय मन्त्री जरूर ध्यान देंगे। मुझे एक बात मालूम है कि एक आदमी ढाई लाख का एक और डेढ़ लाख का एक

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

इस तरह से दो मुकदमें करना चाहता था लेकिन डेढ़ लाख का मुकदमा करने के लिए उसके पास कोर्ट फीस के पैसे एक साथ इतने नहीं थे इसलिए उसको उस दावे को रोकना पड़ा। इस तरह से कोर्ट फीस ज्यादा बढ़ा देने से काफी परेशानियां हुई हैं।

तीसरी बात जिसकी ओर मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं, गड़बड़ियों के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मजिस्ट्रेट्स, मुन्सिफस की कमी की वजह से सिविल जजों की कमी की वजह से आज अदालतों में ताले लगे रहते हैं। मुझे एक माननीय सदस्य ने कहा कि झालावाड़ मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी १ जनवरी से मार्च तक बराबर बन्द रही, लोग आते रहे; खर्चा होता रहा और वापिस जाते रहे।

इसी तरह से सिविल जजेज के कोर्ट्स कई वेकेन्ट पड़े हैं। बारबार एडवरटिजमेन्ट होता है लेकिन सिविल जजेज का अपोइन्टमेन्ट नहीं होता है।

इसके अलावा मैं एक खास मुद्दा बताना चाहता हूं। हाई कोर्ट के प्रशासन का ताल्लुक है। इसमें इस कदर गड़बड़ियां होती हैं इनके अपोइन्टमेन्टस के बारे में बहुत बड़ा असन्तोष है। अभी अभी का एक केस मुझे याद आता है एक जयलाल नाम के यू० डी० सी थे जिनके बारे में हाई कोर्ट में रिट फाइल हुई थी कि इनको सेक्रेटरी टू दी चीफ जस्टिस बना दिया गया। दूसरे श्री कुन्दनराज थे जो पहले सेक्रेटरी थे उनको कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दे दिया गया। उनको रिटायर करने के बाद में उन्होंने रिट फाइल की तो उनको वापिस रख दिया गया। इस तरह से एक जगह दो दो आदमी काम कर रहे हैं। दोनों परमानेन्ट पोस्ट पर हैं। आप एक और पोस्ट क्रियेट क्यों नहीं कर देते। न्याय मंत्री महोदय जब तक आप एक और पोस्ट नहीं क्रिएट करेंगें तो दो आदमी एक ही पोस्ट पर काम करते रहेंगे। रिट जब उनकी एडमिट हो गई है तो उनके राइट रिजर्व हो गये। ऐसी हालत में आपको उनको पोस्ट देनी होगी। इस प्रकार हाई कोर्ट में चीजें होती हैं इसके ऊपर भी न्याय मंत्री महोदय को तवज्जह देनी चाहिये। अगर इस तरह से एक और पोस्ट क्रिएट हो जाय तो यह झगडा निपट सकता है। इसी तरह से कई इन्क्वायरीज होती हैं उनके रिजल्टस सामने नहीं आते हैं। अजमेर में इन्क्वायरी हुई लेकिन उसका रिजल्ट सामने नहीं आया इस ओर भी सरकार तवज्जह देगी।

एक्युमुलेशन की हालत यह है कि इतना जबदस्त एक्युमुलेशन है कि मौजूदा हाई कोर्ट जजेज की स्ट्रेन्थ है लगातार निपटाने की कोशिश करें तो अभी तक ५८.५६ की सिविल सेकिन्ड अपीलस चल रही हैं। एक्युमुलेशन जो हो रहा है उसको देखते हुए दो तीन जजेज और नहीं बढायेंगे तो यह काम पूरा नहीं हो सकेगा सीलिंग कानून संबन्धी इतनी रिटें पेश हो रही है कि इसका दायरा काफी

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

बढ़ चुका है इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आज हमारी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है कि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। झालावाड़ का मैंने जिक्र किया इकलेरा में रहने वालों और झालावाड़ में रहने वालों को न्याय प्राप्ति के लिये जोधपुर भागना पडता है धौलपुर के रहने वालों को अपने छोटे से मुकदमें के लिये जोधपुर जाना पड़ता है। पहले भी जब इस प्रकार का सवाल आया था तो मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि आपको एटमोसफिअर क्रिएट करना चाहिये। मेरा जहां तक ख्याल है जोधपुर के लोगों को आपत्ति नहीं है जयपुर में बेन्च स्थापित होने के लिये। मेरी जोधपुर के एडवोकेट्स से भी जान पहिचान है उनसे मुलाकात है, उनसे भी मैंने इस बारे में काफी बात की है। सरकार अगर इस प्रकार का कोई कदम उठाती है तो जोधपुर के एडवोकेट्स को कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। केवल कुछ लोगों के प्रेस्टिज का सवाल रह जाता है उसको उनको छोड़ देना चाहिये। हमारी जयपुर में बेन्च स्थापित करने की उचित मांग है जिससे ईस्टर्न राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वालों को सुविधा मिल सके। उनको न्याय प्राप्ति में सुविधा मिलेगी, आराम मिलेगा। यह चीज एक ऐसी है जिसके लिये हमारे सदन के सदस्यों को भी पूछा जाय तो ज्यादातर इस राय के मिलेंगें कि जयपुर के अन्दर हाईकोर्ट की बेन्च कायम की जाय। इस विषय में ज्यादा न कह कर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि न्याय प्रशासन को आमदनी का जरिया न बनाया जाय और अदालतों में खर्चा कम करने की कोशिश न की जाय कोर्ट फीस में जो वृद्धि हो रही है उसको कम किया जाय राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेन्च को फिर से कायम किया जाय यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री श्री सुराणाजी :

श्रीमानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति, महोदया, मैंने जो सहकारिता के विषय में कटौती प्रस्ताव सदन में पेश किये हैं उन पर इस सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता के लिए जो आंकड़े और टारगेट तीसरी योजना में सरकार ने रक्खे हैं उसमें आज तक पिछले तीन वर्षो में जो प्रगति हुई है, उसको देखते हुए यह निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि जो टारगेट्स कोर आफ दी प्लान में हमने रखे हैं उनको अचीव करने में तीसरी योजना की समाप्ति तक हम असमर्थ रहेंगे।

नमूने के तौर पर मैं बताऊं। हमने यह टारगेट रखा कि हम ६८ प्रतिशत परिवारों को कोआॅपरेटिव फील्ड में सहकारी सेक्टर में लावेंगे। इसके बाद योजना में जब कटौती की तो आपने टारगेट रखा ५८ प्रतिशत परिवारों का लेकिन आज तक जो प्रगति हुई है उसमे सिर्फ आप २६.७ या २८.६ प्रतिशत परिवारों को ही ला पाये हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी रफ्तार से आप बाकी के २६ प्रतिशत को दो वर्षो में पूरा कर सकेंगे।

अब २६ प्रतिशत परिवारों का मतलब हैं राजस्थान में ४० लाख माने जावें परिवार तो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कमसेकम १३ लाख परिवार। पर आपकी रफ्तार को देखते हुए आपके प्रावधानों को देखते हुए इस रफ्तार से लक्ष्य को नहीं पहुंच सकते।

इसके साथ ही सभानेत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा कि इसका विस्तार कितना हो रहा है यह भी देखा जावे। इसके बारे में सरकार का फिजिक टारगेट को सोचने का तरीका बहुत ही दकियानूसी और बहुत ही मध्ययुगीन तरीका है। अगर दस रुपये का एक शेयर एक परिवार को बेच दिया तो आप इस निष्कर्ष पर आगये कि आपने उस परिवार को सहकारिता क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने भले ही इस तरह से २६ प्रतिशत में भी किया हो पर उनकी भावना में और जीवन में अगर महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ा है तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आज वे इस भावना से आपके शेयर खरीदते हैं कि इनसे उनको ऋण मिल जावेगा या बीज मिल जावेगा। पचास का खरीदता है शेयर तो समझता है कि उसको ५००) का ऋण मिल जावेगा या बीज मिल जावेगा, पचीस का खरीदता है तो २५०) का मिल जावेगा।

अगर हम यह चाहते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था में सहकारिता एक महत्वपूर्ण रोल अदा करे तो इतना करके रह जाने से हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते। आप यह बताइये कि इस तीसरी योजना के शुरू में जो सहकारी समितियां बनीं उनमें पूंजी कितनी थी, इन तीन वर्षों में वह कितनी बढ़ी, और इसके बढ़ने के साथ साथ एक साल में सहकारी क्षेत्र में टर्न ओवर कितना हुआ, जो माल खरीदा, उत्पादन किया उसका अनुपात क्या रहा और आप इन सारे फिगर्स का मुकाबला स्टेट सैक्टर की इन्कम और उसके उत्पादन से प्राइवेट सेक्टर की इन्कम और उसके उत्पादन से करें। यदि आप इस तरह के कम्पेरेटिव आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत करें तब हम निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि हम वास्तव में क्या प्रगति कर रहे हैं। अन्यथा तो हम एक झूठे मृगजाल में फंस गये हैं, मृग मरीचिका की तरह इन झूठे आंकड़ों की प्राप्तियों में गलत तरीकों से सहकारिता के बारे में विचार करते है और गलत दर्शन, हाला कि सहकारिता का दर्शन बहुत अच्छा दर्शन है, यह हम बताएंगे और उसको चलाने में असमर्थ होंगे, आज भी असमर्थ हो रहे हैं।

कोआपरेटिव सेक्टर को लीजिये। सहकारी कृषि समितियां आपने कितनी बनाई? ३६० बताते हैं आप। आठ हजार लोग बता देंगे और कुल जमीन ६४ हजार बीघा बता देंगे। ये आंकड़े हमारी वास्तविक प्रगति के प्रतीक हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि अभी तो हम ०.१ परसेन्ट तक ही जा पाये हैं। अपनी वास्तविक उपलब्धियां बस इतनी हैं।

कन्ज्यूमर्स सोसायटी मूवमेन्ट को लीजिये। राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान भर में आज सबसे अधिक आवश्यकता इसको है। यदि बढते हुए भावों को रोकने के लिये हम

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कन्जूमर्स कोआपरेटिव सोसायटियों का मूवमेंट करना चाहते हैं तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मूवमेंन्ट के प्रति आपका जो रवैया आज है वह इस को कतई बढ़ावा नही दे रहा है बल्कि रोक रहा है यह भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से यह आरोप लगा रहा हूं, मैं निवेदन करना चाहूंगा। यदि आपइस आरोप की पुष्टि चाहते हैं तो आप खबरें मंगाइये कि कितने शहरों और कस्बों में लोगों की दरख्वास्ते अपने अपने वार्ड में इनको खोलने के लिए आई पड़ी है। आपके डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कहते हैं कि नहीं, सरकार नेसीमा बांध दी है कि बीकानेर में १८ होंगीं तो १८ही होंगी ज्यादा नहीं हो सकतीं, जोधपुर में जयपुर में, उदयपुरमें इतनी इतनी होंगीं ज्यादा नहीं हो सकतीं और इसमें भी एक एक की सीमा में दो दो तीन तीन वार्ड रख दिये। अब अगर तीन वाले अपनी अलग बनाना चाहें तो आप इजाजत नहीं देंगे। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हम बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी नीतियों से इसमें रोक नही आनी चाहिये बढ़ावा मिलना चाहिये। इसलिये मैं यह मांग करूंगा कि सबसे पहले तो आप यह सीमा समाप्त कर दें और आपने जहां दो तीन या चार वार्डो में एक लगा रखी वहां हर वार्ड में हो सके, इस नीति को अख्तियार करना चाहिए।

इसके साथ ही चीनी के मामले में आपने जो दृष्टिकोण अपना रखा है कि शहरों और कस्बों में पचास प्रतिशत आप कोआपरेटिव क्षेत्र में देंगे वितरण के लिये और पचास प्रतिशत प्राइवेट दुकानदारों को देंगे मैं इसको कतई ठीक नहीं समझता। बहुत से सैंकड़ों तरह के आर्टिकल्स प्राइवेट सेक्टर में डील होते हैं। अब जिसको भारत सरकार ने कन्ट्रोल किया और जिसके वितरण की व्यवस्था आपने अपने हाथ में ली है, मैं नही समझता कि उसमें जहां होलसेल कोऑपरेटिव स्टोर संगठित हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा आदि नगरों में उन सहकारी होल सेल स्टोरों को शत प्रतिशत आप इसका कोटा दे दें तो एक एक स्टोर को प्रत्येक महीने में करीब करीब तीन हजार किसी को चार हजार का एडीशनल मुनाफा हो सकता है। तो इसमें सरकार को क्या कठिनाई है। ये इससे पनपेंगे। शायद आपको भय है कि प्राइवेट लोग यह आक्षेप लगावेंगे कि इसे सहकारिता के लिए कम्पलीटली आपने रिजर्व कर दिया। पर मैं निवेदन करूं कि यह आक्षेप आपके लिए शर्म की बात नहीं है, शोभा की ही बात है। यह यह साबित करेगा कि आप दृढ़ता के साथ सहकारिता को बढ़ावा देते जा रहे हैं। और एक आर्टिकल तो कम से कम ऐसा है कि जो रिजर्व आपने सहकारिता के लिए कर दिया है। इसी तरह दूसरे आर्टिकल हैं, फूड आर्टिकल हैं खास तौर से वे जिनका वितरण सरकार करती है उनको तो आप कन्जूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटियों को कम्पलीटली दें और उनके मार्फत इनका वितरण कराएं ताकि उनका टर्न ओवर बढ़

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सके, उनका मुनाफा बढ़ सके और आपरेशनल कोस्ट कम हो सके।

और आपकी सरकार ने जो दूसरी नीति यह अपनाई कि चीनी का पचास प्रतिशत तो उनको दिया पर गुड़ के बारे में जो आपने यह कहा कि शहरों को देंगे ही नहीं, सब गांवों को देंगे। हालांकि यह विषयान्तर होगा पर मैं निवेदन करूंगा कि सरकार का यह निर्णय शहरों की आर्थिक परिस्थिति के बारे में उसके इग्नोरेन्स को जाहिर करती है। शहरों में भी आज अस्सी प्रतिशत लोग गरीब हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं पांच मिनिट में समाप्त कर दूंगा सभानेत्री महोदया।

श्रीमती सभानेत्री : जरा और भी कमी करने की चेष्टा करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो अन्य सदस्य कह चुके हैं मैं उनको रिपीट करने का प्रयास नहीं करूंगा।

शहरों में जो ८० प्रतिशत गरीब लोग रहते हैं उनको आपने गुड़ से महरूम रख दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस नीति को भी सरकार को रिवाइज़ करना चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान के किसी भी स्टेट में इस तरह का निर्णय नहीं हुआ कि शहरों और कस्बों के लोगों को गुड़ से महरूम रख दिया जाये। इसलिए कन्ज्यूमर्स कोआॅपरेटिव और होलसेल कन्ज्यूमर्स कोआॅपरेटिव सोसाइटी के लिए आप चीनी रिज़र्व रखें और जो फूड आर्टीकल्स सरकार वितरण करती है वह भी रिज़र्व रखे जायें। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण मसला है वह यह है कि आज इंडस्ट्रियल कोआॅपरेटिव्स को हमारी सरकार ने बहुत निगलेक्ट किया है और उद्योग कोआॅपरेटिव्स बनाते हैं लेकिन आप न तो उनको ऐड दे पाते हैं, न मदद देते हैं और न अनुदान देते हैं और इस कारण से राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में इन्डस्ट्रीज़ नहीं पनप रही हैं। वैसे तो सारे राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ के विकास का कोई टेम्पो नहीं है लेकिन सहकारी क्षेत्र में इन्डस्ट्रीज़ बढ़ सकें इसके लिए आपको एक नीति अपनानी चाहिए। आपने इसके लिए २॥ लाख रुपया रखा कि हम सहकारी क्षेत्र में इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। इससे आप कितनी इन्डस्ट्रीज़ जो कोआॅपरेटिव सैक्टर में चलती हैं मदद दे सकेंगे? प्राइवेट सेक्टर मे एक एक साल में १५--२० लाख रुपये का शेयर कैपीटल आप कन्ट्रीब्यूट करते हैं और लोन्स देते हैं। इसलिए प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ मे जितना लोन आप उनको देते हैं मैं यह मांग करता हूं कि कम से कम उसके मुकाबले का लोन तो कोआॅपरेटिव सैक्टर में भी इन्डस्ट्रीज़ के लिए रखा जाना चाहिए। रहा इस बात का प्रश्न कि जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनमें गड़बड़ियां है, भ्रष्टाचार हैं। उनका आडिट ठीक नहीं होता। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि सहकारी विभाग का जो वर्तमान स्ट्रक्चर

(श्री मानिकचन्द सूराणा)

है उसको बहुत मजबूत किये जाने की आवश्यकता है। जब कि हम सहकारिकता को वे आफ लाइफ बनाना चाहते हैं तो हमारी सहकारी समितियों में शुरू में ही भ्रष्टाचार आ गया तो निश्चित रूप से जनता में जो आदर्श की भावना इस सहकारिता के लिए हो सकती है, वह आदर्श की भावना मिट जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार बिलकुल प्रवेश न कर सके इसके लिए सरकार को बड़ा कदम रखना चाहिए।

(समय--समाप्ति--सूचक घन्टी)

श्रीमती सभानेत्री : Be brief please.

श्री मानिकचन्द सुराणा:—इसी तरह से हाउसिंग कोआॅपरेटिव स्कीम को प्रोत्साहन देने के लिए शहरों और कस्बों में हमारे सहकारी विभाग की कोई सक्षम नीति नहीं है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि राजस्थान के गरीब लोग जो शहरों और कस्बों में रहते हैं उनके लिए सस्ते आवास की व्यवस्था हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक बड़े शहर और कस्बों में आपको ऐसी हाउसिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहन देना चाहिए और उसके लिए पर्टीकुलर फण्डस रिजर्व करने चाहिए और जिस तरह आपने एल० आई० सी० से मिडिल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिए लोन की व्यवस्था की है उसी तरह के लोन की व्यवस्था आपको हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के लिए भी किया जाना चाहिए।

इसके अलावा सभानेत्री महोदया, एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि आपकी नीति जो ऊन के संबंध में है और ऊन की जो सहकारी समितियां हैं उसमें बहुत भेदभावपूर्ण नीति है। २० हजार की जो सहकारी समिति होती है उसका २ लाख पर एम० सी० एल० बनता है! आपका विभाग रजिस्ट्रेशन एक्ट के नीचे यदि घर की समिति बना ले तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पांच, आठ और दस लाख रुपये दे देता है। मैंने मंत्रियों से और रजिस्ट्रार से निवेदन किया कि एम० सी० एल० की उपयोगिता को देखते हुए और जो हमारे कम्पीटीटर्स हैं जिसमें प्राईवेट लोग अपने घरों के मेम्बर्स बना कर रजिस्टर्ड सोसाइटीज एक्ट के नीचे प्राइवेट सोसाइटी बना लेते हैं उसको देखते हुए नीति में परिवर्तन किया जाये और उसी प्रकार सहकारी समितियों को सुविधायें प्रदान की जायें जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड दूसरी समितियों को करता है। इसके बिना बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर में जितनी भी सहकारी समितियां है वह पैसे के अभाव में पूरा काम नहीं कर पाती हैं और इस कारण से जो सहकारी क्षेत्र में विकास सम्भव हो सकता है वह दिन प्रति दिन रुक रहा है। इसके साथ ही सभानेत्रीजी अंत में यह निवेदन करना चाहूंगा चूंकि समय मेरे पास नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

न्याय प्रशासन के बारे में एक बात कहना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री: Only one minute please.

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं दो तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं बहुत लम्बा नहीं बोलूंगा।

श्रीमती सभानेत्री: बहुत समय हो गया है। I am soray.

श्री मानिकचन्द सुराणा: राजस्थान में न्याय प्रशासन में सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में जब तक हाईकोर्ट की बैंच कायम नहीं होती है मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं इस सरकार पर कि राजस्थान में कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। यहां पर जयपुर में हाईकोर्टकी बैन्च कायम न करने से राजस्थान की एक करोड़ जनता को न्याय मुहैय्या नहीं हो रहा है और न्याय प्रशासन की सबसे पहली बात इस बात से शुरु होनी चाहिए कि जयपुर में हाईकोर्ट की बेन्च हो। लो मिनिस्टर साहब का जोधपुर के लिए चाहे जो भी फेवर हो लेकिन सरकार को इसके बारे में पुर्नविचार करना चाहिए। माननीय सदस्य जो बूंदी से आते हैं जो कि हमारे यहां पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं वह जयपुर में हाईकोर्ट को लाने के पक्ष में जो समिति बनी है उसके भी सदस्य हैं वे भी इसको चाहते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय प्रशासन के बारे में यदि आप सोचते है तो सबसे पहले हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में कायम कर दीजिए। इसके साथ ही क्योंकि दूसरी बातों में नहीं जा सकता हमारे उच्चन्यायालय के चीफ जस्टिस मिस्टर गजेन्द्र गडकर ने स्वयं ने कहा है कि राजस्थान में न्यायपालिका और कार्यपालिका को सम्पूर्ण रूप से अलग क्यों नहीं कर दिया जाये और उन्होने यहां तक कहा कि दक्षिण में यह काम पूरा हो चुका है लेकिन उत्तरी भारत में यह पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने खुद ने कहा है कि इस संबंध में जितनी भी दलीलें हैं वह लचर है। इसलिए मैं उनका हवाला देकर यह मांग करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी २६ जिले हैं उनमें सम्पूर्ण रूप से जून जुलाई के महीने से पूर्णतया न्याय पालिका और कार्यपालिका अलग कर दी जाये।

श्रीमती समानेत्री: श्री भरतलाल।

श्री भरतलाल (मलारना चौर): समानेत्री महोदया, राजस्थान की सरकार ने कुछ समय पहले सहकारिता का एक बिगुल बजाया था। उसके पीछे हमारी सरकार की कोई मन्शा थी और वह यह थी कि हमारे राजस्थान के गावों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, दूसरे जो गरीब जनता है वह साहूकारों के पंजों में जकड़ी हुई है उसे जोर से सरकार की छुड़ाने की मंशा थी सहकारी आन्दोलन

(श्री भरतलाल)

के जरिये। तीसरी मन्शा थी सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए भी यह आन्दोलन तेजी के साथ चलाया जाये। किन्तु कुछ कारणों से हमारी सरकार ने इसमें प्रयत्न तो काफी किये और काफी इस आन्दोलन में सहयोग भी दिया। आन्दोलन को सहयोग देने के साथ साथ इस आन्दोलन को जितना प्रोत्साहन सरकार ने दिया उसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र तो है ही। इसमें दो राय नहीं हैं। किन्तु इस आन्दोलन में जो बाधायें आईं इसको सफल न होने देने के लिए वह कई तरह की थीं। समानेत्री महोदया, जितनी भी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ बनीं उनमें पूंजीपतियों का शेयरहोल्डर होना इसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी बाधा इसकी सफलता में आई वह यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को देरी से कर्ज मिलना और उनकी अचानक वसूली कराया जाना है। तीसरी जो असफलता का मुख्य कारण है वह यह है कि हमारी सरकारी मशीनरी इसमें राजनीति का काम कर रही है। हमारी कोआपरेटिव सोसाइटीज के इन्सपेक्टर जो कि उन कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ में एक एक ग्रुप सेक्रेटरी काम करते हैं वह अपनी मन्शा का रखते है. उन कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को पूछते नहीं हैं कि तुमको कौन सा ग्रुप सेक्रेटरी रखना है। वह अपनी मन्शा का रखते हैं और जब इन कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव होते हैं तो कोआपरेटिव सोसाइटीज में से चुपके से किसी को मालूम नहीं होने देतेऔर अपने सेक्रेटरी के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को नामजद करके भेज देते हैं और छाने चुपके इनका इलेक्शन करा लेते हैं। इसके साथ ही और भी कई बाधायें आई हैं।

इसमें जो लोन एप्लीकेशन्स हैं वह समय पर जाकर नहीं दी जाती हैं। ग्रुप सेक्रेटरी उसको समय पर तैयार नहीं करता है। उसका बड़ा कारण यह है कि वह ग्रुप सेक्रेटरी कोआपरेटिव सोसाइटी की मर्जी का नहीं होता है। वह उसके नियम पर नहीं चलता है। समानेत्री महोदया, मैं कोआपरेटिव मिनिस्टर का ध्यान आपके जरिये दिलाना चाहूंगा कि यदि इन चीजों को सफल बनाना है तो इसमें पूंजीपतियों का शेयरहोल्डर होना बन्द कर दिया जाय दूसरे कोआपरेटिव सोसाइटीज को अपनी मर्जी का ग्रुप सेक्रेटरी रखने दिया जाय। तीसरे, हमारे कोआपरेटिव विभाग को इसमें काफी जागरूक रहने की आवश्यकता है कि कोई कोआपरेटिव इन्सपेक्टर दलगत राजनीति में न फंसे जिससे कि कोआपरेटिव सोसोइटी में गड़बड़ पैदा हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ-साथ इसको और सफलता दिलानेके लिए मल्टी-परपज सोसाइटीज कायम करें। छोटे से छोटे गांव में यह चीज हो।

दूसरा जो मेरा अपना मुख्य विषय था उस पर आताहूं। वह यह था कि बामनवास पंचायत समिति में जो जिला सवाई माधोपुर में है उसमें एक असिसटेन्ट कोआपरेटिव

(श्री भरतलाल)

इन्सपेटर, व एक कोआपरेटिव एक्स्टेन्सिव इन्सपेक्टर और दोनों इन्सपेक्टर जिसके बारे में पंचायत समिति ने शिकायत की है। उस पंचायत समिति के प्रधान ने शिकायत की, वहां के विकास अधिकारी ने शिकायत की, इनता ही नहीं जब मोके पर कलेक्टर साहब आये तो उनको बताया गया ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभानेत्री महोदया, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट मसाला है। उसमें घोटाला हुआ है। कलेक्टर के कहने पर ए० आर. ने उस असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर किया और ट्रान्सफर हो गया। कोआपरेटिव इन्सपेक्टर साहब के साथ में वह मसला था कि" प्यादे से फर्जी भयों, टेड़ो टेड़ो जाय"। हम मंत्रीजीकी चोटें सहले कांग्रेसी एम० एल० एज० की सहलें, लेकिन सभानेत्री महोदया, इनके जमादारों की भी हमें चोटें सहनी पड़ेंगी। जमादारों की चोटें सहनी पड़ेंगी। वह इन्सपेक्टर सोसाइटी से चल-कर यहां आया और उसको आपको रजिस्ट्रार महोदय हैं जो रजिस्ट्रार महोदय इतने दबे हुए है कि वह बोल नहीं सकते। मैंने कोआपरेटिव रजिस्ट्रार से कहा कि आप इसका ट्रान्सफर कर दें। इन्सपेक्टरकी वहांके प्रधान की शिकायत है, वहां की पंचायत समिति की शिकायत है, वहा के एम० एल० ए० की शिकायत हो वहां के कलेक्टर की शिकायत हो फिर कौन सा ऐसा कारण आ गया था, सभानेत्री महोदया, कि रजिस्ट्रार महोदय उसका ट्रान्सफर करने में असमर्थ रहे। असमर्थ तो दूर, उनके आधीन ए० आर० सवाई-माधोपुर ने उसका ट्रान्सफर कर दिया तो रजिस्ट्रार महोदय ने टेलिग्राम से उसका ट्रान्सफर केन्सिल कर दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आखिर इसके पीछे कौनसा बड़ा जैक काम कर रहा है।

श्री ज्वाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उसका जैक कौन सा है ?

श्री भरतलाल: उसका जैक मैं बताने में असमर्थ हूं। बहुत बड़ा जैक है। वह मन्त्री महोदय को पता है। इस प्रकार से रजिस्ट्रार के द्वारा और हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर की ओर से उसके ट्रान्सफर के बारे में अवहेलना नहीं होगी। पूरी पंचायत समिति चाहे, विकास अधिकारी चाहे शिकायत करे फिर भी कुछ नहीं होगा तो मुझको कहना पड़ेगा। कि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा।

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : श्री नाथूराम। केवल ५ मिनिट।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभानेत्री महोदया, मेरा प्रस्ताव इस मांग पर बांसवाड़े जिले में सहकारी समितियों को आवश्यक सहयोग और व्यवस्था पर है।

(श्री नाथूराम)

सभानेत्री महोदया, बांसवाड़ा जिला वैसे एक पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है। वहां पर हजारों की सदस्य संख्या में आदिवासियों ने कई समितियां बनाई हैं, और आदिवासी चाहते थे कि समितियों के द्वारा उनका कुछ भला हो। लेकिन मैं वहां की स्थिति आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करूं कि वहां पर कई स्थानों पर ९९–१०० प्रतिशत आदिवासी रहते हैं उन्होंने समितियां बनाई हैं। लेकिन समितियों के बारे में विभाग की तरफ से काफी अव्यवस्था हैं, जैसे वहां पर ग्रुप सेक्रेटरी किसी समिति में नहीं है। वहां पर क्या होता है कि वहां का जो असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर है वह अपना कर्तव्य अदा नहीं करता है। उनका नाम श्री गोपाल लाल मुखिया है। उसने वहां पर समितियों के अन्दर पार्टियां बना रखी हैं, और अपने स्वार्थ के लिए समय पर लोन एप्लीकेशन पेश नहीं करता है। जो समितियां उसको आर्थिक सहयोग देती हैं उनकी समय पर लोन एप्लीकेशन पेश करवा देता है और ऊपर जाकर समय पर निकलवा देता है, लेकिन जो समितियां उसको आर्थिक फ़ायदा नहीं पहुंचाती है उनकी लोन एप्लीकेशन्स में कुछ खामी रख देता है कि जिससे वे समय पर कम्पलीट होकर नहीं पहुंचती हैं। उसके खिलाफ गबन के बारे में ए० आर० बांसवाड़ा ने शिकायत की है लेकिन रजिस्ट्रार साहब के आफिस में कागज पेंडिंग हैं मैं खुद रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में पहुंचा उन्होंने बताया कि हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है। सभानेत्री महोदया, एक असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर के ट्रान्सफर के बारे में एक हाई अथॉरिटी ने यह जवाब दिया कि गवर्नमेंट को लिख दिया तो क्या यह उनके अधिकार में नहीं है कि उस असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर को उस गबन के केस में डिसमिस करें या उसको वहां से कहीं न कहीं बाहर भेजना चाहिए। लेकिन राजस्थान में इस प्रकार की अव्यवस्था है।

सभानेत्री महोदया, उन आदिवासियों के लिए यह नुकसान है कि वे शेयर खरीदते हैं लेकिन उनको समय पर लोन नहीं मिलता है। वहां पर यह अव्यवस्था है कि जिस मौसम पर काश्तकारों को खाद और बीज की जरूरत रहती है उस वक्त उनको ऋण नहीं दिया जाता है। बारिश के दिनों में काश्तकार मारे मारे फिरते हैं उस वक्त उनको ऋण नहीं मिलता है, तब साहूकारों से कर्ज ले लेते हैं और बाद में ऋण दिया जाता है। अब वसूली कैसे होती है कि जब फसल खेत में खड़ी होती है तो अचानक वसूली हो जाती है तो वापस उनको व्यापारियों के पास जाना पड़ता है और ३३ पर्सेन्ट से ५० पर्सेन्ट तक सूद देकर कर्जा लेकर वे समितियों को कर्जा देते हैं। कई काश्तकारों के खेत समितियों द्वारा बिकवा दिये गये हैं। सभानेत्री महोदया, बांसवाड़े डिस्ट्रिक्ट में हजारों की संख्या में जो आदिवासी सदस्य हैं वे बुरी स्थिति में हैं।

आज तक वहां कई समितियों को मध्यकालीन लोन नहीं मिला है उसकी व्यवस्था हो ताकि लम्बे समय पर धीरे धीरे फसल होने पर दे सकें।

(श्री नाथूराम)

सभानेत्री महोदया, वहां पर अव्यवस्था यह भी है कि कोआॅपरेटिव बैंक की कार्य कारिणी का जो चुनाव होता है तो वहां पर सरकारी इन्स्पेक्टर जो हैं वे चुनाव लड़ते हैं। डाइरेक्टर का जो चुनाव होता है तो समितियों के मेम्बर उसको चुनते हैं तो इन्सपेक्टर कहता है कि अगर तुम हम को वोट नहीं दोगे तो हम समय पर लोन नहीं दिलायेंगे। इस तरह की पार्टी पोलिटिक्स से वह इन्सपेक्टर चुनाव लड़ता है, और जो कोआॅपरेटिव बैंक बांसबाड़े में है वहां एक इन्सपेक्टर डाइरेक्टर के पद पर भी हैं। सभानेत्री महोदया, अगर इस तरह से सरकारी कर्मचारी जनता के प्रतिनिधि बन जायेंगे तो किस तरह से व्यवस्था चलेगी। सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकारी कर्मचारी के लिए बैंक के डाइरेक्टर्स का चुनाव लड़ने के लिए जो नियम बना रखा है उसको एकदम बन्द कर देना चाहिए।

इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि वहां पर जो सब्सिडी मिलती है, छोटे छोटे गोदामों के लिए उसमें भी भ्रष्टाचार होता है....

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

थोड़ा सा टाइम और लूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : समय नहीं है।

श्री नाथूराम : मैं पिछड़े हुए क्षेत्रों की सही सही स्थिति बताता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आपको ५ मिनिट दिये गये थे।

(समय--समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री नाथूराम : वहां पर उनको समय पर खाद नहीं दिया जाता है और न सब्सिडी समय पर मिलती है। सभानेत्री महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : छोटे छोटे गोदामों के लिए जो सब्सिडी मिलती है उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वहां एक और आपत्त है कि भूमि बन्धक ऋण के लिए पैसा नहीं मिलता है....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : भानुप्रसादजी।

श्री भानुप्रसाद कराडिया (चौमू) : सभानेत्री महोदया, आज राजस्थान में जहां पर देखते हैं हरेक गांव में सहकारी समितियां प्राप्त हैं। हरेक सहकारी समिति का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उनको जो

(श्री भानुप्रसाद कराडिया)

लोन वगैरह दिया जाता है उन लोन्स को सही रूप से कार्यरूप में परिणत नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ जो कि रजिस्ट्रेशन के मामलों में धांधली होती है वह मैं आपको बताता हूं। एक सहकारी समिति मेरे यहां बनी जिसको शिव डूंगरी बीड सामूहिक कृषि सहकारी समिति कहते हैं उसके लिए तहसीलदार ने लिखा कि सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन होने पर भूमि इसको जल्दी ही दे दी जायगी और सोसाइटी को रजिस्टर कर दिया जाय। इस पर उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया गया और रजिस्ट्रार साहब से, उप सचिव सहकारिता से और उप मन्त्री महोदय सहकारिता व राजस्व से मैं अनेक बार मिला, रेवेन्यू उप मन्त्री महोदय से भी मिला, रेवेन्यू विभाग के अन्दर में जो भूमि आती थी उस को उन हरिजनों को देने की बात कही गई थी लेकिन आज तक उन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है यदि सहकारिता को बढ़ाना है यदि आपको सहकारिता को प्राथमिकता देनी है, सारे राजस्थान में सहकारिता को प्रोत्साहन देना है तो मैं कहूंगा शिव डूंगरी बीड़ कृषि सहकारी समिति को वह भूमि देनी चाहिये।

इसीतरह से बहुधंधी सहकारी समिति लि. खोरा बीसल काफी साल पहले रजिस्टर हुई थी। थोड़े दिन तक उसका काम चला और बाद में लिक्विडेशन के आोर्डर हुए लेकिन आज तक उसको लिक्विडेशन में नहीं लिया गया और ६.७ साल से उसमें जो गबन है उसको नहीं देखा गया और न लिक्विडेशन के कारण देखे गये। एक इन्स्पेक्टर साहब को कहा गया था कि हिसाब किताब देखें लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला उस इन्स्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मेम्बर्स के शेयर्स का भी पता नहीं कि कहां जमा हैं कहां नहीं। यह है आपके सहकार विभाग के कार्य का नमूना।

ग्राम खोरा में कृषि सहकारी समिति बनाई गई थी उसको केवल चार सदस्यों ने रजिस्टर करवाया उसमें पहले, २०.२५ आदमी थे उनको धोखा दिया गया। उसमें मुनीरखां थे, दूसरे प्रतापनारायण थे और तीसरे नानूलाल थे और चौथे एक और आदमी थे। इन चारों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मियां और बीबी को अलग २ बताकर। ११ सदस्यों को कम से कम सोसाइटी होनी चाहिये लेकिन चार सदस्यों ने अपने ही परिवार के व्यक्तियों को सदस्य बनाकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया यह सरकार की जागरूकता का नमूना है। एक सहकारी समिति को रजिस्टर करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिये इसको न देखा गया और मींया बीबी को अलग अलग बता कर रजिस्ट्रेशन करवा लिया।

इसी तरह से चोमूं चर्म उत्पादन सहकारी समिति को रजिस्टर हुए १२ महीने हो गये लेकिन कुण्ड कारखानों के लिए उसको आज तक जमीन नहीं दी गई।

तीसरी बात यह है कि चर्म उत्पादक

(श्री भानुप्रसाद कराडिया)

सहकारी समिति खोराबीसल को काफी पैसा मिला था। एक आदमी ने उसमें पदाधिकारी होते हुए भी उसने ६०) प्रति माहवार वेतन सोसाइटी से लिया। आज देखा जाय तो वहां पर लाखों रुपयों का घोटाला है। ३० ४० हजार रुपये तो अनुदान के ही बर्बाद कर दिये हैं। चर्म उत्पादक कारखाने का ऐस्टीमेट ज्यादा से ज्यादा ६ हजार रुपये खर्च किये होंगे उसकी जांच करवाई जाय।

इसी तरह से अचरोल श्रमिक ठेका सहकारी समिति को रजिस्टर करने का लिखित आर्डर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार साहब से लेकर जैन साहब जो इन्स्पेक्टर आमेर हैं उनको दिया मगर आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन बीच २ में रोड़े डालते हैं। मैंने रजिस्ट्रार, उप सचि,वसहकारिता और उपमंत्री, सहकारिता इन सबको सिर झुकाया हैं लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने सहकारिता का नमूना आपके सामने रखा है। आप सहकारिता को चलाकर गरीब अमीर को बराबर देखना चाहते हैं तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मुझे भी सहकारिता से बहुत प्रेम है।

इसके साथ ही साथ कृषि सहकारी समिति लाबाही, दूदू रजिस्टर की गई उसका रजिस्ट्रेशन नं० १५।६६ है और खसरा नम्बर १६/१ में ३० बीघा ६० बिस्वा भूमि एडवाइजरी कमेटी ने एलॉट कर दी थी लेकिन बाद में आने वाले तहसीलदार ने यह भूमि किसी दूसरे को एलॉट कर दी। वहां के सरपंच ने अपने दो नाबालिग लड़कों को एलॉट करवाली जब कि उसके पास पहले ही से सीलिंग कानून से ज्यादा जमीन है। तहसीलदार ने फैसला दिया है कि यह भूमि एलॉट दूसरों ने करवाली है, कृषि सहकारी समिति को दिलाई जानी चाहिये। लेकिन पटवारी और सरपंच ने मिल कर नाजायज तौर से हड़प करने की कोशिश की है और अब उस समिति को भंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह है आपकी सहकारिता का नमूना। ऐसी हालत में जो आज गरीब हरिजन भूमिहीन हैं, मैं निवेदन करूंगा कि, उनको भूमि दी जानी चाहिये। आज उनके साथ किस कदर अन्याय किया जा रहा है। शिवडूंगरी बीड़ सामुहिक कृषि सहकारी समिति के सदस्य हरिजन भूमिहीन को भूमि देने के लिये उप मन्त्रीजी सहकारिता व राजस्व ने आश्वासन दिया था, रजिस्ट्रार और कलेक्टर जयपुर ने आश्वासन दिया था लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। मंत्रीयों को और सबको सिर झुकाता हूं और कहना चाहता हूं कि आप कम से कम अहने आश्वासनों की तरफ तो ध्यान दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मन्त्रीजी उत्तर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय चेयरमेन महोदया, मैं अपनी डिमान्ड पर जो कट मोशन्स आये हैं उनका उत्तर दूं

(श्री मथुरादास माथुर)

उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां प्रश्न उठाया था कि युनिवर्सिटी के करीब ३०० विद्यार्थियों को एन. सी. सी. की अटेन्डेन्स शोर्ट होने की वजहसे, आज जो इम्तिहान होने जारहे हैं उनमे दाखिला नहीं दिया जारहा है, उस सिलसिले में मैंने वायदा किया था कि युनिवर्सिटी ओथोरिटीजसे बातचीत करके इस मसले को निपटाया जायगा। मैंने उनसे बातचीत कर ली है और उन सब विद्यार्थियों को इम्तिहान में बैठने की इजाजत दे दी है (करतल ध्वनि), लेकिन जो हाजरी एन. सी. सी. की कम है वह उनको इम्तिहान के बाद पूरी करनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : महारानी कालेज के बारे में ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने उनसे भी बात कर ली है और उन्होंने कह दिया है कि एन. सी. सी. की हाजरी कम है तो अलाऊ कर दिया जायगा और दूसरी हो तो मजबूरी है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : ऐसे कल्याणकारी काम होने चाहिये।

श्रीमथुरादास माथुर : माननीय चेयरमेन महोदया, करीब ३३ माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स के जरिये न्याय प्रशासन पर मांगें रखी थी और कई माननीय सदस्यों ने बहस में भी हिस्सा लिया। मैं बहुत आभारी हूं, खास तौर से उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एग्जीक्युटिव और ज्युडिशियरी का सेपरेशन होना चाहिये। ऐसा उन्होंने कहकर सरकार के और मेरे हाथ मजबूत किये हैं। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

राज्य सरकार की यह नीति रही है और जब बापना कमेटी बिठाई थी उसके बाद बराबर कोशिश करते रहे और दो सालों में मैं सदन के सामने कई दफा पेश कर चुका हूं। १८३ सब डिविजनों में से १५७ सब डिविजनों में सेपरेशन हो चुका है और पीछे २६ बाकी रहे थे। इन दो सालों में उनको भी पूरा कर डालना चाहते थे लेकिन गत साल इमरजेन्सी की वजह से और रिसोर्सेज की कमी होने से पूरा नहीं कर सके। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस साल ६ सब डिविजनों में और सेपरेशन कर दिया जायगा जिसके बाद कुल २० बाकी रहते हैं। यदि धनराशि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट देगा तो मेरी इच्छा इससे भी ज्यादा में करने की है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया ने कहा कि नोर्दर्न इन्डिया में सेपरेशन का काम पूरा नहीं हो सका है बमुकाबले सदर्न इन्डिया के। मैं राजस्थान को उन नोर्दर्न प्रान्तों में नहीं रखना चाहता जिनके बारे में इस तरह से कहा जाता है। वैसे नोर्दर्न इण्डिया के दूसरे प्रान्तों से हम आगे बढ़े हैं। ज्युडिशियरी के जितने टायर थे उनमें सिर्फ यह टायर बचा था या बाकी टायर न्याय पंचायतें अलगहैं, हाईकोर्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

अलग है ये ६ और एड करने से २० बाकी रह जायेंगे। इनके लिए भी मैं उम्मेद करता हूं....

श्री भैरोंसिंह : कंपलीट सेपरेशन नहीं हो रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : अब रहा सेपरेशन कम्पलीट करने का सवाल। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़े क्रिमिनल केसेज होते हैं जिनके बारे में एग्जीक्युटिव को इन्टरफियर करने का अख्तियार होता है वे आई. पी सी. के मातहत होते हैं वे हमने ट्रान्सफर कर दिये रेलवे के थे वे ट्रान्सफर कर दिये।
फिर उसके बाद आपने इस सदन में पब्लिक न्यूसेन्स का कानून बनाया था. वह भी हमने दे दिया। हमारी धारणा है कि लोकल एकट भी दे दिये जायं हल्के हल्के। लेकिन लोकल एक्ट, नफरी ज्यादा होने की वजह से, अगर एकदम दे दिये जायं तो केस वर्क बढ़ जायगा और फिर एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की मांग शुरू हो जायगी। एक डिफीकल्टी यह है, यह मैंने सदन में जाहिर की है, दूसरी सर्विसेज की है, दोनों बातों को ख्याल में रखते हुए मैंने निवेदन किया क्योंकि माननीय सदस्यों ने कहा।

हमने आर० जे० एस० का कॉम्पिटीशन १६६२--६३ में करवाया था, उसमें सिर्फ छः आदमी कामयाब हुए और बाकी के न आ पाये क्योंकि जो अच्छे वकील होते हैं वे अपना व्यवसाय छोड़ कर नौकरी में आना पसन्द नहीं करते क्योंकि वकालत के अन्दर आमदनी ज्यादा होती है। तो सिर्फ छः स्टेंडर्ड के लोगों को सलेक्ट कर पाये, बाकी की जगह खाली रह गई। फिर हमने यह सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया कि आर. ए एस. के लोग क्रिमिनल वर्क करते रहे थे और लॉ ग्रेजुएट हैं और साथ ही जो आर. ए. एस. में पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्फत सलेक्ट हुए थे, उन लोगों को इधर लगायें। इसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई और उनमें से स्क्रीनिंग करके आर. जे. एस. में अपॉइन्ट करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में एक दो बार शिकायतें पेश हुई है कि जो स्टेन्डर्ड ज्युडिशियरी में होना चाहिए वह नहीं हुआ है। इस प्रकार की शिकायतें आई, मैं भी जानता हूं और मुझे दुःख होता है कि ज्युडिशयरी के अन्दर करप्शन का जिक्र किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पब्लिक ओपिनियन ज्युडिशियरी के खिलाफ होती है। हम मानते है कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के अन्दर ज्युडिशियरी सबसे महत्वपूर्ण अंग है आखिरी साधन है जहां जाकर जो एक्जीक्यूटिव से हेरेश हों वह रिलीफ पा सके। मैं समझता हूं जो माननीय सदस्य इधर बैठे हुए हैं और उधर बैठे हुए हैं—हम सबकी यही मन्शा रहती है कि हम जुडिशियरी को नीट, क्लीन रखें और हाईएस्ट लेवल की रेपुटेशन पर रखें, और तभी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी इस देश में पनप सकती है। इस भावना से आर. जे. एस. का कॉम्पीटीशन करके और इस तरह रिक्रूटमेंट किया और बीस, बाइस आदमियों को रिक्रूट कर लिया है। अब उनको सीधे

(श्री मथुरादास माथुर)

ही तो पॉवर नहीं दे सकते इसलिए उनके लिए नौ महीने की ट्रेनिंग रखी। ट्रेनिंग के नौ महीने सितम्बर में खत्म होंगे। सात महीने हो गये हैं और दो महीने बाकी हैं। ऐसी स्थिति में जो माननीय सदस्यों की शिकायत आई है कि कई जगह कोर्ट तो है लेकिन प्रिसाइडिंग आफिसर्स नहीं है, उसकी एक मात्र वजह यही है और बाइस आफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग खत्म होने पर सब जगह-चाहे वह झालावाड़ हो और दूसरी जगह हो जहां के लिए कट मोशन के जरिये माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है, भाषणों के जरिये से ध्यान आकर्षित किया है--एक एक आफिसर्स का पोस्टिंग कर दूंगा और वह होने पर माननीय सदस्यों को शिकायत नहीं रहेगी। इसके अलावा जो मेन्टर पोस्ट हैं उनके ऊपर ट्रेन्ड लॉ ग्रेजुएट, जिन आर. जे. एस. को सिलेक्ट किया है, भेज दिये जायेंगे।

अब एक प्रश्न पैदा होता है कि किसी सुधार की बात करना आसान है लेकिन सही तरीके से उसको जमाना मुश्किल पड़ता है। एक्जीक्युटिव और ज्युडिशियरी का सेपरेशन का नारा अच्छा है, और हमने उसको किया है लेकिन इसके बाद में आज के दिन जिला लेवल पर एस. डी. ओ, जो क्रिमिनल वर्क करते थे, एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट मजिस्ट्रेट क्रिमिनल वर्क करते थे उनका सुपरवीजन कलेक्टर कर लिया करते थे और अगर केस वर्क में डिले होती थी तो उसको चेक कर लिया करते थे। लेकिन आज के दिन परेशानी हो गई है क्योंकि कलेक्टर के अन्डर में ए. डी. एम. नहीं रहे और डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज के अन्डर में हो गये। वे राजस्थान में केवल सोलह हैं और उनको अपना ओरिजनल वर्क और अपैलेट का वर्क करना पड़ता है। वे अपना काम करते हुए, अपनी पेशियां करते हुए अपने मातहत जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में होते है, जो हमने बाइस न्याय डिस्ट्रिक्ट बनाये हैं, उनका सुपरवीजन करते हैं तो वे अपना काम नहीं कर पाते हैं। उनके लिये काम का जो कोटा और स्टेन्डर्ड फिक्स किया गया है वह करना पड़ता है, जिसे हाई कोर्ट ने मुकर्रर किया है। इसमें इतनी बात ठीक है कि सुपरवीजन ठीक ढंग से इस सिस्टम में न होने की वजह से कुछ गड़बड़ी होती है, लेकिन उसकी क्या वजह है, वह मैंने आपको बताई कि जो चेक रखना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। हमने हाई कोर्ट को इन्सपेक्शन कराने के लिए सुझाव दिया है। वह बड़ी आथोरिटी है, और कानून के जरिये जो इस सदन में पॉवर दी हैं, उनके अनुसार हमने उनको सुझाव दिया है कि दस हाई कोर्ट जज हैं, उनमें से आठ नौ आदमी, जो राजस्थान में ज्युडिशियरी के डिस्ट्रिक्ट कायम किये हैं, के अन्दर में वे डिस्ट्रिक्ट ले लिये जायं और वे छः महीने में एक साल में जाकर उनका इन्सपेक्शन करें जिससे लोगों को आसानी हो और हरेशमेंट न हो और साथ ही नये आदमी काम करते हैं उनको गाइडेन्स की जरूरत होती है, सुपरवीजन की जरूरत होती है, वह भी मिल सके। उन्होंने हमारे सुझाव को मंजूर किया है और वह बात करके आगे कदम

(श्री मथुरादास माथुर)

उठाने की सोच रहे हैं । आज यह सोचना कि मिनिस्टर का इन्सपेक्शन हो जाय तो प्रोपर सुपरवीजन हो जाय। मैं समझता हूं उचित नहीं है क्योंकि आपका लॉ मिनिस्टर कोर्ट का इन्सपेक्शन नहीं कर सकता, उसका अधिकार नहीं है. पहले हुआ करता था जब कानून नहीं बना था । अब आपकी बात को लॉ मिनिस्टर हाई कोर्ट को कह सकता है, सुपरवीजन रखने के लिए कंट्रोल रखने के लिए और एफिशियेन्सी रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज का सुपरवीजन और कंट्रोल रहे और उन पर हाई कोर्ट के जज का रहे तो काम अच्छा होगा। अब जो बात करप्शन की कही गई, तो ऐसे आफिसर्स, जिनकी सी. आर्स खराब हैं उनको हमने कम्पलसरी रिटायर किया है। लास्ट ईअर एक दो मजिस्ट्रेटों के बारे में करप्शन के बारेमें शिकायत आई तो उनको सस्पेन्ड करवाया है। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करते हैं। लेकिन फिर एक्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट काम तेजी से कर सकता है उतना ज्युडिशियल डिपार्टमेंट नहीं कर सकता । हमे हाई कोर्ट को प्रार्थना करनी पड़ेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हाई कोर्ट का हमें सहयोग मिला है, जब कभी कोई बात हमारे दिमाग में आई है, आपके सुझाव से आई है तो हमने हाई कोर्ट को लिखा है और उन्होने उसको पूरा किया है। अभी जो सेपरेशन हुआ है वह एक दो साल में जड़ पकड़ लेगा और अभी जो शिकायतें देखने को मिलती हैं वह नहीं मिलेंगी और जो हम चाहते हैं उसको पूर्ण कर सकेंगे ।

चेअरमैन महोदय, दूसरा प्रश्न जो अभी उठाया गया है, वह यह उठाया गया है कि लिटिगेशन के अन्दर, सरकार मुकद्दमों में सरकार को काफी नुकसान होता है रुपया खर्च होता है क्योंकि ८० सी. पी. सी. के जवाब नहीं आते हैं। हमने इस सम्बन्ध में इन्तजाम किया और खासतौर से आफिसर मुकर्रर किया गया है, जो ८० सी. पी. सी. के नोटिस आयेंगे उनका वह जवाब देगा। लेकिन मेरी एक कठिनाई है उसको सदन महसूस करेगा और वह यह है कि हम तो सिर्फ जवाब देने, कानूनी जवाब देने वाले लोग होते हैं लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं-मान लीजिये कि राजस्थान कोलोनाइजेशन विभाग को नोटिस दे दिया, तो ८० सी. पी. सी. का नोटिस तो पहुंच गया लेकिन वह गंगानगर में बैठते हैं, वे एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से जवाब मंगाते हैं और इस प्रकार कई महीने तक जवाब नहीं मिल पाता है इसलिए हम सीमा के अन्दर उनका जवाब नहीं दे पाते हैं, और मयाद निकाल जाती है तो वे सूट फाइल कर देते हैं। वकील को लड़ना पड़ता है अगर सूट फाइल हो जाता है। अब वकालत कौन करता है, आप एडवोकेट एडवाइज करते हैं कि यह मामला ऐसा है कि सरकार को कम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। फिर हम मध्य में कम्प्रोमाइज करके खत्म करना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिह : लॉ डिपार्टमेन्ट रेस्पोन्सिबल नहीं है तो हम भी रेस्पोन्सिबल नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : Pardon.

श्री भैरोंसिंह : लॉ डिपार्टमेन्ट रेस्पोन्सिबल नहीं है तो हम भी रेस्पोन्सिबल नहीं हैं। आप समय पर इतला नहीं करते।

श्री मथुरादास माथुर : उसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि बीच में कम्प्रोमाइज हो जाता है। इसमें थोड़ी देरी हो जाती है वह इसलिए हो जाती है। वैसे उसमें राज्य सरकार रुपया ज्यादा नहीं देती, कोर्ट फीस, वकील का महनताना नहीं देते हैं। जैसे एक लाख का दावा है और कम्प्रोमाइज करना होता है तो जो देना पड़ता है वह आधा या उससे कम होता है, ३५ हजार में कम्प्रोमाइज होता है। तो इसमें कोई करप्शन की बात नहीं है क्योंकि वह कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, लॉ के अनुसार होता है। अब यह काम हमारे आफिसर देखें उसके लिये हमने व्यवस्था की है। अब ज्यादा आफिसर्स की व्यवस्था करें तो उसके लिए फाइनेन्स वालों को कहते हैं, उसमें रुपये की बात आती है। यह जो रूल आफ लॉ है, इसमें जो सारा काम कानून के नीचे होता है, चाहे कोडीफिकेशन ऑफ लॉ का हो, इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ का सवाल हो और जो लिटिगेशन का काम बढ़ गया है। उसके मुकाबले में जितने आफिसर होने चाहिए उनकी संख्या आर्डिनरीली पूरी नहीं होती। हम इस डिपार्टमेन्ट को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा आफिसर ट्रेन्ड कराये जायं जिसकी वजह से ज्यादा इफिसियेन्सी हो सके।

माननीय चेअरमैन महोदय, जो सवाल उठाया गया है पब्लिक....

श्री भैरोंसिंह : यह बातें केबिनेट के सामने रखते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री मथुरादास माथुर : वहां भी रखता हूं यहां भी रखते हैं। आप बोलते हैं तो मुझे....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वहां मंजूर नहीं हो रही हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वहां नहीं हो रही हैं क्योंकि रिसोर्सेज कम है।

फाइनेन्स वाले मानते नहीं, आप जानते हैं। आप मंजूर करा लायें....

श्री भैरोंसिंह : आपकी बातें मंजूर नहीं हो रही हैं, इसका कारण यह है कि आप कन्विन्स नहीं कर सके या जान बूझ कर नहीं कन्विन्स होते।

श्री मथुरादास माथुर : कन्विन्स तो हम आपको भी कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी या मेरी बात नहीं हैं। केबिनेट का सवाल है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं सदन में कह चुका हूं कि इसमें रिसोर्सेज़ का सवाल है।

बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नो प्राफिट-नो लॉस बेसिस पर यह हो जाय तो ज्यादा अच्छी तरह चल सकता है। मैं उनकी जानकारी के लिए कह दूं कि कोर्ट फीसमें जो पैसा मिलता है, उसके मुकाबले जो खर्च कर रहे हैं वह दो लाख रुपया ज्यादा है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अदालतों में फार्म नहीं मिलते, प्रेस्क्राइब्ड फार्म। यह अगेने कास्ट मिल जायं तो खर्च बराबर हो जाय। अभी लोग प्राइवेट केपेसिटी में छपवा कर बेचते हैं, इससे गवर्नमेन्ट की रेवेन्यू का लॉस होता है।

श्री मथुरादास माथुर : अच्छी बात है। इसका ध्यान रखेंगे।

दूसरी बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के एपोइन्टमेंट्स के बारे में कही गई और यह कहा गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अच्छे लॉ गेजुएट्स को लिए जावें। इस सम्बन्ध में आपको बता देना चाहता हूं कि इसके लिए रूल्स बने हुए हैं हम उन रूल्स के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को एपोइन्ट करते हैं और जब से सदन बना है मैं समझता हूं कि तब से आप एक मिसाल भी, कोई भी सदन के माननीय-सदस्य-इस प्रकार की नहीं दे सकेंगे कि हमने रूल्स के मुताबिक उनको एपोइन्ट नहीं किया हो। डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिये रिकमन्डेशन करते हैं और उसी के क्रम के अनुसार हम उनको एपोइन्ट करते है। आप एक भी केस नहीं बता सकते कि हमने किसी को, जिस क्रम से उन्होंने रिकमन्ड किया हो, उसके विपरीत लिया हो। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज की तरफ से १, २, ३ नम्बर क्रमशः दिये गये हैं तो हमने पहले को पहले एपोइन्ट किया है और दूसरे को बाद में और तीसरे वाले को उसके बाद में एपोइन्ट किया है। इसके विपरीत आप एक मिसाल भी नहीं बता सकेंगे। अगर आपके पास हो तो आप बता सकते हैं। अगर किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम क्रम से पहला है तो हम उसको पहले एपोइन्ट करेंगे। अगर आपके नोटिस में कोई ऐसी बात हो कि हमने ऐसा नहीं किया तो आप बता सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस बात का भी कोई बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को आप टेलीफोन करके किसी का नाम रिकमन्ड करने के लिए न कहें यानि कोई मन्त्री टेलीफोन नहीं करेंगे ? इसके लिए क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक प्रासिक्यूटर्स के नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन

(श्री मथुरादास माथुर)

जज दोनों मिलकर देते हैं। आपने अभी प्रश्न उठाया इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई एम. एल. ए. या मन्त्री टेलीफोन करें तो सब ही के टेलीफोन्स मैं कटवाने से रहा। मैं सबके टेलीफोन्स तो कटवा नहीं सकता। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज और मजिस्ट्रेट इस सम्बन्ध में ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनके सामने वर्क के लिए आते हैं। रूल ऑफ लॉ के अनुसार फर्स्ट नाम आता है उसको पहले एपोइन्ट करते हैं और उन्हीं को किया है यह नहीं कि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज ने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी का नाम रिकमन्ड किया हो और हमने उसको सिरीयलवाइज नहीं लेकर, पहले को चान्स नहीं देकर तीसरे को पहले चान्स दे दिया हो।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हाई कोर्ट के जज को भी प्रोसिक्यूटर्स एपोइन्ट करने की पेनल है उसमें रखा जावे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पी० पी० रोज तीन साल में बदलते रहते हैं। इसके अलावा एक और भी परेशानी हमारी यह भी है कि हम उनको देते क्या हैं। हम उनको २५०), ३००) या ४००) रु० माहवार देते हैं और जब वह गवर्नमेन्ट सर्विस में आ जाता है तो 'बार' से बार हो जाता है। इसलिये कोई अच्छा वकील, जो होशियार होगा वह, तो आने को हमारे यहां तैयार नहीं होगा क्योंकि उसकी लुकरेटिव प्रेक्टिस है। वह एक केस में ५००) रु० ले लेता है। इसलिये मध्यम श्रेणी के बेस्ट एवेलेबल टेलेन्ट होते हैं उनमें से हम लेकर अपना काम चलाते हैं। मगर फिर भी मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां पर पी. एस० आई० और पी० पी० जो केसेज कन्डक्ट करते हैं उनका रिजल्ट काफी ठीक है। हमारे यहां ८० परसेन्ट केसेज रिजल्ट, रिविजन्स व अपीलस में केसेज का लास्ट ईअर का रहा है। मैं नहीं समझता कि फिर आप कैसे कहते हैं कि रिजल्ट ठीक नहीं रहते ? हां! आप यह चाहते हैं कि चिरंजीलाल एडवोकेट या रस्तौगी जैसे एडवोकेट इसमें लिये जावें तो मैं यह कहूंगा कि यदि उनको हाई-कोर्ट के के जजेज भी एपोइन्ट करें तो वे एपोइन्टमेंट लेना पसन्द नहीं करेंगे। तो ऐसे एडवोकेट तो गवर्नमेंट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना कब पसन्द करेंगे। मगर फिर भी जो बेस्ट टेलेन्ट हमने इसके लिये लिया है और मैं समझता हूं कि उनसे राजस्थान की सरकार को पूरा सन्तोष है।

माननीय सभापति महोदया, अब मैं दो तीन बातें और कहना चाहूंगा जिनके लिये माननीय सदस्यों ने एमेन्डमेंट रख कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कहीं पर मुन्सिफ कोर्ट के लिये कहा गया है। २२ ट्रेन्ड आदमी होने का भी जिक्र किया.......

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या यह सही है कि २२ ट्रेन्ड हैं वे यह कहते हैं कि उनको वापिस भेज दिया जावे ?

श्री मथुरादास माथुर: २२ आदमी वे हैं जो आर० जे० एस० में डाइरेक्ट पब्लिक

Page No. 135

(श्री मथुरादास माथुर)

सर्विस कमीशन से सलेक्ट हुए है। फिलहाल रिवर्शन वाले हैं वे तो ६ हैं। अगर वे चले भी जावें तो कोई जमीन आसमान एक नहीं होने वाला है। हम नये आदमी ले लेंगे। अगर कोई माननीय सदस्य यहां से तंग आ गये हों और इससे एप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब चीफ जस्टिस आफ राजस्थान ने यह कहा है कि २२ में से १८ रह गये हैं........

श्री मथुरादास माथुर : आप मैं जो कहता हूं मान लें। ६ ने ऑप्शन किया है। लेकिन एक ने लिख कर भेजा है कि मैं जाना चाहता हूं। मैंने कहा आप जाना चाहते हैं तो जावें।

एक माननीय सदस्य: रास्ता पड़ा है।

श्री मथुरादास माथुर : रास्ता पड़ा है जाइये, हम और रीक्रूट कर लेंगे। बहुत से अच्छे लॉ ग्रेजुएट और एल. एल. एम. आते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप कौनसे बूढ़े हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ४५ साल का तो हो गया हूं।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की यह मंशा है कि सदन का समय, जब तक यह डिमान्ड स्वीकार न हो बढ़ाया जावे ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो रोजाना होता है।

(स्वीकृति के पश्चात्)

श्रीमती सभानेत्री : सदन का समय जब तक मांग स्वीकार न हो तब तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : मैं यह अर्ज करूंगा कि जिन मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों को पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सलेक्ट किये जाता है इसके बजाय उनके एपोइन्टमेंट के लिए हाई कोर्ट के जजों की एक पेनल क्यों नहीं बना लेते ताकि वह पब्लिक सर्विस कमीशन के मोहताज न रहें ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक नियम है इसका सलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन से ही होता है। इसलिए जो कानून बने हुए हैं उनमें मैं तब्दिली नही कर सकता। हमें कॉन्स्टीट्यूशन के मुताबिक काम करना पड़ता है।

सभापति महोदया, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भीलवाड़े का एक केश रखा था। उसमें एक दलपतसिंह चौधरी हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम कर रहे हैं

(श्री मथुरादास माथुर)

उनके एपोइन्टमेंट को रिव्यु किया गया। उसके लिए उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट जज और कलेक्टर ने उस केश को रिकमन्ड किया और उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज आये उन्होंने भी उसका नाम रिकमन्ड किया और उनको तीन साल के लिए कन्फर्म कर दिया। दूसरी बात जो कही गई वह यह कि वे एक मुदई और मुद्दायले के वकील थे। यह समझने की बात है।

यह केस बहुत पुराना है। यह सन् ५४ का केस है। कोई सिंधी जेन्टलमैन श्री हीरूमल है उसने दावा किया था। उसमें प्लेन्टिफ की तरफ से रामप्रसाद लड्ढा वकील थे। यह सन् ५४ का मामला है और दलपतसिंह चौधरी जो पी. पी. हैं वह उस समय लड्ढा साहब के पास काम करते थे। वकालतनामे में उनके दस्तखत नहीं थे। क्योंकि जो मैन वकील होता है वही वकालतनामे पर दस्तखत करता है और दूसरा जो होता है वह तो सिर्फ किताबें ले जाता है और साथ रहता है।

अभी आर्डर शीट पढ़ा गया। यह तो एडजोर्नमेंट ऑफ हीयरिंग को मुल्तवी की गई है। जब हीयरिंग हुआ तो उस समय लड्ढा साहब नहीं थे इसलिए एडजोर्नमेंट मांगा गया। उस समय सिरस्तेदार ने लिख दिया उनका नाम उनको जूनियर वकील समझ कर। इसके अलावा उन्होंने कभी इस केस में आर्गुमेंट नहीं किए। उसके बाद वे वहां पर पी. पी. मुकर्रर हो गये। सूट डिफाल्ट हो रहा था इसलिए वे एपीयर हो गये और एडजोर्नमेंट मांगा। यह केस इस तरह का है। यह मालूम हुआ है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): आप यह कहते हैं कि उनका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं यह कहूंगा कि उनका नाम साफ लिखा हुआ है। दलपतसिंह चौधरी हाजिर हुए।

श्री मथुरादास माथुर: ऑर्डर-शीट में है। मैं यह कहता हूं कि वे जूनियर वकील थे और एडजोर्नमेंट लेने के लिए खड़े थे। सिरस्तेदार ने उनका नाम लिख दिया कि वकील फलां हाजिर है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आपका मतलब यह है कि ऑर्डर-शीट गलत लिखा गया और मजिस्ट्रेट ने दस्तखत किए वह गलत थे?

श्री मथुरादास माथुर: मैं यह निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट ने यह सब देखा है क्योंकि सन् ६३ में एक डांगी वकील हैं जिनका ज़िक्र किया है उन्होंने शिकायत की और जब शिकायत हुई तो उसकी जांच शुरू की। जांच में आर्डर-शीट वगैरह देखे गए। उसमें उनका नाम मौजूद है। हमने बार कौंसिल को नोटिस दिया है उसको भी नोटिस दे दिया गया कि क्यों नहीं बार एक्ट के तहत तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की जाय? और कार्यवाही हो रही है तो इसमें

(श्री मथुरादास माथुर)

हम कहां बीच में रहे ? जैसी कार्यवाही एक्ट के तहत करनी होगी वे करेंगे। अगर वहां मान लिया जायगा कि उसका नाम लिखा हुआ है इसलिए उसकी प्रजेन्स मानी जायगी तो वे सजा दे देंगे, उसको सजा हो जायगी तो पी० पी० से उसे मैं हटा दूंगा। अगर उन्होंने यह मान लिया कि यह तो कोई ग्राफेन्स नहीं है, इनका कोई फाल्ट नहीं है तो फिर आपने बात कही, हमने सुनी और बस खत्म हुई।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : लॉ डिपार्टमेंट की क्या ओपिनियन है कि आर्डर-शीट में नाम दर्ज होने पर क्या माना जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : लॉ डिपार्टमेंट को यह अख्तियार थोड़े ही है कि उसे डिस्मिस कर दे। बार कौंसिल को लिखा है। तो इसमें ऐसी कोई चिन्ता जैसी बात नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एडवोकेट जनरल ने बार कौंसिल की तरफ से नोटिस दिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : एडवोकेट जनरल ने नोटिस दिया है और कार्यवाही हो रही है। एडवोकेट जनरल कोई हमारे मातहत थोड़े ही हैं। उन्होंने नोटिस दिया है, जवाब आया है, कार्यवाही वे कर रहें हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडवोकेट जनरल एज ए पार्ट ऑफ बार कौंसिल एक्शन ले रहे है या एज ए पार्ट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट एक्शन ले रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : As a part of Bar Council। मेरे हुक्म से नहीं ले रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस केस में जब कि सरकार को मालूम हो गया कि वह मुद्दई की तरफ से भी था तो फिर सरकार क्यों पैरवी करा रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : अरे यार ! वह तो पी० पी० है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पी० पी० है तभी तो पैरवी कर रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : भाई, मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, डिबार कर दिया जायगा तो हम काहे को पैरवी करने देंगे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो लॉ डिपार्टमेंट ने इस प्रकार मिसकन्डक्ट करने की छूट दे दी है ?

श्री मथुरादास माथुर : छूट काहे की दे दी है, वे सजा दे देंगे तो मैं पी० पी० पद से हटा दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह छूट ही हो गई न दो साल से पी० पी० है।

श्री मथुरादास माथुर : पी. पी. चार साल से हो सकता है, इसमें मैं क्या करूं!

श्री मानिकचन्द सुराणा : सही बात है आप तो कमजोर हैं, भीलवाड़ा सुखाड़ियाजी का है।

श्री मथुरादास माथुर : न सुखाड़ियाजी का भीलवाड़ा है और न आपका बीकानेर है, कोई जागीर तो है नही. हमारे यहां कानून का राज्य है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पी० पी० को मन्थली पे के अलावा और फी दी गई है?

श्री मथुरादास माथुर : उनका महनताना बटता है। चन्दरसिंहजी पहले पी० पी० थे, वे हट गये झगड़ा तो इनका है। हम बीच में यों ही लाये गये।

हाई कोर्ट के बारे में जो कहा गया उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के अन्दर इस वक्त तक दो क्रिमिनल केसेज पेंडिंग हैं, बाकी हाई-कोर्ट में कोई एरियर्स नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रिविज़न?

श्री मथुरादास माथुर : रिविज़न पर आ रहा हूं। तो हाई कोर्ट में दो मामले पेंडिंग हैं....

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : वे कह रहे हैं कि गलत है।

श्री मथुरादास माथुर : वे कह रहे हैं तो क्या हुआ, मैं कह रहा हूं वह सही है। वे यहां बैठ जाय तो उनका कहा मान लेना। सिविल में ४१४ हैं फर्स्ट अपील्स और ६६ हैं सेकिन्ड अपील्स, मिस्लेनियस मिला कर एक हजार मामले हैं। कहा गया कि जजेज बढ़ा दिये जायं, कितना बढ़ायें, १० तक तो कर दिये। हिन्दुस्तान के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जजेज़ को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, गर्मियों की छुट्टियां कम करनी पड़ेंगी, सेटरडेज को काम करना पड़ेगा, काम का टाइम बढ़ाना होगा-यह मैं नहीं कह रहा हूं, होम मिनिस्टर ऑफ इन्डिया की बात दोहरा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मिनिस्टर्स पर भी यह फॉर्मूला एप्लाई होता है या नहीं?

श्री मथुरादास माथुर : आप मेरे पीछे सी. आई. डी, छोड़ दीजिये, सुबह ४ बजे से रात के १० बजे तक काम करता हूं, इसमें गलत साबित हो तो इस्तीफा दे दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपमें से कई ऐसे हैं जो रात को १० बजे के बाद भी काम करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मिनिस्टरों के लिए तो आप ज्यादा जानते हैं, आप ही जानते हैं, आपको ज्यादा मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जजेज को हार्ड-वर्क करना पड़ेगा। जजेज को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि मेरे पास एक्सचेकर नहीं है, जजेज को पुरानी एरेस्टोक्रेसी को छोड़ना पड़ेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसे एरेस्टोक्रेट्स को आप लेते ही क्यों है?

श्री मथुरादास माथुर : मोस्टली सदन के ही हैं। राजस्थान ही देश भर में ऐसा है जहां के लोगों को हाई कोर्ट में, सिविल जजेज में इतना रिप्रेजेन्टेशन दिया गया है और कहीं नहीं दिया गया है।

इसके लिए तालियां बजनी चाहिये थी!

तो हमारी जुडिशियरी का स्टेन्डर्ड ऊंचा है। बृजसुन्दरजी ने जयदयाल के केस के बारे में कह दिया, ऐसी छोटी बातों में नहीं फसना चाहिये। राजस्थान में जुडिशियरी का लेवल ऊपर है, इसके लिए राजस्थान को फख्र है और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह राजस्थान बढ़ता जायगा।

मैं समझता हूं कट मोशन्स जो रखे हैं वे विथड्रा हो जायेंगे। और इस मांग को स्वीकार किया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हायर जुड़िशियल सर्विस के लिए ६२ साल की उम्र करने के बारे मे आपने नहीं कहा?

श्री मथुरादास माथुर : अभी तो ५५ से ५८ तक है; ६२ के आने में तो देर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने बड़ी सेंटीमेंटल, इमोशनल अपील की थी। जयपुर की जनता क बारे में सब लोग एकमत हैं, आपने कुछ नहीं कहा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कहीं केपिटल ही नहीं हट जाय।

श्री मथुरादास माथुर : पहले सतीशचन्द्रजी और ज्वालाप्रसादजी इमोशनल हो जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा तो हो जायगा, पर कौल साहब का और इनका करा दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लॉ डिपार्टमेंट की राय के बावजूद भी जितने केसेज हाई कोर्ट में जाते हैं, ऐसे कितने केसेज में सरकार हारी है, कितने में सरकार जीती है- यह जरा बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : राय तो कई केसेज में लॉ डिपार्टमेंट देता है, सदन में इतने वकील हैं, राजस्थान की विजडम का पूल है, फिर भी यहां से जो कानून पास होते हैं उनमें किसी न किसी में गलती निकल जाती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार के खिलाफ जितने केसेज चलते हैं उनमें दूसरे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लोग जीतते हैं और सरकार हारती है। लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन आती है वहां कॉमन सेंस के खिलाफ सहारा दिया जाता है। मैं केसेज कोट करके बताऊंगा कि कहां रेफरेंस में गड़बड़ी कर देते हैं। इस तरह का लॉ डिपार्टमेंट है, इतने ऑर्डिनेन्सेज निकालने की बात है, यह साबित होता है कि मोस्ट इन्एफिसियेन्ट डिपार्टमेन्ट है तो वह लॉ डिपार्टमेंट है और अफसोस की बात है कि आपको साल-डेढ़ साल हो गया इस विभाग को सम्हाले, आप इसे नहीं सुधार पाये हैं, आप इसे रिकूप करें। ऑर्डिनेन्स बहुत से निकलते हैं, उनको देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी इन्एफिसियेन्सी के कारण सरकार को कितना नुकसान होता है।

(१.४० म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मथुरादास माथुर : श्री ज्वला प्रसाद जी ने जो लॉ डिपार्टमेंट की तारीफ की है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ डिपार्टमेंट आर्डिनेन्सेज नहीं निकलता है, आर्डिनेन्सेज एडिमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट निकालता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपकी तरफ से कानून गलत तरीके से ड्राफ्ट होकर आते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आर्डिनेन्सेज का सब्जेक्ट मैटर एडिमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाता है। हमारे पास लीगली ड्राफ्ट होने के लिए आते हैं। तो ऐसे आर्डिनेन्सेज में कौनसी कमजोरी रह गई है। राजस्थान बनने के बाद में २–४ कानून अल्ट्रावायर्स सुप्रीम कोर्ट में हो गए होंगे। ये तो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून भी अल्ट्रावायर्स हो जाते हैं। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि लॉ डिपार्टमेंट इन्एफिशियट है। लॉ डिपार्टमेंट में यंग-मैन हैं, क्वालिफाइड हैं, एफिशियट हैं और बड़े बैलेंस्ड माइन्ड से काम करते हैं और एडिमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आर्डिनेन्सेज इश्यू करे तो भले करे।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : पी. एस. आई. और पी. पी. को पुलिस के दबाव से निकालने का ख्याल रखते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस समय होम मिनिस्टर नहीं हूं।

श्री अब्दुल जब्बार : एक पुलिस अधिकारी पी. एस. आई. या पी. पी. राय देता है कि यह केस कंडक्ट करने के काबिल नहीं हैं, हाई-कोर्ट में चल नहीं सकता उसके बावजूद भी दाखिल किया जाय तो?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका सजेशन है कि प्रासिक्यूशन ब्रांच it must come under the Law Department-

श्री मथुरादास माथुर : P. S. Is are under the Police and the Home Minister. Public prosecutors are under the Law Minister,

यदि पी. एस. ग्राइज की बात करते हैं तो उनसे की जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सजेशन यही है ।

श्री मथुरादास माथुर : लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट थी कि....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : Point of order. ग्रासन बदला है तो सबको बैठ जाना चाहिए ।

श्री मथुरादास माथुर : कई बार ग्रासन बदलता है, हम तो बातों में रह जाते हैं, पता नहीं चलता है ।

श्री उपाध्यक्ष : Next ।

श्री भीमसिंह (उपमन्त्री, सहकारिता) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सहकारी मूवमेंट एक प्लान्ड-वे में बना है । केन्द्रीय सरकार से पंचवर्षीय योजनाओं के जो जो प्रोग्राम्स ग्राते हैं ग्रौर पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, उनके ऊपर यह कोग्रॉपरेटिव मूवमेंट बेस करता है । इस मूवमेंट की सफलता ग्रौर ग्रसफलता को जज करते वक्त यह ग्रावश्यक है कि हम सोचें कि इस मूवमेंट को कैसा ग्रॉड्स ग्रौर बैकग्राऊंड्स से गुजरना पड़ा है, ग्रपने यहां की क्या प्रवृति है, क्या हालत है । उन हालात को मद्दे-नजर रखते हुए, उस बैकग्राऊंड को देखते हुए उसके बाद ग्रपन इसको सफलता या ग्रसफलता की कसौटी पर कसें तो ज्यादा क्लीग्रर होगा ।

मैं ग्रापसे निवेदन करूं कि जैसी परिस्थितियां ग्रपने प्रांत ग्रौर ग्रपने मुल्क के ग्रन्दर, जिस तरह का शिक्षा का बैकग्राउंड है ग्रौर खास तौर से जब कि ब्रिटिश शासन रहा ग्रौर ग्रापने यहां के लोगों को एक जोइंट फेमिली की जो पहले मनोभावना थी सब के ग्रन्दर सब मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करे, वह नहीं है । पहले जितने भी घर में जो कुछ होता था उसे बांटकर खाते थे, सब एक साथ कमाते थे, सब एक दूसरे के लिए कमाते थे ग्रौर जोइंट फैमिली सिस्टम था, सहकारिता की भावना थी । यह भी एक सहकारिता थी जो दूसरे रूप में ग्रपने देश में थी । परन्तु ग्राज ग्रपन देखते हैं कि जैसे वेस्टर्न ग्रॉइडोलाजी ग्रपने यहां ग्राई, वह जो जोइंट फैमिली सहकारिता की भावना थी वह खत्म होकर लोगों में दूसरी टेंडेंसी ग्राई । हरएक ग्रादमी निजी स्वार्थ में ग्रपना पेट भरने, ग्रपना काम पूरा करने के लिए एक निजी व्यक्तिगत ग्रपनी खुदगर्जी की भावना ग्राई । उससे ग्रपनी कोग्रॉपरेटिव भावना को ठेस लगी । ग्राप दो सगे भाई भी एक जगह नहीं रह पाते हैं । इस सारे बैकग्राऊंड के ग्रन्दर, माननीय सदस्य इस मूवमेंट को इस कसौटी से कसें तो इन सब परिस्थितियों के

(श्री भीमसिंह)

होते हुए भी यह मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ पाया है उस चीज को अवश्य देखें। अपने को देखना है कि यह मूवमेंट कितना पुराना है। अपना कोआॅपरेटिव मूवमेंट राजस्थान के अन्दर राजस्थान बनने से पहले थोड़ी जगह व्यक्तिगत रूप से लोगों के अन्दर था। ऐसी हालत में अपने को देखना है कि आखिर कितना कार्यकाल इस मूवमेंट का रहा है। आज इसकी बाल्यावस्था है। इसलिए बच्चे के अन्दर जितना खामियां हैं, उनको देखकर फिर आदमी को जज करता हैं।

दूसरी जो चीज़ खासकर देखनी है कि ये जो कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनमें कोई राज्य के आदमी नहीं हैं, यह कोई राज्य का विभाग नहीं है, कोआॅपरेटिव मूवमेंट की जितनी आर्गनाइजेशन्स बनती हैं वे सब आटोनोमस बाडीज़ हैं। सहकारिता विभाग केवल पथ-प्रदर्शन करता है। उनकी मदद करता है, रास्ता बताता है। सोसाइटीज़ आजाद हैं, उनके खुद के बाइलाज हैं, उनका अपना सिस्टम है, उससे गवर्न होते हैं। आज कुछ इस तरह की मनोवृत्ति हो जाती है कि कोई भी आदमी कीसी तरह का अच्छा काम करे उसमें लोग पॉलिटिक्स को लेकर घुसेड़ते हैं। गांवों के अन्दर पहले इतनी पालिटिक्स नहीं थी। लेकिन पिछले ६-७ साल से मैं देख रहा हूं कि वहां आज इतनी पार्टी पालिटिक्स चल पड़ी है कि अगर गांव के दो कुत्ते भी लड़ते हैं तो आधे आदमी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ छू छू करते है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स और अखाड़ेबाज़ी ने इस मूवमेंट को ठेस पहुंचाई है। तो माननीय सदस्य आप अपने इलाके में इस चीज का प्रयास करें कि इस मूवमेंट को पालिटिक्स से दूर किया जाय तो मैं समझता हूं तो इस मूवमेंट की सफलता में बड़ा भारी सहयोग मिलेगा। ब्रिटिश रूल के टाइम में धार्मिक झगड़े कितने होते थे, आए दिन झगड़े होते थे परन्तु आज ऐसा नहीं। उसी तरह से हम सब अपनी पायस ड्यूटी समझें कि इस मूवमेंट को आगे ले जाना है, हम सब को मिशनरी स्पिरिट से काम करना होगा। आपने देखा होगा कि इन सोसाइटीज़ में जो ७५ पर्सेंट झगड़े पालिटिक्स के कारण है वे सब खतम हो जायेंगे। इससे ज्यादा क्या स्ट्रेस कर सकता हूं।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपन ने कितनी-कितनी तरक्की की और कितने कितने सेट-बेक थे। उस सारी चीज़ को मैं आपके सम्मुख एक एक पोर्शन के साथ निवेदन करूंगा।

सबसे पहले जब राजस्थान का गठन हुआ था उस समय ३,५६० सोसाइटीज़ थीं और आज २०,६०० सोसाइटीज़ हैं। उनके सदस्य हैं ११,६०,५२०। उसके आलावा यदि आप कवरेज देखें तो ७२ पर्सेन्ट गांव रूरल सोसाइटी में कवर कर लिये गये हैं। एक महानुभाव ने बताया, मैं उनका अभी नाम नहीं बताऊंगा, जब अपन इसके डिटेल्स में जावेंगे तो नाम उनका आ जायगा और मैं बता दूंगा-आज जो कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट है वह महज धनी-मानियों का मूवमेन्ट है।

(श्री भीमसिंह)

निम्न श्रेणी के तबके के लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि रूरल एरिया में धनी-मानी कम हैं, मिडिल क्लास और निम्न श्रेणी के ज्यादा हैं। जब ७२ पर्सेन्ट बिलेजेज को कवर-अप किया है तो यह कुदरती बात है कि कोआॅपरेटिव डिपार्टमेन्ट ज्यादा से ज्यादा सेवा मध्यम श्रेणी की और निम्न तबके की कर रहा है। जहां तक परिवार के कवरेज का प्रश्न है इसका पर्सेन्टेज ५७.६ पर्सेन्ट आया है। टार्गेट ६१ पर्सेन्ट का था उस तक नहीं जा सके हैं। तृतीय योजना में वह टार्गेट पूरा हो जावेगा-ऐसी आशा है। जहां तक टार्गेट का सवाल है, ५० पर्सेन्ट से कुछ ऊपर ही बढ़ पाये हैं। डिपार्टमेंट खाली अपनी बहबूदी दिखाने के लिए, अगडम सगडम सोसाइटी बना देगा तो कागजों पर पर्सेन्टेज बढ़ जावेगा और वह दिखा देगा पर्सेन्टेज इतना बढ़ गया है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं आवेगी। अगर अपन उसमें क्वान्टिटी चाहते हैं जब तो वह बढ़ जावेगी और क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। उस दृष्टि से भले ही कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट ऊपर से बढ़ जायगा। पैसा जो है उसको इधर उधर बांट दिया जाय, क्योंकि बांटना ही है। उसको किसी भी प्रकार से बर्बाद किया जा सकता है। एक दिन में एक करोड़ खर्च किया जा सकता है। आप बजट पास कर देते हो। पैसे का सदुपयोग हो। यह पैसा जन-सेवा में लग सके तो हमें क्वालिटी पर स्ट्रेस करना पड़ेगा न कि क्वान्टिटी पर। इसलिए कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट का यह दृष्टिकोण चल रहा है कि जितनी सोसाइटीज़ फार्म हो चुकी हैं, जितना आॅर्गेनाइजेशन हो चुका है उसको साउन्ड फुटिंग पर लाना है। जहां जहां देखें कि काम डांवाडोल है तो वहां के काम को ठीक करना है। थर्ड फाइव ईयर प्लान में इसी बात पर दिमाग कन्सन्ट्रेट हो रहा है जो टार्गेट एचीव किये हैं उनको साउन्ड फुटिंग पर लावें। सोसाइटी को इस साउन्ड फुटिंग पर लाकर खड़ा कर देना है कि जो टार्गेट रखे जायं उनको वह एचीव कर सके। यह धारणा है। कमियां हैं, अपन मानते हैं, उनको दूर कर रहे हैं। तो पर्सेन्टेज ५७.६ पर ही जा सका है। इसके उधर एक्सपेन्डीचर साइड में देखिये। एक्सपेन्डीचर साइड में है: १९६२-६३: ५.१३ करोड़ शार्ट-टर्म और मंडियों में दे सके है। ३६.४० लाख रुपया लोंग-टर्म्स मार्केटिंग सोसाइटीज में और अपेक्स मार्केटिंग सोसाइटीज़ में। १११ मंडियों में क्रय-विक्रय सोसाइटीज़ बन सकी हैं। डिबेट के समय एक महानुभाव ने फरमाया था और काफी महानुभावों ने बात रखी कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ की हालत खराब है और क्या उनकी रोक-थाम नहीं हो सकती है। मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जहां जहां से शिकायतें आती हैं उनको नोटिसेज़ दिये जाते हैं, सुपरसीड किया जाता है और ६ को अभी सुपरसीड किया है और ५ को नोटिसेज़ दिये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मैंने निवाई मार्केटिंग के लिए निवेदन किया था।

श्री भीमसिंह : मैंने अपने क्वेश्चन के उत्तर में भी निवेदन किया था कि यह सही बात है उसने रिश्तेदारों को रख लिया है जो कि रूल्स के खिलाफ है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

('हियर हियर')

श्री जयनारायण सालोदिया : १ साल हो गया ।

श्री भीमसिंह : देरी होकर भी दुरुस्त हो जाय तो मैं समझता हूं आपको तसल्ली होनी चाहिये ।

('हियर हियर')

अब आया लक्ष्य अपन का। ६ हजार सोसाइटीज़ का लक्ष्य था । ६,६१३ सोसाइटीज़ अपन ओर्गेनाइज कर पाये हैं । १० लाख का प्रावधान था उसमें से ८.५८ लाख खर्च कर सके हैं पहली पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में २०२ लाख रुपया खर्च करना था जिसमें १९३.६ लाख रुपया खर्च कर चुके हैं । थर्ड फाइव ईयर प्लान के पहले दो वर्ष में प्रावधान रखा ८१.९९ लाख जिसमें से अभी खर्च कर चुके हैं ८१.६८ लाख रुपया । इससे आपको यह जानकारी मिली होगी कि जितने टार्गेट्स हैं स्टेडिली प्रोग्रेस करते जा रहे हैं ।

सरकारी सहायता का प्रश्न आया । सरकार ने अब तक सहकारी संस्थाओं को हिस्सा दिया है १.७६ लाख, अनुदान ५३.८७ लाख-मध्यम ३.८८ लाख ऋण। भन्डार को १६ लाख दिया। इसका रेकरिंग एक्सपेन्डीचर ६६.१३६ । जन-जाति सहकारी समितियां समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत हैं, १०.६६ लाख गत वर्ष दिये। ७ लाख रुपया जन--जातियों के लिए इस वर्ष रखा है ।

डिबेट में वसूली की चर्चायें आई थीं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवर ड्यू काफी रहा है। इसका एक कारण यह भी रहा है कि नया नया मूवमेन्ट था। लोगों को पैसा मिलने लगा। हो सकता है बहुत से ग्रामीण नहीं समझ पाते थे इसको, बहुत सी जगह मनमानी हो भी जाती थी कि सरकारी पैसा आ रहा है, मुफ्त में आ रहा है। लौटा देंगे। देखा जायगा। उन्होंने उसको कन्स्ट्रक्टिव-वे में खर्च नहीं किया और व्यक्तिगत मामले में खर्च किया-उसके कारण वसूली भारी पड़ गई। दूसरा कारण यह भी रहा कि रेन्स रेगुलर नहीं होती रहीं। राजस्थान वैसे भी एक ऐसा एरिया है कि जिसके किसी न किसी भाग में अकाल रहता है। हर तीसरे साल वर्षा की कहीं न कहीं कमी रहती ही है। इसलिए काश्तकार के लिए पैसा देना भारी पड़ता है। जो भी फीगर्स दिये है मैंने आपको, उनको आपने मुलाहिजा किया होगा कि शार्ट-टर्म लोन की कमी थी। साल में दो बार देते हैं। एक तो बरसात के पहले देते हैं बीज खाद वगैरह के लिए। वे उसको उसमें काम में लेते है। उनको वह दिसम्बर में वापिस लौटाना होता है। दूसरा मई में देते हैं जिसको सितम्बर में लोटना होता है। बरसात जब फेल हो

(श्री भीमसिंह)

जाती है तो काश्तकार अपने घर से निकाल कर दे यह नामुमकिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वसूली बढ़ती गयी। पिछले दो साल के जो फीगर्स आये हैं उनको देखते हुए प्रोग्रेस काफी एनकरेजिंग है वसूली के लिए अभियान तय किया, प्रोग्राम चाक-आउट किया गया कि इतने अरसे में वसूली के लिए अभियान होगा उसमें कितनी वसूली हो। उसमें पब्लिक का सहयोग लिया जाय, स्टाफ काम करे। आदान प्रदान से और एक दूसरे के सहयोग से यह किया जाय। पहला अभियान किया गया, आपको जानकर यह खुशी होगी कि ६५ लाख रुपया वसूल कर सके। दूसरा अभियान नवम्बर से शुरू किया, ६४ की फरवरी तक १.१३करोड रुपया वसूल कर पाये हैं।

(२.०० म० प०)

तो फीगर्स साफ तौर से बताते हैं कि इन अभियानों द्वारा इतना पैसा वसूल हुआ। दूसरे अभियानों के अन्दर भी पैसा आयेगा। काश्तकारों की इकानामी को शेटर करके पैसा नहीं लिया जा सकता। जितनी गुंजाइश है वे उतना दे देते हैं। किसी की खाल तो नहीं उतार सकते। पहले तो उनके सामने टुकड़ा डाल दिया जाय जैसे चूहे के आगे रोटी डाल दें और जब वह खा जाय तो उसकी खाल निकाले लें यह नहीं हो सकता। हमने जो यह मूवमेंट चलाया है वह काश्तकारों की बहबूदी के लिए चलाया है। जैसी जैसी पेंइग कैपेसिटी होगी भगवान करे अच्छी फसल हो आयन्दा साल तो रुपया हमारे पास उनसे ज्यादा आ जायेगा। ऐसी बात नहीं कि काश्तकार देना नहीं चाहता। उनकी ऐसी हीन भावना नहीं कि वे मुफ्त में खायें। उनको पैसा देना है वे देंगे और समय आने पर ही देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : पैसा उन लोगों में बाकी है जो देना नहीं चाहते। उनके पास पैसा होते हुए भी देना नहीं चाहते। ऐसों के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री भीमसिंह : ऐसा है कि आपका कहना दुरुस्त है। मेरे हाथ की पांच अंगुलियां हैं सभी तो समान नहीं हैं। इसी प्रकार सभी नहीं देना चाहते हों यह बात नहीं। हो सकता है कुछ व्यक्ति हों, ऐसे शोर्ट टेम्परामेंट, तुच्छ विचारों के आदमी हो सकते हैं। यह सही है कि जिस आदमी की इकानामिकल पोजीशन ज्यादा खराब होगी उसमें ईमानदारी का माद्दा ज्यादा मिलेगा लेकिन जिसके पास पैसा है वह एक्स्ट्रा पैसा और लेने की चेष्टा करता है, उसकी देने की नीयत कम होती है -इसमें दो राय नहीं। हमारे प्रयास चालू है, सब से पैसा रिएलाइज़ किया जायगा।

एक माननीय सदस्य ने अपेक्स बैंक और सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में निवेदन किया। उनका यह फरमाना था कि सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक की हालत ज्यादा बिगड़ी है, ज्यादा ओवर ड्यूज हो गये हैं। उनकी

(श्री भीमसिंह)

जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अपने यहां पिछली नवम्बर तक १२ अपेक्स बैंकों का जो सेन्ट्रल बैंक का ओवर ड्यू रहा है वह पर्सेन्टेज आता है ६६.७३ तक का है। उसके बाद फरवरी तक १२ में से ६ सेन्ट्रल बैंक का ओवर ड्यू रहा है उसका पर्सेन्टेज ७४.७३ लाख का गिरा है। इस तरह से पर्सेन्टेज की हालत देखते हैं तो उसमें सुधार हुआ है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : भीलवाड़ा के बैंक की हालत सुधरी है या बिगड़ी है-यह तो बताइये ?

श्री भीमसिंह : इसके अलावा अपने जितने सेन्ट्रल बैंक्स हैं उनके लिये स्पेशल अनुदान रख करके एक्जीक्युटिव ऑफिसर्स और सबोर्डिनेट ऑफिसर्स दिये हैं। जहां जहां सोसाइटीज के अन्दर दो दो एक्सटेन्शन इन्स्पेक्टर्स लगे हुए थे उनमें एक एक करके २६ इन्स्पेक्टर्स निकाल कर बैंको के डिस्पोजल पर लगाया ताकि वे बैंकों को असिस्ट कर सकें। जहां वसूली नहीं हो सकी है उसका कारण एक यह भी रहा है कि अभी जो स्टाफ था वह पंचायत समितियों के पास लगा हुआ था। पंचायत समितियों वसूलात करती रही हैं। सेन्ट्रल बैंक्स का रुपया था। जिसका रुपये से डाइरेक्ट सम्बन्ध नहीं उस एजेन्सी को वसूली के लिए कहा जायगा तो उसमें धीमी प्रगति होगी। अगर किसी का खुद का पैसा वसूल करना होता है तो वह जाकर बार बार मांगेगा तो वसूल होगा ही लेकिन यदि किसी पड़ौसी के पैसे की वसूली का सवाल होगा तो वह एक दो बार कह देगा लेकिन उस पर ज्यादा जोर तो डाल नहीं सकता। उसी तरह से जो इन्स्पेक्टर लगे हुए थे पंचायत समितियों में उनको अलग हटाकर पंचायत समितियों को ही जवाबदारी कर दी पैसा वसूल करने की। वे सेन्ट्रल बैंक के डाइरेक्ट टच में रहेंगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : घोटाले जो करते हैं वे दोनों मिल कर ही करते हैं।

श्री भीमसिंह : ऐसा नहीं है सेन्ट्रल बैंक पंचायतों के ऋ्ण नही देती।

इसके बाद जो कमेन्ट हुआ वह होल सेल स्टोर के बारे में। इसके बारे में यह कहा गया कि होल-सेल स्टोर जितने होने चाहिए उतने क्यों नहीं किये, कम जगहों पर ही क्यों किये गये ? इसमें हमें एक चीज मद्देनजर रखकर चलना होगा, होल सेल स्टोर की स्कीम अपने यहां की स्कीम नहीं है, यह केन्द्र की स्कीम है। केन्द्र से जिस प्रकार की गाइडेन्स आती है, जिस प्रकार का प्लान आता है उसी को आधार रखते हुए चलना पड़ता है। उनके यहां से जितना सेट अप आया है ५० हजार की जन-संख्या तक वाले शहरों में यह होगा उसी के अनुसार ये खोले गये हैं। इस तरह से आठ होल-सेल स्टोर कायम किये गये हैं। १६० प्राथमिक सहकारी स्टोर कायम करने का टार्गेट था वहां पर १५१ हम कायम कर चुके हैं। जहां होलसेल स्टोर हैं वहां १ लाख रुपया हिस्सा राशि में अंशदान दिया गया है और प्राथमिक सहकारी स्टोर उसके लिए

(श्री भीमसिंह)

ढाई हजार हिस्सा अंशदान दिया जाता है। उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है इस बारे में भी शिकायत की गई। यह मैं मानता हूं कि सब संस्थायें एक सी नहीं हो सकतीं. सब आदमी एक से नहीं हो सकते। जिस जगह खराबियां हैं उस जगह सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। उनका जो आउट-टर्न है उसके मैं फीगर्स आपके सामने रखूंगा जिससे आपको मालूम हो जायगा कि इनकी हालत सन्तोषजनक है।

बीकानेर होलसेल स्टोर जो अभी अभी ही कायम किया गया है उसका एवरेज आउट-टर्न २ लाख प्रति माह आया है।

अजमेर के अन्दर १.२५ लाख प्रति माह आया है। जोधपुर में ३ लाख प्रति माह, जयपुर ३ लाख, कोटा ४० हजार। अलवर ७५ हजार उदयपुर और गंगानगर के पूरे फीगर्स नही आ पाये हैं इसलिए मैं नही रख सकता। इन फीगर्स को देखते हुए कितना टर्न-ओवर किया। क्योंकि जितना अधिक टर्न-ओवर होगा उतना हो अधिक फायदा होगा। केपीटल होल्ड करके बैठ जाते हैं तो उससे फायदा नहीं है। आज जिनका टर्न-ओवर ज्यादा है वे दूसरी दूसरी चीजों को डील करने लगे हैं। सरकार की तरफ से टोटल मिलाकर होल सेल स्टोर को अन्शदान दिया जाता है, हिस्सा राशि में एक लाख रुपया दिया जाता है। १९६३-६४ के अन्दर होल सेल स्टोर की हिस्सा राशि में १,०८ दिया गया है। केश क्रेडिट के अन्दर ६ लाख दिया गया है और व्यवस्था हेतु ४.५४ लाख दिया गया है। भण्डारों को ऋण एवं अनुदान ट्रक्स खरीदने के लिए ५० हजार हरएक को दिया गया है।

१९६३-६४ में २,५१,७०० हिस्सा राशि अनुदान केश क्रेडिट के अन्दर १० लाख दिया गया।

व्यवस्था हेतु अनुदान २४,६३० दिया है। इसमें भी ट्रक्स के लिये पचास हजार हरएक को दिया गया है।

प्राथमिक भन्डारों को ६२ से ६४ तक २.६३ लाख दिया गया है हिस्सा राशि में। और व्यवस्था हेतु १.१८ हजार दिया गया है। होल-सेल स्टोर खोलने का जहां तक ताल्लुक है उसके सम्बन्ध में सेन्टर से जिस प्रकार की गाइडेन्स आती है उसके माफिक खोले जाते हैं। और उसी के अनुसार हिस्सा राशि में वृद्धि कर दी गई है।

हिसाब में खामी की बात भी कही गई। उस सम्बन्ध में मैं भी यह मानता हूं कि जहां तक इनके हिसाब का सवाल है इसमें पूर्णतया सेटिसफेक्शन हो यह बात नहीं है....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्राइमरी स्टोर्स की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। आपने सीमा नीयत कर दी। उसके अलावा जहां कोऑपरेटिव सोसायटीज खोलते हैं तो आपके द्वारा अन्शदान नहीं दिया जाता है।

श्री भीमसिंह : यह जो नम्बर बढ़ाने का सवाल है उसके लिए केन्द्र से जिस प्रकार के निर्देश होते हैं उतनी ही उस एरिया में बढ़ा सकते हैं....

श्री रामकिशन (वैर) : केन्द्र किसी बात को सही ढंग से नहीं सोचता तो आप भी उनको सलाह दे सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप रजिस्टर तो करिये उन सोसाइटीज़ को भी।

श्री भीमसिंह : जहां जहां भी प्राथमिक स्टोर्स बनते हैं वहां के लिए १०० का नम्बर होना लाजिमी रखा है। सौ पर आते ही वे रुक जाते हैं। हम चाहते हैं कि वह नम्बर ५०० तक पहुंच जाय। ज्यादा नम्बर यदि आता है तो एक से अधिक प्राथमिक स्टोर्स खोले जा सकते हैं, उस हालत में हम भी सेन्टर को जस्टिफाई करा सकते हैं। जब मेम्बर बढ़ेंगे तो हिस्सा राशि भी बढ़ेगी। मेम्बर नहीं बढ़ेंगे तो हिस्सा राशि नहीं बढ़ती। फिजीकल टर्न-ओवर नहीं बढ़ पाता और इस तरह से अपनी मांग को जस्टिफाई नहीं कर सकते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप इसको डिटेल्स में एक्जामिन करिये फिर उनके सामने रखिये।

श्री भीमसिंह : आपके यहां बीकानेर में किसी एरिया में ज्यादा आदमियों की मांग है तो कॉन्क्रीट रूप में रखिये, एनकरेजिंग फीगर्स होंगे तो हम रिकमन्ड करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोऑपरेटिव एक्ट के तहत वार्ड में एक से अधिक सोसाइटीज बनाई जाती हैं तो आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते।

श्री भीमसिंह : जहां वार्ड बड़े हैं जहां एक से अधिक सोसाइटीज़ की आवश्यकता है तो वहां दो समितियां रखी हैं। पोलिटिकल फायदे के लिए यदि दो दो सोसाइटीज बनाना चाहते हैं वर्किंग एरियाज में तो उससे फायदा नहीं होगा। इसलिये जो पहले सोसाइटी फार्म हुई हैं उनको हमें संरक्षण देना है, उन्हीं को मेम्बर बनाने में सहूलियत दी जा सकती है, उन्हीं के मेम्बर बनाने की कोशिश की जा सकती है।

इसके अलावा जैसा कि बिजनेस की दिक्कतें आती हैं इन स्टोरों को तो वह स्वाभाविक है। वे कुछ वर्षों से ही यह व्यवसाय करने लगे हैं, उनको पीढ़ियों से व्यवसाय करने वाले व्यापारियों जितना अनुभव नहीं हो सकता। इसलिये पुराने अनुभवी व्यापारी क्रिटिसाइज भी करते हैं, सेबोटेज भी करते हैं। पर आखिर यह सिद्धांत की बात है, इसी कारण से हम इसे नहीं छोड़ सकते। इनको कामयाबी तभी अच्छी मिल सकेगी जब इनके लोग अधिकाधिक संख्या में मेम्बर बनें। उनकी लायल्टी सबसे अधिक होनी चाहिए। चाहे उनका घर कहीं हो, उनको तो हर चीज स्टोरों से लेनी ही चाहिए, बल्कि अपने पांच जान पहिचान वालों को और तैयार करना चाहिये कि वे भी इन स्टोरों से माल खरीदें ताकि इनकी ज्यादा बिक्री हो और ये अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और इस तरह से अपने

(श्री भीमसिंह)

खर्चे को मीट-ग्राउट करके जम सकें। मुझे खुशी है कि अजमेर, बीकानेर, जोधपुर-इन तीन जगहों के स्टोरों से जितने आइटम इन्होंने पहले लिये उनसे अधिक की मांग आई। टॉयलेट्स वगैरह में भी मांग आई। इसके अलावा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से, उनके मैन्यूफेक्चर्स से भी काफी सहायता मिली जिनके द्वारा सस्ती रेट पर आइटम दिलाने का प्रबन्ध किया गया। तो इस तरह से स्टोर प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो कमी है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है।

जो फार्मिंग सोसाइटी हैं उनकी सफलता भी जो उसके हिस्सेदार होते हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। जो लैंडलैस थे उन्होंने तो कम्पेक्ट एरिया में काम किया। ये एक प्रकार की सोसाइटी हैं। दूसरे प्रकार की वे हैं जो पहले खातेदार थे पर अब कोग्रॉपरेटिव में तो शामिल हो गये हैं पर अपने दायरों को समावेश कर देने का मोह नहीं छोड़ पाये हैं। उनके अपने अपने खेतों की आइडेन्टिटी तो है पर जैसे प्लान्ट है, ट्रेक्टर हैं कुछ और बीज हैं उनमें शेअर कर लेते हैं। जैसा केदारनाथजी ने सुझाव दिया सर्विस कोग्रॉपरेटिव के तौर पर वे चला रहे हैं। तो ये दोनों तरह की कोग्रॉपरेटिव सोसाइटियां चल रही हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन आता जावेगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जावेंगे। ग्रेजुअली बढ़ते जावेंगे। अब अगर कोई यह चाहे कि एक साथ कर दिया जावे कानून के दबाव से तो यह होगा नहीं, उल्टा-सैट-बैक लगेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रेरणा से कहिये, प्रेरणा से करवाइये।

श्री भीमसिंह : अब आता हूं करप्शन के बारे में। काफी चर्चा की गई इसके बारे में। अब करप्शन है-इसमें कोई दो राय नहीं। पर यह इस किस्म की है कि कुछ लोगों ने कुछ अनजान लोगों को गुमराह करके पैसा दबाया। पर इसको मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछले सत्र में भी प्रश्न आया, इस बार भी आये, उनका जवाब भी दिया गया। माननीय सदस्यों को जानकारी है कि हमने कितनों का ऑडिट कराया, कितने केस पकड़े, कितने चालान हुए। सारे फीगर निवेदन किये थे। कितनी तत्परता इस करप्शन को मिटाने की दिखाई-यह भी आप सबको मालूम है।

फिर भी प्रश्न यह है कि अगर आप किसी चीज से कम्पेअर करें तो सही चीज मालूम होगी। बीस हजार सोसाइटियां हैं, इतने बड़े नम्बर को देखते हुए करप्शन के मामलों को देखें तो बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। अगर चुहिया की पूंछ का हाथी की पूंछ से मुकाबला करें तो मुकाबला सही नहीं बैठेगा। डिपार्टमेन्ट को हजारों तरह के मामलों से डील करना पड़ता है, हजारों किस्म के आदमियों से और चीजों से डील करना पड़ा है। तो उनमें अगर कहीं करप्शन भी हो जाता है तो वह सम्भव है। हम उसके लिये भी आगे से अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार ऑडिटिंग के काम को तेजी से बढ़ा रही है। ६२-६३ में १६ ५५३ सोसाइटियां

(श्री भीमसिंह)

ग्राडिट होनी चाहिये थीं जिनमें से १६४१३ तक हम पहुंच गये हैं जो कि ८४ पर्सेन्ट ग्राता है। यह डिपार्टमेन्ट के लिये क्रेडिट की चीज है।

हम यह प्रयत्न ग्रौर कर रहे हैं कि ६४-६५ में तीन फ्लाइंग ग्रॉडिटिंग स्क्वैड प्रोवाइड किये जावें ताकि जो दिक्कत हम इस समय महसूस कर रहे हैं वह दूर हो सके। ग्राज क्या है कि जो समिति गबन किये होती है वह ग्राडिट से डरती है, कराती नहीं, उसके ग्रासपास में कहीं ग्रॉडिट पार्टी ग्रगर गई हुई हो ग्रौर उसको मालूम पड़ जावे कि वह फलां रोज उसके यहां ग्रा जावेगी तो पहले ही वह दफ्तर वगैरह के ताला लगाकर नदारद हो जाते हैं। ग्रादमी ग्रौर रिकार्ड, वहां जाते हैं, तो नहीं मिलता। यहां तक होता है कि हमारा ग्रॉडिट का ग्रादमी तो बस से जाता है वे जीप में बैठकर पहले पहुंच जाते हैं ग्रौर पार्टी ग्रौर रिकार्ड गायब हो जाते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : हमने कहा, ग्रॉडिट करने के लिये बुलाया फिर भी सिमरा सोसाइटी का ग्राडिट करने साल भर मे नहीं ग्राये।

श्री भीमसिंह : स्थानीय दृष्टि से यह ग्रापकी बड़ी समस्या हो सकती है, पर राजस्थान भर की दृष्टि को सामने रखकर हमें चलना चाहिये। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। भावुकता के ग्राधार पर नहीं चल सकते। सिग्नीफिकेन्टली कितने इम्प्रूव कर रहे हैं-यह देखना होगा। बहुत जगहों पर ग्रच्छा हो रहा है तो कहीं खराबी भी हो सकती है। हम धीरे धीरे सब को ठीक करने में प्रयत्नशील हैं।

तो इसलिये हमने फ्लाइंग स्क्वैड का प्रबन्ध किया है ताकि ठीक टाइम पर तुरन्त जाकर ग्राडिट किया जा सके ऐसी जगहों पर ग्रौर लोगों को भागने का ग्रौर रिकार्ड छिपाने का ग्रवसर नहीं मिल सके।

इसके साथ साथ गबन के केस भी निवेदन करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये तो बहुत हैं। कहां तक ग्राप जिक्र करेंगे ?

श्री भीमसिंह : बहुत नहीं हैं। ६६० मामले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की ग्रनुमति हो तो वे विवेचन में नहीं लाए जावें समय को देखते हुए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : नहीं साहब, हम तो सुनना चाहते हैं।

श्री सतीशचंद्र ग्रग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो केन्टीन में जाकर कचोरी ग्रौर समोसा खा ग्राये हैं। हमें घर जाना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कचोरी बचोरी की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भीमसिंह : तो जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था कोग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट की सफलता ग्रसफलता उससे सम्बन्धित व्यक्तियों की इसके प्रति निष्ठा, मनोवृत्ति ग्रौर शिक्षा पर निर्भर है। तो इस दृष्टि से शिक्षा इसकी दी जानी चाहिये। इस दृष्टि से जो कोग्रॉपरेटिव एजूकेशन की स्कीम है इसके ६० प्रशिक्षण यूनिट्स हैं जिनके द्वारा ग्रभी तक जो इस सहकारिता से सम्बन्धित व्यक्ति हैं उनमें ३७८५ लोगों को शिक्षण दिया जा चुका है पदाधिकारियों को, प्रबन्धकारिणी के सस्दयों में २३७८७ को ग्रौर साधारण सदस्यों में २,११०८१ ने शिक्षण लिया है। इससे ग्रापको ग्रन्दाज होगा कि इस ग्रोर शिक्षा के लिए सरकार कितनी ज्यादा जागरूक है?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जालोर जिले में कितना प्रशिक्षण किया?

श्री भीमसिंह : ग्रलग ग्रलग जिले के फीगर्स तो हैं नहीं। कन्सोलीडेटेड फीगर्स हैं ग्रगर ग्राप चाहेंगे तो मैं बाद में निवेदन कर दूंगा।

कुछ सदस्यों ने यह एतराज किया था कि जो कोग्रॉपरेशन के लॉज हैं उनमें खामियां हैं ग्रौर इनकी दुरुस्ती होनी चाहिए ग्रौर इसके लिए एक कमेटी सैट होनी चाहिए। मैं ग्रर्ज कर देता हूं कि जुलाई ६३ में सरकार की तरफ से एक कमेटी मुकर्रर हो गई है। वह कमेटी इन लॉज को देखेगी ग्रौर चैक-ग्रप करेगी ग्रौर जल्दी ही जो लॉज ग्रमेन्ड होंगे वह ग्रापके सामने ग्रायेंगे। ग्रब कुछ सदस्यों ने जो जो एतराज ग्रौर बातें उठाई उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा........

श्री सतीशचंद्र ग्रग्रवाल : सहकारी विभाग में उप-मन्त्री बड़े हैं या मन्त्री?

श्री भीमसिंह : यह तो ग्राप देख लें। मेरे पास ही बैठे हैं।

श्री सतीशचंद्र ग्रग्रवाल : खड़ा कर दो उन्हें, फिर बात करो।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न पृथक से पूछें।

श्री भीमसिंह : गुड़ के बारे में सदन में विशेष चर्चा थी। इसमें दो राय नहीं कि क्रय–विक्रय संघ ने गुड़ खरीदा है ग्रौर वितरण किया है। ग्रब ग्रापका यह कहना था कि जैसा एक महाशय ने ग्रलवर के दो नाम दिये–एक तो श्री श्रीराम ग्रौर एक श्री शिवराम कोई मैनेजर थे। इन व्यक्तिगत ग्रादमियों को ७–७ हजार मन का परमिट दिया। हो सकता है वहां क्रय-विक्रय संघ की कोई शाखा न हो, तो यह तो नहीं हो सकता कि जनता को भरोसे में रखा जाये इसलिए देना ही पड़ता है। मुझे जानकारी मिली है कि बाद में कैंसिल भी कर दिया गया।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : ग्रापने क्यों तो दिया ग्रौर फिर क्यों कैंसिल किया?

श्री भीमसिंह : वहां क्रय विक्रय संघ की कोई शाखा नहीं थी इसलिए दे दिया गया होगा। एक पत्र का हवाला भी दिया गया। गुड़ कितने में खरीदा गया वह तो वहां की जो एग्ज़िस्टिंग मार्केट रेट्स हैं उससे मालूम हो सकता है। यहां कितना बिका वह भी छिपा नहीं रह सकता। लेकिन रेट्स के मुताबिक २.५ मुनाफा देने का है उसके आंकड़े दिये हैं उसको चैक करा लिया जायेगा और जिसको एतराज हो वह आकर देख ले। माननीय सदस्य चार्जेज तो लगा देते हैं लेकिन एन्क्वायरी के समय सामने नहीं आते और फिर कहते हैं कि सरकार ने मालूम नहीं किया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि गुड़ के बारे में जो भी जांच होगी वह सामने आयेगी और एक्शन होगा।....

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : गुड़ का स्केन्डल जो रखा है इसकी जांच कराने के लिए आप तैयार हैं या नहीं ? आप साफ आश्वासन इस तरह का दें कि इसकी पूरी जांच कराई जायेगी; क्योंकि यह बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है और राजनैतिक मसले में इसको हज्ब करना चाहते हैं।

श्री भीमसिंह : घोटाला तो तब तक नहीं होता जब तक कि कोई चीज साबित न हो। अगर आप साबित करने की सामर्थ्य रखते हैं कि वहां पर सस्ता खरीदा और बेजा तौर पर मुनाफाखोरी की गई और अगर साबित होगा तो बराबर एक्शन होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरी मंशा है कि जिन लोगों ने गड़बड़ घोटाला किया है उनकी तरफ आप इशारा भी नहीं कर सकते। सवाल इस बात का है कि गुड़ के सम्बन्ध में गड़बड़ घोटाला हुआ है। यह बात बिलकुल सही है और आज हर आदमी इस बात को जानता है।

श्री भीमसिंह : आप जानकारी दीजिये जिससे जांच कराई जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : गुड़ की खरीद के लिए क्रय विक्रय संघ को आपने कितने लाख रुपया दिया था ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह भी बताइये कि दो महीने का गुड़ लैप्स हो गया क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव था और खरीद नहीं सके, क्या यह सही है ?

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : क्या यह भी सही है कि जिस समय माल खरीदा गया उस समय माल सवाया हो गया ?

श्री भीमसिंह : क्रय विक्रय संघ को कितना रुपया दिया गया इसको फीगर्स तो इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : गुड़ खरीदने के लिए कितना रुपया गवर्नमेन्ट ने दिया उन्होंने तो पैसा खर्च ही नहीं किया है ?

श्री भीमसिंह : २५ लाख रुपये की गारन्टी दी है, पैसा नहीं दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा (मन्त्री, सहकारिता): क्रय विक्रय संघ ने कोई पैसा नहीं दिया। २५ लाख रुपये की बैंक गारन्टी थी उनकी तो।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या बैंक गारन्टी देने के पहले दो महीने का गुड़ लैप्स हो गया था?

श्री नाथूराम मिर्धा: नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कोटा लैप्स हो गया, २ हजार टन का इस महीने का।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सारे राजस्थान का एक महीने का कोटा क्या है गुड़ का?

श्री नाथूराम मिर्धा: अभी तक १६ हजार टन दिया है, जिसमें से २ हजार टन लैप्स हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह जो कोटा लैप्स हुआ उसको दुबारा रिवाइज कराने की कार्यवाही आपने की है?

श्री नाथूराम मिर्धा: यह निर्णय हो चुका है कि जो कोटा लैप्स हो जाता है तो वह स्टेट को अधिकार है कि प्राईवेट व्यापारियों के मार्फत स्टेट्स में भेज सकते हैं और उस तरह से गुड़ उन्होने राजस्थान में भेज दिया है और जो गुड़ यहां इम्पोर्ट हुआ है उसको प्रोक्योर करके कोआॅपरेटिव के जरिये बेचने का इन्तजाम कर दिया है।

श्री भीमसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जितने जितने एतराज उठाये थे मैंने जनरल तौर पर करीब करीब सब को कवर किया है। फिर भी मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि किसी माननीय सदस्य की कोई बात रह गयी हो तो बाद में जानकारी कर लें; तो मैं उनको सारी जानकारी दे दूंगा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष: Order, plaese! प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५५,४७,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १० स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६४, ५६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २० स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक २० मार्च, १६६४ के प्रातः ८.०० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. २ बज कर २६ मिनट पर शुक्रवार दिनांक २० मार्च १६६४ के म. पू. ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

गुरुवार, दिनांक १९ मार्च, १९६४

स्कम्भ

१ तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

डाकुओं द्वारा आत्मसमर्पण

नल योजना, बारां

टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंस

नगर परिषद्, गंगानगर

जाखम नदी घाटी योजना, जिला उदयपुर

कुंडेली बांध, देवगढ़

कान्सटेबिल तथा हैड कान्सटेबिल रेंक के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

महकमा बन्धात

टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंस, तहसील सिकराय

मछली पकड़ने का ठेका

जमीन पर सीलिंग

झूंठा टी० ए० बिल

गांवों को नदी से खतरा, तहसील जालोर

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अस्थायी योजना पदों पर नियुक्तियां

स्कम्भ

नर्सों के वेतन

मेड-बन्दी कार्य

निलम्बित आई० पी० एस० तथा आर० पी० एस० अधिकारी

शक्कर लाने लेजाने पर खर्चा

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये अनुमति

कृषि विभाग के स्टोर और स्टाक का हिसाब किताब

लगान की वसूली, जिला उदयपुर

अमेरिकन विशेषज्ञ

जागीर भूमि से भू-राजस्व की आमदनी

रानीवाडा क्षेत्र में सिंचाई की योजनाएं

छोड़ी गई जमीन की कीमत की वसूली

किसानों पर जुर्माने, जिला बांसवाडा

जागीर अधिनियम के तहत पुनर्ग्रहीत जागीरें

गंगानगर से हिन्दुमल कोट तक रेल्वे लाइन

२. अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक

खान मालिकों से रोयल्टी व टैक्सों की वसूली-जिला उदयपुर

काश्तकारों की दरख्वास्तें, तहसील नोहर

मवेशियों की चराई, ग्राम बोहत

भीण्डर डिस्पेन्सरी

बांध निर्माण कार्य

तहसील चाकसू में चीनी वितरण

आगजनी की वारदातें, नोखा मन्डी

३. उप-मन्त्री द्वारा वक्तव्य

(१) ब्रह्मपुरी जयपुर में ट्रक दुर्घटना से महिला शिक्षक की मृत्यु एवं

(२) भीलवाड़ा में पुलिस अधिकारियों द्वारा स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों की पिटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उप-गृह मन्त्री श्री निरन्जननाथ आचार्य ने स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए वक्तव्य दिये।

४. स्थगन-प्रस्ताव

(१) सीमा पर पाकिस्तानी गतिविधियों के सम्बन्ध में श्री विजयसिंह झाला, सदस्य विधान सभा के स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

(२) मंहगाई समस्या एवं इसके विरुद्ध उदयपुर में जन आन्दोलन व कतिपय व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में श्री हरिराम चौहान, सदस्य विधान सभा के स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

५. आय व्ययक, १९६४-६५

द्वितीय-अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता

(२) मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन

उपरोक्त मांगें क्रमशः श्री भीखाभाई, सहकारी मन्त्री एवं श्री मथुरादास माथुर, विधि मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई। इन मांगों पर कुल १६० कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

विधि मन्त्री, श्री मथुरादास माथुर तथा उप-सहकारिता मन्त्री श्री भीमसिंह के उत्तर के पश्चात्, मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गईं।

शुक्रवार, दिनांक २० मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

अनुदान की मांगों पर मत-दान

१. मांग संख्या १८, कृषि

२. माग संख्या ४०, कृषि उन्नति और अन्वेषण योजनाओं पर पूंजी की लागत

३. मांग संख्या १६, पशुपालन।

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न-समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अस्थाई योजना पदों पर नियुक्तियां

५३२. श्री मानिकचन्द सुराणा, (कोलायत) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में अस्थायी तौर पर कायम किये गये योजना पदों में से ७५ पर्सेन्ट पदों को स्थाई करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो घोषणा किस तारीख को की गई व वह घोषणा किस तारीख से कार्यान्वित किये जाने को थी ?

(२) क्या सरकार ने ऐसे पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई घोषित करने के संबंध में विभागीय अध्यक्षों को आवश्यक आदेश जारी किये थे ?

(३) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सम्बन्ध में अधिकांश विभागीय अध्यक्षों जैसे डाइरेक्टर आफ इकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स व डाइरेक्टर एग्रीकल्चर आदि ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की बिना पूर्व सलाह लिए ऐसे योजना पदों पर नियुक्त अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई घोषित कर दिया है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति को समस्त विभागों में लागू किये जाने के लिए आवश्यक आदेश शीघ्र जारी करने का विचार करती है ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक १५-७-१६६० की घोषणा के अन्तर्गत ये योजना पद दिनांक १-७-१६५६ से स्थाई किये जाने को थे।

(२) इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन (क) विभाग के आदेश संख्या एफ० १(२६) जी० ए०।ए०।५६ दिनांक १५-७-१६६० के पैरा ५ द्वारा सक्षम अधिकारियों को अधिकार दिये गये थे। इसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) इंगित किये गये विभागो में उन्हीं व्यक्तियों को स्थायी किया गया था जिनका कि पहले उसी पद के लिए अस्थायी तौर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन होचुका था। लोकसेवा आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में भिन्न मत व्यक्त किये जाने पर यह प्रश्न कि आया ऐसी परिस्थिति में स्थाई नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा उन व्यक्तियों को फिर से चयन कराया जाना आवश्यक है या नहीं, सरकार के विचाराधीन है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नर्सों का वेतन

५३३. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग में समान योग्यता वाले पुरुष और स्त्री नर्सों की सेवा में समान सुविधाएं प्राप्त नहीं है ?

यदि हां, तो क्या राज्य-सेवा में यह लिंग संविधान के प्रतिकूल नहीं है ?

(२.) (अ) राज्य में कितने पुरुष और स्त्री नर्स काम कर रहे हैं ?

(आ) राज्य में मेट्रन ग्रेड फर्स्ट और सैकण्ड और एसिस्टेंट मेट्रन के कितने पद स्वीकृत हैं, और उन पर कितने पुरुष एवं स्त्रियां काम कर रही हैं ?

(इ) क्या पुरुष नर्सों की अपेक्षा कम योग्यता वाली स्त्री नर्सों को मेट्रन और एसिस्टेंट मेट्रन के पद तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं ? एवं क्या पुरुष नर्सों को उससे वन्चित नही किया जाता रहा है ?

(ई) प्रशिक्षण काल में स्त्री नर्सों को तथा पुरुष नर्सों को कितनी मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है ?

(उ) प्रशिक्षित स्त्री नर्सों को तथा पुरुष नर्सों को क्या वेतन दिया जाता है ?

(ऊ) यदि स्त्री नर्सों की मिडवाइफरी की योग्यता को मान्यता दी जाती है तो इन्डियन नर्सिंग कौंसिल के पाठ्यक्रम के अनुसार प्राप्त जेनरल, क्षय आदि बीमारियों की नर्सिंग तथा मान्य संस्थाओं से कम्पाउंडिंग व डिस्पेन्सिंग प्रमाण-पत्रों को विशेष योग्यता की मान्यता क्यो नहीं दी जाती है ?

(ए) प्रशिक्षण प्राप्त पुरुष और स्त्री नर्सों को किन पदो पर नियुक्त किया जाता है ?

(ऐ) राजस्थान नर्सिंग कालेज में कितने पुरुष व स्त्री छात्र हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

२ (अ) राज्य मे २५४६ आदमी व ७२० औरत नर्सें काम कर रही हैं।

(आ) राज्य में ६ पोस्ट मैट्रन फर्स्ट ग्रेड ६ मैट्रन ग्रेड सेकिन्ड व ७ पोस्ट असिस्टेन्ट मैट्रन के हैं इन पर सब औरत ही काम कर रही हैं ।

(इ) जी हां ।

(ई) मेल नर्सो को पी.एन.आर. सी. मेल ट्रेनिंग कोर्स जो तीन साल का होता है ४०) माहवार दिया जाता है । पी. एन. आर. सी.

फीमेल ट्रेनिंग कोर्स के लिए जो ४ साल का होता है:—

पहिले १८ महीनों में २०) माहवार

दूसरे १८ महीनों में २५) माहवार

आखीरी १२ महीनों में ३०) माहवार

इसके अलावा औरत नर्सों को ट्रेनिंग पीरियड में ४०) माहवार मैसेज अलाउन्स भी मिलता है।

(उ) ट्रेनिंग फीमेल नर्स को जो पी. एन. आर. सी. और मिडवाईफरी पास होती है रु १३०) और मेल को जो सिर्फ पी. एन. आर. सी. होता है ६०) माहवार मिलता है।

(ऊ) मिडवाईफरी की ट्रेनिंग एक अलग सब्जेक्ट है जब कि वेनरल डिसीज टी. बी. वगैरह ३ साल के कोर्स का एक हिस्सा है। अगर कोई अपनी मर्जी से इस कोर्स की ट्रेनिंग फिर से ले या दुबारा करे तो यह स्पेशल क्वालीफिकेशन नही माना जाता क्योंकि इस ट्रेनिंग के बिना भी वे वही नर्सिंग कर सकते हैं जिसके लिए उन्होंने पहिले ट्रेनिंग हासिल कर ली है लेकिन बिना मिडवायफरी कोर्स पास किये औरत नर्स मेटरनिटी का काम नहीं कर सकती।

(ए) ट्रेन्ड औरत को स्टाफ नर्स के पद पर और आदमी को कम्पाउन्डर के पद पर अपाइन्ट करते हैं।

(ऐ) राजस्थान नर्सिंग कालेज में ६ फीमेल स्टूडेन्ड हैं।

मेड-बंदी कार्य

५३४. श्री नाथूलाल करौल (चाकसू): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की पंचायत समितियां चाकसू व सांगानेर में मेडबंदीका कार्य सन् १६६२ के वर्षा-काल में करवाया गया था?

(२) यदि हां, तो विभाग द्वारा अब तक काश्तकारों को कम्प्लीशन सर्टीफिकेट क्यों नहीं दिये गये और उनका खर्चा जो सरकार द्वारा दिया जाता है वह क्यों नहीं दिया गया?

उत्तर

(१) जी हां, केवल चाकसू पंचायत समिति में भू-संरक्षण कार्य किया गया था।

(२) कम्प्लीशन सर्टीफिकेट काश्तकारों को न देकर पंचायत समिति के विकास अधिकारीको दिया जाता है। गांव कोदड़ा पंचायत समिति चाकसू में जो कार्य किया गया उसका कम्प्लीशन सर्टीफिकेट दिया जा चुका है। इस काम के लिए जो रकम अनुदान के रूप में दी जानी चाहिये वह दी जा चुकी है।

निलंबित आई० पी० एस० तथा आर० पी० एस० अधिकारी

५३५. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितने आई. पी. एस. तथा आर. पी. एस. आफीसर निलंबित अवस्था में हैं तथा कितने समय से ? उनके निलंबित होने के क्या कारण हैं ?

(२) कितने आई. पी. एस. और आर. पी. एस. आफीसरों को राज्य सरकार ने पिछले पांच सालों में किस किस अपराध में क्या क्या सजा दी ?

(३) कुल कितने आई० पी० एस० और आर. पी. एस. आफीसर्स को निलंबित करके उनके विरुद्ध जांच शुरू हुई और उनमें से कितनों को बिना जांच पूर्ण हुए ही रीइन्स्टेट कर दिया गया ?

(४) बिना जांच हुए ही रीइन्स्टेट करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) राजस्थान में एक आई. पी. एस. और दो आर. पी.एस. अधिकारी क्रमशः दिनांक ७-१-६३, २५-७-६१ एवं २३-२-६१ से क्रमशः भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच, पद एवं सरकारी माल के दुरुपयोग और जानबूझ कर कार्य से अनुपस्थिति के कारण निलंबित अवस्था में है ।

(२) संलग्न सूची 'क' अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

(३) छः अफसरों को निलंबित किया उनमें से तीन को जांच पूर्ण होने से पहले रीइन्स्टेट कर दिया गया ।

(४) निलंबित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परिनिरीक्षण के फल स्वरूप सरकार ने उन्हें निलंबित अवस्था में चालू रखना उचित नहीं समझा । अतः उनके पुनः स्थापन के आदेश प्रसारित किये गए । इन आदेशों में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि विभागीय जांच के फलस्वरूप उनको दी जाने वाली सजा पर इन आदेशों का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Page No. 161

सूची 'क'

क्रम सं.	अधिकारी का पद	अपराध का विवरण	सज़ा दी गई
१.	आर. पी. एस.	सोने के अवैध व्यापार से संबंध	दो तरक्कियां रोकी गई।
२.	(अ) आई.पी.एस. (ब) आर.पी.एस.	खयानत में सहयोग।	(अ) सावधान किया गया। (ब) निंदित किया गया।
३.	आर.पी.एस.	रेल्वे वारन्टों का दुरुपयोग।	कान्स्टेबलों की तनख्वाह एवं रेल्वे वारंटो का मूल्य वसूल किया गया।
४.	(अ) आई.पी.एस. (ब) ,, ,, ,,	हिसाब की अनियमितताएं	(अ) सावधान किया गया। (ब) ,, ,, ,,
५.	आई.पी.एस.	राइफल की कमी में सहयोग।	सावधान किया गया।
६.	आई.पी.एस.	झूठा टी. ए. उठाना।	सावधान किया गया।
७.	आर.पी.एस.	खरीद में अनियमितताएें।	सावधान किया गया।
८.	आर.पी.एस.	खरीद में अनियमितताएें एवं फर्जी नियुक्तियां।	कान्स्टेबलों की तनख्वाह की पेन्शन से वसूली और चौथाई पेंशन सदैव के लिए बन्द की गई।
९.	आर.पी.एस.	मुकदमें की जांच में गलत पथ प्रदर्शन।	निंदित किया गया।
१०.	दो आर.पी.एस.	राइफल की कमी की जांच में देरी।	(१) सावधान किया गया। (२) एक तरक्की रोकी गई।
११.	आई.पी.एस.	खरीद में अनियमितताएें	निंदित किया गया।
१२.	आई.पी.एस.	प्राइवेट बिलों का समय पर चुकारा न करना।	सरकार ने रोष प्रकट किया।
१३.	आर.पी.एस.	मुकदमे की जांच में अनियमितताएें	निंदित किया गया।
१४.	आर.पी.एस.	खयानत में सहयोग	१ तरक्की रोकी गई।

———

शक्कर लाने ले जाने पर खर्चा

५३६. श्री शंकरलाल (सादडी) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि माह अक्टूबर सन् १९६३ में चार वेगन शक्कर, दी मेवाड़ शुगर मिल्स भोपालसागर से जयपुर आई थी ? यदि हां तो उस शक्कर पर कितना खर्चा अधिक पड़ा बमुकाबले उदयपुर डिवीजन में दिये जाने के ?

(२) क्या यह भी है कि माह अक्टूबर में चित्तोड़गढ में चार वेगन शक्कर बाहर से आई थी ? यदि हां, तो कहां से ?

उत्तर

(१) हां चार वेगन शक्कर भोपालसागर से जय र आई थी जिसका व्यय विवरण इस प्रकार है।

मिल का बिल-	११०.७० न. पै. प्रति बोरी
रेल फ्रेट	३.१५
सेल टैक्स प्रति बोरी	. ८ न. पै.
चुंगी	.५१ ,, ,,
चैरेटी सरकार	.५० ,, ,,
होलसेल कमीशन	२.६७ ,, ,,
	११७-६१ ,, ,,
रिटेलर्स प्राईस	११६.००

खर्चे का अन्तर २) लगायत ३) तक प्रति क्वींन्टल पड़ता है।

(२) जी हां, यह सही है कि माह अक्टूबर के लिए चित्तौडगढ़ जिले के चार वेगन M. G. शक्कर मैसर्स गोविन्द शुगर मिल्स लि० ऐरा स्टेट जिला रवेरी से आई थी।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अनुमति

५३७ श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जनवरी सन् ६० से लेकर अब तक कितने सहकारी मुलाजिमान के लिए जाब्ता फौजदारी की धारा १९७ के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए सरकार को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं ?

(२) इनमें से कितनों के विरुद्ध यह अनुमति दे दी गई और कितनेके विरुद्ध नहीं ? कितने आवेदन-पत्र अभी अन्डर कन्सीडरेशन हैं ?

(३) जिनके विरुद्ध यह अनुमति नहीं दी गई क्या उन पर डिपार्टमेन्टल एक्शन लिया गया है ? यदि हां, तो कितनों के विरुद्ध ?

उत्तर

१. बाईस (२२)

२. बाईस में से ११ सहकारी मुलाजिमान के विरुद्ध धारा १९७ के अन्तर्गत ऐसी

अनुमति दे दी गई और ६ के विरुद्ध नहीं। बाकी ५ मामले अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

३. हां। पांच के विरुद्ध विभागीय कार्य-वाही जारी है।

कृषि विभाग के स्टोर और स्टाक का हिसाब किताब

५३८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कृषि विभाग ने स्टोर और स्टाकका हिसाब-किताब वर्ष १९५३-५४ से लेकर अब तक का ऑडिट को नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्या इस बात की जांच कराई गई है कि इतना पुराना हिसाब-किताब न दे सकने का कारण क्या है ?

उत्तर

नहीं। इस विभाग ने स्टोर और स्टाक का हिसाब महालेखापाल को समय समय पर भेजा और उन हिसाबों का परीक्षण भी किया गया परन्तु बार बार प्रोफोर्मा को बदल देने के कारण से हिसाब रिवाइज्ड प्रोफोर्मा पर महालेखापाल ने दुबारा मांगे।

रिवाइज्ड हिसाब १९६०-६१ से ६२-६३ तक के महालेखापाल को भेजे जा चुके हैं और इसका परीक्षण भी कर इन्हें मान लिया गया है। ५३-५४ से ५९-६० तक के हिसाब केवल १ जिले के नहीं आये हैं सो शीघ्र से शीघ्र मंगा कर ऑडिट को भेजे जायेंगे।

लगान की वसूली, जिला उदयपुर

५३९. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की कुछ तहसीलों में दोनो फसलों का लगान पटवारी एक साथ वसूल कर रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो किस २ तहसील में तथा क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि लगान के अतिरिक्त इस जिले में पटवारी लोग सेविंग्ज सर्टिफिकेट या कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम के तहत कोई अन्य रकम वसूल कर रहे हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

अमेरिकन विशेषज्ञ

५४०. श्री तेजाराम गलहोत (सोजत) : Will the Minister for Agriculture please say :—

(1) How many Americans have uptil now worked or are working in the Agriculture College, Udaipur, and Veterinary College, Bika-

ner ? Their names, qualifications and experience may please be given.

(2) What are the emoluments, privilieges and perquisites to which these experts are entited ?

(3) Is it true that these experts do not take a single regular class in the College ?

(4) How much do these experts cost to the State Government ?

(5) What are the initial terms of appointment of these experts ? Did the Principals of the Colleges and the State Government recommend their extensions, and if so, for what reasons ?

(6) Has the Government done any evaluation of the work and performance of these experts ? If so, with what results ?

उत्तर

(१) सूचि (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूचि (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां

(४) हर एक अमेरिकन विशेषज्ञ पर लगभग ७,००० रु० वार्षिक खर्चा होता है।

(५) इन विशेषज्ञों की नियुक्ति का इनिशियल टर्म दो वर्ष का है और जब तक केवल दो विशेषज्ञों का सेवाकाल दो वर्ष के लिये बढ़ाया गया है। जिसका विवरण सूचि (ग) में उल्लेखित किया गया है।

(६) जी नही।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जागीर भूमि से भू-राजस्व को आमदनी

५४१. श्री अमरसिंह (दूदू)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान राज्य में पुनर्ग्रहीत की गई जागीर भूमि से सरकार को सालाना कितने भू-राजस्व की आमदनी होती है ?

(ब) इन भूमियों के भूतपूर्व जागीरदारों को सालाना १५ सालों में कितना औसतन मुआवजा व पुनर्स्थापन अनुदान दिया जाता है ?

उत्तर

१--वार्षिक आय ४ करोड़ ६० लाख होती है।

२--औसतन ४ करोड़ ७० लाख सालाना।

रानीवाडा क्षेत्र में सिंचाई की योजनाएं

५४२. श्री रघुनाथ विश्नोई, (सांचोर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है रानीवाड़ा क्षेत्र में जेतपुरा व बडगांव की बारहमास बहने वाली नदियों पर अभी तक कोई बांध नहीं बनाया गया है ? अगर हां तो क्यों ? क्या अब इन नदियों का पानी रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे कराया जाकर तथा कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो पूरी योजना बनने में कितना समय लगेगा ?

(२) उपर्युक्त नदियों का पानी रोक कर सिंचाई के काम में लेने के लिये अब तक क्या योजना बनायी गयी है ?

(३) क्या यह सच है कि इन्हीं नदियों में से फटकर वर्षा के समय में पानी सांचोर तहसील के गांवों सूराबा, पांचला, हाडेतर होता हुआ सांचोर में से होकर आगे जाता है ? अगर हां, तो उपरोक्त नदियों का बांध द्वारा पानी रोक कर फालतू पानी सांचोर के पुराने कोर्स में ले जाना क्या सरकार उपयुक्त समझेगी ?

(४) क्या यह सच है कि अगर उपरोक्त नदियों का पानी नहर के जरिये सांचोर तहसील के पूर्वी भाग में ले जाया जाय तो वहां का खारा पानी भी मीठा हो जायगा और बेरों का पानी भी ऊपर आ जावेगा जिससे पीने के पानी की समस्या व सिंचाई की समस्या दोनों कम खर्च में हल हो जावेंगी ?

(५) क्या यह सच है कि उपरोक्त योजना से रानीवाडा क्षेत्र व सांचोर क्षेत्र दोनों को बड़ा भारी लाभ पहुंचेगा ?

(६) अगर हां, तो सरकार कब तक इस योजना को पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, क्योंकि Storage dam के लिए वहां कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। अब Pick up-weir बनाने की योजना है। जिसका सर्वे हो रहा है उसमे करीब छः महीने और लगेंगे।

(२) अभी तक तो Pick up-weir बनाने की योजना है।

(३) जी हां, अधिक वर्षा होने पर बड़गांव नदी का कुछ पानी सांचोर की ओर जाता है इसको बांध बना कर पानी मोडने की योजना पर अभी कोई सर्वे नहीं की गई है। अतः कुछ नहीं कहा जा सकता।

(४) यह सम्भव हो सकता है यदि पानी हर वर्ष काफी मात्रा में उपलब्ध हो।

(५) जी हां यदि बांध के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो जाए।

(६) निश्चित सर्वे के बाद ही इस विषय में कुछ जा सकता हैं।

छोड़ी गई जमीन की कीमत की वसूली

५४३. श्री हरीराम चौहान (तिजारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान ने अलवर भरतपुर जिलों में सं० २००३ और उसके पहले के मुद्दती काश्तकारों से जो कि मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई जमीन पर काबिज थे, जमीन की कीमत न लेने का फैसला किया है ?

(२) क्या यह सही है कि अलवर जिले में अभी भी तहसीलदार और पटवारी उसकी वसूली कर रहे हैं? यदि हां, तो कुल कितनी रकम इस तरह की अलवर और भरतपुर जिलों में वसूल की गई है ?

(३) क्या सरकार इस रकम को किसानों को वापस देने और जो लोग ऐसी वसूली कर रहे है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां

(२) जी नहीं। रकम वसूल करने को प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं। प्रश्न नही उठता।

किसानों पर जुर्माने, जिला बांसवाड़ा

५४४. श्री बिट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सन् १६६३ में जिला बांसवाड़ा में नाजायज तौर पर जमीन जोतने के कारण किसानों पर जुर्माने किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने किसानों पर ?

(२) इसमें से कितने किसान भूमिहीन माने जाते हैं और कितने भूमिहीन नहीं माने जाते ?

उत्तर

(१) जी हां। ४३०६ किसानों पर जुर्माना किया गया है।

(२) सभी ४,३०६ व्यक्ति भूमिहीन की परिभाषा में आते हैं।

जागीर अधिनियम के तहत पुर्नग्रहीत जागीरें

५४५. ठाकुर श्री रघुवीरसिंह, (मंडावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दिनांक १-८-१६५४ से १५-६-५७ तक जो जागीरें जागीर अधिनियम के तहत पुर्नग्रहण की गई उनकी संख्या क्या थी ?

(२) क्या उनको रकम अनुपात जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा २२ (घ) के तहत चुका दी गई ? यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है और रकम मालगुजारी आबकारी खानात नजूल इत्यादि किस किस मद की रकम का चुकारा किया गया ?

(३) क्या यह सत्य है कि रकम अनुपात नहीं चुकाई जा रही है और ७ वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी खालसे के वर्ष आंकड़े तैयार नहीं हो सके ?

(४) क्या यह सत्य है कि कुछ जागीरें संवत् २०११ में खालसे कर ली गई मगर उनकी मालगुजारी संवत् २०११ २०१२ व २०१३ की वसूल नहीं की गई और न उन वर्षों की ढालबाछ ही बनाई गई ? ऐसी जागीरों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

(१) ८,२७५ ।

(२) जी हां चुकाई जा रही है । १६६२ को चुकाई जा चुकी है अधिकतर मालगुजारी की रकम चुकाई गई है और मदों की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(३) सिवाय जोधपुर व झुन्झनूं जिले के रकम अनुपात करीब करीब चुका दी गई है । और आंकड़े भी लगभग तैयार हैं ।

(४) संवत् २०११ में खालसा की गई जागीरों की संवत् २०११, २०१२ २०१३ की मालगुजारी भी वसूल कर ली गई है और ढालबांछ तैयार है ।

गंगानगर से हिन्दुमल कोट तक रेल्वे लाइन

५४६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर से हिन्दुमल कोट तक रेल्वे की बड़ी लाइन लगाने की योजना कब से विचाराधीन है ?

(२) क्या इस रेल्वे लाइन के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकार की है क्योंकि उसने ४ लाख रुपयों का श्रमदान का वायदा किया था ?

उत्तर

(१) गंगानगर से हिन्दूमल कोट तक रेलवे की बड़ी लाइन लगाने की योजना अप्रेल १६५६ से विचाराधीन है ।

(२) जी नहीं । स्थानीय जनता ने श्रमदान करने का वायदा किया था वह पूरा नहीं हो सका ।

——————

Page No. 168

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १६० का उत्तर देखिये)

फहरिस्त दरख्वास्त हाय अलाटमेन्ट आराजी काश्त तहसील नोहर जो गत वर्ष प्राप्त हुई ।

नं० शु० नाम गांव	तादाद दरख्वास्तें	नं० शु० नाम गांव	तादाद दरख्वास्तें
१　२	३	१　२	३
१. उदासर	४०	१७. पल्लू	५६
२. कालासर	१०	१८. पुवसर	५३
३. खुईया	४८	१९. बीभासर	१५
४. बनियासर	५६	२०. बागासर	३१
५. हुमासर	३६	२१. मगवानसर	७०
६. थिराना	४२	२२. भागसर	३५
७. दनियासर	७६	२३. मासिया	२०
८. दुदली	१४	२४. नायला	१०३
९. देवासर	५६	२५. भिवनकेसर	३८
१०. धनसिया	१८३	२६. रवमादेसर	२२
११. थोरजेसर	५	२७. रामका	२३
१२. नानाऊ	८१	२८. रेख वरनाम	५
१३. महराना	२६	२९. रेख राखासर	१३
१४. मिमला	३५	३०. खूनासर	२८
१५. कस्बा नोहर	१७	३१. बोलचूलिया	२०
१६. नैयासर	३६	३२. पदेसर	११

१	२	३	१	२	३
३३.	सिरंगसर	११८	५२.	नगरासरी	२
३४.	सोनड़ी	१०३	५३.	पान्हूसर	३
३५.	अरणी	६	५४.	बालासर	१६
३६.	अघरवाना	१	५५.	बडविराना	२
३७.	कुलवासर	२६	५६.	कुम्रा	३३
३८.	कैलिनिया	३२६	५७,	बाच्छुसर	३
३६.	सरलन्डी	४४	५८.	आलशवाशी	६
४०.	गिरवासर	८	५६.	मलकासर	५
४१.	चैनपुरा	४	६०.	मानकेरिया	१
४२.	चक देवीदासपुरा	३	६१.	मीटेर	२
४३.	चक मेवसिंहपुरा	१	६२.	रानीसर	४
४४.	रावनसर	२२	६३.	रेख वुनियासर	१
४५,	चक सरदारपुरा	२	६४.	रेख वनिवासर	२
४६.	जयरासर	३	६५.	लालानिया	५०
४७.	जसाना	१	६६.	लालाना बास दि०	१
४८.	जोगीआसन	१	६७.	ललासर	१७
४६.	डाणी चारनान	५	६८.	सागठिया	२३
५०.	ढाणी खमावाली	२	६६.	सिरासर	३८
५१.	बलवंतपुरा	१३	७०.	सुरपुरा	१०

Page No. 170

१	२	३	१	२	३
७१.	हरदासवाली	७६	८३.	खोपड़ा	१७
७२.	कर्मसाना	११	८४.	सुरवाना	६
७३.	गंगोई	११	८५.	चान्देरी बड़ी	५४
७४.	गोरखाना	१४	८६.	चान्देरी छोटी	१४
७५.	मंदरपुरा	४३	८७.	चैंलाहरी	
७६.	फीगला	२०	८८.	बालासर	२
७७.	सालेरा	२६	८९.	जालासर	५
७८.	सुरजनपुरा	३५	९०.	रेकगासर	६०
७९.	कालासर	१४४	९१.	भावलदेसर	६
८०.	कानसर	४४	९२.	मेबाना	३०
८१.	कीकरालिया	२०	९३.	राबूसर	५
८२.	किकरवाली	१४	९४.	लाडम	१३
			९५.	सौराली	२५

मीजान २४६४

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ का उत्तर देखिये)

तहसील चाकसू में माह अगस्त ६३ से जनवरी ६४ तक जो चीनी वितरण हुई उसका मानचित्र

क्रम सं.	नाम डीलर	नाम केन्द्र	इं.डी. जुल्लस	सहकारी समिति	नगर पालिका	ता. बोरी अ. ६३ से ३१ जन.
१	२	३	४	५	६	७
१.	मैं रामकुमार रंगलाल	खुमारियाकाबास	हां	—	—	३३
२.	कन्हैयालाल राधामोहन	तामडिया	हां	—	—	४७
३.	छीतरमल भूरामल	शिवदासपुरा	हां	—	—	१५
४.	चंदलाई ग्राम सेवा स०	—	—	चंदलाई ग्रामसेवा सहकारी समिति	—	३१
५.	रामगोपाल गोविंदनारायन	शक्कर खावदा	हां	—	—	२६
६.	सीताराम रामस्वरूप	सवाई माधोसिंहपुरा	हां	—	—	२६
७.	बंशीधर	हरिपुरा उर्फ नरसंगपुरा	हां	—	—	२६
८.	गडवांसी सेवा स० स०	—	—	गडवासी स. स.	—	२४
९.	बहुउद्देशीय सहकारी समिति कोटखावदा	—	—	बहु सह. समिवि कोट	—	२७
१०.	बजरगलाल राधाकिशन	राडौली	हां	—	—	२०
११.	राधेश्याम नेमीचन्द	थली	हां	—	—	१६
१२.	हरीनारायण ग्यारसीलाल	छादेल कलां	हां	—	—	१४

१	२	३	४	५	६	७
१३.	मूलचन्द बदरीनारायण	मंडालिया मैदा	हां	—	—	१४
१४.	ग्राम पंचायत कोथून	कोथून	हां	—	—	१६
१५.	भोरीलाल सूरजमल	रूपाहेड़ी कलां	हां	—	—	१६
१६.	गोपाललाल जैन	बाडा पदमपुरा	हां	—	—	१६
१७.	राधेश्याम पुत्र बालदास	बडौदिया	हां	—	—	१८
१८.	सूरजमल लालचन्द	निमोडिया	हां	—	—	१४
१९.	श्यामसुन्दर ओमप्रकाश	करेडा खुर्द	हां	—	—	६
२०.	रामनारायण पुत्र छीतरमल	रामनगर	हां	—	—	१०
२१.	रामगोपाल राधेश्याम	टूमली का बास	हां	—	—	१०
२२.	सीताराम गजानन्द	कादेडा	हां	—	—	६
२३.	सूरजमल जैन	आकोडिया	हां	—	—	६
२४.	रामप्रताप राधेश्याम	महादेवपुरा	हां	—	—	६
२५.	लक्ष्मीनारायण गणेशनारायण	बापूगांव मय रूपाहेडी खुर्द	हां	—	—	१४
२६.	सूरजमल पुत्र अम्बालाल	खेडारानीवास	हां	—	—	६
२७.	कन्हैयालाल गुप्ता	ठीकरियामीनगान	हां	—	—	८
२८.	सह. स. ठीकरिया गूजरान	—	—	ठीकरियागूजरान	—	४
२९.	केदारनाथ	सूरजपुरा उर्फ टूंटोली	हां	—	—	७
३०.	भौरीलाल मंत्री सह. स.	—	—	घाटावाला	—	१६

१	२	३	४	५	६	७
३१.	चाकसू सह. क्रय विक्रय संघ	—	—	—	चाकसू	५४
३२.	गणेशनारायण प्रेमनारायण	—	—	—	,,	६०
३३.	चीरंजीलाल फूंदालाल	—	—	—	,,	५८
३४.	केसरलाल रामरख गुप्ता	—	—	—	,,	४७
३५.	हलवाई समिति चाकसू	—	—	—	,,	५
					कुल योग	६६७

*शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १९ मार्च, १९६४)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१९	शीर्ष	(श्री रामकिशन)	(श्री भीमसिंह)
२१	,,	(श्री कृष्णकुमार गोयल)	(श्री कृष्णकुमार गोयल)
,,	११	श्रो नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
,,	२२	श्रा नाथूराम मिर्धा	,, ,, ,,
२४	१६,१७	श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल !	—
२५	अन्तिम से ३	(बैर)	(वैर)
३१	१२	श्री उमरावसिंह डाबरिया	श्री उमरावसिंह डाबरिया
३३	शीर्ष	(श्री नत्थीसिंह)	(श्री जुझारसिंह)
,,	६	श्री रामप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
३४	१२	श्री रामाप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
३६	१०	श्री रामप्रसाद लड्ढा	,, ,, ,,
३७	शीर्षक	ताराकि प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
४०	,,	तारांकित प्रश्नोत्तर	,, ,,
,,	६	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिंह
४६	अन्तिम से ६	श्री बरकतुल्लखां :	श्री बरकतुल्ला खां
४७	४	सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
५३	शीर्षक	—४ मार्च, १९६४—	—१९ मार्च, १९६४—

२

१	२	३	४
५५	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	१५	श्री उमराव सिंह ढाबरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
५८	२०	श्री उदयदयाल बर्दिया	श्री उदयलाल बर्दिया
५६	शीर्ष	(श्री उदयदयाल बर्निया)	(श्री उदयलाल बर्दिया)
६१	शीर्षक	राजस्थान वित्तीय निगम के —१६ मार्च. १६६४— प्रतिवेदनों के उपस्थापन	अतारांकित प्रश्नोत्तर-१६ मार्च, १६६४-अतारांकित प्रश्नोत्तर
६६	शीर्षक	भीलवाड़ा में पुलिस -१६ मार्च, १६६४- अधिकारियों द्वारा पिटाई	ब्रहमपुरी, जयपुर में-१६ मार्च, १६६४-पुलिस द्वारा पिटाई
७१	१३	श्री उमरावसिंह ढाबरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
७३	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह डाबरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
७५	शीर्ष	(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)	(श्री भैरोंसिंह)
८१	१५	श्री निरजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
६७	शीर्षक	पाकिस्तानी गतिविधियां -१६मार्च, १६६४- विषयक स्थगन प्रस्ताव	पुलिस द्वारा पिटाई -१६ मार्च, १६६४-पाकिस्तानी गतिविधियां
१०३	शीर्षक	मंहगाई एवं उदयपुर -१६ मार्च, १६६४- में जन आन्दोलन	पाकिस्तानी गतिविधियां-१६ मार्च, १६६४ स्थगन- प्रस्ताव
१०५	शीर्षक	जयपुर में अनाज -१६ मार्च, १६६४ को समस्या विषयक	पी० यू० सी० कक्षा में उपस्थिति-१६ मार्च, ६४- जयपुर में अनाज की समस्या
,,	शीर्ष	(श्री हरिराम चौहान)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
१०७	शीर्षक	शासकीय उत्तर के बाद —१६ मार्च, १६६४— प्रश्न पूछने की व्यवस्था	जयपुर में अनाज की समस्या-१६ मार्च, १६६४- व्यवस्था

१	२	३	४
१०७	२१	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१०८	३	,, ,, ,,	,, ,, ,,
११३	शीर्षक	प्रश्न पर विज्ञापन -१६ मार्च, १९६४ मांग सम्बन्धी प्रश्न	शासकीय उत्तर के बाद-१६मार्च, १९६४- प्रश्न पूछने विषयक व्यवस्था
,,	शीर्ष	(श्री	(श्री
११५	शीर्षक	खाद्यान्न सम्बन्धी -१६ मार्च, १९६४- पुलिस द्वारा गिरफ्तारी	विज्ञापन की मांग– १६ मार्च, १९६४- स्थगन प्रस्ताव
११७	४	१० सहकारिता	१०-सहकारिता
११९	१-२	मांग संख्या २० व १० पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हुए	[मांग संख्या २० व १० पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-
१२३	१५	श्री केदानाथ	श्री केदारनाथ
१२५	२	(मलारना चौक)	(मलारना चौर)
,,	१४	बागाडोरा)	(बागीडोरा)
१२७	शीर्ष	— —	(श्री हीराभाई)
१२९	,,	— —	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
१३१	१२	कंवर श्री महेन्द्रसिंह	कुंवर श्री महेन्द्रसिंह
१३९	शीर्ष	(श्री चतुर्भुज शर्मा)	(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)
,,	६	श्रा मोहनराज	श्री मोहनराज
१४९	शीर्षक	मग संख्या	मांग संख्या
१५१	अन्तिम	करने हेतु) ।	करने हेतु)]
१५३ से ३०७ तक	शीर्षक	मांग संख्या १० व २०	मांग संख्या २० व १०-

१	२	३	४
१७४	६	श्री उपाध्य	श्री उपाध्यक्ष
१८१	शीर्ष	(यी मथुरेशविहारी माथुर)	(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
१८४	६	श्री मथुरेशविहार माथर	श्री मथुरेशबिहारी माथुर
,,	६	श्री मथुरेशबिहारी माथर	,, ,, ,,
१८७	शीर्षक	—१६ मार्च, १६६४—	-१६ मार्च, १६६४-
,,	अन्तिम से ४	श्री मुकबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल
१८८	४.५,७	,, ,, ,,	,, ,, ,,
२०१	८	श्री उपाअध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
२१३	शीर्षक	—६१ मार्च, १६६४—	-१६ मार्च, १६६४-
२२६	६	श्री ब्रजमुन्दर शर्मा (बूदी)	श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी)
,,	अन्तिम से ५	(१२.२० म० पू०)	(१२.२० म प.)
२३६	शीर्ष	(श्री मानिकवन्द सूराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
२४१	६,११	श्री मानिकवन्द सुराण	श्री मानिकचन्द सुराणा
२४६	८	श्री ज्वाप्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
२५०	६	श्री नाथूराम	श्री नाथूराम
२५५	१५	श्री भेरोंसिह	श्री भेरोंसिह
	२२	(निन्बाहेडा	(निम्बाहेड़ा)
,,			
२५६	शीर्ष	(श्रो मथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
२६२	अन्तिम से ३	श्री भेरोसिह	श्री भेरोसिंह
२६३	१	,, ,,	,, ,,
२७०	४,१०	श्री मथरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
२७२	१७	श्री मथ्रादास माथ्र	,, ,, ,,
२७३	शीर्ष	(श्रो मथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
,,	१५	श्री गथरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
३०७	शीर्ष	—	(श्री उपाध्यक्ष)
३०६	शीर्षक	संक्षिप्त-विवरण-१६ मार्च, १६६४- संक्षिप्त-विवरण	—
	४ के सामने	शीर्षक स्कम्भ	५.५
,, ३११	१० के सामने	—	६३
	१८ के सामने	—	६७
३२३	२	श्री शकरलाल	श्री शंकरलाल
३३१	२२	श्री बिट्ठल	श्री विट्ठल

*नोट:—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।